अष्टम भारत, खंड 4, अंक 28

सोमवार, 22 अप्रैल, 1985
2 वैसाख, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)



55
27/3/87

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सोमवार, 22 अप्रैल, 1985/2 वैशाख, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (ii), अंतिम पंक्ति तथा पृष्ठ 215, पंक्ति 5, "श्री जी०एस०बसवराज" के स्थान पर "श्री जी०एस०बसवराजू" पढ़िये।

पृष्ठ 4, अंतिम पंक्ति, "राख्य मंत्री" के स्थान पर "राज्य मंत्री" पढ़िये.

पृष्ठ 7, पंक्ति 7, "श्री जी०देवराय" के स्थान पर "श्री जी०देवराय नायक" पढ़िये।

पृष्ठ 19, पंक्ति 8, "(अनुबाब)" के स्थान पर "(अनुवाद)" पढ़िये।

पृष्ठ 24, पंक्ति 7, "प्रो० पा०जे०कुरियन" के स्थान पर "प्रो० पो०जे० कुरियन" पढ़िये।

पृष्ठ 45, पंक्ति 4, "श्रीमती सुन्दरवंती नवल प्रभाकर" के स्थान पर "श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर" पढ़िये।

पृष्ठ 45, पंक्ति 15, "(टी०अजैया)" के स्थान पर "(श्री टी०अजैया)" पढ़िये।

पृष्ठ 54, पंक्ति 8, "श्री थम्बन थामस" के स्थान पर "श्री थम्पन थामस" पढ़िये।

पृष्ठ 142, पंक्ति नीचे से 11, "श्री राधाकांत दिगाल" के स्थान पर "श्री राधाकांत डिगाल" पढ़िये।

पृष्ठ 143, पंक्ति 11, "श्री मल्लुपल्ली रामचन्द्रन" के स्थान पर "श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन" पढ़िये।

पृष्ठ 262, पंक्ति 9; "श्री के०रामचन्द्र रेडी" के स्थान पर "श्री के० रामचन्द्र रेड्डी" पढ़िये।

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 4, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 28, सोमवार, 22 अप्रैल, 1985/2 वैशाख, 1907(शक)

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या : 528, 530 और 541 से 544 .. 1–18

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या : 527, 532, 534 से 540, 545 और 546 18–24

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3845 से 3897, 3899 से 3995 24–171

सभा-पटल पर रखे गए पत्र 171–174

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

नारियल के मूल्यों में भारी गिरावट तथा नारियल के पौधों में जड़ के मुरझाने का रोग लगने के कारण किसानों की वित्तीय संकट का समाचार 174–193

श्री टी० बशीर 174

श्री बूटा सिंह . .. 175–181

श्री सुरेश कुरुप 181–186

श्री चिंतामणि जेना 186–190

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 190–193

कार्य मंत्रणा समिति 193
छठा प्रतिवेदन

नियम 377 के अधीन मामले 193–197

(एक) देवरिया जिले (उत्तर प्रदेश) में घाघरा नदी पर सड़क पुल का तेजी से निर्माण करने के लिये केन्द्र सरकार का अंशदान 193

श्री राम नगीना मिश्र 193

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय				पृष्ठ
(दो)	उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बुनकरों को उचित दरों पर सूती धागा देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता	—	—	194
	श्री कमला प्रसाद रावत	—	—	194
(तीन)	छतरपुर जिले में टीकमगढ़ में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता	..	—	194
	श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	..	..	194
(चार)	स्वनियोजन गारंटी योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना			194
	श्री हरीश रावत	..	..	194
(पांच)	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और आई०डी०पी०एल० आदि से अपशिष्ट पदार्थों के बहाए जाने के कारण हरिद्वार में गंगा नदी का प्रदूषण तथा उसके निवारणार्थ प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता	..		195
	श्री चिंतामणि जेना	..		195
(छ)	आंध्रप्रदेश में इचापुरम से थाडा तक सड़क निर्माण की परियोजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता	..	..	196
	श्री पी० पेंचालैया	..	..	196
(सात)	रेल डाक सेवा तथा एम०एम०एस० कर्मचारी संघ द्वारा 6 जून, 1985 को सांकेतिक हड़ताल करने की धमकी	..	..	196
	श्री आनन्द पाठक	..	..	196
(आठ)	बीरपुर (बिहार) में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता		..	197
	डा० जी० एस० राजहंस	..	..	197
अनुदानों की मांगें [सामान्य] 1985-86		..	..	197–245
	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	..	..	197
	श्री चिंतामणि जेना	..	..	198–200
	श्री सैयद मसूदल हुसेन	..	..	200–204
	श्री वी० एस० विजयराघवन	..	..	204–206
	श्री कमला प्रसाद रावत	..	..	206–207
	श्री अनंत प्रसाद सेठी	..	..	207–209
	श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	..	..	209–212
	डा० वीरी शंकर राजहंस			212–215
	श्री जी० एस० बसवराज	..	..	215–217

विषय			पृष्ठ
श्री टी० बशीर	..	...	218–220
श्री नारायण चौबे	..	...	220–222
श्री विजय एन० पाटिल	..	..	222–224
श्री के० जे० अब्बासी	..	..	224–227
श्री आर० अन्नानस्वी	..	...	227–229
श्री मूल चन्द डागा	..	...	229–232
श्री गिरधारी लाल व्यास	..	..	232–234
श्रीमती गीता मुखर्जी	..	..	235
श्री पीयूष तिरकी	..	..	235–236
श्री वी० कृष्ण राव	..	..	237–239
श्री राम प्यारे सुमन	..	..	239–243
श्री ललितेश्वर शाही	..	..	243–245
अमृतसर में 19-4-1985 को हुई घटना के बारे में वक्तव्य	..		245–247
श्री एस० बी० चव्हाण	..	..	245–247
1983 में राष्ट्रपति भवन में श्री दीदार सिंह बैंस और योगी हरभजन सिंह के कथित रूप से ठहरने के बारे में वक्तव्य	..	..	247
श्री एस० बी० चव्हाण	..	.. ..	247
अनुदानों की मांगें [सामान्य] 1985-86			
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	..	..	247–262
श्री राव बीरेन्द्र सिंह	..	..	247–262

लोक सभा

सोमवार, 22 अप्रैल, 1985/2 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत् हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

किसानों के लिए सहकारी ऋण आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने की योजनाएं

[अनुवाद]

*528. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान किसानों के लिए सहकारी ऋण आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सहकारी क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने हेतु ये योजनाएं किसानों के लिए कहां तक सहायक सिद्ध होंगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

निम्नलिखित योजनाओं पर विचार किया जा रहा है :—

(1) अल्पकालीन सहकारी ऋण संरचना का विकास करने की वृहत योजना ।

(2) दीर्घकालीन सहकारी ऋण संरचना का विकास करने की योजना ।

(3) सहकारी रूप से कमजोर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विशेष योजना ।

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष योजना ।

(5) विस्तार तथा प्रशिक्षण ।

(6) ऋण आयोजना तथा प्रबंधन

(7) कमजोर वर्गों के लिए तत्काल धनराशि की योजना ।

(8) ऋण वितरण पद्धति सुदृढ़ करने की मार्गदर्शी योजना ।

(9) कूप जीर्णोद्धार निधि योजना ।

(10) कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि ।

2. इन सभी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य कमजोर वर्गों तथा अल्पविकसित क्षेत्रों के लिए धनराशि के अधिक प्रवाह के साथ कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की सहायता सभी स्तरों पर विशेष रूप से ग्राम स्तर पर, सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करना है। प्रस्ताव है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का क्रमबद्ध ढंग से बहु-प्रयोजन सेवा संगठनों में अन्तरण किया जाये, ताकि न सिर्फ ऋण सम्भाल कृषि उत्पाद के विपणन और परिसंस्करण तथा उपभोक्ता सामान के वितरण सहित सभी अन्य आपूर्ति तथा सेवाओं की सम्भाल कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उपभोक्ता ऋण सहित सभी प्रकार के ऋणों की व्यवस्था करना है। सहकारी समितियों के संसाधन बढ़ाने के लिए निक्षेपों के उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इस योजना के तहत, कार्यालय भवन, गोदाम, तिजोरी, लोहे का सेफ, कैश काऊंटर, स्टाफ सहायता, अतिदेयों की पुन-र्स्थापना, प्रक्रिया, विस्तार तथा प्रशिक्षण का सरलीकरण जैसी वास्तविक सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु वित्तीय सहायता का प्रस्ताव है। छोटे तथा सीमान्त किसानों, जो अतिदेयों की पुन-र्स्थापना तथा कूप जीर्णोद्धार जैसे अवसंरचना निवेश को कवर करने की वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने से ऋण के अधिक भार से दबे हैं, के लिए ऋण की नयी पद्धति स्थापित करने के उपाय सुझाए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सहकारिता की दृष्टि से कमजोर राज्यों में ऋण संरचना सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए गठित सहकारी-समितियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। सहकारी समितियों के शेयरों की खरीद के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए अनुदान तथा राज्य सहायता देने का भी प्रस्ताव है।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं मन्त्री महोदय को अल्पावधि और दीर्घावधि के सहकारी उपायों के विकास के लिए विस्तृत योजना शुरू करने के लिए बधाई देता हूं। अपने उत्तर के पृष्ठ संख्या 2 पर उन्होंने कहा है कि "जो छोटे और सीमान्त किसान कर्ज आदि के बोझ से दबे हुए हैं उनके लिए ऋण देने के नए उपाय करने का विचार है।" आपके और अनेक सदस्यों के विचारों के अनुसार भूमि सीमा अधिनियम के बाद सभी किसान छोटे और सीमान्त किसान हैं। सूखा प्रवण क्षेत्रों में भी वे अनेक बोझों से दबे हुए हैं। क्या आप इस बात पर विचार करेंगे या नहीं? क्या उनका विचार पुनःस्थापन करने अर्थात् राज्य सरकारों और विभिन्न सहकारी समितियों को प्रशासन पद्धति या प्रशासनिक ढांचा बदलने का परामर्श देने का है क्योंकि बैंक प्रबन्धक और सचिव देश में इस सहकारी आंदोलन के मानदण्डों के प्रचार के लिए कम अर्हता प्राप्त हैं।

श्री बूटा सिंह : माननीय मित्र के प्रश्न के दोनों भागों में बहुत अच्छे सुझाव दिये गये हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। किसान चाहे छोटे हों चाहे सीमान्त, सबको ऋण की सख्त जरूरत है और उनका यह कहना बिल्कुल सही है कि सभी किसानों को छोटे और सीमान्त किसान माना जाना चाहिए। जहां तक मनोवृत्ति की बात है यह बहुत अच्छी है। परन्तु दुर्भाग्यवश ऋण देने वाले संस्थानों के संसाधन इतने सीमित हैं कि फिलहाल हमें प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना पड़ेगा ताकि कमजोर वर्गों में सबसे ज्यादा कमजोर की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम किसी समय प्राथमिकताएं समाप्त कर सकते हैं? आपने फिलहाल कहा है।

श्री बूटा सिंह : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है हमारे पास पायलट योजनाएं, जिनके अन्तर्गत सभी राज्यों में ऐसे तरीके अपनाये जायेंगे जिनसे कि हमें अधिक विशेषज्ञ अधिकारी मिलें। प्रशासनिक आधार पर ऋण लेना, ऋण लेने के लिए अन्यों के बजाय बैंक के पास जाना, अच्छा है और अब ऋण किसानों को मिलना चाहिए। हमें यह दृष्टिकोण अपनाना है, यह दिशा परिवर्तन करना है। अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति होने चाहिएं। परन्तु प्रशिक्षण योजना अच्छी योजना है। मुझे विश्वास है कि सभी राज्य सरकारें उसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : बहुत अच्छी बात है।

डा० कृपासिन्धु भोई : माननीय मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक संघ के रजत जयन्ती समारोह तथा बॉन में इंटरनेशनल रेफसीन यूनियन की बैठक का उद्घाटन किया था। मंत्री महोदय ने बैंकिंग संस्थानों को अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों के पुनर्निर्धारण के लिए कहा था। इस अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने कौनसी विस्तृत योजना बनाई है, जिसमें आई०आर०यू० के महासचिव श्री डबल्यू० शिफफगेन उपस्थित थे ? उनका विस्तृत सूत्र क्या है जिसका वे हमारे देश में प्रचार कर रहे हैं ? मंत्री जी के कथनानुसार उन्होंने उस बैठक में वायदा किया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों को लागू किया जाएगा और इसके साथ ही सातवीं पंचवर्षीय योजना में बैंकों को 38,000 मिलियन रुपये का ऋण देने का कार्य सौंपा गया है। अतः विचार-विमर्श के वास्तविक परिणाम क्या हैं, योजना क्या है और आप किस हैसियत में देश में सहकारी आंदोलन में विविधता लाने जा रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह : यह सच है कि मैंने राष्ट्रीय भूमि विकास बैंक के रजत जयन्ती समारोह और आई०आर०यू० की बैठक में भाग लिया था और वहां हमने देश में भूमि विकास बैंकों को प्रोत्साहित करने और किसानों की सहायता के लिए नेटवर्क के माध्यम से अल्पावधि और दीर्घावधि आधार पर ऋण देने के बारे में एक विस्तृत नीति संबंधी वक्तव्य दिया था। भूमि विकास बैंक अपने ऋण देने के कार्यक्रम को वर्ष 1984-85 में 555 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 1989-90 में 1,000 करोड़ कर रहे हैं। लम्बे सहकारी ऋण तंत्र को समुचित रूप से मजबूत करने पर ही यह संभव है। अधिकांश भूमि विकास बैंक बकाया राशि की समस्या से ग्रस्त हैं। 30-6-1983 को 1833 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों में से केवल 517 अप्रतिबंधित ऋण के हकदार थे। कृपया इसकी प्रतिशतता की ओर ध्यान दें। प्राथमिक स्तर पर 1833 भूमि विकास बैंकों में से केवल 517 हकदार हैं। इसका मतलब है कि राशि बकाया होने के कारण शेष बैंक हकदार नहीं हैं। वे पर्याप्त पूंजी एकत्रित करने में समर्थ नहीं हैं, वे अपने कार्यालयों का अनुरक्षण नहीं कर सकते। अतः ऋण सप्लाई के इस महत्वपूर्ण स्रोत का पतन हुआ है और इस महत्वपूर्ण संस्थान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर 726 भूमि विकास बैंकों के मामले में 26 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया है और उनके नाम मात्र के ऋण कार्यक्रम हैं। उनकी शेयर पूंजी और अन्य संसाधनों में कमी के कारण अधिकांश भूमि विकास बैंक कमजोर पड़ गए हैं और अभी हाल ही में नेशनल बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ब्याज के अन्तर को और भी कम कर दिया है। स्थिरता लाने का कोई कार्यक्रम नहीं है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संस्थाओं के पास पर्याप्त स्थिरीकरण व्यवस्था नहीं है। इस समय हमारा ऋण देने के संस्थान संबंधी पहलू पूर्णतया नगण्य है। हम सभी बैंकों

को स्थिरीकरण पूंजी देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे दीर्घकाल तक ऋण देने की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें ।

श्री कुलनबई बेलू : तमिलनाडु सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों का 200 करोड़ रुपये का सहकारी ऋण बट्टे खाते डाला है । परन्तु यहां छोटे और सीमान्त किसानों को ब्याज की ऊंची दर पर ऋण दिया जाता है । क्या केन्द्र सरकार का विचार छोटे और सीमान्त किसानों को ब्याजमुक्त ऋण देने का है क्योंकि उनके पास पांच एकड़ या इससे कम कृषि भूमि है और वह भी शुष्क भूमि है ।

श्री बूटा सिंह : सहकारी क्षेत्र में दीर्घावधि और अल्पावधि के दोनों ही ऋणों पर 1983 में ब्याज की दर कम की गई है । पिछले वर्ष भी देश की आर्थिक हालत और सहकारी क्षेत्र में हमारी पूंजी पर दबाव को ध्यान में रख कर ब्याज की दर में मामूली कमी की गई थी । इस समय कोई वायदा करना मेरे लिए संभव नहीं है ।

श्री सोमनाथ रथ : सहकारी क्षेत्र में किसानों को समय पर ऋण नहीं दिया जाता जिसके परिणामस्वरूप उत्पादक कार्यों में इस ऋण का उपयोग नहीं होता । क्या मंत्री महोदय किसानों को उचित समय पर ऋण देने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे ताकि इसका उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जा सके ।

श्री बूटा सिंह : हम एक पायलट योजना शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं । पूरे ढांचे का पुनर्गठन करने का प्रयास किया जा रहा है । देश में सहकारी ऋण पद्धति पुरानी हो गई है । हमें इसका नवीकरण करना है । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान पद्धति जीर्णावस्था में है । भूमि विकास बैंकों और सहकारी बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं है । हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम इन संस्थानों को कारगर बनाने जा रहे हैं । हम ऐसी व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील हैं जिसमें किसानों को ऋण लेने के लिए बैंक जाने के बजाय विशेषज्ञ किसानों के पास जाए, उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन करें और नौकरशाही प्रवृत्ति जोकि इस देश में इस समय तक चलती रही है, के बजाय मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनायें ।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

*530. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्मों के निर्यात में पिछले पांच वर्षों के दौरान कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय फिल्मों के निर्यात को और आगे बढ़ाने के लिए तत्संबंधी तरीकों और साधनों पर विचार करने हेतु कोई कृतिक बल नियुक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस कृतिक बल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत खूब है क्या विविधता है ?

श्री विजय एन० पाटिल : जब हम उत्तर को पढ़ते हैं तो यह काफी असंतोषजनक लगता है । मैं इस बात से सहमत हूं कि गिरावट आई है । मंत्री महोदय को कम से कम मात्रा या प्रतिशतता या धनराशि में गिरावट बतानी चाहिए थी । वे कौन से प्रमुख देश हैं जिनको हमारी फिल्मों का निर्यात किया जाता है और इसमें गिरावट के क्या कारण हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : फीचर फिल्मों के निर्यात मूल्य संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1982-83	1,150 लाख रुपये
1983-84	876 लाख रुपये
1984-85	727 लाख रुपये

काफी गिरावट आई है ।

जहां तक देशों का संबंध है, अधिकतर उन देशों को निर्यात किया जाता है जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं या जो वहां बस गए हैं और या उन देशों को जिनके भारत के साथ घनिष्ट सांस्कृतिक संबंध हैं । उन देशों में से प्रमुख इंगलैंड, अमरीका, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया; इंडोनेशिया, अरब खाड़ी के देश, मारीशस, फिजी द्वीप समूह, कीनिया और श्रीलंका हैं ।

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, एक तरफ तो फिल्मों के निर्यात में गिरावट आई है, दूसरी तरफ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों का आकार बढ़ा है । पिछले वर्ष लगभग एक दर्जन अधिकारी गए थे । क्या वे निर्यात संवर्धन का प्रयास नहीं कर रहे हैं और क्या वीडियो की चोरी के कारण निर्यात में कमी आई है । क्या जिन देशों का मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है वे जनेवा अभिसमय के सदस्य हैं जिसमें यह निर्धारित किया था कि यदि कापीराइट का उलंघन किया जाता है, तो निर्यात को या अवैध निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है । भारतीय फिल्मों का विदेशों को निर्यात के लिए मंत्री महोदय क्या उपाय करना चाहते हैं ?

श्री वी०एन० गाडगिल : महोदय, निर्यात में गिरावट का मुख्य कारण वीडियो प्रौद्योगिकी है क्योंकि अब फिल्में घर में ही वीडियो पर उपलब्ध हैं और अनेक लोग सिनेमाघरों में नहीं जाते हैं । इस लिए, वर्ष 1980 से हमने वीडियो अधिकार विदेशों को बेचने शुरू किए हैं । जहां फीचर फिल्मों के निर्यात से आय में कमी आई है वहां वीडियो अधिकार बेचने से वर्ष 1982-83 में 103 लाख रुपए की आय हुई, जो 1983-84 में बढ़कर 195 लाख रुपये हो गई है । पिछले वर्ष थोड़ी सी गिरावट आई है परन्तु फीचर फिल्मों से होने वाली आय में जो कमी हुई है वह वीडियो अधिकार विदेशों को बेचने से थोड़ी पूरी हुई है ।

जहां तक जनेवा अभिसमय का संबंध है, जिस देश के पास कापीराइट है वह जेनेवा अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देश के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता हैं । दुर्भाग्यवश इन देशों में से 40 प्रतिशत देश जनेवा सम्मेलन के हस्ताक्षर करने वाले नहीं हैं ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ....।

अध्यक्ष महोदय : बैरागी रहने के बाद भी आप सिनेमा की बात करना चाहते हैं ।

श्री बालकवि बैरागी : मैं बाल-बच्चेदार बैरागी हूं जी ।

श्री बूटा सिंह : इनका बैराग ही सिनेमा की वजह से हुआ है ।

श्री बालकवि बैरागी : मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहां जनवरी में जो अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था उसके पश्चात् विदेशों में भारतीय फिल्मों की मांग बढ़ जाने के समाचार कई समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए । उसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चूंकि प्रारम्भिक काल है, क्या हमें ऐसी आशा है कि यह स्थिति ज्यादा अच्छी होगी । दूसरे, जिस तरह से हमारे देश से वीडियो फिल्में तस्करी के माध्यम से बाहर जाती हैं, उनको रोकने के लिए हम लोगों ने, इस उत्सव के बाद, क्या प्रभावकारी कदम उठाये हैं ।

[अनुवाद]

श्री वी०एन० गाडगिल, : महोदय, जहां तक फिल्म समारोह का संबंध है, यह सच है कि विदेश से आए व्यक्तियों ने इसमें पर्याप्त रुचि दिखाई, परन्तु इस समय मैं आपको यह नहीं बता सकता कि 4-5 महीनों में हमें रुपये की तुलना में या विदेशी मुद्रा की तुलना में कितना लाभ हुआ है ।

जहां तक वीडियो चोरी का प्रश्न हैं, यह बहुत ही कठिन प्रश्न है, पिछले वर्ष हमने अधिनियम पारित किया है जिसके अन्तर्गत कुछ राज्य सरकारों ने कुछ कार्यवाही की है ।

श्री डी०एन० रेड्डी : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे अच्छी फिल्मों के आयात पर विचार करेंगे ? कुछ बहुत ही अच्छी फिल्में हैं जो देखने योग्य हैं ।

श्री वी०एन गाडगिल : महोदय जो फिल्में हमने आयात की हैं, उनके आंकड़े मेरे पास है..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे अंग्रेजी की अच्छी फिल्मों के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री वी०एन० गाडगिल : जी हां, हम अंग्रेजी की अच्छी फिल्मों का आयात कर रहे हैं और वास्तव में अब हमारा विचार एक शनिवार को छोड़कर प्रत्येक दूसरे शनिवार को अच्छी विदेशी फिल्में दूरदर्शन पर दिखाने का है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा मतलब माननीय सदस्य की इच्छा से है जिसे भी वह अच्छा समझते हैं ।

श्री वी०एन० गाडगिल : हम अच्छी फिल्मों का आयात करेंगे ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या यह बात सही है.....

अध्यक्ष महोदय : साही में और नायक में तो बहुत फर्क है.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इक्वैलिटी एण्ड इक्वैलिटी की बात करते हुए नाम में भी इकवैलिटी ला रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जी० देवराय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार स्वयं पूरी लम्बाई की फिल्में बनाने का है ताकि फिल्मों का निर्यात बढ़ाया जा सके। और यदि सरकार इस समय ऐसा नहीं चाहती तो क्या सरकार भविष्य में इस पहलू पर विचार करेगी।

श्री वी०एन० गाडगिल : हमारा एक संगठन है जिसका नाम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है। इसका मूल कार्य अच्छी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना है परन्तु इसके द्वारा फिल्मों का निर्माण भी किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण प्रताप सिंह.....अनुपस्थित।

प्रो० सैफुद्दीन सोज.....अनुपस्थित।

श्री के० रामामूर्ति.....अनुपस्थित।

बहुत खूब।

श्री राम बहादुर सिंह.....अनुपस्थित।

श्री राव.....अनुपस्थित।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन.....अनुपस्थित।

आज जैन साहिब भी अनुपस्थित हैं।

श्री सनत् कुमार मण्डल.....अनुपस्थित।

क्या मैं उठकर चला जाऊं और प्रश्नकाल के बाद ही आऊं।

श्री वी०वी० देसाई.....अनुपस्थित। हे भगवान्, क्या हो रहा है।

क्या सदन श्री माधव रेड्डी के यहां उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेगा ?

एक के बाद एक 8 सदस्य अनुपस्थित हैं।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

*541. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधुआ प्रवासी और नैमित्तिक मजदूर संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति ने अभी हाल ही में सरकार से सिफारिश की है कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए और बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम होना चाहिए ;

(ख) क्या भारत सरकार का विचार इस कार्य के लिए गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को नियुक्त करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने देश से इस बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

16 मार्च, 1985 को हुई बंधुआ प्रवासी और नैमित्तिक श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति की पिछली बैठक में, सामान्य विचार यह था कि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की गति को तेज करने की जरूरत है और इस संबंध में बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के बारे में अनेक सुझाव दिए गए । यह स्पष्ट किया गया कि वर्तमान सूचना के आधार पर, अभी भी 42,000 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया जाना है और इस संबंध में केन्द्र द्वारा संचालित योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा जा रहा है तथा श्रम मंत्रालय के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्लान में 5.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । आशा है कि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया सातवीं योजना अवधि के अंत तक पूरी हो जाएगी । बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने तथा उनके पुनर्वास के कार्यक्रम में प्राइवेट स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है ।

बंधित श्रम पद्धति [उत्पादन] अधिनियम, 1976 के अधीन बंधुआ श्रम पद्धति को पूरे देश में 25 अक्तूबर, 1975 से समाप्त कर दिया गया है । इस अधिनियम के अधीन, बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1978-79 में केन्द्र द्वारा संचालित योजना शुरू की, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बराबर-बराबर [50: 50] के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया को समय-बद्ध कार्यक्रम के रूप में पूरा करने के उद्देश्य से, वर्ष 1982-83 से विभिन्न राज्यों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं और इस संबंध में की गई प्रगति पर नजर रखी जा रही है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बंधुआ श्रमिकों को स्थायी आधार पर पुनर्वासित किया जाए और वे फिर बंधुआ श्रमिक न बन जाएं, राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे केन्द्र द्वारा संचालित योजना को वैसी ही

अन्य योजनाओं अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान और जनजातीय उप-प्लान तथा राज्य सरकार की अन्य चालू योजनाओं के साथ समन्वित करें। राज्य सरकारों को दिए गये अनुदेश, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं :—

(i) समाचारपत्र रिपोर्टों पर उचित ध्यान देना जिनमें बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता तथा उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है तथा प्राप्त शिकायतों की तत्काल जांच की जानी चाहिए और जांच पड़ताल के निष्कर्षों पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए ;

(ii) स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुपों द्वारा की गई शिकायतों पर उचित ध्यान देना तथा बंधित श्रम पद्धित [उत्सादन] अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार व्यथित श्रमिकों को राहत प्रदान करना; और

(iii) सार्वजनिक हित के मुकदमों पर सही सामाजिक महत्व में विचार करना तथा न्यायालयों के निर्देशों को समय पर तथा उनको सही भावों में लागू करना—

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है ? (समाप्त)

न्यूनतम वेतन में असमानता

*542. **श्री के० मोहन दास :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजूरी के मामले में काफी असमानता है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जिन राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिक है, वहां से उद्योगों को स्थानांतरित करके उन राज्यों में लाया जा रहा है, जहां न्यूनतम मजूरी अपेक्षाकृत कम है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजूरी को समान या लगभग समान बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दक्षिणी क्षेत्र में पड़ोसी राज्यों में कुछ रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों में अत्याधिक अंतर है और उद्योगों को उन राज्यों में स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति है, जिनमें न्यूनतम मजदूरी अन्य राज्यों की तुलना में कम है । इस प्रश्न पर कई बैठकों में विचारविमर्श किया गया है, जिनमें ऐसे रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित करने की सिफारिश की गई, जिनमें ऐसा पुनरीक्षण किया जाना है ।

जुलाई 1980 में हुए श्रम मंत्रियों के 31वें सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी में समानता की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया । सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि जब कि पूर्ण समानता सम्भव नहीं है, फिर भी पड़ोसी राज्यों द्वारा निर्धारित मजदूरी में अत्याधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उद्योग या व्यापार के एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाने की संभावना है । तद्नुसार, उपरोक्त सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन मजदूरी निर्धारित/पुनरीक्षित करते समय इस तथ्य पर ध्यान दिया जाए कि निर्धारित मजदूरी का अन्य राज्यों, विशेषकर पड़ोसी राज्यों पर प्रभाव पड़ सकता है । इस सिफारिश को सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही के लिए लाया गया था । इस प्रश्न पर विशेष कर बीड़ी उद्योग के संदर्भ में सितम्बर, 1981 में हुई श्रम मंत्रियों की बैठक में पुन: विचार-विमर्श किया गया और मजदूरी में विद्यमान भिन्नताओं को कम करने के लिए कई सिफारिशें की गई ।

केरल सरकार के सुझाव पर मजदूरी में भिन्नता संबंधी मद्द को 20 अप्रैल, 1985 को होने वाली दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की 19वीं बैठक की कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है ।

श्री के० मोहन दास : मंत्री महोदय ने अपने विवरण में बताया हैं कि श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कदम से स्थिति में कोई सुधार हुआ है ? यदि नहीं, तो और क्या प्रभावशाली कदम उठाने का विचार है ताकि न्यूनतम वेतन में असमानता को दूर किया जा सके ।

श्री टी० अंजैया : न्यूनतम वेतन के बारे में निर्णय करने का प्राधिकार राज्य सरकारों को है । यह सही है कि राज्यों में असमानता है । अत: हम श्रम मंत्रियों और ट्रेड यूनियनों का सम्मेलन बुला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए ताकि कारखाने एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित न किए जायें ।

श्री के० मोहन दास : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि केरल से काजू उद्योग तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य स्थानों पर ले जाया जा रहा है क्योंकि इन राज्यों में न्यूनतम वेतन केरल की तुलना में कम है । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं । क्या वे इन दक्षिणी राज्यों के मंत्रियों का एक विशिष्ट सम्मेलन बुलायेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके ।

श्री टी० अंजैया : जी, हां । काजू, बीड़ी तथा अन्य श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी के निर्धारण हेतु हम 11 मई, को एक श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुला रहे हैं ।

श्री डी० एम० रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पूरे देश में समान न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए एक समान कानून नहीं बनाना आवश्यक नहीं हैं ।

श्री टी० अंजैया : हम इस पर भी विचार कर रहे हैं ।

दिल्ली में पेयजल की कमी

+

*543 श्री चिंतामणि जेना :

श्री हरीश रावत :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली और नई दिल्ली के क्षेत्रों में पेयजल की भारी कमी है ।

(ख) यदि हां, तो किन विशेष क्षेत्रों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं और पेयजल की पूर्ति को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर): (क) इस समय जलपूर्ति स्थिति यथोचित रूप से संतोषजनक है । तथापि, गर्मी के मौसम के दौरान पेयजल में कमी आ जाती है । फरवरी, 1985 के अन्त में पम्पिंग स्टेशन में पर्याप्त पानी की कमी के कारण कुछ दिनों के लिए पानी की कमी हुई थी । अतिरिक्त पानी रिलीज करके इसमें सुधार किया गया था ।

(ख) ऊंचे स्थानों पर या वितरण प्रणाली के अंतिम छोर पर स्थित क्षेत्र में अर्थात दक्षिणी दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में गर्मियों के दौरान पानी के कम दबाव की आम शिकायतें प्राप्त होती हैं । हरियाणा से हैदरपुर संयंत्र में कच्चे पानी की पूर्ति में कमी होने के कारण पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, तथा सिविल लाइन क्षेत्र में जलपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है । अनधिकृत कालोनियों तथा नियमितिकरण की प्रक्रियाधीन कालोनियों में भी पानी की कमी रहती है ।

(ग) इस कमी का मुख्य कारण यह है कि दिल्ली के अपने जल स्रोत नहीं है और उसे इस प्रयोजन के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है ।

निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं ।

(i) टाटा परागशंक इंजीनियरों द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर वितरण पद्धति को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है ।

(ii) वजीराबाद वाटर वर्क्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए शाहदरा जल शोधन संयंत्र तथा दो रैनी कुएं निर्माणाधीन हैं ।

(iii) नई दिल्ली नगर पालिका ने नलकूपों, जिनकी संख्या इस समय 66 है, का विकास करके अपने क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कार्यवाही की है । 11 भू-गत टैंकों का भी निर्माण किया गया है ।

(iv) जलपूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखने के उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय, प्रत्येक में एक एक स्थाई समिति का गठन किया गया है ।

(v) दिल्ली की जलपूर्ति को बढ़ाने के प्रश्न को उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान की राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है ।

श्री चिंतामणि जेना : माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर देते समय मेरे प्रश्न के भाग (क) का परस्पर विरोधी उत्तर दिया है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि फरवरी, 1985 के अन्त में कुछ थोड़े दिनों के लिए पानी की कमी थी।

अध्यक्ष महोदय : यह 1985 के अंत में नहीं 1984 के अंत में कहा होगा।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, यह फरवरी, 1985 के अंत में है। मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उन्होंने बताया है कि गर्मी के मौसम के दौरान पानी के कम दबाव की शिकायतें मिलती हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जब मार्च अथवा अप्रैल में गर्मी आती है तो पानी की सप्लाई कम होती है। मंत्री महोदय ने बताया है कि पानी के कम दबाव के कारण ऊंचे स्थानों पर स्थित क्षेत्रों अथवा वितरण तंत्र के एकदम अंत में स्थित क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। लेकिन फरवरी और मार्च के महीनों में मध्य दिल्ली में और संसद सदस्यों के निवास स्थानों में भी तथा धनिक लोगों, सम्भ्रान्त (पोश) क्षेत्रों में भी पानी की कमी रहती है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय राजधानी दिल्ली के लिए पानी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री अब्दुल गफूर : फरवरी 1985 के अंत में पानी की कमी के प्रश्न के बारे में मैंने उत्तर दिया है कि यहां उस समय थोड़े दिनों के लिए पानी की कमी थी जब व्यवस्था में कोई खराबी आ गई थी और उस खराबी को ठीक कर दिया गया था।

जहां तक गर्मी के मौसम का सम्बन्ध है, यह हर कोई आसानी से समझ सकता है कि इस मौसम में पानी की प्रतिदिन औसत खपत बढ़ जाती है क्यों कि हर कोई स्नान करना चाहता है पानी का बार बार और अधिक मात्रा में उपयोग करता है इसलिए केवल दिल्ली में ही नहीं अपितु सारे भारत में पानी की कमी की यह समस्या होती है। गर्मी के मौसम में पानी की कमी एक सार्व भौमिक शिकायत है। कुछ समस्या है .....।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : हम लोगों के घरों में पानी की बहुत कमी है।

अध्यक्ष महोदय : जिनके यहां कमी है वहां देखने के लिए आप हमारे साथ चलिए कि राजस्थान में सीकर में पीने के पानी की कितनी कमी है। यहां तो नखरे हैं। पानी की किल्लत तो वहां है। पानी नजर नहीं आता है। पहले तो उनके लिए कुछ इंतजाम करना होगा। वह कार्य अब हमें करना है।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि जेना : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में 66 नलकूप लगाए गए है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या ये मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

गंगा नदी से पानी दिल्ली लाने का प्रस्ताव था। क्या मैं जान सकती हूं कि इस बारे में क्या प्रगति है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रगति किस सम्बन्ध में है ।

श्री अब्दुल गफूर : सम्पूर्ण दिल्ली के लिए पानी की सप्लाई का समूचा प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है । दिल्ली में पानी की सप्लाई का समूचा प्रश्न हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की सहमति पर निर्भर करता है क्योंकि दिल्ली के लिए पानी हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से सप्लाई किया जाता है । इसलिए केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई है और इन सभी राज्यों के सभी सम्बद्ध इंजीनियर इस समिति में हैं । वे इस बात का निर्णय करेंगे कि दिल्ली और इसके महानगरीय क्षेत्र के लिए किस तरह पानी की बेहतर सप्लाई की जा सकती है । कुछ समय पहले इनकी बैठक हुई थी लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया । लेकिन यह सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है । हम अपनी तरफ से पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं । इस बात का प्रस्ताव, है कि गंगा-यमुना घाटी (बेसिन) में कुछ और जलाशयों को जोड़ा जाए । इसके अलावा, एक स्थान विशेष पर हरियाणा सरकार सिंचाई प्रयोजनों के लिए पानी ले रही है एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि वे इस पानी को दिल्ली की ओर मोड़ दें । ये कुछ कठिनाईयां हैं और हम सम्पूर्ण स्थिति से अवगत हैं । हम इन सभी प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं । इसलिए, माननीय सदस्यों को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । उन्हें पानी मिल जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पेय-जल की समस्या का प्रश्न है, हमें इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो पेय-जल की योजनायें सन् 1972 से शुरू की गई हैं वह धनाभाव के कारण पूरी नहीं हो रही हैं, जिसका नतीजा यह है कि जो अभावग्रस्त गांव हैं उनको पेय-जल उपलब्ध नहीं हो रहा है । इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि विभिन्न राज्यों में सरकार के सहयोग से जो पेय-जल की योजनायें शुरू की गई हैं और जो 10-12 वर्षों से अधूरी हैं उनके लिए सरकार अतिरिक्त संसाधन देने के लिए विचार करेगी जिससे कि वह अधूरी योजनाएं पूरी हो सके ?

श्री अब्दुल गफूर : माननीय सदस्य इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जो ड्रिंकिंग वाटर का सवाल है, इस पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेन्ट्स, दोनों ही इसकी जरूरत को काफी महसूस करती है । इस सिलसिले में सारे देश में सर्वे भी हुआ और कौन-कौन से प्राब्लम विलेजेज हैं उसके बारे में कई दफा इस हाउस में कवैश्चन्स आए और उनके जवाब भी दिए गए । 1985 में 75,000 विलेजेज स्पिल-ओवर होंगे सेविन्थ फाइव ईयर प्लान में और जो बैकलाग होगा (आप चाहेंगे तो हर स्टेट की फीगर्स भी मैं दे दूंगा) वह विलेजेज सेविन्थ फाइव ईयर प्लान में 1990 तक कवर हो जायेंगे । यह स्कीम कोई सैन्ट्रली स्कीम नहीं है । बल्कि हर स्टेट को इस बात को मद्दे नजर रखते हुए देखना चाहिए कि हमारे स्टेट में कोई भी ऐसा न रहे, जहां पर पीने के पानी की दिक्कत हो । इतना ही नहीं कुछ साल पहले राज्य सरकारों को ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम को सोल्व करने के लिए इन्सैन्टिव भी दिया था । यदि तेजी से कदम उठायेंगे तो इन्सैंटिव देंगे । काफी स्टेट ने इसका फायदा भी उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : गफूर साहब और कुछ हो या न हो। लेकिन एक काम जरूर कर दीजिए। गावों में जहां पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वहां पानी को फर्स्ट प्रायोरिटी मानकर इस काम को जरूर करना है, इसके बगैर कुछ नहीं है। जहां हम जाते हैं वहां, पीने का पानी न होने की वजह से बूढ़ी माताएं कहती हैं, बेटा—मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पानी ला दे। इसलिए और कुछ मिले या न मिले, लेकिन पानी जरूर मिले।

श्री अब्दुल गफूर : अध्यक्ष जी, जो आपने बात कही है, वह मेरे दिमाग में भी है। कम से कम आजादी के इतने दिनों के बाद पानी नहीं मिलेगा तो बेइज्जती की बात है।

अध्यक्ष महोदय : हम आपको परम-वीर चक्र देंगे, आप पानी दिलवा दो।

श्री अब्दुल गफूर : मैं खुद आपकी कान्स्टीचूयेंसी में जा कर देखूंगा।

ब्राजील से चीनी का आयात

[अनुवाद]

*544. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1984 से बंगलौर के उपभोक्ताओं को ब्राजील से आयात की गई चीनी की सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या उक्त चीनी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ग) क्या ब्राजील से चीनी का आयात करना जरूरी है जबकि हम स्वयं दूसरे देशों को चीनी का निर्यात कर रहे हैं;

(घ) हम किस दाम पर चीनी का निर्यात कर रहे हैं और किस दाम पर ब्राजील से आयात कर रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ब्राजील से चीनी का आयात बन्द करने का है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) चीनी का आयात करने के लिए 1984 में किए गए ठेकों के प्रति, ब्राजील सहित विभिन्न देशों से चीनी पहुंच चुकी है और सितम्बर, 1984 से यह चीनी कर्नाटक सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों को उचित दर की दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को लेवी चीनी के रूप में वितरण करने के वास्ते आवंटित कर दी गई है। राज्य में लेवी चीनी का शहर/नगर-वार वितरण का कार्य राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में पड़ता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) देशी चीनी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, चीनी का निर्यात बहुत ही कम कर दिया गया है और आयात का आश्रय लिया गया है ताकि आन्तरिक खपत के लिए उचित मूल्यों पर पर्याप्त चीनी उपलब्ध हो सके।

(घ) जहाज पर निष्प्रभार औसत मूल्य, जिस पर भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान चीनी का निर्यात किया गया था, लगभग 2,324 रुपये प्रति मीटरी टन बैठता है। 1984 में किए गए ठेकों के प्रति, ब्राजील सहित विभिन्न देशों से आयात की गई चीनी का सी०आई०एफ० औसत मूल्य लगभग 2,288 रुपये प्रति मीटरी टन था।

(ङ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) के उत्तर में बताए गए तथ्यों को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : देश में चीनी उत्पादन में कुल कितनी कमी है और ब्राजील से कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया है।

राव वीरेन्द्र सिंह : ब्राजील से लगभग 2.68 लाख टन चीनी का आयात किया गया।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : इस आयातित चीनी विशेष को बंगलौर शहर में उपभोक्ताओं को सप्लाई किया गया। उपभोक्ताओं से यह शिकायत मिली है कि यह चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या कर्नाटक सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी है।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं नहीं समझता कि कर्नाटक सरकार से इस सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत रही है। ब्राजील की चीनी अत्यन्त बारीक है और अच्छे दाने की है। हो सकता है कुछ उपभोक्ताओं ने बड़े दाने की चीनी की तुलना में इसे पसन्द न किया हो। लेकिन यह बहुत अच्छी चीनी है और इसमें गन्ने की शर्करा का अंश भी काफी है। देश में उत्पादित किसी दूसरी चीनी की तुलना में इसके घटिया किस्म का होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और यह बिल्कुल हानिकारक नहीं है। यह अकेले बंगलौर शहर को ही सप्लाई नहीं की गयी अपितु अन्य अनेक स्थानों के लिए भी सप्लाई की गयी थी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु को सार्वजनिक वितरण के लिए बड़ी मात्रा में आयातित चीनी दी गयी है। कर्नाटक के अलावा कुछ अन्य राज्यों को भी इस चीनी का बड़ा भाग मिला है। कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आयी है।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रेमलताबाई चव्हाण : यह बड़े खेद की बात है कि हमारे देश में चीनी बाहर से मंगाई जाती है जब कि हमारा देश चीनी प्रधान देश कहलाता है। हमारे यहां इतनी चीनी पैदा हो सकती है जो सारे देश की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। दिक्कत यह है कि 1960 में भी इस तरह की कठिनाई पैदा हुई थी, हमारे यहां की चीनी पर रोक लगाई गई थी, जिस से चीनी के दाम बढ़ गये थे तथा देश में चीनी की शार्टेज निर्माण हो गई थी। 1984 में भी वही परिस्थिति पैदा हुई। हमारे महाराष्ट्र से बार-बार यह मांग आती है कि हमारे यहां ज्यादा चीनी मिलें लगाने के लिए लाइसेंस दिये जायें, लेकिन हमारी सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारे यहां की टेकनालाजी मशहूर है, गन्ना बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है, अगर वहां लाइसेंस दिये जायें तो चीनी संकट दूर हो सकता है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस पर जरूर विचार करेंगे तथा ऐसी व्यवस्था करेंगे जिस से ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस महाराष्ट्र को दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : एक आध लाइसेंस हम को भी दे दो ।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : मैं जानना चाहती हूं कि हमारे यहां ज्यादा चीनी मिलें खोलने के लिये जो लाइसेंस के लिये मांग आई है उस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : चीनी के उत्पादन में जो कमी हुई है वह चीनी मिलों की कमी की वजह से नहीं हुई है । जितनी कैपेसिटी शुगर मिलों की इस समय है, 1981-82 में इस से कम थी, फिर भी 84 लाख टन चीनी हिन्दुस्तान में पैदा हुई थी, उस से अगले साल 82 लाख टन पैदा हुई, लेकिन उस के बाद प्रोडक्शन 59 लाख टन हुई और इस साल जबकि काफी लाइसेंसेज दिये जा चुके हैं, तब भी प्रोडक्शन का अन्दाजा 62 लाख टन है । जब शुगर-केन कम पैदा होती है, उस का एरिया घट जाता है या सूखे की वजह से गन्ना कम मिलता है या उस में चीनी कम निकलती है, तब उस की प्रोडक्शन गिरती है ।

जहां तक लाइसेंसेज का सवाल है महाराष्ट्र में पिछले सालों में सब से ज्यादा लाइसेंसेज दिये गये हैं, मिलों का एक्सपेंशन भी महाराष्ट्र में सब से ज्यादा मन्जूर हुआ है । नये लाइसेंसेज भी सब प्रान्तों की निस्बत महाराष्ट्र को सब से ज्यादा मिले हैं, करीब करीब आधे महाराष्ट्र में हैं और बाकी आधे सारे हिन्दुस्तान में है । इसलिये यह शिकायत नहीं होनी चाहिये कि महाराष्ट्र में मिलों की कमी है । एक-एक जिले में कई जगह तो 10-12 मिलें हैं । दूसरे जिलों में जहां मिलें नहीं हैं, उन के लिए हमारी पालिसी है कि पहले उन को तरजीह दी जाये और यह कमी दूसरे प्रान्तों में है ।

श्री रामनगीना मिश्र : अभी अभी मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि 1981-82 में 84 लाख टन हुई, उस के बाद 82 लाख टन हुई, लेकिन उस के बाद उत्पादन घटा और गिर कर 59 लाख टन हो गया । क्या मंत्रीजी को मालूम है कि उत्पादन क्यों कम हो रहा है ? वह कहते हैं कि गन्ने की कमी की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि यह सत्य नहीं है । सत्य यह है कि जिस साल चीनी अधिक पैदा होती है, दूसरे साल किसानों को गन्ने के सही दाम नहीं मिलते । अभी भी अरबों रुपया किसानों का पिछले साल का बकाया है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जिस वर्ष 84 लाख टन चीनी पैदा हुई या जिस वर्ष 82 लाख टन चीनी पैदा हुई, उन वर्षों में कितने एकड़ में गन्ना पैदा किया गया था तथा जिस वर्ष 59 लाख टन चीनी पैदा हुई, उस वर्ष कितने टन गन्ना कम पैदा हुआ तथा कितने कम एकड़ में पैदा हुआ ? साथ ही विदेशों से चीनी मंगाने के लिए तो पैसा रहता है लेकिन किसान को ज्यादा पैसा नहीं दिया जाता । अगर उसी पैसे को किसानों को अधिक मूल्य के रूप में दे दिये होते, तो मैं समझता हूं कि चीनी का उत्पादन बरकरार रहता ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि असली वजह तो यह है कि शुगरकेन कम लगा और उस में ज्यादा वजह ड्राऊट की है । बारिश काफी हो, पानी काफी मिले और सिंचाई के साधन पूरे हों, तो गन्ना कम नहीं होगा लेकिन साथ ही साथ यह बात माननीय मैम्बर ने सत्य कही कि जितना पैसा किसान चाहता है हर साल, उतना उस को नहीं मिल पाता है ।

जहां तक बकाया पैसे का सवाल है पिछले साल के अन्दर बहुत कुछ बकाया की पेमेन्ट हो चुकी है और इस साल जितने एरियर्स हैं, पिछले सालों के मुकाबले में उन की परसेन्टेज कम है ।

श्री राम नगीना मिश्र : कितनी है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इस के लिए तो आप अलग से सवाल कीजिए । यह सवाल तो कर्नाटक के बारे में है । इसी में आप सब पूछना चाहते हैं । मैं तो यह बता रहा था कि शूगरकेन के एरियर्स सब से कम परसेन्टेज के लिहाज से इस साल हैं, चालू वर्ष में, और हमारी कोशिश यह है कि एरियर्स कम से कम हों लेकिन यह भी माननीय सदस्य मानेंगे कि पिछले पांच वर्षों में शूगरकेन का जो भाव मिला, वह पहले कभी नहीं मिला । आप अन्दाज लगा सकते हैं कि 1977 से 1980 तक जब सरकार दूसरी थी, तो तीन रुपये और साढ़े तीन रुपये क्विंटल शूगरकेन का भाव नहीं मिला था और खेत में गन्ने को जलाना पड़ा था और उस के बाद सन् 1980 के बाद कभी भी शूगरकेन के भाव 20 और 21 रुपये **पर क्विंटल** से कम नहीं हुए । यहां तक कि 25 और 26 रुपये **पर क्विंटल** गन्ने का भाव मिला है पिछले सालों में । तो यह नहीं कहा जा सकता कि शूगरकेन का भाव कम होने की वजह से ऐसा हुआ है । यह बात दूसरी है कि बाजऔकात शूगरकेन की क्वालिटीवेशन घटी हो लेकिन मेरी निगाह में यह 2-3 लाख हैक्टयर से ज्यादा नहीं घटी है । कभी कभी फर्क इस वजह से पड़ जाता है कि प्रोडक्शन में डाइवर्शन हो जाता है....गुड़ और खांडसारी में । अगर मिलों का पैमेन्ट शूगरकेन का बाकायदा हो और अच्छे भाव मिलें खांडसारी के मुकाबले में, तो मिलों में गन्ना जाएगा । खांडसारी मिलों में जो गन्ने का दाम मिलता है और गुड़ के लिए जो दाम मिलता है, वह बहुत ज्यादा मिलता है और इसलिए शूगरकेन ज्यादा उस तरफ चला जाता है । गुड़ और खांडसारी के ऊपर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है । उन का प्रोडक्शन कितना हुआ, यह हम को मालूम नहीं होता है । आप सिर्फ अन्दाजा लगाते हैं कि शूगर का प्रोडक्शन कितना हुआ लेकिन जो दूसरे स्वीटनिंग एजेन्ट्स हैं, उन का प्रोडक्शन मालूम नहीं होता । अगर शूगर का प्रोडक्शन 62 या 60 लाख टन आ गया, तो बाकी गुड़ और खांडसारी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, यह आप नहीं कह सकते । उन का प्रोडक्शन बढ़ता है । अगर ज्यादा भाव दे पाते हैं, तो मिलों में शूगर का प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है । दूसरी बात यह है कि खांडसारी में एक्साइज की कुछ छूट है और गुड़ पर तो कतई कोई कन्ट्रोल नहीं है । इस वजह से शूगर का प्रोडक्शन कम हुआ है ।

[अनुवाद]

श्री विद्युत तिरकी : क्या यह सत्य नहीं है कि इस निर्यात और आयात व्यापार में कुछ निहित स्वार्थ सक्रिय है ? मंत्री महोदय ने बताया है कि हम पर्याप्त चीनी का उत्पादन कर रहे हैं । क्या यह सत्य नहीं है कि सरकार उन निहित स्वार्थों को प्रसन्न करना चाहती है जो इस व्यापार में कमीशन प्राप्त कर रहें हैं और यदि यह बात सच है तो जब चीनी का निर्यात अथवा आयात किया जाता है तो एक निहित स्वार्थ वाला व्यक्ति प्रति क्विंटल कितना कमीशन प्राप्त कर रहा है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य की 'पार्टी' के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । लेकिन मैं अपनी 'पार्टी' के बारे में जानता हूं, उसे इसमें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष जानकारी है तो उन्हें मेरे पास अथवा प्रधानमंत्री को लिख कर भेजनी चाहिए और हम इसके बारे में जांच-पड़ताल करेंगे । लेकिन वह इस तरह से आम आरोप नहीं लगा सकते ।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० निर्मला कुमारी ....उपस्थित नहीं हैं। प्रो० पी०जे०कुरियन .... वह भी उपस्थित नहीं हैं। अब और कोई प्रश्न नहीं है। यह सूची समाप्त होती है। अब मैं पूरी सूची फिर से देखता हूं। श्री शांता राम पोटदुख ....उपस्थित नही हैं। श्री कृष्ण प्रताप सिंह ....यहां नहीं हैं। प्रो० सैफुद्दीन सोज ....उपस्थित नहीं। श्री के० राम मूर्ति ....हैं नहीं। श्री राम बहादुर सिंह ....हैं नहीं। श्री वी० सोभनादीसवरा राव ....उपस्थित् नही। श्री बुद्धि चन्द्र जन ....उपस्थित नही। श्री सनत कुमार मण्डल ....उपस्थित नहीं। श्री वी० बी० देसाई ....हैं नहीं। प्रो० निर्मला कुमारी ....हैं नहीं। प्रो० पी०जे० कुरियन ....हैं नहीं। इस प्रकार प्रश्न सूची पूरी हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र सम्मेलन द्वारा मांगी गई सुविधायें

[अनुवाद]

*527. **श्री शांता राम पोतदुखे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय लघु समाचार-पत्र सम्मेलन द्वारा सरकार से क्या सुविधा मांगी गई है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उन्होंने आर्थिक सहायता की मांग की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) सरकार को अखिल भारतीय लघु-समाचार पत्र सम्मेलन से ऐसा कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें सुविधाएं मांगी गई हों।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

[हिन्दी]

*532. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में उनके मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इन बैठकों में क्या-क्या संकल्प पारित किए गए; और

(ग) इन संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1984 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 3 बैठकें हुई ।

(ख) इन बैठकों में इस रूप में कोई संकल्प पारित नहीं किए गए ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आवासीय समितियों को भूमि का आवंटन

[अनुवाद]

*534. **प्रो० संफुद्दीन सोज** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भूमि के आवंटन के लिए पंजीकृत उन आवासीय समितियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक भूमि का आवंटन नहीं किया गया है; और

(ख) प्राथमिकता के आधार पर भूमि के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास 1981 में भूमि के आवंटन के लिए पंजीकृत 453 सहकारी ग्रुप आवास समितियों में से केवल 28 सहकारी ग्रुप आवास समितियों को अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई है ।

दिल्ली की सहकारी समितियों के पंजीकार द्वारा 1983 में चलाई गई सहकारी ग्रुप आवास समितियों की पंजीकरण की नई योजना के अन्तर्गत, 1402 समितियों का पंजीकरण किया गया है । सहकारी समितियों के पंजीकार इन समितियों के प्रलेखन पर कार्यवाही कर रहे हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण इन नई पंजीकृत समितियों को भूमि का आवंटन करने के लिए भूमि का पता लगाने का प्रयास कर रहा है । इन समितियों को भूमि का आवंटन का प्रश्न इस कार्यवाही के पूरा हो जाने पर ही उठेगा ।

(ख) पात्र समितियों को भूमि का आवंटन उनकी वरिष्ठता अर्थात् दिल्ली की सहकारी समितियों के पंजीकार के पास पंजीकरण की तारीख और क्रम संख्या के अनुसार किया जाता है ।

ग्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय ग्रिड

*535. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण गोदामों की राष्ट्रीय ग्रिड योजना के अन्तर्गत 1984 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने गोदाम बनाये गये और उनकी राज्य-वार कुल भण्डारण क्षमता कितनी है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना हेतु योजना के अन्तर्गत पूरे किए गए गोदामों की राज्य-वार संख्या तथा उनकी क्षमता को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्राप्त सूचना के अनुसार पूरे किए गए गोदामों की संख्या	क्षमता (मीटरी टनों में)	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	48	27,000	31-12-1984 तक की स्थिति
2.	बिहार	21	21,000	31-12-1984 तक की स्थिति
3.	गुजरात	137	67,110	31-12-1984 तक की स्थिति
4.	हरियाणा	30	29,750	31-12-1984 तक की स्थिति
5.	कर्नाटक	143	31,500	30-8-1984 तक की स्थिति
6.	मध्य प्रदेश	129	95,000	31-12-1984 तक की स्थिति
7.	महाराष्ट्र	345	1,38,200	31-12-1984 तक की स्थिति
8.	उड़ीसा	20	15,500	31-12-1984 तक की स्थिति
9.	राजस्थान	65	29,250	31-12-1984 तक की स्थिति
10.	तामिलनाडु	3	3,000	31-12-1984 तक की स्थिति
11.	उत्तर प्रदेश	100	31,600	31-12-1984 तक की स्थिति
12.	पश्चिम बंगाल	20	15,000	31-12-1984 तक की स्थिति
	योग :	1061	5,03,910	

सरकारी मकानों को आगे किराये पर देने के मामलों का पता लगाना

*536. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी मकानों को और आगे किराये पर देने के मामलों का पता लगाने के क्या प्रयास किये गये हैं ;

(ख) वर्ष 1984-85 में सरकारी मकानों को आगे किराये पर देने के कितने मामलों का अब तक पता लगा है तथा तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर): (क) सरकारी वास में उप किरायेदारी का पता लगाने तथा निरन्तर इसकी प्रगति का प्रबोधन करने के लिये सम्पदा निदेशालय में एक पूर्णांग स्कन्ध है । सम्पदा निदेशालय के अधिकारियों को तैनात करके विभिन्न कालोनियों में प्रत्येक

महीने आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाता है। आकस्मिक निरीक्षण करने के अतिरिक्त, उपकिरायेदारी की विशिष्ट शिकायतों की जांच भी की जाती है।

(ख) और (ग) जनवरी, 1984 से मार्च, 1985 की अवधि के दौरान 318 कर्मचारियों के विरुद्ध उपकिरायेदारी प्रमाणित हुई और उनमें नियमानुसार उचित दण्ड दिये गए थे। 267 मामलों में क्वार्टरों का आवंटन मनसूख किया गया और कर्मचारियों को 3 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी वास के लिये अपात्र घोषित किया गया। 51 मामलों में कर्मचारियों को अवधि विशेष के लिये सहभागिता से वारित किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में मुर्गी पालन

*537. **श्री बी० सोमनाद्रीसवरा राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "असली" नामक एक महत्वपूर्ण और प्राचीन नस्ल की मुर्गियों की सबसे अधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है;

(ख) क्या केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का विचार हैदराबाद में देशी मुर्गियों के संरक्षण के और उनकी दशा में सुधार के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देशी कुक्कुट के आनुवंशिक अध्ययन/जनन द्रव्य के संरक्षण के लिये एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करने के बारे में विचार कर रहा है। योजना के स्थान और ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

पेयजल सप्लाई हेतु सिंचाई और विद्युत को प्राथमिकता देना

*538. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार पेयजल की अविलम्बनीय समस्या को हल करने हेतु सिंचाई और बिजली को उच्च प्राथमिकता देने और इसके लिए अधिक धनराशि का प्रावधान करने तथा राज्य सरकारों को भी ऐसा ही करने के लिये प्रेरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) पेयजल पूर्ति के कार्यक्रम को योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव वाले दस्तावेज में भी इसे दिखाया गया है। सिंचाई और विद्युत क्षेत्रों के संबंध में कार्यक्रम की परस्पर प्राथमिकता सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही ज्ञात होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"रूरल जाब स्कीम, एक्सपेक्टेशन बिलाइड" शीर्षक से समाचार

*539. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 मार्च, 1985 को नई दिल्ली से प्रकाशित 'इकानोमिक टाइम्स' में "रूरल जाब स्कीम एक्सपेक्टेशन बिलाइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 की उपलब्धियों की तुलना में, इस वर्ष की उपलब्धियों की कैसी संभावनायें हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के प्रयोजन के लिये सरकार और अधिक धनराशि उपलब्ध करायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि उपलब्ध कराने का विचार है और पश्चिम बंगाल सरकार को इस धनराशि का कितना भाग आवंटित करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ): 27 मार्च, 1985 को नई दिल्ली से प्रकाशित "इकानोमिक टाइम्स" में "रूरल जाब स्कीम, एक्सपेक्टेशन बिलाइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार तथा 1984-85 के मुकाबले 1985-86 के परिव्यय तथा रोजगार लक्ष्य पर की गई टीका-टिप्पणी सरकार के ध्यान में आई है।

केन्द्रीय सरकार के 1985-86 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 230 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव है। यह 1984-85 की केन्द्रीय सहायता के बराबर है। राज्य योजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु प्रावधान को पिछले वर्ष के स्तर पर रखे जाने का प्रस्ताव है और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंश का हिसाब अनन्तिम रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 17.74 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 30.12 करोड़ रुपये लगाया गया है।

वर्ष 1984-85 के दौरान दो कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार सृजन का लक्ष्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 309 मिलियन श्रम दिन तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 मिलियन श्रम दिन था। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1985-86 हेतु लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं क्योंकि 1985-86 की राज्य वार्षिक योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

किसानों के लिये नयी बैंक योजना

*540. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनका मंत्रालय एक ऐसी नई योजना तैयार कर रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रयोग के रूप में बैंक को किसानों के दरवाजे तक पहुंचाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना 1985–86 से शुरू की जायेगी;

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उक्त योजना किसानों के लिये कहां तक लाभदायक होगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) और (घ) : मार्गदर्शी योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्ज लेने वाले को सहकारी ऋण संस्थान के कार्यालय का बार-बार चक्कर लगाने के लिये विवश किये बिना किसानों को समय पर और समुचित मात्रा में ऋण तथा अन्य सेवायें उपलब्ध कराई जायें । इस योजना में फार्म स्तर पर बैंक और ग्राहकों के बीच निकट संबंध स्थापित किये जाने की परिकल्पना की गयी है । एक चलता-फिरता ऋण अधिकारी किसानों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के लिये गावों में जाता है, उनकी समस्याओं को समझता है तथा उसके बाद प्रत्येक कर्जदार के लिये अलग-अलग ऋण योजना तैयार करता है । वह आदानों की आपूर्ति की व्यवस्था करने तथा ऋण की रकम का उचित उपयोग संबंधी फार्म—मार्गदर्शन में सहायता करता है । उनसे किसानों की सहायता करने के लिये उनके उत्पाद के विपणन में मदद करने की अपेक्षा की जाती है । वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऋण का समय पर पुनर्भुगतान किया जाये । मूल विचार यह है कि कर्ज देने की कार्यालय उन्मुखी योजना के स्थान पर संयोगात्मक आधार पर फार्म उन्मुखी प्रणाली लागू की जाये ।

महानगरों में बेघर परिवार

[हिन्दी]

*545. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली महानगरों में पृथक पृथक ऐसे कितने परिवार हैं जिनका अपना कोई मकान नहीं है ;

(ख) क्या इन परिवारों के लिए मकान बनाने की सरकार की कोई विशेष योजना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर): (क) 1981 की जनगणना की अनुसार, प्रश्नगत शहरों में बेघर परिवारों की संख्या इस प्रकार है :

कलकत्ता	7,884
बम्बई	22,608
मद्रास	1,668
दिल्ली	11,928

(ख) आवास राज्य का विषय है बेघर लोगों को आवास मुहैया करने की कोई केन्द्र योजना नहीं है। समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए राज्य क्षेत्र में चल रही योजनाओं के तहत बेघर लोगों की आवास समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

मत्स्य पालन विकास 2000 ई०

[अनुवाद]

*546. **प्रो० पा०जे० कुरियन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में मत्स्य पालन पर "मत्स्य पालन विकास 2000 ई०" के नाम से नई दिल्ली में सम्पन्न हुए सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में विदेशी चार्टर नौकाओं की अनुमति के संबंध में कोई आश्वासन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) चार्टर नीति भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियमन) अधिनियम, 1981 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा विनियमित की जाती है। सम्मेलन में आश्वासन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय भण्डारण निगम के बोर्डों के सदस्य

[अनुवाद]

3845. **श्री एम० महालिंगम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भण्डारण निगम के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों, क्षेत्रीय प्रबन्धकों, कार्यकारी अधिकारियों तथा कार्यकारी अभियन्ताओं और कार्यकारी समिति का बोर्ड वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समिति बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सभी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि किसी समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को सम्मिलित नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उक्त सभी बोर्ड समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के निदेशक मंडल तथा इसकी कार्यकारी समिति के गठन के संबंध में बताया गया है।

(ख) से (घ). इस समय, कारपोरेशन के निदेशक मंडल अथवा इसकी कार्यकारी समिति में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई निदेशक नहीं है। न ही मंडल अथवा समिति में ऐसा प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रस्ताव है। कारपोरेशन के निदेशक मंडल और इसकी कार्यकारी समिति का गठन भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है।

विवरण

सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के निदेशक मंडल का गठन

1. श्री के०आर० गणेश	अध्यक्ष
2. श्री एस०एम० पाटणकर	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, (खाद्य विभाग)
3. श्री एच०डी० बंसल	संयुक्त सचिव, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, (खाद्य विभाग)
4. श्री ए०डी० नागपाल	निदेशक (कस्टम), वित्त मंत्रालय
5. श्री आर०सी० दूबे	उप सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
6. श्री अजीत सिंह	प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम
7. श्री आर०वी० गुप्ता	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
8. श्री एच० चिंतामणि	मुख्य अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक
9. श्री ए०सी० पारिख	महा प्रबंधक, यूनाइटिड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता
10. श्रीमती कांता कथूरिया	सहकारी सोसाइटियों की प्रतिनिधि
11. श्री वी०एन० भार्गव	अतिरिक्त जोनल प्रबंधक, जीवन बीमा निगम—बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों, तथा वित्तीय संस्थानों आदि के प्रतिनिधि।
12. श्री एम०के० गर्ग	प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की कार्यकारी समिति का गठन

1. श्री के०आर० गणेश	अध्यक्ष
2. श्री एस०एम० पाटणकर	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, (खाद्य विभाग)
3. श्रीमती कांता कथूरिया	सहकारी सोसाइटियों की प्रतिनिधि
4. श्री एम०के० गर्ग	प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

भारतीय खाद्य निगम में भण्डारण/पारेषण हानियां

3846. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में 1 प्रतिशत तक की भण्डारण/पारेषण हानियों को क्षेत्रीय स्तर पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है और जोनल कार्यालय तथा मुख्यालयों को इस बारे में सूचित नहीं किया जाता है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा संसद् में बताई गई अथवा अपने तुलन पत्र आदि में दर्शाई गई भण्डारण तथा पारेषण हानियां केवल वही होती हैं जिनको केवल मुख्यालय स्तर पर बट्टे खाते में डाला जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रीय स्तर पर वर्ष 1982-83, 1983-84 और दिसम्बर, 1984 तक क्षेत्र-वार बट्टे खाते में डाली गई हानियों का डिपो-वार ब्यौरा क्या है तथा कितने मूल्य का खाद्यान्न बट्टे खाते में डाला गया;

(घ) विभिन्न सम्बद्ध मुख्यालयों को हानि के ब्यौरों की जानकारी देते समय इन हानियों को सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय/जोनल/राष्ट्रीय स्तर पर सूचित की गई हानियों की मात्रा क्या है जिसे बट्टे खाते नहीं डाला गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भण्डारण/मार्गस्थ हानियां निगम के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा के अन्दर बट्टे खाते डाली जाती हैं। डिपुओं अथवा मार्ग में होने वाली सभी हानियों को भारतीय खाद्य निगम के लेखों में दिखाया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) . प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) डिपो निगम के स्टाक रखने वाले यूनिट हैं। 31-3-84 को, पिछले तीन वर्षों की अनियमित हानियों की वर्ष वार स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष	अनियमित हानियां (मात्रा/लाख मीटरी टन)
1981-82	5.21
1982-83	6.64
1983-84	6.52

उड़ीसा सरकार का ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव

3847. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार द्वारा पेश की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग ने इन प्रस्तावों की मंजूरी दे दी है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार ने योजना आयोग को 1985-86 की वार्षिक योजना प्रस्तुत की है इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

ग्रामीण विकास के बारे में 1985-86 हेतु उड़ीसा सरकार द्वारा योजना आयोग को भेजे गए प्रस्तावों की मुख्य बातें

(क) **वित्तीय लक्ष्य :**

कार्यक्रम	वित्तीय लक्ष्य (रुपये लाखों में)
(1) **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम**	
(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान	1,198.00
(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए खण्ड संगठन को सुदृढ़ बनाना	107.00
(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए मानिटरिंग सैल	3.20
(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सैल	1.20
लघु योग	1,309.40
(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1,200.00
(3) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	293.00
(4) सामुदायिक विकास और पंचायतें	130.00
(5) **भूमि सुधार**	
(क) जोतों की चकबन्दी	520.00
(ख) अधिकतम सीमा कानून का क्रियान्वयन	105.00
(ग) सर्वेक्षण और बन्दोबस्त	200.00
(घ) कार्डोक्स	25.00
(ङ) शहरी भूमि की अधिकतम सीमा	5.00
लघु योग	855.00

(ख) वास्तविक लक्ष्य :

कार्यक्रम	वास्तविक लक्ष्य
(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	
1. सहाय्यित लाभार्थी (संख्या)	1,88,000
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी (संख्या)	1,00,000
3. औद्योगिक सेवा और व्यापार के अन्तर्गत सहाय्यित लाभार्थी (संख्या)	63,000
4. ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षित/प्रशिक्षित किए जा रहे युवक (संख्या)	13,000
5. स्व-नियोजित युवक (संख्या)	13,000
(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	
6. सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	100.00
(3) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	
7. लघु सिंचाई '000 हैक्टेयर शामिल क्षेत्र	22
8. भूमि और जल संरक्षण	6
9. वन रोपण—'000 हैक्टेयर	36
10. चरागाह विकास—तदैव—	7.2
11. सहाय्यित लाभार्थी	23,500
(4) भूमि सुधार	
12. फालतू घोषित क्षेत्र (हैक्टेयर)	16
13. अधिगृहीत क्षेत्र (,,)	4
14. आबंटित क्षेत्र (,,)	7,011.5
15. जोतों की चकबन्दी (,,)	1,30,000

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निचली सतह के क्षेत्रों की भराई

3848. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० ने पिछले तीन वर्षों में रोहिणी में आवासीय मकानों के निर्माण के लिए धौली धार सहकारी समिति सहित अनेक सहकारी आवास समितियों को जमीन आबंटित की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सुनिश्चित किया गया था कि निचली सतह के भू-भाग (सड़क स्तर से नीचे) की भराई की जिम्मेदारी डी०डी०ए० की होगी;

(ग) यदि हां, तो उन समितियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1982-83 में जमीन आवंटित की गयी थी और तत्संबंधी भराई का आश्वासन दिया गया था;

(घ) क्या ऐसी भी कुछ आवास समितियां हैं जिन्हें डी० डी० ए० ने भराई का आश्वासन अभी तक नहीं दिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निचली सतह की उक्त भराई का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . रोहिणी में सहकारी सामूहिक आवास समितियों को कब्जा देने के समय पता लगाए गए क्षेत्रों में सड़क स्तर से 1'—6" नीचे भू-भाग की निचली सतह को भरने का दिल्ली-विकास प्राधिकरण ने निर्णय किया था। संलग्न विवरण एक में उन समितियों के नाम दिए गए हैं जिनके लिए मिट्टी की भराई की गई है ।

(घ) और (ङ). उन समितियों के नाम संलग्न विवरण-दो में दिए गए है जिनके लिए अभी भराई की जानी है। रोहिणी में प्रश्नगत निचली सतह के क्षेत्र की भराई पूरक नाले से मिट्टी की उपलब्धता से जुड़ी हुई है, जिसका कि काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इन समितियों के क्षेत्रों में मिट्टी की भराई का काम अगले छह महीने में पूर्ण हो जाने की आशा है ।

विवरण—एक

रोहिणी में उन सहकारी सामूहिक आवास समितियों के विवरण जिनकी भूमि में निचली सतह के भागों की भराई की गई है ।

क्रम संख्या	समिति का नाम
1.	अनुभव सहकारी सामूहिक आवास समिति
2.	आत्मवल्लभ —वही—
3.	भारत —वही—
4.	फार्मरस —वही—
5.	गुजरात सरगोधा —वही—
6.	आई०बी०टी० —वही—
7.	प्रिंटिर्स —वही—
8.	पारसारन —वही—
9.	सुनहरी बाग —वही—

विवरण—दो

रोहिणी में उन सहकारी सामूहिक आवास समितियों के विवरण जिनकी भूमि में अभी भराई की जानी है ।

क्रम संख्या	समिति का नाम	
1.	ए०पी०एम०सी० सहकारी सामूहिक आवास समिति	
2.	अग्ररोहा	—वही—
3.	कोसी होम	—वही—
4.	सेन्ट्रल दिल्ली	—वही—
5.	दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टाफ	—वही—
6.	धौली धर	—वही—
7.	दिल्ली पुलिस इम्पलाइज	—वही—
8.	गुरु	—वही—
9.	मिलन सार	—वही—
10.	महेश्वरी	—वही—
11.	नीलगिरि	—वही—
12.	पिक	—वही—
13.	प्रेम कुटीर	—वही—
14.	रंग रसायन	—वही—
15.	सुन्दर	—वही—
16.	सन्त तुलसीदास	—वही—
17.	साकेत	—वही—
18.	संस्कृत नगर	—वही—
19.	तरुण सेवक	—वही—
20.	दी माडल	—वही—
21.	तहसील अलीपुर	—वही—
22.	यूनिक	—वही—
23.	वसुधा	—वही—
24.	वसुन्धरा	—वही—
25.	विद्या विहार	—वही—

ब्रह्मपुर में रेडियो स्टेशन स्थापित करना

3849. **श्री लोमनाथ रथ** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा के ब्रह्मपुर में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सातवीं योजना में उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित हेतु शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) अनुमोदित छठी योजना में उड़ीसा में ब्रह्मपुर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

(ख) और (ग) . सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विश्व बैंक की सहायता से गन्दी बस्तियों का सुधार

3850. **श्री आर०एम० भोये** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं की सहायता के लिए विश्व बैंक से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है और कितनी सहायता मांगी गयी है और विभिन्न राज्यों के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

विश्व बैंक द्वारा सहायतित परियोजनायों के अन्तर्गत मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन योजनाओं का विवरण

मद्रास शहरी विकास परियोजना–II

मलिन बस्ती सुधार घटक में लगभग 50,000 मकानों को गृह सुधार ऋणों का अधिकार प्रदान करना शामिल है।

कानपुर शहरी विकास परियोजना :

यह प्रस्ताव अहाटा तथा लगभग 105 हैक्टेयर पर बने अन्य मलिन क्षेत्रों में 20,000 मलिन बस्ती मकानों का उन्नयन करने के बारे में है जिसमें धारण अधिकार (टेनयोर) की मंजूरी, सुधरी हुई अधःसंरचनात्मक सेवायें, गृह सुधार तथा स्वच्छता कोर ऋण, सामुदायिक सेवायें और लगभग 1,12,000 निवासियों के लाभार्थ लघु व्यापार समर्थन सेवायें उपलब्ध करना शामिल है।

मध्य प्रदेश शहरी विकास परियोजना :

यह प्रस्ताव 75 मलिन क्षेत्रों या 37,000 मकानों का उन्नयन करने के बारे में है । इसमें 220 हैक्टेयर भूमि को शामिल करने का प्रस्ताव है जिसमें धारण-अधिकार सुधरी हुई अधःसंरचनात्मक सेवाओं, गृह सुधार ऋण और सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य छः शहरों के 1,87,000 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है ।

बम्बई शहरी विकास परियोजना :

यह प्रस्ताव मलिन बस्तियों के उन्नयन के लिये है जिसका उद्देश्य 1.00,000 मकानों की आबादी को लाभ पहुंचाना है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की पुनर्संरचना

3851. **श्री आम्बद सिंह :**
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी कम करने के लिये समेकित ग्रामीण विकास प्रोग्राम को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयोजन से इसमें सुधार करने, पुनर्संरचना करने और सुदृढ़ बनाने की योजनायें तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). सातवीं योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में (फरवरी, 1985 तक) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई राज्यवार और केन्द्र शासित क्षेत्रवार प्रगति को दर्शाने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रख दिये गये हैं । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी०1089/85]**

आदिवासी क्षेत्रों में झूम खेती को रोकना

3852. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों आदिवासी क्षेत्रों में झूम खेती को रोकने के लिये उपाय किए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सुधार करने तथा झूम खेती को रोकने के लिए कुछ राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में झूम खेती को रोकने के लिये दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। आदिवासी क्षेत्रों में झूम खेती रोकने के लिए पूर्वोत्तर परिषद सहित संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयत्न संलग्न विवरण में दे दिए गए हैं। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के जरिये संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता देती है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिये, लाभानुभोगी-उन्मुखी कार्यक्रमों के जरिये झूम खेती करने वालों को वैकल्पिक व्यवसाय प्रदान करने और उनके आर्थिक उत्थान की एक व्यापक नीति है। राष्ट्रीय स्तर पर झूम खेती बोर्ड, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे आदिवासी क्षेत्रों, जहां झूम खेती की जाती है, पर आवश्यक ध्यान दिया जाता है, समय-समय पर बैठकें करता है। सभी समस्याग्रस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में झूम खेती के नियंत्रण के लिये झूम खेती बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर सातवीं योजना के दौरान 25,000 झूमिया परिवारों को बसाने के लिये 75 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक परिवारोन्मुखी केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिये अभी योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति मिलनी बाकी है।

(ख) झूम खेती के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक मार्गदर्शी परियोजना पांचवीं योजना में शुरू की गई थी, जो 1978–79 के अंत तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जारी रही। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णयानुसार, इस योजना को 1 अप्रैल, 1979 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया। तथापि, यह योजना संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में छठी योजना के दौरान जारी रही। इन संघ राज्य क्षेत्रों को झूम खेती रोकने के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये छठी योजना में 1984–85 के अंत तक दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि 81.47 लाख रुपए होगी।

(ग) राज्यों में झूम खेती रोकने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के जारी न रहने के कारण, छठी योजना के दौरान उड़ीसा सहित राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई।

विवरण

(क) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा झूम खेती को रोकने के लिए किए गए प्रयास

झूम खेती की प्रथा के विकल्प के तौर पर आय और रोजगार मुहैय्या कराने के लिये विकासात्मक कार्यक्रम सामान्यतः राज्य क्षेत्र के तहत चलाये जाते हैं। त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश बागानी फसलों से युक्त स्थाई खेती पर बन्दोबस्त और मत्स्यपालन, सूअरपालन आदि जैसे अन्य व्यवसायों दोनों से संबंधित लाभानुमुखी कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं। मेघालय कृषि के लिये सीढ़ीदार खेत बनाने और बागवानी/नकदी फसलों के रोपण द्वारा झूम खेती करने वाले परिवार को कम करने के लिये एक समेकित दृष्टिकोण के आधार पर झूम खेती नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) पूर्वोत्तर परिषद

छठी योजना के दौरान, पूर्वोत्तर परिषद ने पनढारा आधार पर झूम खेती, नियंत्रण का कार्यक्रम शुरू किया है। छठी योजना के लिये 13 परियोजनाओं अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा, प्रत्येक में दो दो और असम में एक, को चलाने के लिए,

720 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । चालू वर्ष के दौरान 10 परियोजनाओं में सर्वेक्षण और जांच कार्य के पूरा हो जाने की आशा है और 1984-85 के अंत तक लगभग 5,000 परिवारों को बसाये जाने की आशा है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कार्यालय, भुवनेश्वर में कर्मचारियों की संख्या

3853. **श्री अनादि चरण दास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भुवनेश्वर के कार्यालय में 1 मार्च, 1982 तथा 1 मार्च, 1985 को कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या थी;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिये आरक्षण आदेशों का पालन किया जा रहा है और इस प्रयोजन हेतु रोस्टर रखा जाता है ;

(घ) यदि हां, तो कमी, यदि कोई है, के क्या कारण हैं तथा इन समुदायों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने आरक्षित पद व्यपगत हुए ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री० टी० अंजैया) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का संशोधन

3854. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 अनुसूचित रोजगारों के संबंध में, जिन्हें न्यूनतम मजदूरी संशोधन करने हेतु 9 मार्च, 1984 को मजदूरी सलाहकार बोर्ड की बैठक के समक्ष रखा गया था, कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या मजदूरी की न्यूनतम दरों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचनायें जारी कर दी गई हैं;

(ग) क्या मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) सरकार का मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर ऐसे कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई फार्मूला तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख). न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की 9 मार्च, 1984 को कोई बैठक नहीं हुई थी । तथापि, 9 जनवरी, 1985 को

हुई बैठक में, सलाहकार बोर्ड ने न्यूनतम मजदूरी दरों पर विचार किया और उनमें संशोधन की सिफारिश की। चौंतीस अनुसूचित नियोजनों के बारे में न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन की अधिसूचनायें 12 फरवरी, 1985 को जारी की गई थी।

(ग) से (ङ) : न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करते समय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समय अपनाया जा रहा फार्मूला यह है कि जब कभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारह-मासी औसत में 50 प्वाइंटों की वृद्धि हो, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिशतता के अनुपात के अनुसार ही न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की जाती है।

फिल्म उद्योग द्वारा दूरदर्शन को फीचर फिल्मों और गीतों की सप्लाई

3855. **श्री राम समुझावन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने फिल्म उद्योग द्वारा दूरदर्शन को फीचर फिल्मों और गीतमालाओं की सप्लाई करने की 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली संविदा का नवीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो फिल्म उद्योग ने वर्तमान मूल्यों की तुलना में कितने अधिक मूल्य की मांग की है; और

(ग) बम्बई, दिल्ली के दूरदर्शन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों को फिल्मों तथा चित्रहारों का प्रयोजन करने वाली फिल्मों द्वारा कितनी धनराशि दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) और (ख) : विवरण–एक संलग्न है।

(ग) विवरण–दो संलग्न है।

विवरण—एक

दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर हिन्दी की रंगीन फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने की 31–3–1985 तक प्रवृत्त दरें तथा फिल्म उद्योग द्वारा भविष्य के लिये प्रस्तावित दरें इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	फिल्म की श्रेणी	दरें जिन पर दूरदर्शन द्वारा भुगतान किया गया	फिल्म उद्योग द्वारा प्रस्तावित दरें
		(रुपए)	(रुपए)
1.	श्रेणी "ए"	3,25,000	20,00,000
2.	श्रेणी "बी"	2,43,750	15,00,000
3.	श्रेणी "सी"	1,62,500	10,00,000

2. राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किये जाने वाले "चित्रहार" कार्यक्रमों के लिये उसमें शामिल प्रत्येक गीत और नृत्य अनुक्रम के लिये दूरदर्शन 1,000 रु० अदा करता है इसके अलावा, इस प्रकार के प्रत्येक अनुक्रम के टेलीकास्ट अधिकारों को प्राप्त करने के लिये 3,000 रुपये की रायल्टी भी दी जाती है। फिल्म उद्योग ने राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किये जाने वाले "चित्रहार" कार्यक्रम में शामिल गीत और नृत्य अनुक्रमों के लिये निम्नलिखित दरों की मांग की है :

(1) प्रथम टेलीकास्ट के लिये	10,000 रुपए
(2) प्रत्येक पुन: टेलीकास्ट के लिए	2,500 रुपए

राष्ट्रीय संजाल पर हिन्दी फीचर फिल्मों तथा "चित्रहार" कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के लिये 1 अप्रैल, 1985 से प्रभावी भुगतान की दरों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण—दो

राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किए जाने वाली फिल्मों तथा "चित्रहार" कार्यक्रमों के आधे घंटे के प्रत्येक चक्र के लिये दूरदर्शन 1 लाख रुपये का शुल्क वसूल करता है। वैयक्तिक दूरदर्शन केन्द्रों से फीचर फिल्मों तथा "चित्रहार" की किस्म के कार्यक्रमों के आधे घंटे के चक्रों के प्रायोजन की दरें इस प्रकार हैं :—

केन्द्र	राशि (रुपये)
1. दिल्ली-मसूरी-जयपुर-रायपुर-मुजफ्फरपुर अन्य रिले ट्रांसमीटर	30,000
2. बम्बई-पुणे-पणजी	20,000
3. कलकत्ता/मद्रास/जलंधर-अमृतसर	10,000
4. लखनऊ-कानपुर/हैदराबाद/बंगलौर	7,500
5. श्रीनगर	7,500

वर्ष 1985–86 के लिए खाद्य तेलों का आयात

3856. **श्री के० प्रधानी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1985–86 में खाद्य तेलों का आयात कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम को इस प्रयोजन के लिये भेजे गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1985–86 में किन-किन देशों से खाद्य तेल आयात करने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा समय-समय पर खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली मात्रा का निर्णय बहुत सी बातों, जैसे देशी तेलों की उपलभ्यता, खाद्य तेलों की संभावित मांग और विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है। तत्पश्चात् राज्य व्यापार निगम को उस मात्रा का आयात करने के लिए कहा जाता है।

(ग) उन देशों के नाम जहां से विक्रेताओं द्वारा आम तौर पर खाद्य तेलों का लदान किया जाता है, इस प्रकार हैं :–

तेल	देश
1. सोयाबीन (एस०बी०ओ०) का तेल	संयुक्त राज्य अमरीका, ब्राजील, अर्जेन्टीना तथा यूरोप
2. रेपसीड तेल (आर०एस०ओ०)	कनाडा तथा यूरोप
3. सूरजमुखी के बीज का तेल (एस०एफ० एस०ओ०)	संयुक्त राज्य अमरीका तथा अर्जेन्टीना
4. निर्विषमीकृत ताड़ का तेल (एन०पी०ओ०)	मलेशिया तथा इण्डोनेशिया
5. आर०बी०डी० ताड़ का तेल (आर०बी० डी०पी०ओ०)	—वही—
6. आर०बी०डी० पामोलीन (आर०बी०डी० पी०एल०)	—वही—

(घ) खाद्य तेलों का आयात, देशी खाद्य तेलों की मांग तथा उनकी उपलभ्यता के बीच मौजूदा अन्तर पर निर्भर करेगा।

मैसूर में आकाशवाणी रिले केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया जाना

3857. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराव चामिवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आकाशवाणी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आकाशवाणी रिले केन्द्र, मैसूर का दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस में कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ग) : संसाधनों की कमी के कारण मैसूर के मौजूदा ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने की कोई स्कीम अनुमोदित छठी योजना में शामिल नहीं की जा सकी। इसके अलावा, मैसूर, जहां 1 किलोवाट का ट्रांसमीटर

और स्टूडियो हैं, एक स्वतंत्र केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है और मैसूर शहर को संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पटना में नारियल विकास बोर्ड

3858. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यह किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) : नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 1981 में की गई थी । इसका मुख्यालय केरल के कोचीन में है । तथापि, हाल ही में पूर्वी क्षेत्र के लिये नारियल विकास बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय पटना में है ।

अशोक विहार फेज–1 की हरित पट्टी का खुले शौचालय के रूप में उपयोग

3859. **श्री एल० बलरामन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री अशोक विहार फेज–I की हरित पट्टी का खुले शौचालय के रूप में उपयोग के बारे में 23 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 209 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में दिए गए वक्तव्य के अनुसार उक्त परेशानी को रोकने हेतु रेल लाइन के साथ साथ दिवार और उस पर लोहे की ग्रिल लगा दी गई है;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वह परेशानी अभी भी जारी है और यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ग्रिलयुक्त बाड़ सहित चाहर दिवारी का निर्माण पर्याप्त उपाय नहीं समझा गया था क्योंकि झुग्गी निवासी चाहरदिवारी को तोड़ सकते हैं या इससे कूदकर अन्दर आ सकते हैं जिससे कंटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है । आगामी बरसात के मौसम के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण का इस क्षेत्र का पेड़ तथा झाड़ियां लगा कर विकास करने का प्रस्ताव है ।

(ग) अतिरिक्त चौकीदारों की व्यवस्था कर देने से कंटक स्थिति में कमी बताई गई है तथा पूर्ण रोक सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ।

वजीरपुर काम्पलैक्स में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की नीलामी

3860. **प्रो० मनोरंजन हालदर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री वजीरपुर काम्पलैक्स में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की नीलामी के बारे में 4 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5590 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स लार्ड बिल्डर्स प्राइवेट लि० द्वारा प्लाट संख्या 18, वजीरपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली के लिए दोहरे भूमितल के साथ अथवा उसके बिना नक्शे को किस तारीख को अनुमोदित किया गया था;

(ख) क्या संबंधित अधिकारियों से नक्शे को अनुमोदित/स्वीकृत करवाये बिना भूमितल (दोहरे) का निर्माण पहले ही किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या उक्त खाली जगह को मैसर्स राज सुधा टावर्स प्राइवेट लि० ने बुक किया है जबकि जमीन मैसर्स लार्ड बिल्डर्स प्राइवेट लि० को बेची गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो मैसर्स लार्ड बिल्डर्स ने अपने सारे अधिकार सभी अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी करने के बाद मैसर्स राज सुधा टावर्स लि० को अन्तरित कर दिये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 5-6-1984।

(ख) जी, हां।

(ग) भवन नक्शों की स्वीकृति हेतु अनुरोध करते समय, पार्टी, जिसने तब तक कुल मिलाकर दो तहखानों को पहले ही पूरा कर लिया था, दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक शपथ पत्र दिया था कि वे प्रपत्र "ग" (भू-खण्ड के अन्दर भूमिगत सेवाओं को जलपूर्ति की लाइन को, मल-जल निर्गति आदि को पूरा करने से संबंधित प्रमाण-पत्र) के लिये आवेदन करने से पूर्व निचले तहखाने को मिट्टी से भर देंगे। पार्टी ने अब तक शपथ पत्र का पालन नहीं किया है और इसलिये उन्हें नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने प्रपत्र "ग" के लिये अभी तक आवेदन नहीं किया है।

(घ) मैसर्स राज सुधा टावर्स प्रा० लि० द्वारा स्थान के कथित आरक्षण के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण को जानकारी नहीं है।

(ङ) खरीददार द्वारा दूसरी पार्टी को अधिकार अन्तरित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति लेना जरूरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को खरीददारों अर्थात् मैसर्स लार्ड बिल्डर्स प्रा०लि० से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार की सहायता

[हिन्दी]

3861. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित की गई सारी धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिहार सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले गांवों तथा क्षेत्रों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने के लिये कोई ग्रामीण सड़क निर्माण योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। यह कार्यक्रम राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और इसके लिये निधियों का प्रावधान राज्य की पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं में किया जाता है।

(ख) व (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) व (ङ). यह विषय राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। तथापि, गांवों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों, जिनमें कुछ गांवों बिहार के आदिवासी और पिछड़े इलाकों में हैं, के निर्माण की कुछ परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई थीं और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उनको मंजूर किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार के लिए अनुमोदित ग्रामीण सड़क परियोजनायें

परियोजना की क्रम संख्या	अनुमोदित सड़क निर्माण कार्यों की संख्या	बनने वाली सड़क की लम्बाई (कि०मी०)	सड़कों से जोड़े जाने वाले गांवों की सं०	परियोजना का नाम	परियोजना की कुल लागत (रु० लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	6	24.00	29	गिरिडीह जिले में ग्रामीण सड़कों का निर्माण	35.52
2.	52	134.00	115	उत्तरी बिहार के 4 जिलों (पूर्वी चम्पारन, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और मधुबन जिलों) में ग्रामीण सड़कों का निर्माण	190.28

1	2	3	4	5	6
3.	259	698.25	877	दक्षिणी बिहार के 11 जिलों (पटना, भोजपुर, नालंदा, साहेबगंज, हजारीबाग, गोड्डु, मुंगैर, रोहतास, भागलपुर, डाल्टनगंज और नवादाह) में हार्ड सरफेस सड़कों का निर्माण	1020.11
4.	132	430.00	637	6 जिलों (गया, औरंगाबाद, धनबाद, डुंका, देवघर, और पलामू जिलों) में हार्ड सरफेस सड़कों का निर्माण	636.40
5.	31	140.00	261	दक्षिणी बिहार के 5 जिलों (चाईबासा, जमशेदपुर, गुम्ला रानेसी व लोहारडगा) में हार्ड सरफेस सड़कों का निर्माण	207.20
6.	6	20.00	18	पूर्णिया, कटिहार और माधोपुर जिलों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण	28.40
7.	68	181.50	170	दक्षिणी बिहार के 5 जिलों (पटना, भोजपुर, भागलपुर, मुंगेर और साहेबगंज जिलों) में हार्ड सरफेस सड़कों का निर्माण	266.31
8.	7	20.00	38	भागलपुर और संथाल परगना के आदिवासी क्षेत्रों में पूरम सड़कों सड़कों का निर्माण	29.60
9.	11	30.00	41	दक्षिणी बिहार के 4 जिलों (रांची, गुम्ला, लोहारडग्गा और सिहभूम जिलों) के आदिवासी क्षेत्रों में हार्ड स्टोन सरफेस सड़कों का निर्माण	44.40
10.	86	403.00	384	गिरिडीह जिले में मूरम सड़कों तथा रांची, सिहभूम गुम्ला एवं	436.83

1	2	3	4	5	6
				लोहारडग्गा जिलों में ग्रेवल सड़कों का निर्माण	
11.	437	1220.50	1042	उत्तरी बिहार के 16 जिलों (सिवान, सारन, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिमी चम्पारन, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, खगरिया, सहरसा, माधोपुरा, पूर्णिया और कटिहार) में ग्रामीण सड़कों का निर्माण	1733.11

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटितियों द्वारा की गई अदायगियों पर ब्याज

[अनुवाद]

3862. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने फ्लैटों की निर्माण लागत का पूरा भुगतान करने के बाद भी एक वर्ष या इससे भी अधिक अवधि से अपने फ्लैट प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) इन फ्लैटों को आबंटितियों को सौंपने का काम जल्दी करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) क्या डी०डी०ए० फ्लैटों के भावी स्वामियों को फ्लैटों का स्वामित्व सौंपने में विलम्ब की अवधि के लिये उनके द्वारा अदा की गई राशि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ब्याज अदा करेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) लगभग 467 व्यक्ति ।

(ख) फ्लैटों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने तथा सौंपने के सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) आबंटितियों द्वारा जमा कराई गई राशि पर, फ्लैटों के पूर्ण होने की तारीख तक दिल्ली विकास प्राधिकरण 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करेगा ।

शेखसराय, चरण-दो में चार मंजिलें कमर्शियल काम्पलैक्स में बैंक के लिए स्थान

3863. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शेखसराय, चरण-दो में स्थित 4 मंजिले कमर्शियल कम्पलैक्स में हाल ही में दुकानों और कमर्शियल फ्लैटों की नीलामी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कम्पलैक्स में एक बैंक के लिये स्थान रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह स्थान किस बैंक को आवंटित किया गया है और यह बैंक कब कार्य करना आरम्भ करेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इस स्थल के आवंटन के लिए किसी भी बैंक ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध नहीं किया है ।

नई दिल्ली में बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर क्वार्टरों का आवंटन

3864. **डा० सी०एस० वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर (डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा नई दिल्ली जी०पी०ओ० के बीच) 255 क्वार्टरों में से कितने सरकारी क्वार्टरों का अभी तक आवंटन नहीं किया गया है और कितने क्वार्टरों का कब्जा नहीं लिया गया है;

(ख) क्या क्वार्टर संख्या 699, जिसका निर्माण लगभग छः वर्ष पहले पूरा हो चुका है, किसी भी व्यक्ति को अभी तक आवंटित नहीं किया गया है और तब से वह खाली पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप सरकार को, अब तक कितने राजस्व की हानि हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर सामान्य पूल वास का कोई क्वार्टर अनावंटित नहीं है ।

(ख) और (ग) : क्वार्टर नं० 699, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, लोक सभा पूल से संबंधित है, इसलिये कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

"मीडिया प्रेजन्टेशन आफ वीमन डिस्टरबिंग" शीर्षक से समाचार

3865. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 11 मार्च, 1985 के "डकन हैरल्ड" में "मीडिया प्रेजेन्टेशन आफ वीमन डिस्टरबिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या "यूनेस्को" तथा अन्य संगठनों द्वारा किए गए अध्ययन में यह बताया गया है कि जन संचार तथा अन्य माध्यमों (अर्थात् स्कूल पाठ्यपुस्तकें, तथा पाठ्यक्रम) में सैक्स-रूढ़िगत ढंग से दिखाया जाना और महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा निकृष्ट दिखाना है और इससे महिलाएं भीरू तथा विनीत हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री : (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जी, हां। जबकि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुरूप इसके कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती, आकाशवाणी और दूरदर्शन को कड़े आदेश दिए हुए हैं कि वे महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा निकृष्ट चित्रित करने वाला कोई भी कार्यक्रम प्रसारित/टेलीकास्ट न करें। फिल्मों में भी, फिल्म प्रमाणन बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा निकृष्ट न दिखाया जाए।

जहां तक पाठ्य पुस्तकों का संबंध है, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य पुस्तकों की जांच पड़ताल "महिलाओं के दर्जे के अनुरूप मूल्यों का निर्धारण करने" के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित किए गए राष्ट्रीय सेमिनार में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर के लिए अध्यापक हैंडबुकें विकसित की गई हैं तथा रूढ़िगत सैक्स का उन्मूलन करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 5 अध्यापक प्रशिक्षकों को पाठ्यक्रमों और पाठ्य पुस्तकों को हैंडल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। पाठ्य-पुस्तकों से सैक्स प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए अनुदेशों का एक मैन्युअल तैयार किया गया है तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन उनके आधार पर किया जाना होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए गये खाद्यान्नों पर घाटा

3866. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसके द्वारा वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों आदि पर बहुत हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय शासित क्षेत्रों में हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह): (क) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए समस्त देश में एक समान राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न जारी करती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित खाद्य राजसहायता दी गई :

	(करोड़ रुपयों में)
1982-83	710
1983-84	835
1984-85	1100

दिल्ली में भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों द्वारा किराये का भुगतान

[हिन्दी]

3867. **श्रीमती सुन्दरवती मंगल प्रभाकर** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालयों को किराये के भवनों में रखा जा रहा है और यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक के लिए कितना मासिक किराया अदा किया जाता रहा है;

(ख) क्या दिल्ली के अलावा भविष्य निधि संगठन ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए विभिन्न राज्यों में अपने स्वयं के भवन बनाये हैं और यदि हां, तो भविष्य निधि संगठन ने किन-किन राज्यों में ऐसे भवन बनाये हैं;

(ग) भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने विभिन्न कार्यालयों के लिए दिल्ली में भवन निर्माण की बात पर विचार न करने के क्या कारण हैं जबकि इसने कई राज्यों में कार्यालय भवन बनाये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (टी० अंजैया) : (क) जी हां । केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन का केन्द्रीय कार्यालय और दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं और उन में से प्रत्येक के लिए मासिक किराया इस प्रकार अदा किया जाता है:–

केन्द्रीय कार्यालय

(i) मयूर भवन	1,37,398.50 रुपये
(ii) श्रीराम सेन्टर फार आर्ट एंड कल्चर	43,460.00 रुपये
	1,80,858.50 रुपए

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

(i) नेहरू प्लेस	57,557.95 रुपए
(ii) मिलन कम्पलैक्स	37,566.00 रुपए
	95,123.95 रुपए

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, बम्बई, भुवनेश्वर चण्डीगढ़, जयपुर, मद्रास, तथा कानपुर में अपने स्वयं के भवन हैं ।

(ग) और (घ) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केन्द्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भवन निर्माण करने हेतु भूमि के आबंटन संबंधी मामले की निर्माण और आवास मंत्रालय के साथ पैरवी कर रहा है ।

पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर

[अनुवाद]

3868. श्री विजय कुमार यादव : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुरपका मुखपका रोग के इलाज का बहुसंरोजक टीका बनाने के लिए नीति बनाने के संबंध में गठित की गई समिति के लिए पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर कई महीने तक अपना प्रतिनिधि नामांकित करने में असफल रहा है; यदि हां, तो किस तारीख को इस संस्थान में उसका प्रतिनिधि नामांकित करने के लिए अनुरोध भेजा गया था और किस तारीख को यह प्राप्त हुआ था; इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश-पद क्या हैं और उक्त संस्थान द्वारा अपना प्रतिनिधि नामांकित करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं और 1 अप्रैल, 1985 तक इस समिति ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या इज्जतनगर संस्थान ने सुझाव दिया था कि टीका बनाने की नीति का निर्णय करने से पहले प्रयोगशाला के पशुओं पर इसकी जांच कर ली जाए; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, उक्त जांच कब पूरी हुई और इसके निष्कर्ष क्या निकले और यदि जांच पूरी नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं और यह जांच कब तक पूरा होने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कृषि मंत्रालय ने टीके में खुरपका मुंहपका रोग (एफ०एम०डी०) के विषाणुओं की विभिन्न जातियों/उपजातियों के समावेशन के साथ-साथ एफ० एम० डी० के मरक विज्ञान से सम्बन्धित विषय पर चर्चा करने के लिए खुरपका मुंहपका रोग एक टास्क फोर्स का गठन किया और 11 जुलाई, 1984 को इस टास्क फोर्स में आई० वी० आर० आई० के प्रतिनिधि को मनोनीत करने के लिए अनुरोध किया। आई० वी० आर० आई० में एफ० एम० डी० पर अनुसंधान में सक्रिय रूप से कार्यरत वैज्ञानिकों के दल के परामर्श से आई० वी० आर० आई० के निदेशक ने इस मामले की समीक्षा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्ट्रेन पाइप ए (A_5 या A_{22} दोनों) के संस्थापन सम्बन्धी मामले का सर्वोत्तम निर्णय तभी किया जा सकता है जब मवेशी और गिनीपिग्स पर किए जा रहे प्रयोगों द्वारा आंकड़े एकत्र हो जाएं और इसीलिए उन्होंने इन प्रयोगों के आंकड़े उपलब्ध हो जाने के समय तक टास्क फोर्स की बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था। इसलिए परिषद के महानिदेशक ने इस मामले पर उपयुक्त कार्यवाही के लिए भारत सरकार के सचिव से निवेदन किया था। इस प्रकार प्रतिनिधि को नामांकित न कर पाने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के निदेशक का कोई दोष नहीं है बल्कि इस मामले को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाने के अनुरोध के कारण इसमें देर हुई। इस समिति का गठन तथा इसके विचारणीय विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान। निदेशक ने मुक्तेश्वर में अध्ययन करने हेतु दो विषय वस्तु विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त किया है, प्रयोग पहले ही शुरु कर लिए गये हैं और इसके परिणाम आगामी कुछ ही महीनों में उपलब्ध हो जाएंगे।

विवरण

खुरपका और मुंहपका रोग पर टास्क फोर्स का गठन निम्न प्रकार है

1. डा० एम० एन० मेनन, अध्यक्ष
पशु पालन आयुक्त (से० नि०)
अनुराधा, तिरुवेन्द्रम-695 005

2. डा० एस० रामचन्द्रन, सदस्य
सलाहकार जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड,
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
टेक्नोलौजी भवन, महरौली रोड, नई दिल्ली

3. एन० डी० डी० बी० अर्थात इन्डियन इम्युनोलौजिकल्स सदस्य
के निर्माण एकक से एक प्रतिनिधि

4. आई०वी०आर०आई० (भा०कृ०अ०प०) का सदस्य
एक प्रतिनिधि

5. प्रायोजना समन्वेयक, सदस्य
खुरपका व मुंहपका रोग पर मरक विज्ञान
सम्बन्धी अध्ययनों के लिए अखिल भारतीय
समन्वित अनुसंधान, प्रायोजना, बंगलौर

6. वाइरस टाइप सेल्टर एन०डी०डी०बी० का सदस्य
एक प्रतिनिधि

7. एफ०ए०ओ० से एक प्रतिनिधि सदस्य

8. पशु विषाणु, अनुसंधान संस्थान सदस्य
(वर्ल्ड फेन्स लैबोरेटरी, यू०के०)
से एक प्रतिनिधि

9. डा० एस० सी० अदलखा, सदस्य सचिव
संयुक्त आयुक्त (एल० एच०) कृषि तथा
सहकारिता विभाग, नई दिल्ली

टास्क फोर्स के विचारणीय विषय निम्नलिखित है

1.0 भारत में खुरपका व मुंहपका रोग के मरक विज्ञान पर विशेष रूप से एफ०एम०डी० टाइप ए$_5$, ए$_{10}$ तथा ए$_{22}$ के संदर्भ में उपलब्ध आंकड़ों की जांच करना।

1.1 देश में सक्रिय टाइप ए प्रजातियों और उपप्रजातियों के पता लगाने से सम्बन्धित उलझनों को दूर करने के लिए विभिन्न समयों में सीरे के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले टाइप ए विषाणुओं की प्रजातियों का अध्ययन।

1.2 देश में टाइप ए के अलग-अलग क्षेत्र स्ट्रेन्स की तुलना के लिए प्रयोग में लाये गये माप-दण्डों की जांच करना ।

1.3 यह निर्धारित करना कि टाइपिंग तथा सबटाईपिंग पद्धतियां अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानकों के अनुरूप है या नहीं यदि नहीं हों तो उपयुक्त सिफारिशें करना ।

1.4 प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर टीके में मिलाए जाने वाले टाइप ए प्रजातियों के विशेष सन्दर्भ के साथ देश में अपेक्षित खुरपका मुंहपका रोग के टीके की संरचना और संयोजकता की सिफारिश ।

2.0 खुरपका मुंहपका बीमारी के लिए एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में विकसित होने की क्षमता वाले एक प्रयोगशाला को पता लगाने के उद्देश्य से देश में खुरपका मुंहपका के बीमारी के नियन्त्रण और अनुसंधान से सम्बन्धित विभिन्न प्रयोगशालाओं में बीमारी सुरक्षा और प्रतिरोधक सुरक्षा सुविधाओं जैसी भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना, जो निम्न बातों के लिए जिम्मेवार होगी:—

(क) क्षेत्र में लगातार एफ०एम०डी० का प्रबोधन और

(ख) विषाणुओं की विविधी प्रजातियों का नियन्त्रण, विषाणु बैंकों का रख रखाव और टीका बनाने हेतु निर्माताओं के लिए कैन्डिडेट विषाणुओं की उपयुक्त प्रजातियों का उत्पादन तथा आपूर्ति करना ।

2.1 उपरोक्त समस्या के अल्पावधि और दीर्घावधि समाधान के लिए सिफारिशें की जाएं । टास्क फोर्स अपने गठन की तिथि से दो महीने बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

गुजरात में ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए खुदरा दुकानें

3869. **श्री अमर सिंह राठवा** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) गुजरात में "सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम" के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के अन्त तक ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए कितनी खुदरा दुकानें खोली गई ;

(ख) इन भण्डारों के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85 के अन्त तक उन्हें दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): (क) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण/सेवा सहकारी समितियों को उपांत धन के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । 1984-85 के अन्त तक, इस योजना के तहत गुजरात राज्य में 687 प्राथमिक समितियों को 41.60 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 1984-85 के अन्त तक 401 प्राथमिक समितियों को 23.40 लाख रुपए की राशि नियुक्त की जा चुकी है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने के हेतु मानदण्ड

3870. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई की योजनाओं को अनुमोदित करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के मानदण्डों का संशोधन किया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

हरियाणा में सहकारी क्षेत्र में चीनी के कारखाने

3871. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान हरियाणा में सहकारी क्षेत्र में चीनी के कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) तहसील फतेहबाद जिला हिसार (हरियाणा) में सहकारी क्षेत्र में एक नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र राज्य सरकार की विधिवत् सिफारिश सहित प्राप्त हुआ था । चूंकि प्रस्ताव में गन्ने की उपलब्धता, सिंचाई क्षमता आदि के बारे में पूर्ण सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए, राज्य सरकार से उसे भेजने के लिए अनुरोध किया गया था । उक्त सूचना प्राप्त होने पर, लाइसेंस देने के बारे में निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इस मामले की जांच की जाएगी ।

(घ) इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल में शीतोष्ण फलों के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान केन्द्र

3872. **श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पौड़ी गढ़वाल में भारसार में शीतोष्ण फलों के संबंध में एक अनुसंधान केन्द्र की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या वहां पर अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है;

(ग) इस अनुसंधान उपकेन्द्र द्वारा किए गये अनुसंधान के क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सातवीं योजना के दौरान पौड़ी गढ़वाल में भारसार स्थित इस उप केन्द्र को केन्द्रीय शीतोष्ण उद्यान संस्थान में परिवर्तित करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव कब तक कार्यान्वियन किया जायेगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) इस केन्द्र को स्थापित करने के लिए भूमि तथा अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से बातचीत शुरू की जा चुकी है । चूंकि अनुसंधान केन्द्र की अभी स्थापना की जानी है, इसलिए इस केन्द्र में अभी अनुसंधान कार्य शुरू नहीं किया गया है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना

3873. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब से बड़े दूसरे राज्य की राजधानी होते हुए भी दूरदर्शन कार्यक्रम उत्पादन केन्द्र की स्थापना के लिए पटना की उपेक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कुछ कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) पटना में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने के लिए कारंवाई शुरू कर दी गई है ।

तालाबंदियों और हड़तालों के कारण कम्पनियों का बन्द किया जाना

3874. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कितनी कम्पनियां तालाबंदी कारण बन्द हो गई;

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कितनी कम्पनियां हड़तालों के कारण 1984 में बन्द हो गई; और

(ग) इन कम्पनियों को खोलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के अधीन हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण स्थायी काम

बन्दी नहीं हो सकती । श्रम ब्यौरो द्वारा रखी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1984 के दौरान 1542 हड़तालें और 342 तालाबन्दियां हुई ।

खिलाड़ियों को खेल गांव में मकान खरीदने की सुविधा

[हिन्दी]

3875. **श्री हलधर सिंह :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एशियाई खेलों के दौरान "खेल गांव" में बनाये गये फ्लैटों की खरीद में खिलाड़ियों को भी कुछ सुविधाएं देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दूध के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

3876. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदर डेरी/दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विभिन्न श्रेणियों के दूध के मूल्य कितनी बार बढ़ा दिए गए हैं;

(ख) उक्त दोनों सरकारी डेरियों द्वारा दिल्ली के आस पास के किसानों को तथा गुजरात/इन्दौर जैसे दूर-दराज से सप्लाई किए गए दूध के लिए मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई;

(ग) इन दो डेरियों द्वारा दिल्ली में "टोंड" दूध में प्रयुक्त आयातित दुग्ध उत्पादों की औसत प्रतिशतता क्या है तथा उनके लागत मूल्य क्या हैं; और

(घ) क्या दिल्ली में दूध के मूल्यों में वृद्धि का "अमूल" के कार्य-संचालन से कोई संबंध है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) 1981 से मदर डेरी ने टोन्ड दुग्ध के मूल्य में चार बार और पूर्ण मलाईयुक्त दुग्ध के मूल्य में पांच बार वृद्धि की है । इसी अवधि के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना ने टोन्ड दुग्ध और मानकीकृत दुग्ध के मूल्य में दो-दो बार वृद्धि की है ।

कच्चे दुग्ध और अन्य आदानों की लागत में वृद्धि हो जाने की वजह से दूध की उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई थी जिसके कारण दुग्ध के बिक्री मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने 1981 से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहकारी डेरी संघों से और दिल्ली की गोपशु कालोनियों में सहकारी समितियों से दुग्ध अधिप्राप्ति मूल्य में ग्यारह बार वृद्धि की है। मदर डेरी के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारतीय डेरी निगम द्वारा दो डेरियों को पुनः दूध बनाने के लिए सप्लाई किए गए उत्पाद, देशी और आयातित दोनों हैं। अतः दिल्ली में दो डेरियों द्वारा टोन्ड दूध में प्रयुक्त किए जाने वाले आयातित दुग्ध उत्पादों की औसतन प्रतिशतता बता पाना संभव नहीं है।

भारतीय डेरी निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाले दुग्ध उत्पादों के लागत मूल्य एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

दादरा और नगर हवेली में कृषि-भूमि की बिक्री

3877. **श्री सीताराम जे० गावली :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि दादरा और नगर हवेली में कृषि भूमि को गैर-कृषि कार्यों के लिए बेच दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-कृषि-कार्यों के लिए लगभग कितने एकड़ भूमि बेच दी गई है; और

(ग) दादरा और नगर हवेली प्रशासन किस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के सौदों की अनुमति दी है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) संघ शासित प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रामपारो, गुजरात में चारागाह प्रबन्ध के लिए कार्यक्रम

3878. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपारो राजकोट जिला, गुजरात में उपयुक्त चारागाह प्रबन्ध के लिए एक विस्तार कार्यक्रम की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कोई प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को किस एजेन्सी द्वारा प्रारम्भ किया जाएगा; और

(ग) इसके लिए कितनी वित्तीय व्यवस्था करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

3879. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग केवल मात्र एक सलाहकार निकाय है और कृषि फसलों के लिए लाभप्रद मूल्यों के संबंध में इसकी सिफारिशें अनिवार्य नहीं हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की कितनी सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु स्वीकार की हैं;

(ग) क्या इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने (जिसका नाम हाल ही में बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग रखा गया है) पिछले तीन वर्षों (1982-83 से 1984-85) के दौरान मूल्य संबंधी 56 सिफारिशें की हैं जिनमें से सरकार ने 41 सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। इसके अलावा सरकार ने 7 मामलों में उच्च मूल्य निर्धारित किए हैं।

(ग) और (घ) आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करते समय राज्य सरकारों, सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा योजना आयोग के विचारों को जान लेने के पश्चात् सभी सम्बन्धित पहलुओं को भी ध्यान में रखती है।

रुई के मूल्य

3880. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या कृषी और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि रुई के मूल्य (लम्बे रेशे वाली तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली) लाभकारी मूल्य स्तर से काफी नीचे गिर गए हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या इस वर्ष के दौरान लिंट का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है, यदि हां, तो इस मौसम के दौरान कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि बड़े पैमाने पर निर्यात की अनुमति दी जाती है तो किसानों को बेहतर मूल्य मिलेंगे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि चालू मौसम के दौरान लम्बे रेशे वाली तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रुई के मूल्य पिछले वर्ष के बहुत अधिक ऊंचे स्तर से नीचे गिरे हैं। तथापि, इस मौसम में औसतन अच्छी किस्म

के मूल्य आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों, जोकि लाभप्रद स्तरों पर निर्धारित किए जाते हैं, से अधिक रहे ।

(ग) सरकार ने कपास के चालू मौसम के लिए लम्बे तथा असाधारण लम्बे रेशे के कपास की 2 लाख गांठों का निर्यात कोटा पहले ही निर्मुक्त कर दिया है, ।

(घ) सरकार किसानों के हितों आदि सभी सम्बद्ध पहलुओं पर उपयुक्त रूप से विचार करने के बाद रूई के निर्यात के बारे में निर्णय लेती है ।

राजधानी में राज्य सरकारों की अचल सम्पत्ति

3881. **श्री चम्बल थामस** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी दिल्ली में राज्य सरकारों को अपनी अचल सम्पत्ति रखने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1984 तक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है; संबंधित राज्यों ने उक्त सम्पत्ति को कब से गृहीत किया है;

(ग) केरल सरकार की सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है और क्या सारी सम्पत्ति केरल सरकार को सौंपी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उस सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है जो केरल सरकार को नहीं सौंपी गई थी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) राजधानी में अचल सम्पत्ति के स्वामित्व पर राज्य सरकारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उन सम्पत्तियों के ब्यौरे जो 31-12-1984 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों के पास हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारों को उनके गेस्ट हाऊसों तथा इम्पोरियमों के लिए भूमि भी आवंटित की गई है ।

(ग) तथा (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल शासन की सम्पत्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(i) एक प्लाट जिसका नं० 4 ब्लाक संख्या 124 है जिसको 3 जन्तर मन्तर रोड कहते हैं

(ii) ट्रावनकोर हाऊस

(iii) लैटन रोड़ पर कपूरथला प्लाट, जहां तक इस प्लाट का सम्बन्ध है, भूमि का कुछ भाग अभी केरल शासन को नहीं सौंपा गया है ।

विवरण

31-12-1984 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों की सम्पत्तियों के ब्यौरे

क्रम सं०	सम्पत्तियों का विवरण	राज्य सरकार का नाम	कब से अर्जित की गई है
1.	प्लाट नं० 4, ब्लाक नं० 124, 3 जन्तरमन्तर रोड	केरल सरकार (तत्कालीन ट्रावनकोर, कोचीन की सरकार)	1936
2.	प्लाट नं० 22, ब्लाक नं० 148, 3 हेली रोड	पश्चिम बंगाल सरकार	1949
3.	नाभा प्लाट के नाम से जाना जाने वाला लिटन रोड पर प्लाट	पंजाब/हरियाणा सरकार	3-9-1974
4.	प्लाट नं० 3, ब्लाक नं० 143, 3 अशोक रोड	आन्ध्र प्रदेश सरकार	
5.	प्लाट नं० 2, ब्लाक नं० 2, 9 औरंगजेब रोड	मेघालय सरकार	3-1-1973
6.	प्लाट नं० 2-ए, ब्लाक नं० 11, 25 औरंगजेब रोड	राजस्थान सरकार	जोधपुर के महाराजा के हक में दिनांक 7-2-48 का विक्रय करारनामा
7.	प्लाट नं० 1, ब्लाक नं० 11, 29 औरंगजेब रोड,	नागालैण्ड सरकार	4-7-1973
8.	प्लाट नं० 22 (भाग) ब्लाक नं० 1, 5 पृथ्वीराज रोड	जम्मू तथा कश्मीर सरकार	27-9-1962
9.	प्लाट नं० 21, ब्लाक नं० 1, 5-पृथ्वीराज रोड	जम्मू तथा कश्मीर सरकार	27-9-1962
10.	प्लाट नं० 21 (भाग) ब्लाक नं० 1, 7 पृथ्वीराज रोड	राजस्थान सरकार	21-6-1967
11.	प्लाट नं० 11, ब्लाक नं० 15, 3 मानसिंह रोड	पंजाब सरकार	(i) 16-11-51 से पेप्सू सरकार के नाम पर (ii) 8-8-57 से पंजाब सरकार के नाम पर
12.	कपूरथला प्लाट	केरल सरकार	1920
13.	बीकानेर हाउस	राजस्थान सरकार	18-7-50
14.	उदयपुर हाउस	राजस्थान सरकार	21-1-52
15.	2, रेसकिवट रोड	राजस्थान सरकार	15-12-47 (अधिग्रहणाधीन).

कर्मचारी राज्य बीमा निगम को घाटा

3882. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम को वर्ष 1983-84 में 2.32 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और वर्ष 1984-85 के दौरान घाटे की मात्रा के 11.68 करोड़ रुपए बढ़ जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो घाटे के लिए कौन से मुख्य कारण जिम्मेवार हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने निगम से अभ्यावेदन किया है कि स्वास्थ्य संरक्षण के लिए व्यय की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) वर्ष 1983-84 के लिए राजस्व घाटा 2.31 करोड़ रुपए था और संशोधित अनुमानों के अनुसार 1984-85 में अनुमानित घाटा 11.67 करोड़ रुपए था ।

(ख) घाटे के लिए निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :—

(i) 1,000 रुपए से अधिक मासिक मजदूरी पाने पर सदस्य कर्मचारियों का सीमा क्षेत्र से बाहर चले जाने के कारण अंशदान की आय में कमी;

(ii) सेवाओं और दवाइयों की लागत में बढ़ोत्तरी होने के परिणामस्वरूप चिकित्सा सुविधाओं के खर्च में बढ़ोत्तरी; और

(iii) नकद फायदों की अदायगी के कारण खर्च में बढ़ोत्तरी ।

(ग) जी, हां महाराष्ट्र सरकार ने नवम्बर, 1983 में केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया कि स्वास्थ्य संरक्षण के लिए व्यय की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाए ।

(घ) इस सीमा को समाप्त करने के अभ्यावेदन पर सहमति नहीं हुई । तथापि, निगम ने दिसम्बर, 1983 में आदेश जारी किए जिससे पूर्ण स्वास्थ्य संरक्षण के लिए खर्च की सीमा को प्रति कर्मचारी के लिए प्रति वर्ष 120 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया गया और दवाइयों तथा औषधियों पर की सीमा को 1-4-1983 से पूर्व व्यापी प्रभाव से 5 रुपए बढ़ा दिया गया है ।

बीज संसाधन संयंत्रों का आयात

3883. **श्री जी०एस० धोलाप :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीज संसाधन करने के कुछ संयंत्रों का आयात करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो कितने और किन-किन राज्यों के लिए ; और

(ख) क्या महाराष्ट्र बीज निगम ने सब्जियों के बीजों के उत्पादन के लिए कोई नयी योजना प्रारम्भ की है, यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं। इस समय भारत सरकार का बीज संसाधन संयंत्रों का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी हां। महाराष्ट्र राज्य बीज निगम ने खरीफ 1984 से सब्जियों के बीजों की एक परियोजना परीक्षण के आधार पर शुरू की है। इस परियोजना का लक्ष्य महाराष्ट्र की सब्जियों के बीज की अधिकांश मांग को पूरा करना है।

माडर्न बेकरीज द्वारा ब्रेड का उत्पादन

3884. **श्री बी०एस० विजयराघवन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बेकरीज द्वारा उत्पादित ब्रेड की केवल राजधानी में ही सप्लाई की जाती है;

(ख) क्या इसके उत्पादन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कम्पनी का केरल में एक एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह): (क) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया लिमिटेड) [भूतपूर्व माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड] अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कानपुर, मद्रास और रांची में स्थित अपने 13 यूनिटों में ब्रेड का उत्पादन करती हैं। इन यूनिटों में उत्पादित ब्रेड स्थानीय बाजारों में जहां ये यूनिट स्थित हैं तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में भी बेची जाती हैं।

(ख) से (ङ) इस समय कम्पनी का अपनी मौजूदा यूनिटों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने अथवा केरल में एक नई यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

तमिलनाडु के लिए "आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन"

3885. **श्री आर० अन्नानम्बी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम प्रसारण के लिए तमिलनाडु राज्य को ओ०बी० (आउटडोर ब्राडकास्टिंग) वैन देने के अनुरोध को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी०एन० गाडगिल) : देश में रंगीन दूरदर्शन चरणबद्ध ढंग से चालू करने के सरकार के निर्णय के बाद हासिल किए गए 4 रंगीन ओ०बी० वैन, अनुमोदित स्कीम के अनुसार, दूरदर्शन केन्द्रों पर लगाए गए थे। रंगीन में क्षेत्र-आधारित कार्यक्रमों के सीमित निर्माण के लिए कुछ उपकरण दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास को पहले ही उपलब्ध किए जा चुके हैं। इस केन्द्र के एक स्टूडियो को रंगीन प्रचालन के लिए सुसज्जित करना भी एक अनुमोदित स्कीम है जिसके 1986-87 तक कार्यान्वित होने की संभावना है। दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास सहित विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर और रंगीन ओ०बी० वैनों की व्यवस्था करना भावी योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

गैर सरकारी भवनों में सरकारी कार्यालय

[हिन्दी]

3886. **प्रो० चन्द्र भानु देवी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार के अनेक कार्यालय गैर-सरकारी भवनों में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यालयों को सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेषकर महानगरों में अधिक आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय उन विभिन्न शहरों में कार्यालयवास के निर्माण के लिए कदम उठा रहा है जहां केन्द्रीय सरकार के कार्यालय अवस्थित हैं। यह निर्माण इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए धन में से होगा।

(ग) सरकार का प्रस्ताव सातवीं पंचवर्षीय योजना में रिहायशी वास को बढ़ाने और निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ करने का है। तथापि ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं।

राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्र

[अनुवाद]

3887. **श्री बनवारी लाल बैरवा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कुल कितने आकाशवाणी केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस राज्य में नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० वाडगिल) : (क) छः।

(ख) जी, हां।

(ग) अनुमोदित छठी योजना में कोटा में 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का नया रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम शामिल थी। भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। स्टेशन मार्च, 1986 तक चालू करने के लिए तैयार हो जायेगा।

योजना आयोग ने बाड़मेर में 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, बहुउद्देश्यीय स्टूडियो, संग्रहण सुविधाओं तथा स्टाफ क्वार्टरों के साथ रेडियो स्टेशन की स्थापना को सिद्धान्तः स्वीकृति दे दी है बशर्ते कि स्कीम का परिव्यय सातवीं योजना के लिए अनुमोदित किए जाने वाले परिव्यय के अन्दर हो। उम्मीद है कि केन्द्र सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान कार्य करना शुरू कर देगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन

3888. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन किया गया; और

(ख) 31 मार्च, 1985 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों को जारी किये खाद्यान्नों की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के राज्यवार आवंटन तथा 31 मार्च, 1985, तक उन्हें मुक्त किए गए खाद्यान्नों की मात्रा का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(मीटरी टनों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	
		आवंटित मात्रा	बंटित मात्रा	आवंटित मात्रा	बंटित मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	23,500	22,964	24,750	24,750
2.	असम . . .	5,840	5,723	6,750	6,750
3.	बिहार . . .	43,000	43,000	41,910	41,910
4.	गुजरात . . .	8,533	8,533	8,890	8,890
5.	हरियाणा . .	1,666	1,666	1,620	1,620
6.	हिमाचल प्रदेश . .	1,280	1,280	1,820	1,820
7.	जम्मू और काश्मीर .	2,200	2,138	1,880	1,880
8.	कर्नाटक . .	19,534	20,294	18,080	18,080
9.	केरल . .	13,400	13,028	11,750	11,750
10.	मध्य प्रदेश . .	20,000	19,850	27,860	27,860
11.	महाराष्ट्र . .	25,100	25,100	32,920	32,920
12.	मणिपुर . .	300	300	280	280
13.	मेघालय . . .	304	304	470	470
14.	नागालैण्ड . .	430	430	250	250
15.	उड़ीसा . . .	17,500	17,111	18,750	18,750

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	पंजाब* . . .	1,525	—*	2,140	—*
17.	राजस्थान . .	6,110	6,110	6,670	6,670
18.	सिक्किम . .	350	350	220	220
19.	तमिलनाडु . .	32,500	33,401	31,790	31,790
20.	त्रिपुरा . . .	1,650	1,594	1,030	1,030
21.	उत्तर प्रदेश . .	49,536	49,536	48,710	48,710
22.	पश्चिम बंगाल . .	33,251	33,251	32,080	32,080
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	260	260	310	310
24.	अरुणाचल प्रदेश . .	400	400	220	220
25.	चण्डीगढ़ . .	35	35	40	40
26.	दादरा और नगर हवेली .	150	150	180	180
27.	दिल्ली . . .	20	40	90	90
28.	गोआ, दमन और दीव .	250	135	270	270
29.	लक्षद्वीप . . .	50	71	50	50
30.	मिज़ोरम . .	180	180	200	200
31.	पांडिचेरी . .	275	275	200	200
	योग . .	3,09,129	3,07,509	3,22,180	3,20,040

*राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण से छूट दी गई है।

स्टूडियो सुविधाओं से रहित दूरदर्शन केन्द्र

3889. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने दूरदर्शन प्रेषण केन्द्रों में स्टूडियो की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं और क्या इससे दूरदर्शन कार्यक्रम प्रभावित नहीं होते;

(ग) क्या उड़ीसा में संबलपुर दूरदर्शन प्रेषण ऐसे केन्द्रों की इस श्रेणी में आता है;

(घ) क्या यहां के लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें वहां स्टूडियो स्थापित करने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन०गाडगिल) : (क) ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है।

(ख) से (ङ) स्टूडियो सहित दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए चरणबद्ध ढंग से की जाती है। उड़ीसा में सम्बलपुर सहित कई स्थानों पर इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अभ्यावेदन समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं। सम्बलपुर में इस सुविधा की व्यवस्था करना भावी योजना अवधियों के दौरान इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

स्टूडियो सुविधाओं से रहित दूरदर्शन केन्द्र ।

1. असम
    1. तेजपुर
    2. डिब्रुगढ़
    3. सिल्चर
2. आन्ध्र प्रदेश
    1. काकीनाडा
    2. विजयवाड़ा
    3. तिरूपति
    4. नेल्लोर
    5. कुडप्पा
    6. करीम नगर
    7. विशाखापट्टनम
    8. निजामाबाद
    9. वारंगल
    10. राजमुंदरी
    11. कुर्नूल
    12. अनंतपुर
    13. अडोनी
    14. मेहबूबनगर
3. बिहार
    1. मुजफ्फरपुर
    2. पटना
    3. गया
    4. मुंगेर
    5. धनबाद
    6. जमशेदपुर
    7. पूर्णिया
    8. भागलपुर
4. गुजरात
    1. अहमदाबाद
    2. वदोदरा
    3. सूरत
    4. भावनगर
    5. पाटन
    6. भरुच
    7. नवासरी
    8. द्वारका
5. हरियाणा
    1. हिसार
    2. भिवानी
6. हिमाचल प्रदेश
    1. शिमला
    2. कुल्लू
    3. कसौली
7. जम्मू व कश्मीर
    1. जम्मू
    2. कारगिल
    3. लेह
8. कर्नाटक
    1. गुलबर्गा
    2. मंगलौर
    3. देवनगेर
    4. भद्रावली
    5. बिजापुर
    6. बेल्लरी
    7. गड़ग बेतगरी
    8. रायचूर
    9. धारवाड़
    10. मैसूर
    11. बैलगाम
    12. होसपैट

9. केरल

1. कालीकट
2. कोचीन
3. कन्नानौर
4. पालघाट

10. मध्य प्रदेश

1. रायपुर
2. भोपाल
3. इन्दौर
4. ग्वालियर
5. जबलपुर
6. बिलासपुर
7. सागर
8. रीवा
9. रतलाम
10. मुरवाड़ा
11. बरहानपुर

11. महाराष्ट्र

1. पुणे
2. अकोला
3. नासिक
4. कोल्हापुर
5. अहमदनगर
6. जालना
7. औरंगाबाद
8. धुले
9. लातुर
10. अमरावती
11. शोलापुर
12. परभनी
13. चन्द्रपुर
14. नांदेड
15. जलगांव
16. गोंदिया
17. सांगली
18. मालेगांव
19. भुसवाल

12. मणिपुर

1. इम्फाल

13. मेघालय

1. शिलांग
2. तुरा

14. नागालैंड

1. कोहिमा

15. उड़ीसा

1. सम्बलपुर
2. बहरामपुर
3. राउरकेला
4. कोरापुट

16. पंजाब

1. अमृतसर
2. भटिण्डा
3. पठानकोट

17. राजस्थान

1. जयपुर
2. सूरतगढ़
3. गंगानगर
4. जोधपुर
5. उदयपुर
6. कोटा
7. अलवर
8. खेतड़ी
9. बीकानेर
10. भीलवाड़ा
11. अजमेर
12. जैसलमेर
13. बाड़मेर

18. सिक्किम

1. गंगटोक

19. तमिलनाडु

1. तिरुचिरापल्ली
2. वेल्लोर
3. सलेम
4. कोडेकनाल
5. कोयम्बतूर
6. कुम्बकोनम

20. त्रिपुरा

1. अगरतला

21. उत्तर प्रदेश

1. मसूरी
2. कानपुर
3. देवरिया
4. इलाहाबाद
5. शाहजहांपुर
6. सुल्तानपुर
7. रायबरेली
8. बरेली
9. आगरा
10. झांसी
11. नैनीताल
12. वाराणसी
13. रामपुर
14. फर्रुखाबाद
15. फैजाबाद
16. इटावा
17. अलीगढ़
18. मुरादाबाद
19. पौड़ी
20. बहरीच
21. सम्भल
22. पिथौरागढ़

22. पश्चिम बंगाल

1. मालदा
2. आसनसोल
3. खड़गपुर
4. बर्द्धमान
5. बलुरघाट
6. शान्ति निकेतन
7. मुर्शिदाबाद
8. कुर्सियांग

केन्द्र शासित प्रदेश

1. अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह
   1. पोर्ट ब्लेयर
   2. कार निकोबार
2. अरुणाचल प्रदेश
   1. इटानगर
3. गोवा दमन और दीव
   1. पणजी
4. मिजोरम
   1. ऐजवाल
5. पाण्डिचेरी
   1. पाण्डिचेरी

भूमिहीनों को फालतू भूमि का वितरण

3890. **श्री प्रियंरंजन दास मुंशी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में फालतू भूमि के वितरण और सहकारिता के माध्यम से सामूहिक खेती सम्बन्धी नीति बनाने हेतु राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच किसी क्षेत्र की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्राम विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दुलाल चन्द्राकर): (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

बाल श्रम संबंधी समिति की रिपोर्ट

3891. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 7 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के कितने बच्चे श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं;

(ख) सरकार द्वारा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस समस्या के अध्यन के लिए गठित चार राज्यों के श्रम मंत्रियों की समिति से इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के कब तक प्राप्त होने की आशा है; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया): (क) भारत के महारजिस्ट्रार ने सूचित किया है कि 1981 की जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों के संबंध में आंकड़े उनके कार्यालय में अभी तक संकलित नहीं किए गए हैं। तथापि, 1971 की जनगणना के अनुसार, 0–14 वर्षों के आयु ग्रुप में श्रमिकों की संख्या 107 लाख थी ।

(ख) हालांकि देश में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक दशाओं को देखते हुए बाल श्रम पद्धति को निकट भविष्य में पूर्णत: समाप्त करना सम्भव नहीं हो सकता, फिर भी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सतत् प्रयत्नशील रही है कि जिन बालकों को परिस्थितिवश मजबूरन काम करना पड़ता है उनका शोषण न हो सके और वे स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की बेहतर दशाओं में काम कर सकें । सरकार ने काम-काजी बच्चों के कल्याण से संबंधित परियोजनाएं बनाई हैं जिन्हें इस क्षेत्र में काम कर रही स्वैच्छिक एजेन्सियों द्वारा लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाल श्रम संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार को बाल श्रम से संबंधित समस्याओं के बारें में सलाह देने के लिए बाल श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है । राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे भी राज्य तथा जिला स्तर पर बाल श्रम संबंधी बोर्डों का गठन करें ।

श्रम मंत्रियों के गत सम्मेलन के निर्णय के अनुसार, राज्य श्रम मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है जो रोजगार में आने के लिए बालकों की न्यूनतम आयु तथा बाल श्रमिकों के बारे में व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता की जांच करेगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

तिलहनों का उत्पादन

3892. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए तिलहनों के उत्पादन की विकास दर को बढ़ाने के कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार को केन्द्रीय तेल उद्योग तथा व्यापार संगठन, बम्बई से सुझाव प्राप्त हुए हैं कि सातवीं योजना की समाप्ति तक 75.80 लाख मी० टन वनस्पति तेलों के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है । इसे प्राप्त करने के लिए दिये गए सुझावों में ये शामिल हैं : अच्छी किस्म के बीज के उत्पादन के लिए सामूहिक (कार्पोरेट)/संयुक्त कृषि करना, तिलहनों वाले पेड़ों के बागान लगाने को प्रोत्साहित करना, तिलहनों की खेती के लिए परती भूमि तथा मरूस्थल क्षेत्रों का उपयोग करना, तिलहनों की खेती के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र को कम से कम एक प्रतिशत और बढ़ाना, तिलहन के तहत भूमि, विशेषकर सीमान्त तथा दलदली भूमि को भू-राजस्व से मुक्त करना, फार्म स्तर पर प्राद्योगिकीय प्रगति को अपनाना तथा चावल की भूमी के तेल के उत्पादन को बढ़ाना ।

(ग) सरकार देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है । सरकार द्वारा तिलहनों के विकास के कार्यक्रमों को तैयार करते समय अन्यों के साथ-साथ इन सुझावों पर भी विचार किया जाता है ।

प्रदर्शनी निरीक्षकों, क्षेत्रीय प्रदर्शन अधिकारी और प्रदर्शनी सहायकों की केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल किया जाना

3893. **श्री प्रकाश चन्द्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1984 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रदर्शनी प्रभाग के प्रदर्शनी निरीक्षकों, क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारियों और प्रदर्शनी सहायकों को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसमें शामिल किये जाने वाले अधिकारियों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) सरकार ने मार्च, 1984 में क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारियों और प्रदर्शनी सहायकों के वेतन-मान बढ़ाने का निर्णय इसलिये किया था कि उनको केन्द्रीय सूचना सेवा के उपयुक्त ग्रेडों में सुविधा पूर्वक शामिल किया जा सके ।

(ख) और (ग) पदाधारियों को सेवा में वास्तविक रूप से तभी शामिल किया जा सकता है जब सेवा के संगत ग्रेडों में नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन कर लिया जाए । इस प्रयोजन के लिए संघ लोक सेवा आयोग उनकी उपयुक्तता का आकलन कर सके, इसके लिए उनका वैयक्तिक डाटा और अन्य आवश्यक कागजात मुकम्मल किए जा रहे हैं ।

(घ) जबकि संबंधित अधिकारियों को सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे, इसके लिए कोई निश्चित समय अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम को घाटा

3894. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कई वर्षों तक लाभ कमाने के बाद अब घाटा उठाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में आ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने घाटे को कम करने के लिए 1600 रुपए प्रति मास की आय वाले कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए अधिक लाभ जुटाने हेतु बनाए गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री टी० अंजैया): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक सेवा संगठन है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने के लिए जिम्मेवार है, न कि एक सार्वजनिक उद्यम जिसे वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाता है । तथापि, यह सही है कि निगम का वर्ष 1983-84 के राजस्व बजट में 2.31 करोड़ रुपए का घाटा था । वर्ष 1984-85 में भी निगम के बजट में कुछ घाटा होने की सम्भावना है । यह घाटा मुख्यत: उन कर्मचारियों के अंशदान में कमी आने की वजह से हुआ है जो 1000 रुपए से अधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं और इस कारण वे इस अधिनियम के सीमा-क्षेत्र से बाहर चले गए हैं तथा चिकित्सा, प्रसुविधा की व्यवस्था संबंधी खर्च की बढ़ोतरी व नकद फायदों की अदायगी भी इस घाटे की वजह है ।

(ग) अधिनियम के अधीन सीमा-क्षेत्र संबंधी मजदूरी सीमा को 27-1-1985 से 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, ताकि अधिनियम के फायदामन्द उपबंध उन अधिकांश कर्मचारियों पर लागू किए जा सकें जो अपनी मजदूरी में 1000 रुपय के बाद बढ़ोतरी होने पर इस अधिनियम के सीमा क्षेत्र से बाहर चले गए थे ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निम्न और मध्य आय वर्गों के लिए आवास

[हिन्दी]

3895. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य और निम्न आय वर्गों के लिए "किराया खरीद आधार" पर मकान बनाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में इन मकानों के लिए कब तक नया पंजीकरण आरम्भ किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सेवा निवृत/सेवा निवृत्त हो रहे व्यक्तियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का अगले दो तीन माह में एक नई पंजीकरण योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है । तथापि, हुडको पद्धति योजना और सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की अत्याधिक संख्या को देखते हुए सामान्य श्रेणी में नई पंजीकरण योजना आरम्भ करने का कोई तात्कालिक प्रस्ताव नहीं है ।

एक नई स्व-वित्त पोषित योजना को भी शीघ्र ही घोषित किये जाने का प्रस्ताव है ।

देश के न्यायालयों में निर्णयाधीन श्रमिक मामले

[अनुवाद]

3896. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मार्च, 1985 तक कुल कितने श्रमिक विवाद न्यायालयों में निर्णयाधीन थे;

(ख) क्या इन विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रमिकों में असन्तोष बढ़ने और जन दिवसों की हानि होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार समाधान तंत्र को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसको सुधारने पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ख) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के माध्यम से एक नई उपधारा 10 (2क) जोड़ी गई है ताकि विशिष्ट कर्मकार से संबंधित औद्योगिक विवादों के संबंध में पंचाट तीन महीने की अवधि के अन्दर दिए जाएं । अधिनियम की धारा 15 में

संशोधन किया गया है ताकि सरकार औद्योगिक विवाद को अधिकरण को भेजने संबंधी आदेश में पंचाट (अवार्ड्स) देने की अवधि विनिर्दिष्ट कर सकें। अधिनियम की धारा 33(ग) में भी संशोधन किया गया है। इसके फलस्वरूप धारा 33ग (2) के अधीन आवेदनों पर श्रम न्यायालयों द्वारा तीन महीने से अनधिक अवधि के अन्दर निर्णय किया जाना अपेक्षित है। यदि समय बढ़ाने की कोई अनुमति देनी हो तो, श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को इसके कारण लिखित रूप में देने होंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 में संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 33(5) के अधीन आदेशों और आवेदनों पर उनकी प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय दिया जाएं। इसके अलावा औद्योगिक विवाद नियमों में भी संशोधन किया गया है ताकि श्रम न्यायालयों, अधिकरणों या राष्ट्रीय अधिकरणों द्वारा मामलों को निपटाने के बारे में समय-सीमा निर्धारित की जा सके।

(ग) औद्योगिक विवाद प्रायः मजदूरी और भत्ते, बोनस, कार्मिक और छंटनी, छुट्टी और कार्य घंटे तथा अनुशासनहीनता और हिंसा के कारण होते हैं। फिर भी देश में औद्योगिक विवादों की संख्या में कमी आई है जो 1983 में 2,431 थी और 1984 में घटकर 1,884 हो गई और हानि हुए श्रम दिनों की संख्या 1983 में 344.8 लाख थी, जो 1984 में घट कर 308.2 लाख हो गई।

(घ) संराधन तंत्र में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि वह अधिक कारगर ढंग से काम करे :—

(i) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के अलावा, संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और कुछ श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (केन्द्रीय) को संराधन शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। 1-3-1980 के बाद, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के चार अतिरिक्त पद और सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के 18 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं।

(ii) 15-7-1976 से अब तक 34 संराधन अधिकारियों को राष्ट्रीय श्रम संस्थान में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया तथा जनवरी, 1981 से नवम्बर, 1983 तक 36 संराधन अधिकारियों को मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय में इन-सर्विस प्रशिक्षण दिया गया है; और

(iii) सभी प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालयों में टेलेक्स मशीनें लगा दी गई हैं।

"हम लोग" के निदेशक और प्रोड्यूसर को अदा की गई धनराशि

3897. **श्री राम जगत पासवान :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के धारावाहिक नाटक "हम लोग" के प्रोड्यूसर और निदेशकों को दूरदर्शन पर इसके प्रसारण के लिए कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) "टाइम एण्ड वीडियो स्पेस" के निदेशकों और प्रबन्धनिदेशकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "टाइम एण्ड वीडियो स्पेस" द्वारा किसी फिल्म का निर्यात किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) मैसर्स टाइम एण्ड स्पेस वीडियो कम्युनिकेशन ने "हम लोग" नामक टी०वी० धारावाहिक कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव किया तथा प्रायोजन की सामान्य शर्तों पर इसे दूरदर्शन पर प्रायोजित करवाया । प्रायोजिक दूरदर्शन को टेलीकास्ट शुल्क के रूप में प्रति एपीसोड 35,000 रुपए अदा करते हैं, कार्यक्रमों के निर्माण पर सारा व्यय वहन करते हैं तथा दूरदर्शन को तैयार कार्यक्रम देते हैं । दूरदर्शन कार्यक्रमों के वास्तविक निर्माण में शामिल नहीं है तथा इसने इस धारावाहिक कार्यक्रम के बनाने पर कोई खर्चा नहीं किया है ।

(ख) मैसर्ज टाइम एण्ड स्पेस वीडियो कम्युनिकेशन तीन सांझेदारों अर्थात श्रीमती सोभा डाक्टर, श्रीमती चन्दा ओबराय और श्री दिवाकर मेहरा की एक सांझी फर्म है ।

(ग) इस मन्त्रालय को मैसर्ज टाइम एण्ड स्पेस वीडियो कम्युनिकेशन द्वारा किसी भी फिल्म का निर्यात किए जाने के बारे में जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम को हुआ नुकसान अथवा लाभ

[हिन्दी]

3899. **श्री सी०डी० गौतम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1981 से 1984 तक के दौरान वर्ष-वार हुए नुकसान अथवा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त नुकसान होने के मुख्य कारण क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार की ओर से खाद्यान्नों के सौदों पर भारतीय खाद्य निगम को देय राज सहायता को हिसाब में लेते हुए, निगम ने 1981-84 वर्षों के दौरान निम्नलिखित निवल लाभ (कराधान से पूर्व) कमाया :—

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1981-82 .	190.78
1982-83 .	529.72
1983-84	317.67

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

किसानों को वाणिज्यिक फसलों का विकास करने के लिए प्रशिक्षण देना

[अनुवाद]

3900. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाणिज्यिक फसलों का विकास करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई योजना शुरू की गई है; और

(ग) छठी योजना में कपास, गन्ना आदि जैसी वाणिज्यिक फसलों के विकास के लिए मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षत्रों में दिए गए प्रोत्साहनों और प्रशिक्षण का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) किसानों को तिलहनों में प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना चल रही है ।

वाणिज्यिक फसलों सहित कृषि के क्षेत्र में किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए भोपाल, इन्दौर, छिंदवाड़ा, बिलासपुर तथा झबुआ में कृषि विज्ञान केन्द्र चल रहे हैं ।

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 11 जिलों के किसानों के प्रशिक्षण केन्द्रों में किसानों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर रही है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) छठी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में किसान प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित किसानों/फार्म महिलाओं की संख्या

क्रम सं०	जिला	1979-80		1980-81		1981-82		1982-83		1983-84	
		पाठ्य-क्रमों की सं०	प्रशिक्षित किसानों की सं०	पाठ्य-क्रमों की सं०	प्रशिक्षित किसानों की सं०	पाठ्य-क्रमों की सं०	प्रशिक्षित किसानों की सं०	पाठ्य-क्रमों की सं०	प्रशिक्षित किसानों की सं०	पाठ्य क्रमों की सं०	प्रशिक्षित किसानों की सं०
1.	ग्वालियर	223	5163	202	4597	76	1860	86	1905	96	2156
2.	बस्तर	188	3574	168	3149	197	2746	154	2983	139	2468
3.	होशंगाबाद	58	2213	235	5860	121	3444	122	2717	125	2996
4.	इंदौर	172	4823	469	9869	147	4636	200	7303	139	6331
5.	जबलपुर	126	3383	137	3874	128	2750	52	1539	—	—
6.	मुरेना	118	2816	174	3447	139	3716	166	2447	18	2517
7.	रायपुर	173	12332	134	3746	181	5321	145	2579	159	3037
8.	रायसेन	94	2802	263	6456	177	4708	136	3855	131	3697
9.	रेवा	156	3988	146	3420	98	2567	116	3268	97	2732
10.	शिवपुरी	97	2432	102	3230	119	2946	32	655	236	5340
11.	पश्चिम निमार	—	—	7	123	12	174	12	195	52	1193

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित सघन कपास विकास कार्यक्रम के तहत सहायता :

स्टाफ आकस्मिकताएं, उन्नत किस्म के कपास के प्रजनक तथा आधारी बीज का उत्पादन तथा प्रमाणीकृत बीज, हवाई तथा भूमि छिड़काव। बुरकना, पौध संरक्षण उपस्कर तथा प्रदर्शनों में लगी कुल लागत की 50 प्रतिशत की दर पर मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

मध्य पूर्व देशों को गेहूं का निर्यात

3901. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व देशों को गेहूं का निर्यात करने की अच्छी संभावनायें हैं;

(ख) क्या सरकार को मध्य पूर्व देशों से गेहूं-निर्यात के लिए कोई आदेश मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो मध्य पूर्व देशों को गेहूं का निर्यात करने का यदि कोई कार्यक्रम है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): (क) यह सही है कि कई मध्यपूर्वी देश गेहूं के आयातक हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य सूचकांक

3902. **श्री टी० बशीर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1984 और 31 जनवरी, 1985 के बीच आवश्यक वस्तुओं की थोक बिक्री और खुदरा बिक्री के मूल्य सूचकांक क्या रहे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : जनवरी, 1984 और जनवरी, 1985 में चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक संलग्न विवरण में दिए गए हैं। खुदरा मूल्य सूचकांक सरकार द्वारा तैयार नहीं किया जाता है।

विवरण

जनवरी, 1984 और जनवरी, 1985 में चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

(आधार 1970-71=100

वस्तु	थोक मूल्य सूचकांक	
	जनवरी, 1984	जनवरी, 1985
चावल	277.0	265.2
गेहूं	225.6	216.2
ज्वार	254.5	241.1
बाजरा	220.6	220.4
चना	402.3	543.7
अरहर	422.9	306.4
मूंग	361.4	485.4
मसूर	443.3	454.7
उड़द	273.9	404.4
आलू	162.6	110.8
प्याज	351.0	219.3
दूध	258.6	265.6
मछली	441.0	473.2
गोश्त	387.6	463.0
लाल मिर्च	119.1	314.0
चाय	472.4	481.2
कोक	547.3	575.2
मिट्टी का तेल	343.2	346.2
आटा	230.7	210.6
चीनी	229.3	246.1
गुड़	340.3	365.2
वनस्पति	251.8	278.6
मूंगफली का तेल	312.7	320.1
सरसों का तेल	392.1	249.4
नारियल का तेल	417.5	494.2
जिंजली का तेल	316.7	295.3
नमक	221.1	246.3
सूती कपड़ा (मिल)	253.6	260.0
साबुन	279.2	323.6
दिया सलाईयां	129.0	129.0

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बेंत की बेहतर फसल के लिए अनुसंधान

3903. **श्री ललितेश्वर शाही** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बेंत की बेहत्तर फसल के लिए अब तक कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ किए गए अनुसंधान कार्य का क्या परिणाम निकला;

(ग) बेंत की पैदावार किस जलवायु में की जा सकती है; और

(घ) क्या बेंत से चीजें तैयार करने का धन्धा श्रम प्रधान काम है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् केवल गन्ने पर अनुसंधान कार्य कर रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्न रैटन केन से संबंधित है जोकि एक वन उत्पाद है और फर्नीचर तथा अन्य घरेलू सामान बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और यह गन्ने से संबंधित नहीं है जोकि रैटन केन से भिन्न है। इस प्रकार के रैटन केन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पास अनुसंधान का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों को बीमारी के आधार पर बिना बारी आवासों का आबंटन

3904. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी आवासों का आबंटन मन्जूर करने की वर्तमान नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्होंने पद ग्रहण के बाद से दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को कुल कितने मामलों में बिना बारी सरकारी आवासों का आबंठन किया है; और

(ग) सरकारी आवास के आबंटन के लिए श्रेणी-वार प्रतीक्षा सूची की इस समय क्या स्थिति है और सरकारी कर्मचारियों के लिए उक्त प्रतीक्षा की अवधि कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री श्री (अब्दुल गफूर) : (क) चिकित्सा आधार पर तदर्थ आबंटन उन मामलों में स्वीकृत किया जाता है जहां सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के पात्र सदस्य असाध्य कैंसर या दूसरों के लिए खतरनाक और ए० एफ० बी० के लिए थूक घनात्मक सहित प्राथमिकोत्तर सक्रिय फुसफुस यक्ष्मा से पीड़ित हों या जहां सरकारी कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग हों ।

(ख) छप्पन ।

(ग) 1-1-1985 की स्थिति के अनुसार 72,847 कर्मचारी निम्न प्रकार से सामान्य पूल वास के लिए अपने पात्र टाइप के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे :

टाइप	प्रतीक्षारत कर्मचारियों की सं०
ए	11,456
बी	32,593
सी	20,106
डी	5,866
ई	1,469
ई-I	703
ई-II	388
ई-III	266
योग	72,847

सरकार का निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ करने और 7वीं पंचवर्षीय योजना में रिहायशी वास को बढ़ाने का प्रस्ताव है । यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

अधिक पैदावार देने वाले गेहूं-बीजों का भंडार

3905. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की किस्मों के प्रमाणित बीजों के भारी भंडार विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास बिना बिके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में सरकारी एजेंसियों के पास बिना बिका कितना भंडार है;

(ग) क्या अंकुरण प्रतिशतता की अनिश्चितता के कारण ऐसे बीज आगामी मौसम के लिए उपयुक्त नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राज्यों तथा भारत सरकार के विभिन्न सरकारी/संस्थागत एजेंसियों के पास पड़े गेहूं के बीज भण्डार की मात्रा नीचे दी गई है :

(क्विंटल में)

राजस्थान राज्य बीज निगम	1,10,396
महाराष्ट्र राज्य बीज निगम	1,00,234
उत्तर प्रदेश राज्य बीज तथा तराई विकास निगम	55,000

हरियाणा राज्य बीज निगम	39,515
पंजाब राज्य बीज निगम	37,773
गुजरात राज्य बीज निगम तथा कृषि विभाग	22,328
मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम	16,030
राष्ट्रीय बीज निगम	30,000
भारतीय राज्य फार्म निगम	19,545
पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम	13,345

(ग) गेहूं के बीज का अधिशेष स्टाक आगामी मौसम के दौरान बुवाई के लिए आसानी से उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यदि उचित ढंग से भण्डार किया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी ।

(घ) गेहूं का बीज सुरक्षित भण्डार में रखने तथा निर्यात के जरिए निपटान करने के लिए पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश में आलुओं की विवशतापूर्ण बिक्री

3906. **श्री बलराम यादव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 4 अप्रैल, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" (दिल्ली से प्रकाशित) में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि "नेफेड" और पी०सी० एफ० आलू की पूरी फसल को खरीदने में असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविकता क्या है और आलुओं की खरीद में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । तथापि, यह कहना सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नेफेड और पी०सी०एफ० से आलू की सारी फसल खरीदने की आशा की गई थी । इस योजना में यह प्रावधान है कि पी०सी०एफ० और नेफेड, जिन्हें क्रमश: राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के रूप में पदनामित किया गया है, द्वारा सामान्य औसत किस्म के आलुओं की खरीद 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी और इस कार्य में होने वाली हानि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन की जाएगी । यह योजना 19 जनवरी, 1985 से चालू है । तब से इस योजना के अन्तर्गत लाए गए जिलों की संख्या बढ़कर 19 और खरीद केन्द्रों की संख्या 65 हो गई है । राज्य सरकार द्वारा भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जहां कहीं भी आलू का मूल्य सूचक मूल्य से नीचे गिरे, वहां बाजार हस्तक्षेप कारंवाई शुरू करने के लिए शीघ्रता से खरीद केन्द्र खोले जाएं । इस योजना के तहत, 11-4-85 तक, 1.79 लाख क्विंटल आलू खरीदे गए हैं । ये कार्य जारी हैं । पी०सी०एफ० और नेफेड तब तक बाजार में रहेंगे, जब तक कि आलू की सामान्य औसत किस्म का वर्तमान बाजार मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल से कम रहता है ।

जीवन बीमा निगम और हुडको द्वारा उड़ीसा में आवासीय सरकारी समितियों को धन राशि दिया जाना

3907. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही आवासीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी आवासीय योजनायें अपने संसाधनों की कमी के कारण पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो रही हैं; और

(ग) क्या सरकार जीवन बीमा निगम और 'हुडको', विशेष रूप से उड़ीसा जैसे पिछड़े क्षेत्र में, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भारी संख्या में रहते हैं आवासीय सरकारी समितियों को पर्याप्त धनराशि रिलीज करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर): (क) ग्रामीण आवास स्थलों का आबंटन तथा निर्माण सहायता योजना उड़ीसा में कार्यान्वयनाधीन है ।

(ख) और (ग) आवास राज्य का विषय होने के फलस्वरूप सभी आवास योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। किसी विशिष्ट योजना से संबंधित न होते हुए केन्द्रीय सरकार समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया करती है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिए भी राज्य सरकारें स्वतन्त्र हैं ।

प्रत्येक वर्ष योजना आयोग की सिफारिशों पर राज्यों को जीवन बीमा निगम ऋण दिए जाते हैं। मार्ग निर्देशकों के अनुसार राज्य स्तर की शीर्षस्थ आवास वित्त समितियों के साथ-साथ पंजीकृत प्राथमिक आवास सहकारी समितियों को हुडको की ऋण सहायता उपलब्ध है ।

समाचार-पत्रों में आपत्तिजनक खबरों का प्रकाशन

3908. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद् को पिछले तीन वर्षों के दौरान समाचार पत्रों में कोई पक्षपात तथा दुर्भावना दर्शाने वाले आपत्तिजनक मिथ्या समाचारों के प्रकाशन के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और दोषी प्रकाशकों/सम्पादकों/पत्रकारों के विरुद्ध प्रैस परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 14 के अंतर्गत

परिषद् को 553 शिकायतें प्राप्त हुई। उनमें से 126 शिकायतों के बारे में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :

19 मामलों में चेतावनी जारी की गई ।
4 मामलों में भर्त्सना की गई ।
24 मामलों में परिनिन्दा की गई ।
11 मामलों में शिकायतों का समर्थन किया गया ।
26 मामलों में समझौता कराया गया ।
2 मामलों में गैर अभियोजन के लिए शिकायतों पर विचार-विमर्श किया गया ।
40 मामलों में शिकायतों पर विचार-विमर्श किया गया/रद्द किया गया ।

कुल : 126 मामले

---

125 शिकायतें जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। शेष 302 शिकायतों को निम्नानुसार निपटाया गया :

48 मामलों को संक्षेपतः रद्द कर दिया गया क्योंकि उनकी जांच के लिए पर्याप्त आधार नहीं था [अधिनियम की धारा 14 (1) का परन्तुक] ।

3 मामलों को बन्द कर दिया गया क्योंकि मामला न्यायनिर्णय अधीन हो गया था । [अधिनियम की धारा 14 (3)]

251 मामलों को प्रारंभिक अवस्था में बन्द कर दिया गया, क्योंकि प्रेस परिषद् (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 में निर्धारित कतिपय अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया था ।

वृत्त चित्रों का निर्माण

3909. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन भाषाओं/बोलियों में वृत्त चित्र और फीचर फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का है जिन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय फिल्म निगम या अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई आर्थिक व तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) संविधान की आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं/बोलियां शामिल नहीं हैं उनमें डाकुमेंट्री तथा फीचर फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। तथापि, विगत 3 वर्षों में फिल्म प्रभाग ने आदिवासी बोलियों में 4 लघु फीचर फिल्में बनाई तथा एक और लघु फीचर फिल्म निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने

की एक स्कीम है। इस स्कीम के अन्तर्गत सभी भारतीय भाषाओं में बनाई गई फिल्में वित्तीय सहायता पाने की पात्र हैं। इसी प्रकार सभी भारतीय भाषाओं की फिल्में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए प्रविष्ट हो सकती हैं। वास्तव में सर्वोत्तम फीचर फिल्म श्रेणी में एक पुरस्कार की व्यवस्था संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं से भिन्न भाषाओं के लिए की गई है।

कपड़ा मजदूरों की सुरक्षा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रतिवेदन

3910. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जनेवा में 10 अक्तूबर, 1984 को हुई बैठक में सरकार नियोक्ता तथा श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा कपड़ा उद्योग में रोजगार सुरक्षा पर, जिस पर संरचनात्मक परिवर्तनों का सब से अधिक प्रभाव पड़ा है, विचार किया गया था;

(ख) क्या इस क्षेत्र में व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर भी इस बैठक में विचार किया गया था;

(ग) क्या कपड़ा उद्योग में संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रोजगार तथा आय सुरक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में दिए गए प्रतिवेदन में उत्तर तथा दक्षिण में उद्योग की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया): (क) से (ग) अक्तूबर, 1984 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की टैक्सटाइल समिति के 11वें अधिवेशन ने टैक्सटाइल उद्योग में संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, रोजगार की सुरक्षा और आय से संबंधित समस्याओं और टैक्सटाइल उद्योग में व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की समस्या पर भी विचार-विमर्श किया। इस समिति के निष्कर्षों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय द्वारा अभी मंजूर किया जाना है।

(घ) इस अवस्था पर प्रश्न नहीं उठता।

बागान श्रम अधिनियम में संशोधन

3911. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ राज्यों और एक संघ क्षेत्र के श्रम सचिवों ने बागान श्रम अधिनियम को और अधिक व्यापक बनाने के लिए विशेष रूप से इसकी "एक परिवार और एक रोजगार" की परिभाषा के संबंध में अनेक संशोधनों का सुझाव दिया था;

(ख) क्या बागान श्रम अधिनियम, 1951, जिसे 1982 में संशोधित किया गया था, पर पुनर्विचार करने के लिए सितम्बर, 1984 में राज्य सचिवों की एक बैठक आयोजित की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बैठक में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और बागान श्रम अधिनियम, 1951 में क्या संशोधन किए जाने की संभावनाएं हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) बागान राज्यों के श्रम सचिवों की 15-9-1984 को एक बैठक हुई थी और उत्तर प्रदेश, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु कर्नाटक तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकारों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इस बैठक में, "कुटुम्ब", "नियोजक", "कर्मकार" शब्दों की परिभाषा में संशोधन के कतिपय सुझावों तथा कानून के कुछ अन्य पहलुओं पर विचार किया गया था। इस समय, सरकार बागान श्रम अधिनियम में और संशोधन करने पर विचार नहीं कर रही है। इस सम्मेलन ने कल्याण, चिकित्सा और आवास सुविधाओं के विस्तार के लिए कारगर उपायों तथा बागान श्रमिकों की व्यावसायिक खतरों से सुरक्षा तथा बचाव के उपायों को सुदृढ़ करने पर भी विचार-विमर्श किया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के स्थान पर प्लाटों का आबंटन

3912. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और स्ववित्त पोषी योजना आदि जैसे प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत फ्लैटों के आबंटन के लिए कुल कितने व्यक्तियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकरण करवाया हुआ है;

(ख) क्या इन पंजीकृत आवेदकों को फ्लैटों के स्थान पर प्लाट आबंटित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर): (क) भिन्न-भिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत आबंटन की प्रतीक्षा करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

क्रम सं०	योजना का नाम	आबंटन की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों की वर्गवार संख्या			योग
		जनता	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	
1.	सामान्य आवास योजना	268	1,744	1,428	3,440
2.	नवीन पद्धति योजना, 1979	42,305	56,584	39,209	1,38,098
3.	स्व-वित्त पोषित योजना	—	—	—	16,807

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नई आटा मिलों की स्थापना

3913. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटी और बड़ी कुल कितनी आटा मिलें हैं और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में नई आटा मिलें खोलने पर प्रतिबन्ध लगाया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से उड़ीसा के अनेक उद्यमियों ने गैर-सरकारी क्षेत्र में और अधिक आटा मिलें खोलने के लिए अनुमति और लाइसेंस दिये जाने हेतु आवेदन किया है; यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से ऐसे कितने आवेदन पत्र मिले हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिस में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्य कर रही रोलर फ्लोर मिलों की संख्या दी गई है ।

(ख) रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग में पहले से सृजित क्षमता और वर्तमान यूनिटों के समुपयोजन के स्तर को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, एक सामान्य नीति के रूप में, मई, 1980 में निर्णय लिया था कि देश में रोलर फ्लोर मिलों की स्थापना करने के लिए कोई नयी अनुमति न दी जाए ।

(ग) उड़ीसा सहित, देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोलर फ्लोर मिलों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने अथवा गेहूं रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेंस तथा नियंत्रण) आदेश, 1957 के अधीन अनुमति/मिलिंग लाइसेंस देने के लिए कई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । सामान्य नीति में छूट देते हुए, दूरस्थ, पहाड़ी, जनजाति क्षेत्रों से संबंधित छः मामलों को छोड़कर, जिनमें अनुमति/आशय पत्र दिए गए हैं, सभी ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया जा रहा है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	52
2.	असम	20
3.	बिहार	31
4.	गुजरात	24
5.	हरियाणा	12
6.	हिमाचल प्रदेश	3
7.	जम्मू तथा कश्मीर	16
8.	कर्नाटक	42
9.	केरल	11

1	2	3
10.	मध्य प्रदेश	10
11.	महाराष्ट्र	40
12.	मेघालय	1
13.	नागालैण्ड	2
14.	उड़ीसा	18
15.	पंजाब	21
16.	राजस्थान	5
17.	सिक्किम	1
18.	तमिलनाडु	42
19.	त्रिपुरा	2
20.	उत्तर प्रदेश	58
21.	पश्चिम बंगाल	35
22.	चण्डीगढ़	2
23.	दिल्ली	12
24.	गोआ	1
25.	पांण्डिचेरी	1
	जोड़	462

दिल्ली/नई दिल्ली में बिना साफ किए हुए पानी की कम सप्लाई

3914. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और विशेषकर नई दिल्ली क्षेत्र में घरेलू बागबानी तथा पेड़ों और पार्कों के पानी देने के काम आने वाले बिना साफ किए हुए पानी की सप्लाई कम है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वजह से बड़ी संख्या में पेड़ और पौधे सूख गए हैं तथा मरते जा रहे हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली और नई दिल्ली में बिना साफ किए हुए पानी की सप्लाई नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सही नहीं है कि बड़ी संख्या में पेड़ और पौधे मर रहे हैं । परन्तु यदि कच्चे पानी की विद्यमान कमी जारी रहती है तो इन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) क्षेत्र के आवास क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण पानी की सप्लाई में कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप यमुना में पानी का स्तर घट गया है ।

(घ) (i) वजीराबाद बैरेज से कुछ और पानी लेने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ii) 28 नलकूप पहले ही चालू कर दिये गये हैं और 62 नलकूप लगाए जा रहे हैं ।

(iii) जल टैंकरों तथा जल की ट्राली जैसे कृत्रिम उपायों द्वारा सिंचाई करना ।

उड़ीसा को चावल तथा गेहूं का आबंटन

3915. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**
श्री सोमनाथ रथ :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राशन की दूकानों से वितरण के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सरकार पूल से कितनी मात्रा में चावल तथा गेहूं का आबंटन किया गया;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के लिये केन्द्र सरकार से अतिरिक्त मात्रा में आबंटन के लिये अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र का विचार राज्य सरकार को हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उसे अपेक्षित मात्रा में आबंटित करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) उड़ीसा सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं की निम्नलिखित मात्रा आबंटित की गई थी :

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	आबंटित की गई मात्रा	
	चावल	गेहूं
1982	70.0	90.0
1983	190.0	225.0
1984	75.0	221.0

(ख) जी, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त मात्रा आबंटित करने के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विज्ञापन-दरों में वृद्धि

3916. **श्री आर०एम० भोये :**
श्री एन० डेनिस :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन दरों में वृद्धि करने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार विज्ञापन दरों में और आगे वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) विज्ञापन दरें की, प्रवृत्त दर ढांचे जो मुख्यतया समाचारपत्रों/नियत कालिक पत्रों के प्रकाशन की लागत पर आधारित हैं, में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निश्चित किया जाता है। प्रकाशन लागत, विशेषकर अखबारी कागज तथा मजूरी में सामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप, 1 अक्तूबर, 1981 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई थी ।

(ख) और (ग) विज्ञापन दरों में और वृद्धि करने की मांग जा की रही है। तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रम

3917. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन सेवा के संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार योजना के अधीन इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों के लिये इस कार्यक्रम से कितना लाभ उठाया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) उड़ीसा राज्य में इनसेट के दूरदर्शन उपयोग की छठी योजना स्कीम में, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, कटक में सुविधाओं में वृद्धि करने तथा बोलंगीर और ढेनकनाल के जिलों के चुनिंदा विद्युतीकृत गांवों में 400 सीधे संग्रहण सामुदायिक अवलोकन दूरदर्शन सेट लगाने का प्रावधान था । इस स्कीम का प्रयोजन सामुदायिक अवलोकन पद्धति के माध्यम से प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम और ग्रामीण दर्शकों के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम उपलब्ध करना है ।

(ख) शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों और क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों को स्कीम के अनुसार टेलीकास्ट किया जा रहा है। सामुदायिक अवलोकन के लिए बोलंगीर और ढेनकनाल जिलों में 386 सीधे संग्रहण सेट लगा दिए गए हैं। ये सेट सम्बलपुर जिले में पहले ही कार्य कर रहे 279 वी०एच०एफ० सामुदायिक अवलोकन दूरदर्शन सेटों के अलावा हैं । कुछ उन संग्रहण सेटों जिनके लगाने के बाद उनमें खराबी आ गई थी, की मरम्मत करने के लिए कार्रवाही की जा रही है। इन कार्यक्रमों को व्यापक दर्शकों को उपलब्ध करने के लिए कटक का 10 किलोवाट का दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा उड़ीसा में अन्य स्थानों पर स्थापित अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर भी कार्यक्रम रिले करते हैं ।

महानगर परिवहन पर विचार-गोष्ठी

3918. **श्री वी०वी० देसाई** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महानगर परिवहन पर विचार-गोष्ठी द्वारा देश में महानगरीय परिवहन के वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से एक "फन्डिंग प्लेटफार्म" की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संगोष्ठी को "टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन" द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें आठ केन्द्रीय मंत्रालयों तथा लगभग सभी राज्य सरकारों के परिवहन विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो विचार-गोष्ठी में क्या निर्णय लिए गए और क्या सरकार ने निर्णय की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) इस सैमिनार में लिए गए विभिन्न निर्णय सरकार के विचाराधीन हैं ।

बिहार में उर्वरकों की कमी

3919. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान देश के लगभग सभी भागों, विशेषकर बिहार में विशेष रूप से पिछले खरीफ के मौसम में उर्वरकों की भारी कमी रही थी;

(ख) यदि हां, तो कमी का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का सारे देश में और विशेषकर बिहार में उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए बिहार में एक उर्वरक फैक्ट्री खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पिछले खरीफ मौसम तथा पिछले 6 महीनों में उर्वरकों की आपूर्ति की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है । तथापि उर्वरकों के संचलन और उत्पादन में अड़चनें आने के कारण रबी, 1984-85 के दौरान थोड़े समय के लिए कुछ हिस्सों, विशेषकर बिहार से उर्वरकों की उपलब्धता में कमी आने की सूचना मिली थी । भारत सरकार ने बिहार में उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा भेजने के लिए तत्काल कदम उठाए जिसके परिणामस्वरूप राज्य में उर्वरकों की खपत उसी मात्रा में रिकार्ड की गई जिसपर पिछले रबी मौसम से पूर्व हुए क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान सहमति प्रदान की गई थी ।

(ग) उर्वरकों की कमी को कम करने के लिए उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आयात करने तथा मौसम से पूर्व उर्वरकों का भण्डार तैयार करने की योजना बनाई गई है । बिहार के मामले में इन कदमों के अलावा खरीफ, 1985 के चालू मौसम के लिए भरोसेमंद स्रोतों के माध्यम से उर्वरकों की आपूर्ति किए जाने के अलावा उर्वरकों के आबंटन को पिछले खरीफ खपत की तुलना में करीब 70 प्रतिशत बढ़ाया गया है ।

(घ) बिहार में उर्वरक कारखाना खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण समाज में कम्प्यूटरों का प्रयोग

3920. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर और हारवेस्टर कोम्बाइन के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बनाने की दृष्टि से ग्रामीण समाज का कम्प्यूटर का उपयोग आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में कम्प्यूटर की शुरूआत कब तक कर दी जाएगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने इलैक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र का गठन किया है, जिसके तहत चरण-बद्ध रूप में एक देशव्यापी संगणक तन्त्र का विकास किया जा रहा है । इस परियोजना के तहत प्रत्येक जिले के मुख्यालय में एक संगणक स्थापित किया जाएगा तथा उन्हें नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और भुवनेश्वर में स्थापित किए जाने वाले चार क्षेत्रीय सुपर संगणकों से "इन्सेट" उपग्रह के माध्यम से जोड़ा जाएगा । ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहयोग देने के लिए अपेक्षित जानकारी को जिला स्तर के संगणकों के अतिरिक्त राज्यों की राजधानियों में स्थापित संगणकों में पहुंचाया जाएगा ताकि प्राप्त सूचना के परिसंस्करण और सह-सम्बन्ध के लिए उसे क्षेत्रीय सुपर संगणकों में भेजा जा सके । परिसंस्कृत सूचना और सह-सम्बंधों की जानकारी को जिला स्तर के संगणकों तक पहुंचाने के लिए उसी तन्त्र का इस्तेमाल किया जाएगा । इसके लिए आंकड़ों पर आधारित "फार्मेट" तैयार किया गया है जिसमें कृषि और ग्रामीण समुदाय से सम्बन्धित जानकारी शामिल की गई है ।

(ग) संगणकों और सहायक भू-केन्द्रों को उपग्रह पर आधारित संगणक तन्त्र से जोड़ने के लिए इनकी स्थापना का कार्य 1985 के अन्त से शुरू हो जाएगा तथा 1987 के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा ।

प्रेस की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपाय

[हिन्दी]

3921. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस का अस्तित्व तथा प्रजातंत्र में इनकी प्रभावशाली भूमिका सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) प्रेस के प्रति सरकार की नीति पत्रकारिता के उच्च स्तरों के अनुरूप इसकी स्वतंत्रता के लिए गहन प्रतिबद्धता की नीति है। स्वतंत्र और स्वस्थ प्रेस, जो जनतंत्र में कारगर भूमिका निभाता है, सुनिश्चित करने के लिए, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत एक प्रेस परिषद् का गठन किया गया है। प्रेस के संवर्धन के लिए सरकार प्रेस के लिए अनेक रियायतें और सुविधाएं उपलब्ध करती है यथा रियायती दरों पर तार और टेलीप्रिंटर संबंधी सुविधाएं, पत्रकारों के लिए आवास और यात्रा संबंधी सुविधाएं, पत्रकारों का प्रत्यायन तथा सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में सूचना की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी प्रादेशिक और भाषायी समाचार पत्रों को समाचार उपलब्ध करने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में धीमी गति वाले समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। केन्द्रीय सरकार की विज्ञापन नीति और अखबारी कागज आबंटन नीति में भी रियायतों की व्यवस्था है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिफ्ट आपरेटरों के वेतनमानों में सुधार करना

[अनुवाद]

3922. **श्री सी०के० कुप्पुस्वामी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन लिफ्ट आपरेटरों ने अपने वेतनमानों में सुधार करने और अन्य मांगों के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को अपनी मांगें मनवाने हेतु एक से अधिक बार आमरण अनशन करना पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों ने एक बार 21 अक्तूबर, 1983 को और पुनः 28 मार्च, 1985 को अनशन किया था।

(ग) उनकी मांगें इस प्रकार हैं :—

(i) लिफ्ट कर्मचारी संघ को मान्यता देना;

(ii) 260-400 रुपए के वेतनमान में लिफ्ट चालकों के लिए कुशल ग्रेड देना;

(iii) दो जोड़े वर्दियों की बजाय 3 जोड़े टैरीकोट की वर्दी देना;

(iv) भारत लैदर एम्पोरियम से जूतों एवं चप्पलों की सप्लाई करना;

(v) ड्यूटी के समीप लिफ्ट चालकों को रिहायशी आवास देना;

(vi) 240 दिन की सेवा के पश्चात् मस्टर रोल के लिफ्ट चालकों को नियमित करना; और

(vii) जर्सी और जुराबें देना।

(घ) (i) वर्गवार यूनियनें मान्यता की पात्र नहीं हैं ।

(ii) चौथा वेतन आयोग वेतनमानों के पुनरीक्षण पर पहले ही विचार कर रहा है ।

(iii) दो जोड़े टैरीकोट की वर्दियां देने का निर्णय लिफ्ट चालकों के परामर्श से किया गया था । फिर भी, अब उनकी मांग 3 जोड़े टैरीकोट की वर्दियों की है । लिफ्ट चालकों को अब दी गई वर्दियों की लागत (396 रुपए) केन्द्रीय सरकार के अन्य समूह 'घ' के कर्मचारियों को दी गई वर्दियों की लागत (311 रुपए) से बहुत अधिक है ।

(iv) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने हिदायतें जारी की हैं जिनमें उन्होंने जूतों की कीमत 52.87 रुपए प्रति जोड़ा निर्धारित की है जिसे कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर भारत लैदर एम्पोरियम, सुपर बाजार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता भण्डार और खादी ग्रामोद्योग भवन से प्राप्त किया जा सकता है ।

(v) मांग यह है कि पारी पर ड्यूटी करने वाले लिफ्ट चालकों को उनकी ड्यूटी के स्थान के समीप रिहायशी वास दिया जाये। लिफ्ट चालकों की श्रेणी को आवश्यक कर्मचारी की सूची में शामिल नहीं किया गया है ।

(vi) पदों के सृजन एवम् भरने पर लगा प्रतिबन्ध मस्टर रोल के कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी लागू होता है ।

(vii) लिफ्ट चालकों की मांग बेहतर कोटि की जर्सी एवम् जुराबों की है ।

मैसर्स भंडारी बिल्डर्स कम्पनी, नई दिल्ली

[हिन्दी]

3923. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22 मार्च, 1985 को कुछ संसद सदस्यों ने वेतन, भत्ते, बोनस आदि का भुगतान न करने तथा विदेशों में भेजे गए श्रमिकों को अनावश्यक रूप से परेशान करने से रोकने के लिए मैसर्स भंडारी बिल्डर्स कम्पनी, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली के विरुद्ध जांच की मांग की थी और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पूरे मामले में केन्द्रीय जांच ब्यौरो से जांच कराने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) संसद के एक माननीय सदस्य ने मैसर्स भण्डारी बिल्डर्स कम्पनी, नई दिल्ली के विरुद्ध 22-3-1985 को एक शिकायत भेजी जो श्री बाबू राम यादव को जमानत राशि वापस न करने तथा बकाया राशि की अदायगी न करने के बारे में थी ।

मैसर्स भण्डारी बिल्डर्स ने अब 4,000 रुपए की बैंक गारंटी रिलीज कर दी है और यह राशि श्री बाबूराम यादव को 16 अप्रैल, 1985 को दे दी गई है । श्री बाबू राम यादव को 1319.39 रुपए का चैक भी दे दिया गया है जो उसी तारीख को उनकी बकाया राशि के पूर्ण और अन्तिम निपटान की बाबत है ।

(ख) जी, नहीं ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात और उत्तर प्रदेश में चुने गए परिवार

[अनुवाद]

3924. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात और उत्तर प्रदेश में अब तक कितने निर्धन परिवारों को चुना गया है;

(ख) उनमें से कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में समर्थ बनने के लिए राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंकों आदि ने अनुदान दिया है और उन्हें राज्यवार अनुदान की कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) इन चुने गए परिवारों द्वारा कितनी किश्तें और कितनी धनराशि वापस लौटा दी गई है; और

(घ) गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके कुल 40 प्रतिशत परिवारों को अनुदान मिल रहा है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) व (ख) छठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात और उत्तर प्रदेश के लिए क्रमशः 6.54 लाख परिवारों और 26.41 लाख परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके मुकाबले में फरवरी, 1985 तक इन राज्यों में क्रमशः 7.15 लाख और 33.23 लाख निर्धन परिवारों को सहायता पहुंचाई गई है । उन पर क्रमशः 5760.81 लाख रुपए और 25676.22 लाख रुपए व्यय हुआ है, जिसका अधिकांश भाग वार्षिक सहायता के रूप में दिया गया है (फरवरी, 1985 तक) । इसी अवधि में क्रमशः 12388.92 लाख रुपए और 69886.55 लाख रुपए जुटाया गया है ।

(ग) भारत सरकार किस्तों की संख्या और चुने गए परिवारों द्वारा लौटाई गई राशि का हिसाब नहीं रखती है ।

(घ) देश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभाव का जायजा लेने के लिए योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने एक मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया है । इस अध्ययन की रिपोर्ट के प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

वर्ष 1985–86 के दौरान गेहूं और चावल का निर्यात

3925. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है कि भारत चावल और गेहूं का निर्यात करने में समर्थ हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वर्ष 1984 के लिए "फूड आऊटलुक" के कारण संभव हुआ है ;

(ग) क्या ऐसा अनुमान है कि चावल की फसल का उत्पादन निरन्तर दूसरे वर्ष भी लगभग रिकार्ड स्तर तक होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या यही स्थिति गेहूं के मामले में भी है और सरकार 10 लाख टन गेहूं का निर्यात करने में समर्थ है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार के पास खाद्यान्नों के भण्डार की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(च) भारत वर्ष 1985-86 में कितने गेहूं और चावल का निर्यात करने में समर्थ हो जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। खाद्य और कृषि संगठन ने मार्च, 1985 मास के अपने प्रकाशन "फूड आऊटलुक" में यह बताया है कि भारत गेहूं तथा कुछ चावल का निर्यात करने की स्थिति में हो सकता है।

(ग) इस समय यह अनुमान है कि वर्ष 1984-85 के दौरान चावल का उत्पादन 1983-84 में हुए 598 लाख मीटरी टन के आस-पास होगा।

(घ) से (च) राज्यों से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों के आधार पर, मौजूदा अनुमान यह है कि गेहूं के 456 लाख मीटरी टन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

सरकार के पास 1-4-1985 को खाद्यान्नों की अद्यतन स्टाक स्थिति इस प्रकार है :—

(लाख मीटरी टन में)

गेहूं	127.5
चावल . .	85.5
मोटे अनाज	1.2
जोड़	214.2

वर्ष 1985 के दौरान लगभग 6 लाख मीटरी टन गेहूं का निर्यात करने के लिए वचन दिया जा चुका है। बासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन किया जा सकता है। व्यवहार्य सीमा तक और निर्यात किया जाएगा।

पत्रकारों पर हमले

3926. श्री वी० माधव रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पत्रकारों के साथ मारपीट/उन पर घातक हमलों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में जिन पत्रकारों के साथ मारपीट/हमलों की घटनाएं हुई उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पत्रकारों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

खाड़ी के देशों में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी

3927. **श्री के० मोहन दास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों के लिए खाड़ी के देशों में रोजगार के अवसरों में प्रत्यक्ष रूप में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) हाल के वर्षों में, रोजगार के लिए इन देशों में जाने वाले भारतीय श्रमिकों की संख्या में कुछ कमी हुई है ।

(ख) और (ग) उत्प्रवासी श्रमिकों की संख्या में कमी का मुख्य कारण खाड़ी के देशों में आर्थिक मन्दी और इन्फ्रास्ट्रक्चरल विकास का वास्तव में समाप्त होना है । इन देशों में श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की मांग के पैटर्न में परिवर्तन का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को लागू करने से, उत्प्रवास प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और विलम्बों को कम किया गया है ताकि भारतीय श्रमिकों की भर्ती को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके ।

नार्वे सरकार के सहयोग में मत्स्य पालन विकास परियोजनाएं

3928. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग के साथ नार्वे सरकार हमारे देश के तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्यपालन से संबंधित कुछ विकास परियोजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र उक्त कार्यक्रम में शामिल है, यदि हां, तो इस समय किन स्थानों पर ऐसी योजना क्रियान्वित की जा रही है और क्रियान्वित की जानी है;

(ग) उस योजना पर किए जाने वाले वित्तीय व्यय सहित तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) परियोजना को कब तक पूरा किया जाना है और उससे क्या लाभ प्राप्त किए जाने हैं; और

(ङ) क्या उड़ीसा के बालासौर जिले के उत्तर में कसाफल के निकट उक्त योजना कार्यान्वित की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र के एक भाग को बालासोर में परम्परागतमात्स्य की के विकास से संबंधित नार्वे से सहायता प्राप्त प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत विकास के लिए शामिल किया गया है ।

(ग) से (ङ) प्रस्तावित परियोजना का परियोजना स्थल उड़ीसा के बालासोर जिले में कासाफल में स्थित है। इसका उद्देश्य आबादी के कमजोर वर्ग की जीवन परिस्थितियों में सुधार करना है जो सामान्यतः परम्परागत मछुआरे हैं। इसमें सड़कों, बर्फ संयंत्रों, शीतागारों का निर्माण करना और विपणन संबंधी परिस्थितियों का सुधार करना शामिल है। इस परियोजना में पेयजल सप्लाई, मत्स्य संसाधन यार्डों का निर्माण, सेवा केन्द्र, कार्यशाला, घाट तथा स्थानीय मछुआरों को आवास और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है। हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय नार्वेजियन विकास एजेंसी ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 225 लाख नार्वेजियन क्रोनर का प्रस्ताव किया है। परियोजना को 1987 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना में कासाफल क्षेत्र की आबादी, विशेष रूप से निर्धन वर्ग और मछुआ परिवारों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार किए जाने की आशा है। बालासोर तट क्षेत्र के अन्य भाग में सम्भवभावी विकास के लिए अनुभव प्राप्त करने हेतु यह एक मार्गदर्शी परियोजना होगी ।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के लिए "ओ०बी०वैन की व्यवस्था"

3929. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी आऊटडोर ब्राडकास्टिंग (टेलीविजन) वैन हैं;

(ख) क्या बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र को कोई आऊटडोर ब्राडकास्टिंग वैन दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कर्नाटक को, विशेषकर बंगलौर, दूरदर्शन केन्द्र को एक आऊटडोर ब्राडकास्टिंग वैन देने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) छः।

(ख) और (ग) दूरदर्शन केन्द्रों को ओ० बी० वैन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणों में उपलब्ध किए जाते हैं। इस प्रकार दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में ओ० बी० वैन की व्यवस्था करना भावी योजना अवधि में इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

राज्यों में स्व-रोजगार योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि

3930. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्व-रोजगार कार्यक्रम पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या तत्सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) क्या केरल में बैंकों से सहयोग न मिलने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) केरल में कितने आवेदन पत्र मंजूर किए गए और कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) उक्त आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंबैया) : (क) देश में कार्यान्वित की जा रही मुख्य स्वरोजगार योजनाएं ये हैं—स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम) और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने संबंधी योजना । इसके अलावा 30 चुने हुए जिलों में स्व-रोजगार के संवर्धन हेतु रोजगार कार्यालयों/यू०ई०आई०जी०बी० को सुदृढ़ करने संबंधी एक योजना भी प्रचालित की जा रही है । इन योजनाओं पर खर्च की गई धन-राशि क्रमशः संलग्न विवरण एक, दो और तीन में दी गई है ।

(ख) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने संबंधी योजना के अन्तर्गत, 1983-84 के लिए 2,50,000 व्यक्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इसके लिए 2,42,405 व्यक्तियों के बारे में ऋण संबंधी आवेदन-पत्र बैंकों द्वारा मंजूर किए गए थे ।

(ग) से (ङ) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने संबंधी योजना के अन्तर्गत 1983-84 और 1984-85 के लिए केरल राज्य के लिए क्रमशः 13,100 और 13,300 के लक्ष्य रखे गए थे । 1983-84 में, 13,091 व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए गए थे । राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 28-2-85 तक जिला उद्योग केन्द्र टास्क बलों द्वारा 12,494 आवेदन-पत्र बैंकों को संस्तुत किए गए थे । तथापि, बैंकों ने 3,490 आवेदकों को ऋण मंजूर किए हैं ।

विवरण—एक

ट्राइसम योजना के अन्तर्गत 1979-80 से 1984-85 की अवधि के दौरान राज्यवार रिलीज की गई केन्द्रीय धन राशियां (15-1-1985 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	रिलीज की गई राशि (केन्द्रीय क्षेत्र) (रुपए लाखों में)
1		2
1.	आन्ध्र प्रदेश	68·78
2.	असम	12·71
3.	बिहार	2·17
4.	गुजरात	13·95
5.	हिमाचल प्रदेश	5·92
6.	कर्नाटक	24·16
7.	केरल	1·30
8.	मध्य प्रदेश	8·59
9.	मणिपुर	3·86
10.	नागालैंड	0·06
11.	पंजाब	2·79

1	2
12. राजस्थान	26.52
13. तमिल नाडु	7.90
14. उत्तर प्रदेश	54.44
15. पश्चिम बंगाल	0.86
16. अरुणाचल प्रदेश	2.38
17. मिजोरम	1.67
18. पांडिचेरी	0.80

विवरण—दो

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने संबंधी योजना के अन्तर्गत 1984-85 के दौरान बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों की राज्य वार धन राशि (15-4-1985 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋण की धन राशि (रुपए लाखों में)	निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार आंकड़े
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1300.00	15-3-85
2.	असम	7360.00	28-2-85
3.	बिहार	1724.92	15-3-85
4.	गुजरात	620.64	28-2-85
5.	हरियाणा	413.04	31-10-84
6.	हिमाचल प्रदेश	47.00	28-2-85
7.	जम्मू और कश्मीर	61.98	18-3-85
8.	कर्नाटक	2379.00	11-4-85
9.	मध्य प्रदेश	35.16	9-4-85
10.	मणिपुर	186.13	28-2-85
11.	उड़ीसा	568.51	28-2-85
12.	पंजाब	2008.00	28-2-85
13.	तमिल नाडु	2950.24	23-3-85
14.	उत्तर प्रदेश	218.62	31-1-85
15.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.80	31-12-84
16.	अरुणाचल प्रदेश	9.17	31-1-85
17.	चण्डीगढ़	32.50	1-4-85
18.	दादर और नागर हवेली	11.59	1-4-85
19.	गोवा, दमन और दीव	57.08	31-12-84
20.	मिजोरम	22.61	28-2-85
21.	पांडिचेरी	41.92	27-3-85

विवरण—तीन

1983-85 के दौरान स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार कार्यालयों/यू० ई०आई०जी०वी० को सुदृढ़ करने संबंधी योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता की धन-राशियां

क्रमांक	राज्य	धनराशि रुपयों में
1.	असम	62,500
2.	गोवा दमन व दीव	57,700
3.	गुजरात	80,000
4.	कर्नाटक	54,592.84
5.	केरल	60,000
6.	मध्य प्रदेश	85,000
7.	मणिपुर	22,500
8.	मिजोरम	16,488
9.	नागालैण्ड	45,741
10.	उड़ीसा	40,000
11.	पांडिचेरी	41,000
12.	राजस्थान	24,000
13.	तमिलनाडु	50,666.50
14.	उत्तर प्रदेश	73,000

"हरित क्रान्ति"

3931. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय हरित क्रान्ति केवल गेहूं और विशेषकर पंजाब तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्य फसलों, विशेषकर दालों, तिलहनों और अन्य मदों के संबंध में भी जिनकी काफी आवश्यकता है और जिनका उपयोग देश भर में समाज के निर्धन वर्गों द्वारा किया जाता है इस प्रकार की क्रान्ति लाने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ग) क्या कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) छठे दशक के मध्य और अंतिम चरण में भारत में आई 'हरित क्रान्ति" में गेहूं की नहीं, बल्कि देशभर की सभी धान्य फसलों के उत्पादन को प्रभावित किया, भले ही उत्पादन अधिकतम बढ़ोतरी के मामले में गेहूं पहले और चावल दूसरे स्थान पर आया है। गेहूं का उत्पादन, जो 1965-66 में 103.9 लाख मीटरी टन था, 1983-84 में बढ़कर 451 लाख मीटरी टन हो गया है। इसी तरह, चावल का उत्पादन 1965-66 के 305.9 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1983-84 में 598 लाख मीटरी टन हो गया।

इसी अवधि के दौरान अन्य धान्यों का उत्पादन भी 214.2 लाख मीटरी टन से बढ़कर 340 लाख मीटरी टन हो गया। हरित क्रान्ति से खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई वृद्धि में पंजाब का योगदान लगभग 16 प्रतिशत है।

(ख) से (घ) दलहनों का उत्पादन, जो प्रौद्योगिकी की प्रोन्नति और धान्यों के उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ अपनी गति बनाये नहीं रख पा रहा था, पर छठी योजना के दौरान खास तौर पर नए 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत विशेष ध्यान दिया गया। उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करने, अन्तः फसल/मिश्र फसल, दलहनों की ग्रीष्म मौसम में, रबी फसलों की कटाई के बाद बिचली फसल के रूप में उगाने और इनके अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाकर इनके उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिणामतः दलहनों का उत्पादन 1979-80 के 86 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1983-84 में 126 लाख मीटरी टन हो गया।

इसी तरह, छठी पंचवर्षीय योजना तथा नए 20-सूत्री कार्यक्रम के दौरान तिलहन उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी गई। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के कार्यान्वयन के जरिये तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये संगठित प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि इनके आयात को कम से कम किया जा सके। तिलहनों का उत्पादन 1979-80 के 88 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1983-84 में 128 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया।

उपभोक्ता सुरक्षा परिषद् का गठन

3932. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये एक उपभोक्ता सुरक्षा परिषद गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद के निदेशपद क्या होंगे ;

(ग) क्या यह केन्द्र का शिखर निकाय होगा और क्या ऐसे ही निकाय राज्यों में भी होंगे;

(घ) उचित दर की दुकानों पर सामान की कमी और उनके द्वारा खराब सामान की सप्लाई भी इस परिषद के कार्यक्षेत्र में शामिल होगी; और

(ङ) इसकी स्थापना कब होगी?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) एक 28 सदस्यीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पहले ही अगस्त, 1983 में गठन किया जा चुका है। इस परिषद का उद्देश्य देश में उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को बेहतर दिशा तथा लक्ष्य प्रदान करना तथा उपभोक्ताओं के हित से संबंधित सभी बातों के बारे में सरकार को सलाह देना और उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कानूनों के बारे में प्रशासनिक तौर पर संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किये जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव देना है। सरकार देश में उपभोक्ता जागरूकता तथा उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देकर गुणवत्ता, मूल्य, भार आदि जैसे मामलों के संबंध में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये एक सांविधिक उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन करने पर विचार कर रही है। राज्यों को सलाह दी जायेगी कि वे केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिये इसी प्रकार की कार्रवाई करें।

आस्ट्रेलिया और शरजाह में हुए क्रिकेट मैचों का दूरदर्शन से प्रसारण

3933. **श्री आर०एम० भोये :**
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन आस्ट्रेलिया और शरजाह में हुए क्रिकेट मैचों का जिन में भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम के साथ एक दिवसीय मैच खेल रही थी, दूरदर्शन से प्रसारण नहीं कर सका था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी०एम० गाडगिल) : (क) और (ख). आस्ट्रेलिया में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के फाइनल को दूरदर्शन द्वारा 10-3-1985 को सजीव टेलीकास्ट किया गया था।

सामान्यतया दूरदर्शन लाभकारी मैचों का सजीव कवरेज उपलब्ध नहीं करता। शरजाह में क्रिकेट मैचों का आयोजन जाने माने मौजूदा तथा सेवा निवृत टैस्ट क्रिकेट खिलाड़ियों के लाभ के लिए किया गया था। इसीलिये दूरदर्शन द्वारा इन मैचों के लिये कोई सजीव कवरेज उपलब्ध नहीं किया गया। तथापि, जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गये क्रिकेट मैचों के रिकार्ड किये गए मुख्य अंशों को दूरदर्शन द्वारा 28-3-85 को टेलीकास्ट किया गया था।

खाद्य तेल का आयात

3934. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान खाद्य तेलों के आयात से संबंधित ठेकों का क्या ब्यौरा है;

(ख) वर्ष 1985-86 के लिये खाद्य तेलों की अनुमानतः कितनी आवश्यकता होगी, देश में कितना उत्पादन होने की संभावना है तथा अन्तर को पूरा करने के लिये इसका कितनी मात्रा में आयात किये जाने की संभावना है;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य तेलों की कितनी मात्रा बेची गई और किस दर पर; और

(घ) वनस्पति निर्माताओं को खाद्य तेलों की कितनी मात्रा बेची गई तथा किस दर पर ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयात किये गये खाद्य तेलों की मात्रा निम्न प्रकार है :

वित्तीय वर्ष		लाख मी० टन में	कीमत करोड़ रु० में
(i) 1982-83	. . . .	9.80	417.98
(ii) 1983-84	. . . .	14.09	845.62
(iii) 1984-85	(अनन्तिम) . . .	15.55	1285.54

(ख) से (घ) वर्ष 1985-86 के लिये खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिये, देश में देशी खाद्य तेलों की उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों की अपेक्षित मात्रा का आयात किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 1984-85 (अनन्तिम) के दौरान वनस्पति उद्योग को खाद्य तेलों की 7.33 लाख मी० टन मात्रा सप्लाई की गयी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये 8.60 लाख मी० टन मात्रा सप्लाई की गयी। वनस्पति उद्योग को सप्लाई किये जाने वाले खाद्य तेलों के वर्तमान निर्गम मूल्य इस प्रकार हैं :

(i) नियमित . . 9500 रु० प्रति मी० टन—राज्य व्यापार निगम टैंक से।

(ii) वाणिज्यिक 13000 रु० प्रति मी० टन राज्य व्यापार निगम डिपो से।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये सप्लाई किये जाने वाले खाद्य तेलों के वर्तमान निर्गम मूल्य निम्न प्रकार हैं :

(i) थोक में (सभी खाद्य तेलों के लिए) 8000 रु० प्रति मी० टन राज्य व्यापार निगम टैंक से।

(ii) टीन में (सभी खाद्य तेलों के लिये) 9500 रु० प्रति मी० टन राज्य व्यापार निगम डिपो से।

पर्वतीय क्षेत्रों में 1 किलोवाट वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि

[हिन्दी]

3935. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों में अभी-अभी खोले गये 1 किलोवाट क्षमता वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्रों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह तथ्य सरकार की जानकारी में आया है कि भौगोलिक बाधाओं के कारण इन केन्द्रों का लाभ बहुत ही सीमित क्षेत्र को मिल पाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) देश में पहाड़ी क्षेत्रों के ट्रांसमीटरों सहित देश के मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों में से कुछ ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने की एक अनुमोदित स्कीम है।

(ख) और (ग) पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का कवरेज मध्यवर्ती पहाड़ियों के कारण कभी-कभी सीमित होता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में दूरदर्शन कवरेज को बढ़ाने के लिये बड़ी संख्या में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का उपयोग करना होगा जिनकी व्यवस्था करना भावी योजना अवधियों के दौरान इस प्रयोजन के लिये संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश से प्राप्त योजनाएं

3936. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से जिले हैं, जिनसे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 के दौरान शुरू की जाने वाली निर्माण संबंधी योजनायें प्राप्त हुई हैं तथा प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा कब तक आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1985–86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 49 जिलों के गांवों के लिये सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों के निर्माण हेतु 13590 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना प्रस्तुत की थी। इस धनराशि में से 7590 लाख रुपये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों में से लिये जायेंगे तथा शेष 6000 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिये जायेंगे। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों में से प्रत्येक जिले पर खर्च की जाने वाली धनराशि तथा जिलों के नाम संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं। इस परियोजना को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। इस परियोजना के अतिरिक्त 1983–84 तथा 1984–85 हेतु मंजूर की गयी अन्य परियोजनाओं, जो कि पूरी नहीं हुई हैं, का कार्य भी 1985–86 में जारी रहेगा।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

वर्ष 1985–86 के दौरान उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित सड़क निर्माण कार्यों की जिलावार लागत

जिले का नाम	जिले में सड़क निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1	2
पश्चिमी जोन	
1. गाजियाबाद	73.0
2. मेरठ	89.0
3. मुजफ्फरनगर	94.0
4. बुलन्दशहर	145.0
5. सहारनपुर	138.0
6. आवस	146.0
7. अलीगढ़	359.0
8. एटा	226.0

1	2
9. मथुरा	122.0
10. मैनपुरी	167.0
11. बरेली	63.0
12. शाहजहांपुर	98.0
13. पीलीभीत	100.0
14. बदायूं	141.0
15. मुरादाबाद	218.0
16. रामपुर	104.0
17. बिजनौर	110.0
कुल पश्चिमी जोन	2393.0
मध्य जोन	
18. लखनऊ	119.0
19. रायबरेली	128.0
20. सीतापुर	127.0
21. खेरी	101.0
22. उन्नाव	131.0
23. हरदोई	180.0
24. कानपुर (देहात)	126.0
25. कानपुर (शहर)	37.0
26. इलाहाबाद	150.0
27. इटावा	155.0
28. फतेहपुर	140.0
29. फर्रुखाबाद	108.0
30. बांदा	137.0
31. जालौन	129.0
32. ललितपुर	132.0
33. हमीरपुर	139.0
34. झांसी	140.0
कुल मध्य जोन	2179.0
पूर्वी जोन	
35. वाराणसी	125.0
36. कानपुर	151.0
37. बलिया	522.0

1	2
38. गाजीपुर	272.0
39. बिजनौर	208.0
40. फैजाबाद	137.0
41. बहराइच	281.0
42. गोंडा	188.0
43. बाराबंकी	207.0
44. प्रतापगढ़	107.0
45. सुलतानपुर	150.0
46. गोरखपुर	151.0
47. आजमगढ़	167.0
48. बस्ती	155.0
49. देवरिया	197.0
कुल पूर्वी जोन	3018.0
कुल योग	7590.0*

*इस में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले 6000.00 लाख रुपये शामिल नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

[अनुवाद]

3937. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना से उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में रानीखेत, बागेस्वर, चौखुटियां, चम्पावत, व्हाघाट, बेरिनाग तथा पिथौरागढ़ जैसे शहरों को लाभ पहुंचेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र के सितारगंज तथा नैनिताल जिले के हल्द्वानी नामक स्थानों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यदि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय करती है तो इन प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है।

(ख) अभी तक किसी भी जगह से पिथौरागढ़ जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। कृषि विज्ञान केन्द्र केवल जिले स्तर का प्रशिक्षण संस्थान है।

उड़ीसा में ग्रामीण भूमिहीन और गृहहीन श्रमिकों का सर्वेक्षण

3938. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में ग्रामीण भूमिहीन और गृह-हीन श्रमिकों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिन्हें प्लाट आबंटित किये गए हैं और अपने मकान बनाने में उनकी सहायता की गई है; और

(ग) इन गृहहीन लोगों को अपने मकान बनाने के लिये सहायता देने हेतु केन्द्र द्वारा उड़ीसा राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) यह सूचना, कि क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनां के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन तथा बेघर श्रमिकों का सर्वेक्षण किया है, सुलभता से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1971 में योजना के आरम्भ से उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को 2,97,084 प्लाट (28 फरवरी, 1985 तक) आबंटित किये हैं तथा 27,235 ऐसे परिवारों को निर्माण सहायता दी है।

(ग) आवास, राज्य का विषय होने के कारण, सभी आवास योजनायें राज्य सरकारों द्वारा कार्वान्वित की जा रही हैं। केन्द्र सरकार एक मुश्त ऋण तथा एक मुश्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देती है जोकि किसी विशेष योजना से जुड़ी नहीं होती।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के विदेश भेजे गए कर्मचारी

3939. **श्री अनादि चरण दास :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी परियोजनाओं में काम करने हेतु, श्रेणी-वार कुल कितने कर्मचारी विदेश भेजे गए हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों की संख्या क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े वर्गों के लोगों को विदेशी परियोजनाओं में विशेषकर श्रम के क्षेत्र में काम करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में विदेश भेजा जाये ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) दूर-दराज के क्षेत्रों के समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को पर्याप्त अवसर देने हेतु सम्पूर्ण देश के विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों की भर्ती की जाती है।

विवरण

1982-85 के दौरान राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विदेशी परियोजनाओं में नियुक्त नियमित कर्मचारियों (श्रेणी-वार) की संख्या

क्रम सं०	श्रेणी	विदेशी परियोजनाओं में नियुक्त कर्मचारी		
		योग	अनु०जाति	अनु० जन-जाति
1	2	3	4	5
1.	मुख्य परियोजना प्रबन्धक	2	—	—
2.	सहायक इंजीनियर (सी०)	51	3	—
3.	कनिष्ठ इंजीनियर (ई० एण्ड एम०)	12	1	—
4.	कनिष्ठ इंजीनियर (सी०)	53	14	—
5.	कार्यालय सहायक II (जी०)	5	1	—
6.	कार्यालय सहायक-II (ए०)	37	3	1
7.	कार्यालय सहायक- III	9	3	1
8.	कार्यालय सहायक-I	6	3	1
9.	फोरमैन (ई०)	2	—	—
10.	सर्वेयर	11	2	—
11.	परियोजना प्रबन्धक (सी०)	7	—	—
12.	रेजिडेंट इंजीनियर (सी०)	17	1	—
13.	स्टोरकीपर	16	3	—
14.	सहायक इंजीनियर (ई० एण्ड एम०)	22	—	—
15.	सहायक प्रबन्धक (एफ०)	4	—	—
16.	लेखा अधिकारी	8	2	—
17.	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	2	—
18.	सहायक लेखाकार	20	2	—
19.	डाक्टर	7	—	—
20.	उप परियोजना प्रबन्धक	2	—	—
21.	ड्राफ्टसमैन	1	—	—
22.	वरिष्ठ ड्राफ्टसमैन	8	1	—
23.	सब वास्तुक	1	—	—
24.	वरिष्ठ आशुलिपिक	7	—	—
25.	अधीक्षक लेखा	5	—	—
26.	कार्मेसिस्ट	3	—	—
27.	प्रशासनिक अधिकारी	2	1	—
28.	रैजीडेंट इंजीनियर (ई० एण्ड एम०)	4	—	—
29.	सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)	1	1	—

1	2	3	4	5
30.	वैल्डर	1	—	—
31.	फोरमैन (एम०)	3	—	—
32.	सहायक खरीद अधिकारी	1	—	—
33.	हैल्पर	1	—	—
34.	सहायक इंजीनियर (पी०एच०)	1	—	—
35.	स्ट्रक्चरल इंजीनियर	1	—	—
36.	प्रबन्धक (एफ०)	1	—	—
37.	परियोजना प्रबन्धक (ई० एण्ड एम०)	1	—	—
38.	खरीद अधिकारी	1	—	—
39.	वरिष्ठ स्टोर कीपर	2	—	—
40.	फोरमैन (सी०)	4	1	—
41.	खरीद सहायक	2	1	—
42.	उप-प्रबन्धक (एफ०)	1	—	—
43.	कैयरटेकर	1	—	—
44.	कार्यालय अधीक्षक	1	—	—
45.	ड्राईवर	2	—	—
46.	रसोई के रूप में दफतरी एवं चपड़ासी	6	—	—
47.	हैल्पर के रूप में चौकीदार	1	—	—
48.	अरबी अनुवादक	1	—	—
		361	45	3

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुष्क भूमि में काश्त करने हेतु चावल और गेहूं की विभिन्न किस्मों का पता लगाया जाना

3940. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
डा० जी० विजयरामा राव :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान ने वर्ष 1983-84 के दौरान शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में अमदा कृषि संबंधी प्रतिकूल पारिस्थितिक स्थितियों वाले क्षेत्रों में चावल और गेहूं की खेती करने हेतु इन की विभिन्न किस्मों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार निर्धन किसानों को राज सहायता दरों पर अमदा मुक्त कोई बीज प्रदान कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान । अगस्त, 1984 में अखिल भारतीय गेहूं अनुसंधान कार्यकर्ता कार्यशाला द्वारा देश के विभिन्न गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों

में वर्षा पर निर्भर स्थितियों के अन्तर्गत खेती के लिये गेहूं की पांच नई किस्मों का पता लगाया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों ने इन किस्मों का विकास किया। इसी तरह अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत ऊंची भूमियों, वर्षा पर आश्रित नीची भूमियों और लवणीय/क्षारीय स्थितियों के अंतर्गत खेती के लिये उपयुक्त चावल की किस्मों का पता लगाया गया।

(ख) गेहूं और चावल की जिन किस्मों का पता लगाया गया उनका विवरण निम्न प्रकार है :

किस्मों के नाम	क्षेत्रों के नाम जिनके लिये उपयुक्त हैं
गेहूं	
पी०बी० डब्ल्यू० 65	उत्तरी मैदानी क्षेत्र
के० 8027	उत्तरी पूर्वी मैदानी
एम०ए०सी०एस० 1967	प्रायद्वीपीय क्षेत्र
सी०पी०ए०एन० 1922 और वी०आई० 616	उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र
चावल	
आई०ई०टी० 7254, आई०ई०टी० 7633, आई०ई०टी० 7988, आई०ई०टी० 7564, आई०ई०टी० 7566	ऊंची भूमि
आई०ई०टी० 7300, आई०ई०टी० 6272, आई०ई०टी० 7592, आई०ई०टी० 7591	वर्षा पर निर्भर नीची भूमि
आई०ई०टी० 8117, आई०ई०टी० 8719	लवणीय/क्षारीय स्थितियों में

(ग) जी हां, श्रीमान। मिनिकीट द्वारा वितरण किया जाता है जिसमें उन्नत किस्मों के बीज होते हैं। इसके अतिरिक्त, कृषक मेला क्षेत्र दिवसों आदि के समय विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा थोड़ी मात्रा में उन्नत किस्मों के बीज वितरित किये जाते हैं।

वर्ष 1985-86 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को मन्जूर की गई धनराशि

3941. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985–86 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को कितनी धनराशि मंजूर किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बन्सीलाल बन्डारू) : चूंकि योजना आयोग ने अभी तक राजस्थान की 1985–86 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है, इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985–86 के लिये इस राज्य को संभवतः कितनी धनराशि मंजूर की जायेगी ?

दूध का उत्पादन और मांग

3942. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में दूध की कुल मांग संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में दूध का कुल कितना उत्पादन होता है तथा किन-किन राज्यों में इसका अधिक उत्पादन हो रहा है;

(ग) क्या देश में दूध की सप्लाई इसकी मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट (1976) के अनुसार वर्ष 1985 के लिये दूध की मांग का अनुमानित उच्च और निम्न स्तर क्रमशः 442 और 334 लाख मीटरी टन है।

(ख) 1984–85 के दौरान देश में सम्भावित दुग्ध उत्पादन 384 लाख मीटरी टन है। वे राज्य जहां अधिकमात्रा में दूध का उत्पादन किया जाता है, ये हैं : उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा और बिहार।

(ग) और (घ) यद्यपि दूध की मांग को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है तो भी पौष्टिक मांग को पूरा करने के लिये यह पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार ने आपरेशन फलड परियोजना सहित केन्द्रीय, केन्द्रीय प्रायोजित और राज्य प्लान योजनाओं के माध्यम से देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अनेक उपाय किये हैं। ये उपाय हैं : विदेशी डेरी नस्लों और देशी गोवंशु और भैंस के चुनिंदा प्रजनन सहित अवर्गीकृत पशुओं के संकर प्रजनन के जरिये गोवंशु और भैंस की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में सुधार करना, संक्रामक रोगों के नियन्त्रण सहित पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान, आहार/चारा संबंधी संसाधनों के विकास के जरिये पौष्टिक सहायता में सुधार करना और दुग्ध विपणन की सुविधा को सुनिश्चित करना।

उड़ीसा में चावल का उत्पादन

3943. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में चावल का बहुत कम उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या इसके मुख्य कारण उर्वरक की कम खपत, अपर्याप्त उत्पादन ऋण और बीजों की कम सप्लाई तथा असंतोषजनक सिंचाई सुविधाओं का होना है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में इन आदानों की कितनी सप्लाई की गई; और

(घ) उस राज्य में इन आदानों की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राज्य में 1981-82 और 1982-83 के दौरान चावल का उत्पादन कम हुआ है जो क्रमश: 38.53 लाख मीटरी टन तथा 29.92 लाख मीटरी टन है, परन्तु 1983-84 के दौरान यह 50.48 लाख मीटरी टन के सर्वोच्च रिकार्ड उत्पादन तक जा पहुंचा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमाणीकृत बीज का वितरण, रासायनिक उर्वरकों की खपत, सिंचाई की सुविधाओं का विकास, और ऋण की व्यवस्था संबंधी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के चालू कार्यक्रमों के अलावा, उड़ीसा सहित पूर्वी राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ साथ आदानों की आपूर्ति में सुधार करना है ।

विवरण

उड़ीसा राज्य में कृषि आदानों की आपूर्ति

क्र० सं०	आदान	इकाई	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
1.	प्रमाणीकृत बीजों का वितरण	(क्विंटल)	31,278	40,500@	51,223
2.	उर्वरकों (एन पी के) की कुल खपत	(लाख मीटरी टन)	0.82	0.86	1.03
3.	ऋण का वितरण	(करोड़ रुपए में)	58.96	58.07	68.85
4.	लघु सिंचाई का विकास				
	(1) खुदे कुएं	(संख्या)	23,000	22,300	70,000
	(2) गैर-सरकारी उथले नल कूप	(संख्या)	350	400	2,000

@इसके अतिरिक्त, 1,00,453 क्विंटल लेबल लगे बीज का भी वितरण किया गया ।

1	2	3	4	5	6
	(3) पम्पसेटों की बिजली	(संख्या)	2,930	3,780	790
	(4) सार्वजनिक नल कूप	(संख्या)	446	309	400
	(5) सृजित अतिरिक्त क्षमता	('000 हैक्टार)			
	(क) सतही जल	,,	14	11	3.5
	(ख) भूमिगत जल	,,	32	12	60.00
	योग		46	23	63.50
5.	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजना द्वारा निर्मित अतिरिक्त क्षमता	,, (सकल)	1,032	1,060	1,093

भू-संरक्षण उपाय आरम्भ करने का प्रस्ताव

3944. **श्री लोमनाथ रथ** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में कुछ अन्तर राज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं में भू-सर्वेक्षण उपाय शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में ऐसी कौन-कौन सी अन्तर राज्यीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जहां ऐसे भू-संरक्षण कार्य शुरू करने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्यों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत हीराकुण्ड, मचकुण्ड तथा रंगाली मंदिर के पहले से स्वीकृत तथा चालू अन्तर राज्य स्रवण क्षेत्रों में जारी रखने का प्रस्ताव है। इन स्रवण क्षेत्रों के अलावा, उड़ीसा राज्य सरकार ने सातवीं योजना में ब्राह्मणी अपर कोलाब, इन्द्रावती तथा सुवर्णरेखा के चार-नए स्रवण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, सातवीं योजना में चालू तथा नए स्रवण क्षेत्रों दोनों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जारी रखने संबंधी प्रस्तावों पर योजना आयोग विचार कर रहा है और उसे वित्त मंत्रालय द्वारा, भी मंजूरी दी जानी है। अतः सातवीं योजना में कार्यक्रम के ब्यौरों का अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

कलकत्ता दूरदर्शन द्वारा उर्दू कार्यक्रम का प्रसारण

3945. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता दूरदर्शन के उर्दू कार्यक्रमों को वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान वास्तव में क्रमशः कितने घंटों का समय दिया गया ;

(ख) क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि प्रत्येक सप्ताह शाम को किसी निश्चित समय पर पूर्ण रूप से उर्दू कार्यक्रम का प्रसारण किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता द्वारा मूल रूप से तैयार किए गए और टेलीकास्ट किए गए उर्दू कार्यक्रमों की अवधि 1982-83 के दौरान 1 घंटा 11 मिन्ट, 1983-84 के दौरान 2 घंटे 3 मिनट और 1984-85 के दौरान 1 घंटा 45 मिनट थी। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता ने दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से राष्ट्रीय सर्जाल पर प्रस्तुत होने वाले सभी उर्दू कार्यक्रमों को भी रिले किया।

(ख) और (ग) उपलब्ध निर्माण सुविधाओं और प्रेषण समय के अन्दर दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता अपने सेवा क्षेत्र के विभिन्न भाषायी दर्शक समूहों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। तथापि, इस दूरदर्शन केन्द्र से उर्दू के कार्यक्रमों के लिए कोई निश्चित अवधि और फ्रीक्वेंसी नियत करना संभव नहीं है।

छठी योजना के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय की गई धनराशि

3946. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना में जनवरी, 1985 तक ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई और कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) पश्चिम बंगाल के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 1985 तक वास्तव में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई और खर्च की गई ?

ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) छठी योजना अवधि (जनवरी, 1985 तक) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम जैसे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार ने 2,409.93 करोड़ रुपये की धनराशि मुक्त की है।

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रमों में से मरुभूमि विकास कार्यक्रम उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। शेष कार्यक्रमों के लिए जनवरी, 1985 तक केन्द्रीय बंटन तथा निधियों के उपयोग जिसमें राज्यों का बराबर का अंश भी शामिल है, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

(लाख रुपये में)

राज्य	केन्द्रीय बंटन	उपयोग
उड़ीसा	13,038.09	16,881.45
पश्चिम बंगाल	12,722.87	16,984.05

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के अधिकतम भाग का उपयोग जो 4,232.06 लाख रुपये है, उपदान पर खर्च किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 जनवरी, 1984 से मजदूरों को खाद्यान्नों का वितरण रियायती दर पर किया जाता है तथा उपदान की लागत को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार को अतिरिक्त उपदान के रूप में 60.16 लाख रुपये की धनराशि दी गयी थी।

समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर सरसों की बिक्री

3947. श्री मूल चन्द डागा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरसों इस समय बाजार में सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेची जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा समर्थन मूल्य से कम मूल्य होने पर भी तिलहनों अथवा तेल को विदेशों से आयात करने की अपेक्षा स्वदेशी स्रोतों से खरीद न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसका आयात किन परिस्थितियों में किया जा रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं। देश के विभिन्न बाजारों में अच्छी औसत किस्म की सरसों के मूल्य आम तौर पर 385 रु० प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देशी खाद्य तेलों की मांग और उनकी उपलब्धता के बीच अन्तर है, जिसकी पूर्ति आयात द्वारा की जाती है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

3948. श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में 31 मार्च, 1985 तक कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ और उसके द्वारा जनता के लाभ के लिए कुल कितनी स्थायी आस्तियों का निर्माण किया गया; और

(ख) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम की कभी पुनरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वह पुनरीक्षा किस राज्य में की गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चम्पू लाल चन्द्राकर): (क) इस समय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा रोजगार के सृजित श्रमदिनों की

संख्या के रूप में की जाती है, न कि उन लोगों की संख्या के रूप में जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 1983-84 और 1984-85 (फरवरी, 1985 तक प्राप्त सूचना के अनुसार) के दौरान सृजित राज्य-वार रोजगार क्रमश: अनुबन्ध 1-क और 1-ख में दर्शाया गया है। 31 मार्च, 1985 तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की राज्य-वार सूचना सभा-पटल पर रखे गए अनुबन्ध-2 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1090/85] ये परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा इस विभाग और योजना आयोग द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। इन समीक्षाओं के दौरान परियोजनाओं की संरचना, परियोजनाओं की मंजूरी, रोजगार सृजन और व्यय की प्रगति की निगरानी रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इन समीक्षाओं के परिणामस्वरूप ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

अनुबन्ध—1क

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन की राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र-वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण—1983-84

(लाख श्रम दिन)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	उपलब्धि
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	—
2. असम	12.30
3. बिहार	—
4. गुजरात	1.61
5. हरियाणा	नगण्य
6. हिमाचल प्रदेश	—
7. जम्मू और कश्मीर	—
8. कर्नाटक	7.75
9. केरल	0.03
10. मध्य प्रदेश	8.43
11. महाराष्ट्र	—
12. मणिपुर	—
13. मेघालय	—
14. नागालैंड	0.66
15. उड़ीसा	शून्य
16. पंजाब	—
17. राजस्थान	5.59

1	2
18. सिक्किम	0.23
19. तमिलनाडु	2.69
20. त्रिपुरा	1.85
21. उत्तर प्रदेश	10.53
22. पश्चिम बंगाल	—
केन्द्र शासित क्षेत्र	
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
24. अरुणाचल प्रदेश	शून्य
25. चंडीगढ़	—
26. दादरा और नागर हवेली	शून्य
27. दिल्ली	—
28. गोवा, दमन और दीव	—
29. लक्यद्वीप	—
30. मिजोरम	शून्य
31. पांडिचेरी	0.29
अखिल भारत	51.96

अनुबन्ध—1ख

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन की राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण—1984-85 (अनन्तिम)

(लाख श्रम दिन)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	सूचना की अवधि
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	231.11	164.40	71.1	फरवरी, 85
2. असम	63.38	24.48	38.6	—उक्त—
3. बिहार	392.15	251.00	64.0	—
4. गुजरात	83.71	64.22	76.7	—उक्त—
5. हरियाणा	15.35	6.89	44.9	—उक्त—
6. हिमाचल प्रदेश	17.03	12.47	73.2	—उक्त—
7. जम्मू और कश्मीर	17.31	5.24	30.3	—उक्त—
8. कर्नाटक	169.16	133.61	79.0	—उक्त—
9. केरल	107.92	22.62	21.0	—उक्त—
10. मध्य प्रदेश	243.76	201.35	82.6	—उक्त—

1	2	3	4	5
11. महाराष्ट्र	309.84	248.79	83.3	—उक्त—
12. मणिपुर	2.55	8.65	25.5	—उक्त—
13. मेघालय	4.33	—	—	—
14. नागालैंड	2.44	2.15	88.1	फरवरी, 85
15. उड़ीसा	175.80	31.55	18.0	—उक्त—
16. पंजाब	20.41	16.37	82.2	—उक्त—
17. राजस्थान	62.22	55.05	88.5	—उक्त—
18. सिक्किम	2.04	0.32	15.7	—उक्त—
19. तमिलनाडु	298.16	252.96	84.8	—उक्त—
20. त्रिपुरा	9.67	0.61	6.3	दिसम्बर, 84
21. उत्तर प्रदेश	456.34	410.00	89.9	फरवरी, 85
22. पश्चिम बंगाल	301.02	37.04	12.3	—उक्त—
केन्द्र शासित क्षेत्र				
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.82	—	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	2.04	—	—	—
25. चंडीगढ़	0.39	0.27	69.2	फरवरी, 85
26. दादरा और नागर हवेली	1.67	—	—	—
27. दिल्ली	0.70	0.15	21.4	फरवरी, 85
28. गोवा, दमन और दीव	2.51	2.06	82.1	—उक्त—
29. लक्ष्यद्वीप	0.51	0.43	84.3	—उक्त—
30. मिजोरम	1.83	2.00	109.00	—उक्त—
31. पांडिचेरी	1.83	1.43	78.1	—उक्त—
अखिल भारत	3000.00	1948.11	64.9	

विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक

[अनुवाद]

3949. **श्री एम० रामन्ना रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के देश भर में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण और उच्च अध्ययन के लिए विदेशों में भेज रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक (वर्ष 1980 से 1984 तक) राज्य-वार कितने वैज्ञानिकों को भेजा गया है;

(ग) वैज्ञानिकों को विदेशों में भेजने के लिए क्या नीति अपनाई गई है;

1	2	3	4	5
3.	औद्योगिक विवाद सं० 107/82	नेहरू होम्योपैथी मैडिकल कालेज और जय प्रकाश	31-3-82	गवाही
4.	औद्योगिक विवाद सं० 87/83	महर्षि ध्यान विद्यापीठ और कर्मकार	31-5-83	गवाही
5.	औद्योगिक विवाद सं० 141/84	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और अलका जैन	26-7-84	प्रत्युत्तर
6.	औद्योगिक विवाद सं० 368/84	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ए०आई०आई० एम०एस०	16-12-81	गवाही
7.	औद्योगिक विवाद सं० 443/79	श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान और डी० एल० सचदेव	21-11-79	गवाही
8.	एल०सी०ए० सं० 682/83	सी०पी० जैन बनाम बी०डी०यू०सी० रामजस नर्सिंग स्कूल	26-11-83	गवाही
9.	एल०सी०ए० सं० 386/84	रामदत्त बनाम क्वीन मैरी स्कूल	11-4-84	गवाही
10.	एल०सी०ए० सं० 387/84	नजीर हुसैन बनाम क्वीन मैरी स्कूल	11-4-84	गवाही
11.	एल०सी०ए० सं० 388/84	मूलचन्द बनाम क्वीन मैरी स्कूल	11-4-84	गवाही
12.	एल०सी०ए० सं० 389/84	जामिल खान बनाम क्वीन मैरी स्कूल	11-4-84	गवाही
13.	एल०सी०ए० सं० 732/84	शोभा अजवानी बनाम यूनाइटिड स्कूल आर्गेनाइजेशन	7-8-84	डब्ल्यू० एस०
14.	एल०सी०ए० सं० 764/84	रामचेत बनाम इतिहास एवं चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	17-8-84	यथोक्त
15.	एल०सी०ए० सं० 796/84	जय नन्दन बनाम अहिंसा आयुर्वेदिक कालेज	18-8-84	गवाही
16.	एल०सी०ए० सं० 826/84	पी०एस०एस० भसीन बनाम एन०सी०ई०आर०टी०	25-8-84	प्रत्युत्तर
17.	एल०सी०ए० सं० 827/84	नरिन्द्र सिंह बनाम एन०सी०ई०आर० टी०	25-8-84	यथोक्त
18.	एल०सी०ए० सं० 828/84	सुदेश मोहन बनाम एन०सी०ई० आर०टी०	25-8-84	यथोक्त
19.	एल०सी०ए० सं० 907/84	हरीश वर्धा बनाम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	19-9-84	डब्ल्यू० एस०
20.	एल०सी०ए० सं० 945/83	के०एस० दुरानी बनाम भारतीय ईस्लामिक अध्ययन संस्थान	26-12-83	गवाही
21.	एल०सी०ए० सं० 293/83	सोहनलाल बनाम श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान	13-4-83	गवाही

1	2	3	4	5
22.	एल०सी०ए० सं० 187/83	सोहन लाल बनाम श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान	8-3-83	गवाही
23.	एल०सी०ए० सं० 1305/84	—यथोक्त—	5-2-84	प्रत्युत्तर
24.	एल०सी०ए० सं० 1319/84	हरमिन्दर सिंह बनाम गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल	11-12-84	डब्ल्यू० एस०
25.	औद्योगिक विवाद सं० 1/76	आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कालेज का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1967	गवाही
26.	औद्योगिक विवाद सं० 94/79	बापू आदर्श विद्यालय का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1979	गवाही
27.	औद्योगिक विवाद सं० 160/81	गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1981	प्रत्युत्तर
28.	औद्योगिक विवाद सं० 612/84	क्वीन मैरी स्कूल का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1984	यथोक्त
29.	औद्योगिक विवाद सं० 6/85	—यथोक्त—	1985	दावा
30.	औद्योगिक विवाद सं० 908/84	बापू आदर्श विद्यालय का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1984	प्रत्युत्तर
31.	औद्योगिक विवाद सं० 898/84	उप कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1984	यथोक्त
32.	औद्योगिक विवाद सं० 789/84	लेडी इरविन स्कूल का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1984	यथोक्त
33.	औद्योगिक विवाद सं० 620/84	न्यू ग्रीन फील्ड स्कूल का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1984	यथोक्त
34.	औद्योगिक विवाद सं० 1028/84	सैन्ट जैवियर स्कूल का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1984	प्रत्युत्तर
35.	औद्योगिक विवाद सं० 545/84	डी०ए०वी० हायर सैकेंडरी स्कूल का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1984	यथोक्त
36.	औद्योगिक विवाद सं० 179/84	माडर्न स्कूल का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1984	यथोक्त
37.	औद्योगिक विवाद सं० 180/84	—यथोक्त—	1984	यथोक्त
38.	औद्योगिक विवाद सं० 60/82	राम लाल आनन्द कालेज का प्रबन्धतंत्र बनाम कर्मकार	1982	तर्क
39.	औद्योगिक विवाद सं० 25/83	मैसर्स दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम एम०डी० त्यागी	1983	गवाही

1	2	3	4	5
40.	औद्योगिक विवाद सं० 8/80	मैसर्स हैप्पी हायर सैकेंडरी स्कूल बनाम श्रीमती वीना मेहरा	1980	तर्क
41.	औद्योगिक विवाद सं० 140/83	न्यू इरा पब्लिक स्कूल बनाम कर्मकार	1983	गवाही
42.	औद्योगिक विवाद सं० 328/82	मैसर्स मुलतान डी०ए०वी० स्कूल बनाम कर्मकार	1982	गवाही
43.	औद्योगिक विवाद सं० 98/83	मैसर्स गुरु अर्जुन देव प्राइमरी स्कूल बनाम कर्मकार	1983	गवाही
44.	औद्योगिक विवाद सं० 4/83	मैसर्स विद्या भवन माडल स्कूल बनाम कर्मकार	1983	गवाही
45.	औद्योगिक विवाद सं० 195/80	मैसर्स लेडी इरविन स्कूल बनाम कर्मकार	1980	तर्क
46.	औद्योगिक विवाद सं० 173/84	मैसर्स फ्रेंक अन्थनी पब्लिक स्कूल बनाम कर्मकार	1984	दावा
47.	औद्योगिक विवाद सं० 205/82	मैसर्स लीलावती विद्या मन्दिर बनाम कर्मकार	1982	गवाही
48.	औद्योगिक विवाद सं० 322/84	मैसर्स जामिया मिलिया इस्लामिया बनाम श्रीमती एम०आर० तब्बसुम	1984	दावा
49.	औद्योगिक विवाद सं० 228/79	मैसर्स हन्ड्रेड तिबिया कालेज बनाम कर्मकार	1979	तर्क
50.	औद्योगिक विवाद सं० 36/80	राम अवतार यादव बनाम आई०पी० कालेज, दिल्ली	31-3-80	गवाही
51.	औद्योगिक विवाद सं० 252/81	चन्द्रवान अग्गी बनाम मैत्रिय कालेज	3-11-81	गवाही
52.	औद्योगिक विवाद सं० 436/81	बृज लाल बनाम लेडी इरविन हायर सैकेंडरी स्कूल	16-9-81	गवाही
53.	एल०सी०ए० सं० 190/81	सीमा जैन बनाम जैन कन्या पाठशाला, कैलाश नगर, दिल्ली	17-9-81	गवाही
54.	एल०सी०ए० सं० 29/84	अमृत लाल बनाम प्रशासक, आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली ।	4-4-84	प्रत्युत्तर
55.	औद्योगिक विवाद सं० 51/81	श्री शिव पूजन बनाम मैसर्स लाहौर मांटेसरी स्कूल	1981	गवाही
56.	औद्योगिक विवाद सं० 451/83	डा० मंजू सागर बनाम मैसर्स जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय	1983	गवाही

1	2	3	4	5
57.	औद्योगिक विवाद सं० 592/83	श्री कृष्णा बनाम मैसर्स रामजस स्कूल	1983	दस्तावेज और वाद-विवाद
58.	औद्योगिक विवाद सं० 230/84	एच०जी० गुप्ता बनाम मैसर्स कालिंदी कालेज	1984	प्रत्युत्तर
59.	औद्योगिक विवाद सं० 133/84	के०एस० दुरानी बनाम मैसर्स इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इस्लामिक स्टडीज	1984	गवाही
60.	एल०सी०ए० सं० 184/82	श्री सतीश चन्द जैन बनाम मैसर्स जैन संस्कृत कमर्शियल स्कूल	1982	गवाही
61.	एल०सी०ए० सं० 450/83	श्री आर०के० सिंहल बनाम मैसर्स दिल्ली विश्वविद्यालय	1983	गवाही
62.	एल०सी०ए०स० 628/83	—यथोक्त—	1983	गवाही
63.	एल०सी०ए० सं० 79/83	श्री जगदीश बनाम सर्वोदय सरस्वती सदन	1983	विचार न करने का नोटिस
64.	एल०सी०ए० सं० 787/83	श्री हरी गोपाल गुप्ता बनाम कालिंदी कालेज	1983	गवाही
65.	एल०सी०ए० सं० 950/83	श्री धर्म सिंह बनाम गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल	1983	गवाही
66.	एल०सी०ए० सं० 176/81	गुरु नानक पब्लिक स्कूल बनाम चान्द राम	1981	गवाही
67.	एल०सी०ए० सं० 50/82	तक्षशिला पब्लिक स्कूल बनाम श्रीमती किरन सुदान	1982	गवाही
68.	एल०सी०ए० सं० 239/81	सुन्दर दास बनाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय	1981	तर्क
69.	एल०सी०ए० सं० 533/82	श्रीमती राम रखी बनाम आयुर्वेदिक पाठशाला	1982	तर्क
70.	एल०सी०ए० सं० 154/81	चान्द प्रकाश बनाम सलवान उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, शिक्षा निदेशालय	1981	तर्क
71.	औद्योगिक विवाद सं० 63/81	दीना नाथ बनाम न्यू ईरा पब्लिक हायर सैकेंडरी स्कूल	1981	तर्क
72.	एल०सी०ए० सं०183/81	राल्ला राम बनाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय	1981	तर्क

1	2	3	4	5
73.	एल०सी०ए० सं० 491/82	महिन्दर सिंह बनाम दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग	1982	गवाही
74.	एल०सी०ए० सं० 259/82	भगवती प्रसाद बनाम मुलतान डी०ए०वी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1982	गवाही
75.	एल०सी०ए० सं० 278/81	श्री बाली राम बनाम आयुर्वेदिक पाठशाला	1981	तर्क
76.	एल०सी०ए० सं० 7/82	किरपाल बनाम हैप्पी आवर्स स्कूल	1982	गवाही
77.	औद्योगिक विवाद सं० 136/80	बाली राम बनाम आयुर्वेदिक पाठशाला	1980	तर्क
78.	एल०सी०ए० सं० 120/83	जी०एस० शर्मा बनाम सलवान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1983	गवाही
79 से 98.	एल०सी०ए० सं० 492/82 से 511/82 तक	दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग बनाम कर्मकार	1982	गवाही
99.	एल०सी०ए० सं० 283/83	मैसर्स होली चाईल्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाम श्री अवध नारायण राय	1983	दस्तावेज
100.	औद्योगिक विवाद सं० 977/83	मैसर्स हैप्पी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाम कर्मकार	1983	दस्तावेज
101.	औद्योगिक विवाद सं० 537/83	मैसर्स लाहौर मान्टेसरी स्कूल बनाम कर्मकार	1983	प्रत्युत्तर
102.	औद्योगिक विवाद सं० 1127/83	मैसर्स सैंट स्टीफैन्स कालेज बनाम कर्मकार	1983	यथोक्त
103.	औद्योगिक विवाद सं० 227/80	मैसर्स सैंट फ्रांसिस डि-सेल्स स्कूल बनाम कर्मकार	1980	तर्क
104.	औद्योगिक विवाद सं० 437/83	मैसर्स नव शक्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाम कर्मकार	1983	प्रत्युत्तर
105.	औद्योगिक विवाद सं० 899/83	मैसर्स श्री गुरु सिंह सभा के० गवर्नमेंट स्कूल बनाम कर्मकार	1983	यथोक्त
106.	औद्योगिक विवाद सं० 1133/83	मैसर्स रामजस उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय बनाम कर्मकार	1983	यथोक्त
107.	औद्योगिक विवाद सं० 25/83	मैसर्स तेजवीर सिंह बनाम केन्द्रीय विद्यालय (दिल्ली)	1982	गवाही

उड़ीसा में डेनमार्क के सहयोग से पेय जल योजना

[अनुवाद]

3952. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में डेनमार्क सरकार के सहयोग से शुरू की गई पेयजल योजना पर अन्तिम रूप से सहमति हो गई है और यदि हां, तो उक्त कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त परियोजना कब तक पूरी होगी और इससे कितने गांवों को पेय जल की सप्लाई होगी तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई के लिए किसी विदेशी सहयोग अथवा केन्द्र सरकार योजना के माध्यम से कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) अन्तिम करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं ।

(ख) कार्य आरम्भ होने की तिथि से इस परियोजना के पूर्ण होने में पांच वर्ष का समय लगेगा । इस परियोजना के पूर्ण होने पर 20 ब्लाकों में पता लगाए गए लगभग 2010 समस्याग्रस्त गांवों की लगभग 1.85 मिलियन जनसंख्या को पेय जल उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में पेय जल मुहैया कराने के लिए किसी विदेशी अभिकरण या केन्द्र द्वारा निधि देने की कोई योजना नहीं है । तथापि, पहाड़ी क्षेत्र सहित समस्त राज्य में ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं राज्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधि तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान सहायता से तथा निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है ।

कृषि उत्पादन के लिए अति आधुनिक उपकरणों और यंत्रों का उपयोग

3953. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार कृषि के समूचे उत्पादन से और उत्पादकता को बढ़ाने का पूरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नये अत्याधुनिक अनुसंधान उपकरणों और यंत्रों के उपयोग पर जोर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नये अत्याधुनिक अनुसंधान उपकरणों और यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहन देती है ताकि इसके वैज्ञानिक शीघ्रता से इसके परिणाम निकालने में समर्थ हों तथा अपेक्षित उपकरणों और यंत्रों की कमी के चलते परिशुद्ध अनुसंधान कार्य को बन्द न करना पड़े । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधानकर्ताओं को कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु निदेश दिया जाता है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने सभी संघटकों तथा कृषि विश्वविद्यालयों को पुराने उपकरणों की जगह नये अनुसंधान के उपकरणों को खरीदने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए अनुदान देती है। यह कार्य अनुसंधान आदेश के अनुसार किया जाता है और यह आवंटित बजट की सीमा में होता है। इसमें अद्यतन प्रयोगशाला, उपकरण, ऑटोमेटिक रैपिड एनलाइसर्स, रिमोट सैन्सिंग तथा डेटा लागर्स, डेटा एनालाइसर्स, परीक्षणात्मक प्लाट, मशीनरी, विशेष ढांचे आदि शामिल हैं।

क्रियान्वित अधीन विदेशी सहायता प्राप्त कृषि परियोजनाएं

3954. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहायता प्राप्त कितनी कृषि परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में विदेशी सहायता प्राप्त ऐसी कोई परियोजना क्रियान्वित हो रही है;

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए कितनी विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) देश में विदेशी सहायता प्राप्त 135 कृषि परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) जी, हां। उड़ीसा में ऐसी 20 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा राज्य में क्रियान्वित की जा रही प्रत्येक परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई विदेशी सहायता की राशि और इन परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

परियोजना का नाम	वित पोषक एजेंसी	उद्देश्य	आवृत किए गए राज्यों के नाम	कुल विदेशी सहायता	उड़ीसा को उपलब्ध कराई गई सहायता
1	2	3	4	5	6
1. राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-2	विश्व बैंक	बीज प्रौद्योगिकी में भण्डारण, विपणन और अनुसंधान हेतु अवसंरचना को मजबूत बना कर और बीजों का उत्पादन करने के लिए एजेंसियां स्थापित करके बीज उत्पादन, विशेषकर खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार लाना।	उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश	160 लाख अमरीकी डालर	विदेशी सहायता का राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया

उड़ीसा में डेनमार्क के सहयोग से पेय जल योजना

[अनुवाद]

3952. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में डेनमार्क सरकार के सहयोग से शुरू की गई पेयजल योजना पर अन्तिम रूप से सहमति हो गई है और यदि हां, तो उक्त कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त परियोजना कब तक पूरी होगी और इससे कितने गांवों को पेय जल की सप्लाई होगी तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई के लिए किसी विदेशी सहयोग अथवा केन्द्र सरकार योजना के माध्यम से कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) अन्तिम करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं ।

(ख) कार्य आरम्भ होने की तिथि से इस परियोजना के पूर्ण होने में पांच वर्ष का समय लगेगा । इस परियोजना के पूर्ण होने पर 20 ब्लाकों में पता लगाए गए लगभग 2010 समस्याग्रस्त गांवों की लगभग 1.85 मिलियन जनसंख्या को पेय जल उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में पेय जल मुहैया कराने के लिए किसी विदेशी अभिकरण या केन्द्र द्वारा निधि देने की कोई योजना नहीं है । तथापि, पहाड़ी क्षेत्र सहित समस्त राज्य में ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं राज्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधि तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान सहायता से तथा निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है ।

कृषि उत्पादन के लिए अति आधुनिक उपकरणों और यंत्रों का उपयोग

3953. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार कृषि के समूचे उत्पादन से और उत्पादकता को बढ़ाने का पूरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नये अत्याधुनिक अनुसंधान उपकरणों और यंत्रों के उपयोग पर जोर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नये अत्याधुनिक अनुसंधान उपकरणों और यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहन देती है ताकि इसके वैज्ञानिक शीघ्रता से इसके परिणाम निकालने में समर्थ हों तथा अपेक्षित उपकरणों और यंत्रों की कमी के चलते परिशुद्ध अनुसंधान कार्य को बन्द न करना पड़े । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधानकर्ताओं को कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु निदेश दिया जाता है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने सभी संघटकों तथा कृषि विश्वविद्यालयों को पुराने उपकरणों की जगह नये अनुसंधान के उपकरणों को खरीदने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए अनुदान देती है। यह कार्य अनुसंधान आदेश के अनुसार किया जाता है और यह आवंटित बजट की सीमा में होता है। इसमें अद्यतन प्रयोगशाला, उपकरण, ऑटोमेटिक रैपिड एनलाइसर्स, रिमोट सैन्सिंग तथा डेटा लागर्स, डेटा एनालाइसर्स, परीक्षणात्मक प्लाट, मशीनरी, बिशेष ढांचे आदि शामिल हैं।

क्रियान्वित अधीन विदेशी सहायता प्राप्त कृषि परियोजनाएं

3954. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहायता प्राप्त कितनी कृषि परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में विदेशी सहायता प्राप्त ऐसी कोई परियोजना क्रियान्वित हो रही है;

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए कितनी विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) देश में विदेशी सहायता प्राप्त 135 कृषि परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) जी, हां। उड़ीसा में ऐसी 20 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा राज्य में क्रियान्वित की जा रही प्रत्येक परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई विदेशी सहायता की राशि और इन परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

परियोजना का नाम	वित पोषक एजेंसी	उद्देश्य	आवृत किए गए राज्यों के नाम	कुल विदेशी सहायता	उड़ीसा को उपलब्ध कराई गई सहायता
1	2	3	4	5	6
1. राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-2	विश्व बैंक	बीज प्रौद्योगिकी में भण्डारण, विपणन और अनुसंधान हेतु अवसंरचना को मजबूत बना कर और बीजों का उत्पादन करने के लिए एजेंसियां स्थापित करके बीज उत्पादन, विशेषकर खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार लाना।	उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश	160 लाख अमरीकी डालर	विदेशी सहायता का राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया

1	2	3	4	5	6
2. राष्ट्रीय डेरी परियोजना	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि करने और गांवों में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक समेकित कार्यक्रम का विकास करना ।	सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश	1500 लाख अमरीकी डालर	विदेशी सहायता का राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया
3. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी परियोजना	विश्व बैंक	मत्स्य पालकों की अवसंरचना उपलब्ध करा कर घरेलू खपत के लिए अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना ।	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	200 लाख अमरीकी डालर	524.30 लाख रु०
4. काजू परियोजना	विश्व बैंक	परियोजना क्षेत्र में काजू उत्पादन कार्यक्रम का वित्त पोषण करना और काजू अनुसंधान को मजबूत बनाना ।	उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल	220 लाख अमरीकी डालर	696.10 लाख रु० (आधारी लागत)
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-1	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का विनिर्माण करने और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा मण्डी केन्द्रों पर भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराना ।	उड़ीसा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश	2565 लाख रुपए	विदेशी सहायता ऋण के रूप में है और विदेशी सहायता का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है ।
6. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-2	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का विनिर्माण करने और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा मण्डी केन्द्रों पर भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराना ।	उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल	2200 लाख अमरीकी डालर	विदेशी सहायता ऋण के रूप में है और विदेशी सहायता का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है ।

1	2	3	4	5	6
7. राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना उड़ीसा उप-परियोजना	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	राज्य में कृषि विस्तार और अनुसंधान प्रणाली का पुनर्गठन करना और मजबूत बनाना ।	उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान	391 लाख अमरीकी डालर	1160 लाख रु० (लगभग)
8. समेकित मात्स्यिकी परियोजना	ब्रिटेन	मत्स्यन बन्दरगाह उपलब्ध कराकर और यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाओं के उपयोग में मछुआरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर एस्ट्रांग के समीप तटीय मत्स्यन में सुधार लाना ।	उड़ीसा	642 लाख अमरीकी डालर	640 लाख रुपए (लगभग)
9. विदेशी गोपशु प्रजनन फार्म में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना	डी०एस०एन० आई०डी०ए०	चिपलिमा (उड़ीसा) में विदेशी गोपशु प्रजनन फार्म में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना ।	उड़ीसा, और मध्य प्रदेश	250 लाख रुपए	6.30 लाख रुपए
10. समेकित कृषि विकास परियोजना	आई०टी०ए० एल० बाई०	मशीनरी और ट्रकों सहित आदान उपलब्ध कराना ।	उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा	18 बिलियन लीरा (लगभग 130 लाख अमरीकी डालर के समतुल्य)	विदेशी सहायता का कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है ।
11. स्वच्छ जल मत्स्य कल्चर और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना	यू०एन०डी० पी०	स्वच्छ जल जलकृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, बाढ़ से क्षतिग्रस्त तालाबों का नवीकरण और मत्स्य पोषण में अनुसंधान प्रदर्शन कार्यक्रम इत्यादि ।	उड़ीसा	6.6 लाख अमरीकी डालर	66 लाख रुपए (लगभग)

1	2	3	4	5	6
12. छोटे कदन्नों पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र	आई०डी० आर०सी०	छोटे कदन्नों पर अनुसंधान।	उड़ीसा	9.37 लाख रुपए	9.37 लाख रुपए
13. नाइट्रोजन उर्वरक दक्षता	संयुक्त राज्य अमरीका	नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की दक्षता पर अनुसंधान	उड़ीसा	6.44 लाख रुपए	6.44 लाख रुपए
14. बी०जी०ए० (साइनोबेक्टेरिया) और अजोला द्वारा जीव विज्ञान संबंधी नाइट्रोजन निर्धारण	संयुक्त राज्य अमरीका	जीव विज्ञान संबंधी नाइट्रोजन निर्माण पर अनुसंधान।	उड़ीसा	2.01 लाख रुपए	2.01 लाख रुपए
15. फसल कटाई के पश्चात की प्रौद्योगिकी	आई०डी० आर०सी०	फसल कटाई के पश्चात की प्रौद्योगिकी में अनुसंधान	उड़ीसा	2.80 लाख रुपए	2.80 लाख रुपए
16. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विशिष्ट अनुसंधान	अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ उड़ीसा विश्वविद्यालय	540 लाख अमरीकी डालर	346.91 लाख रुपए
17. यूरिया पर आधारित उर्वरक के परिणाम और दक्षता	पी०एल० 480	अनुसंधान	उड़ीसा	13.72 लाख रुपए	13.72 लाख रुपए

1	2	3	4	5	6
18. यूरिया पर आधारित उर्वरक के परिणाम और दक्षता	पी० एल० 480	अनुसंधान	उड़ीसा	2.07 लाख रुपए	2.07 लाख रुपए
19. ब्लास्ट बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एण्ड टंग्री के स्थान पर चावल की प्रेरित म्युटेंट का मूल्यांकन और समुपयोजन	अन्तर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी	अनुसंधान	उड़ीसा	वर्ष 1984-85 के दौरान परियोजना के लिए किया गया आवंटन 60,000 रुपए है ।	
20. चावल पर केन्द्रित कृषि पद्धतियों का अनुसंधान और विकास	फोर्ड फाऊंडेशन	अनुसंधान	उड़ीसा	230,000 अमरीकी डालर	23 लाख रुपए (लगभग)

गेहूं के उत्पादन में आशातीत सफलता

3955. **श्री ललितेश्वर शाही :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं उत्पादन के संबंध में दूसरी बार आशातीत सफलता प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या गेहूं के बीज अब काफी पुराने हो गए हैं और बीजों की कुछ किस्मों में बीमारी लग गई है और कुछ किस्मों से कम उत्पादन मिलने की प्रवृत्ति आ गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गेहूं उत्पादन कार्यक्रम को नई गति देने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गेहूं का उत्पादन साल दर साल बढ़ रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हर साल गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। उत्पादन का स्तर 1979-80 के 318.3 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1983–84 में 451.5 लाख मीटरी टन हो गया। 1984-85 के लिए 456 लाख मीटरी टन के निर्धारित लक्ष्य के प्राप्त होने की उम्मीद है।

(ख) गेहूं की पुरानी किस्मों के प्रतिस्थापन और विभिन्न परिवर्तन के लिए नयी किस्में भी निरन्तर विकसित की जा रही हैं। बड़े क्षेत्रों में इनकी खेती करने से पहले इनकी मिनिकिट कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत जांच की जाती है।

(ग) गेहूं का उत्पादन और अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गेहूं का उत्पादन लक्ष्य 580 लाख मीटरी टन रखे जाने का प्रस्ताव है।

दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव

3956. **श्री ललितेश्वर शाही :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास हो रहे हैं;

(ख) देश में दालों और तिलहनों का आयात करने में कितनी धनराशि खर्च होती है; और

(ग) यह पता लगाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है कि वास्तव में कितनी भूमि पर दालों और तिलहनों की काश्त हो रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इन दो मदों की आयात लागत नीचे दी गई है :

	1981-82	1982-83 (दिसम्बर, 1982 तक)
	(लागत लाख रुपये में)	
दलहन	4,433.56	2,199.26
तिलहन	444.99	63.38

(ग) दलहनों तथा तिलहनों के सकल शस्यगत क्षेत्र के लगभग 88 प्रतिशत का आंकलन प्राथमिक ग्राम स्तर की एजेंसी द्वारा अलग-अलग क्षेत्र की गणना से किया जाता है। जिन राज्यों में इस प्रकार की ऐजेंसी नहीं है, उनमें क्षेत्र सम्बन्धी अनुमान नमूना सर्वेक्षणों या तदर्थ सर्वेक्षणों/अनुमानों के आधार पर लगाए जाते हैं।

गांव के स्कूलों में मिट्टी की जांच करने वाली प्रयोगशालाएं शुरू किया जाना

3957. **श्री ललितेश्वर शाही :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी, पौधे और पशुओं के बारे में किसानों का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए सरकार का विचार गांवों के हाई स्कूलों में मिट्टी की जांच करने वाली प्रयोगशालाएं शुरू करने का है, जिस में छात्रों को पौधे और पशुओं के बारे में तथा गांव की अर्थ-व्यवस्था में उनके स्थान के बारे में बेहतर जानकारी हो सके; और

(ख) यदि उत्तर सकारात्मक है, तो सरकार का इस बारे में क्या प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) गांव के हाई स्कूलों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मृदा परीक्षण परिणामों के आधार पर उर्वरकों का दक्षतापूर्ण संतुलित प्रयोग करने के बारे में किसानों को सलाह देने के लिए देश में इस समय लगभग 419 मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें हैं।

निर्माण और आवास मंत्रालय में शिकायत सैल

3958. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में और विशेष रूप से सम्पदा निदेशालय में मुलाकात के समय के दौरान ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों के दुर्व्यवहार, बुरे बर्ताव और उदासीन प्रवृत्ति के संबंध में मुलाकातियों की शिकायतों को सुनने हेतु कोई सैल अथवा विभाग अथवा डिवीजन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) मिलने के समय के दौरान ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के दुर्व्यवहार, नरमी से पेश न आने तथा अकर्मण्यता के बारे में आगन्तुकों की शिकायतों की सुनवाई के लिए मन्त्रालय खास में अलग से कोई कक्ष या प्रभाग नहीं है। तथापि, सम्पदा निदेशालय में आगन्तुक सामान्यतः सम्बंधित आवंटन या किराया अनुभाग में आते हैं और उनकी सुनवाई होती है। आगन्तुकों की यदि कोई शिकायत हो तो वे उन्हें दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा चिकित्सीय आधार पर सरकारी आवास बदलना

3959. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने चिकित्सा आधार पर विशिष्ट रूप से हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग जैसी लंबी बीमारियों के आधार पर सभी सम्बद्ध कागजातों के साथ मकान/तल/क्षेत्र बदलने के लिए जनवरी, 1985 में आवेदन किया था, उन्हें अभी तक बदलकर मकान नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) बदली की तदर्थ सूची में अभी उनकी बारी नहीं आई है।

दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई

3960. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मान्यता-प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई करने के संबंध में सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाया है;

(ख) महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त दैनिक समाचार पत्र कौन से हैं जिन्हें सरकार से अखबारी कागज मिल रहा है;

(ग) सरकार द्वारा समय समय पर आबंटित अखबारी कागज के कोटे के दुरुपयोग को रोकने पर सरकार का कोई नियंत्रण तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) अखबारी कागज का आबंटन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हर वर्ष घोषित सरकार की अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार उन समाचार पत्रों तथा नियतकालिक पत्रों को किया जाता है, जो भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत हैं। जो समाचार-पत्र भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें कोई अखबारी कागज नहीं दिया जाता।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान महाराष्ट्र के जिन दैनिक समाचारपत्रों को अखबारी कागज आबंटित किया गया, उनकी सूची विवरण-एक के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अनुसार अखबारी कागज एक आवश्यक वस्तु है। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ साथ, अखबारी कागज की प्राप्ति, बिक्री तथा खपत को विनियमित करने वाले अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कारावास सहित दांडिक कार्रवाई की व्यवस्था है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक भी अखबारी कागज की जाली मांग कम करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक उपाए करते हैं। किए गए मुख्य उपाय संलग्न विवरण-दो में दिए गये हैं।

विवरण—एक

क्रम सं०	समाचारपत्र का नाम	क्रम सं०	समाचारपत्र का नाम
1.	मिड डे	33.	दि डेली
2.	नागपुर टाइम्स	34.	टाइम्स आफ इंडिया
3.	विश्वामित्र	35.	नवभारत टाइम्स
4.	नवभारत	36.	इकोनोमिक टाइम्स
5.	साह्याद्री	37.	ईवनिंग न्यूज आफ इंडिया
6.	केसरी	38.	महाराष्ट्र टाइम्स
7.	केसरी	39.	हितवादा
8.	पुधारी	40.	दैनिक लोकमत
9.	लोकमत	41.	मुम्बई सकाल
10.	लोकमत	42.	सकाल
11.	नवकाल	43.	सकाल
12.	सन्ध्याकाल	44.	जनशक्ति
13.	तरुण भारत	45.	आज का आनंद
14.	मराठवाड़ा	46.	अग्रदूत
15.	नागपुर पत्रिका	47.	नगर-न्यूज
16.	तरुण भारत	48.	पुणेजिला सांज समाचार
17.	जन्म भूमि	49.	चम्पावती पत्र
18.	जन्म भूमि	50.	सत्यवादी
19.	बम्बई समाचार	51.	भ्रमर
20.	इन्कलाब	52.	ऐक्या
21.	हिन्दुस्तान	53.	महाराष्ट्र
22.	युग धर्म	54.	देशदूत
23.	दैनिक गवाकारी	55.	प्रभात
24.	दैनिक गवाकारी	56.	आजादी
25.	दैनिक गवाकारी	57.	दैनिक राष्ट्रतेज
26.	फी प्रेस जर्नल	58.	सर्वमत
27.	नव शक्ति	59.	मतान्तर
28.	फी प्रेस बुलेटिन	60.	रामभूमि
29.	इंडियन एक्सप्रेस	61.	मातृभूमि
30.	लोक सत्ता	62.	मराठिया गुरागु
31.	फार्नेसियन एक्सप्रेस	63.	हिन्दुस्तान
32.	समकालीन	64.	महासागर

क्रम सं०	समाचार पत्र का नाम	क्रम सं०	समाचार पत्र का नाम
65.	महाराष्ट्र हेराल्ड	87.	नागपुर पोस्ट
66.	यशवंत	88.	जुंजार नेता
67.	अजिन्ता	89.	नव संदेश
68.	रत्न भूमि	90.	श्रमिक एकजुट
69.	लोक विजय	91.	गोदातीर समाचार
70.	सान्ध्य	92.	संचार
71.	लोक युग	93.	सागर
72.	समाज	94.	जाम-ए-जमशेद
73.	सांज तरूण भारत	95.	देशोन्नति
74.	विश्व समाचार	96.	नगरवासी डेली
75.	निर्भय पथिक	97.	वर्सी समाचार
76.	शिव शक्ति	98.	सदानंद
77.	औरंगाबाद टाइम्स	99.	शिव शम्भु
78.	इन्द्रपुर समाचार	100.	महाविदर्भ
79.	सौर चक्र	101.	भगवंत समाचार
80.	नगर टाइम्स	102.	अप्ला महाराष्ट्र
81.	नव प्रभात	103.	डे ब्यू
82.	शोलापुर समाचार	104.	वार्ता
83.	समता दर्पण	105.	बत्मिदर
84.	उर्दू टाइम्स	106.	सत्य प्रभा
85.	प्रजा वाणी	107.	रघुनंदन
86.	रत्नागिरी टाइम्स	108.	धमाका

विवरण—दो

अखबारी कागज की जाली मांग कम करने के लिए भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा किए गए मुख्य उपाय

1. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र को आबंटित अखबारी कागज का, चार्टर्ड लेखाकार द्वारा दिए गए समर्थन खपत प्रमाण-पत्र के साथ, अगले वर्ष पोस्ट आडिट किया जाता है। यदि खपत कम होती है तो उसको समाचार पत्र की उत्तरवर्ती वर्ष के लिए हकदारी में से काट लिया जाता है।

2. अखबारी कागज प्राप्त करने वाले समाचारपत्रों की प्रसार संख्या की जांच पड़ताल सामान्यतया प्रत्येक तीन वर्ष में की जाती है। यदि प्रसार संख्या कम आंकी जाती है तो अखबारी कागज को समाचारपत्र की उत्तरवर्ती वर्षों के लिए हकदारी में से वसूल कर लिया जाता है।

3. जब भी किसी समाचार पत्र की प्रसार संख्या असिद्ध हुई घोषित की जाती है, उसे यदि कोई अखबारी कागज आबंटित किया गया हो तो उसे उसकी प्रसार संख्या सिद्ध हो जाने के बाद उसकी हकदारी से वसूल कर लिया जाता है ।

4. जब भी किसी भी प्रकाशन की यथार्थता के बारे में कोई संदेह होता है, प्रसार संख्या की मौके पर जांच पड़ताल की जाती है तथा इस प्रकार सत्यापित प्रसार संख्या के आधार पर अखबारी कागज का आबंटन किया जाता है ।

पिछड़े जिलों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार

3961. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना अवधि के दौरान पिछड़े जिलों में स्थित तालूक कस्बों/औद्योगिक एककों में खाद्यान्नों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा तैयार की गयी तत्संबंधी विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक सुगठित योजना, जो पिछड़े जिलों में स्थित तालुका कस्बों/औद्योगिक एककों में भी लागू है, सारे देश में पहले से ही चल रही है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे उचित दर की दूकानें, जिसमें दूर-दराज के क्षेत्रों में चलती-फिरती दूकानें खोलने तथा औद्योगिक मजदूरों के लिए दूकानें खोलना भी शामिल है, खोलकर अपने-अपने क्षेत्रों की समूची आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाएं । इस संबंध में उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण, आदिवासी, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक 2,000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर की दूकान खोलने का प्रतिमान सुझाया गया है । छितरी आबादी वाले तथा दूर-दराज के क्षेत्रों के मामले में उन्हें सुझाव दिया गया है कि वे इस प्रतिमान में ढील दे सकते हैं । देश में उचित दर की दूकानों की कुल संख्या , जो 1-10-1983 को 2.97 लाख थी, 1-10-1984 को बढ़कर 3.11 लाख हो गई है ।

कृषि के विकास के लिए उद्योगों द्वारा योगदान की योजना

3962. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23 मार्च, 1985 के "फाइनेंसियल एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार उन्होंने उद्योगों से आग्रह किया था कि वे देश में कृषि व्यवस्था के विकास के लिए अपनी अतिरिक्त बचत के एक अंश का योगदान करें;

(ख) क्या उन्होंने एक ऐसी निश्चित योजना तैयार करके जिसमें उन क्षेत्रों को चुना गया है जहां उद्योग का योगदान सहायक हो सकता है, अपनी अपील पर अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(ग) ऐसा कब तक हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री फेडरेशन (फिक्की) द्वारा आयोजित "कृषि आय में सुधार" संबंधी गोष्ठी में दिए गए भाषण में कुछ ऐसे निदर्शी क्षेत्रों, जहां उद्योग का योगदान सहायक हो सकता है, के बारे में बताया गया था । इस संबंध में उद्योगपतियों को ठोस प्रस्ताव, सुझाव का अनुरोध किया गया । अब तक इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

बंगलौर में किराए के भवनों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

3963. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने प्रतिष्ठान बंगलौर नगर में किराए के भवनों में स्थित हैं;

(ख) इन कार्यालयों के लिए प्रतिमाह सरकार द्वारा किराए की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) क्या किराए के भवनों में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी प्रतिष्ठानों के लिए बंगलौर में बहु-मंजिले भवनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) तैंतीस ।

(ख) 4.39 लाख रुपये प्रति माह ।

(ग) जी, हां । बंगलौर में बहु-मंजिले भवन के निर्माण का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

राज्यों द्वारा वनस्पति घी की खरीद की पूर्ति

3964. **श्री डी०बी० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री देश में वनस्पति घी की कमी के बारे में 25-3-1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र के भीतर वनस्पति यूनिटों द्वारा उत्पादित वनस्पति घी के 30 प्रतिशत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए खरीद के बारे में केन्द्र सरकार के निर्णय की सूचना राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी भी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा इस रियायत का लाभ न उठाने के कारणों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 14 मार्च, 1984।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने, किसी भी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा सुविधा का लाभ न उठाये जाने के कारणों की जांच पड़ताल नहीं की है।

कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजूरी में संशोधन

3965. **श्री डी०बी० पाटिल** : क्या श्रम मंत्री कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के बारे में 25 मार्च, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मजदूरों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी देश में सब से कम है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजूरी का संशोधन कर उसे राष्ट्रीय औसत के समान करने की सलाह दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी०अंजैया) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने तारीख 31 जनवरी, 1983 की अपनी अधिसूचना द्वारा कृषि में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया। चार जोनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये और 10 रुपये हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी दरें देश में सब से कम दरें हैं क्योंकि कुछ अन्य राज्य सरकारों ने कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरें निर्धारित की हैं जो 10 रुपये से कम हैं और कुछ मामलों में ये दरें 8 रुपये से भी कम हैं।

(ख) कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों का राष्ट्रीय औसत तैयार करना मुश्किल है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कृषि में मजदूरी दरें निर्धारित की जा रही हैं, जिनमें कई कारणों को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार इस बात के लिए सभी राज्य सरकारों, जिनमें महाराष्ट्र राज्य सरकार भी शामिल है, पर जोर डाल रही है कि वे जुलाई, 1980 में हुए राज्य श्रम मंत्री सम्मेलन के 31वें अधिवेशन की सिफारिशों का पालन करें, यदि आवश्यक हो, तो वे दो वर्षों में कम से कम एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइंटों की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी दरों की पुनरीक्षा करें और उनमें संशोधन करें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"कालीकट मिल्स रिजेक्ट टाक्सिक एफ० सी० आई० व्हीट" शीर्षक से समाचार

3966. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री 6 अप्रैल, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "कालीकट मिल्स रिजेक्ट टाक्सिक एफ०सी०आई० व्हीट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है कि भारतीय खाद्य निगम के कालीकट डिपो द्वारा दिया गया गेहूं विषाक्त था और मनुष्यों के खाने योग्य नहीं था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आरोप सही नहीं पाये गये थे । गेहूं के स्टाक विहित विनिर्दिष्टियों के अनुसार और किसी विषाक्तता से भी मुक्त पाये गए थे ।

(घ) मिलों को जारी किये गये गेहूं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये विहित उपाय किये जाते रहेंगे और सफेद और लाल दोनों गेहूं जारी करने के लिये मिलमालिकों के अनुरोध पर यथा व्यवहार्य विचार किया जायेगा ।

ग्रामीण जनसंख्या में बेरोजगारी

3967. **श्री बी० सोमनाद्रीश्वरा राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982–83 के दौरान कुल ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अल्प रोजगार ग्रामीणों की प्रतिशतता कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1982–83 के लिए कुल ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अल्प रोजगार वाले ग्रामीणों की संख्या और प्रतिशतता कितनी थी;

(ग) क्या ग्रामीण अल्प रोजगार वाले और बेरोजगार लोगों को उत्पादोन्मुख रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया): (क) और (ख) ऐसे पहलुओं के बारे में सूचना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1983 में किए गए अपने 38वें सर्वेक्षण दौर में एकत्र की गई है । उक्त सर्वेक्षण के परिणामों को सारणी-बद्ध किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) ग्रामीण अल्प-रोजगार वालों और बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए ये मुख्य कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर० डी० पी०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी

कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) और स्व-रोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण संबंधी योजना (ट्राइसेम)। इन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) आई०आर०डी०पी०— इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के रूप में सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सके।

(ii) एन०आर०ई०पी०—इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्य-चाहने वाले व्यक्तियों को सम्पूरक रोजगार अवसर विशेषकर मन्द कृषि मौसमों के दौरान प्रदान करना है।

(iii) आर०एल०ई०जी०पी०—इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष में 100 दिन तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार की गारन्टी देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण भूमिहीन के लिये रोजगार अवसरों में सुधार तथा विस्तार करना है।

(iv) ट्राइसेम—इस स्कीम के अन्तर्गत, ग्रामीण युवाओं को उपयुक्त कौशल प्रदान किया जाता है ताकि वे स्व-रोजगार शुरू कर सकें।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में सूचना नीचे दिखाई गई है :

(आंकड़े लाखों में)

कार्यक्रम	एकक	1982–83		1983–84		1984–85	
		लक्ष्य	उप-लब्धियां	लक्ष्य	उप-लब्धियां	लक्ष्य	उप-लब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
आई०आर०डी०पी०	परिवार	30.07	34.55	30.54	36.85	30.27	30.95*
ट्राइसेम	प्रशिक्षित किये गये युवाओं की संख्या	2.00	2.46	2.00	2.06	2.00	1.43**
एन०आर०ई०पी०	श्रम-दिवस	3532	3512	3222	3028	3091	2850*
आर०एल०ई०जी०पी०	श्रम-दिवस	—	—	—	—	3000	1924*

*—फरवरी, 1985 तक।

**—अक्तूबर, 1984 तक।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी सलाहकार परिषद की बैठक

3968. **श्री राम समुझावन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 29 मार्च, 1985 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद् की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त बैठक से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित किन विशेष समस्याओं पर चर्चा हुई; और

(ग) विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उक्त प्रणाली के कार्यकरण को सुनियोजित बनाने के लिए यदि कोई कदम उठाये जा रहे हैं; तो वह क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) :(क) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद् की छठी बैठक 29 मार्च, 1985 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) और (ग) इस बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल संचालन से संबंधित कई बातों पर विचार-विमर्श किया गया था। इन में ये शामिल थीं : नई उचित दर की दूकानें खोलना, इस प्रणाली के तहत अधिक वस्तुयें लाना, परामर्शदात्री/सतर्कता समितियां गठित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार ढांचे को मजबूत करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना, आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिये कदम उठाना, राज्य/जिला स्तर पर शिकायत कक्ष स्थापित करना आदि। इस बात पर पुनः बल दिया गया कि राज्य आधार स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करें और इस प्रयोजन के लिये एक परिवीक्षा प्रणाली विकसित करें, ताकि उचित दर की दूकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की समय से उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण, पहाड़ी, पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को उचित दर की दूकानों से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

मैसूर में दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना

3969. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसूर दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का है ताकि मंड्या, माडिकेरी, हासन के पड़ोसी जिलों और मैसूर के सुदूर भागों में दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाई दे सकें; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य किस तारीख से शुरू कर दिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) मैसूर के वर्तमान दूरदर्शन ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है।

मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्र की स्थापना

3970. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्र की स्थापना का विचार था जो कि बाद में किसी अन्य स्थान पर बदल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) मैसूर में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने के लिए शुरू में चुना गया स्थान चामुंडी पहाड़ियों पर

निजी परिसर में था। परियोजना को मुकम्मल करने के लिए यह समय पर उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए ट्रांसमीटर को आकाशवाणी परिसर में तुरन्त उपलब्ध स्थान पर लगा दिया गया।

उड़ीसा में सूखा

3971. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985–86 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये उड़ीसा को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उड़ीसा में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस वर्ष उड़ीसा में और भी बहुत से क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सूखे से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिये उड़ीसा को अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिये उड़ीसा को उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चम्पूलाल चन्द्राकर) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 1985–86 के लिये उड़ीसा को कुल 4.68 करोड़ रुपये (राज्य के अंश सहित) का आवंटन किया गया है।

(ख) राज्य के 4 जिलों के 39 खंडों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जिलों और खंडों के नाम इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	जिला	खंड
1.	फूलबनी	दरमंगा, बल्लीगुड़ा, चाकपद, दरिंगीबाडी, जी० उदयगिरी, कान्तामल, खजूरीपाड़ा, कोटागढ़, नौगांव, फिरंगिया, फूलबनी, रैकिया, टीकाबल्ली, तुमुड़ीबंध।
2.	कालाहांडी	केसिंगा, नालां, एम० रामपुर, थुनामुल, रामपुर, लांजीगढ़, गोलामुंडा, सिनापाली, खारियार, कोमना, बोडेन, नवापारा।
3.	बोलनगीर	पटनागढ़, बेलपाड़ा, खपराखोल, टिटिलागढ़, तुरेकेल्ला, बंगामुंडा, मुरीबहल, सैन्ताला।
4.	सम्बलपुर	पदमपुर, पैकमाल, बिजेपुर, सोहेल्ला, गैसीलेट, झाड़ाबंध।

(ग) जी, हां। 1984–85 के दौरान राज्य के सभी 13 जिलों के सूखा से प्रभावित होने की सूचना मिली थी।

(घ) व (ङ) उच्च-स्तरीय राहत समिति की सिफारिशों को आधार मानकर वर्ष 1985–86 के दौरान सूखाराहत कार्य के लिये राज्य को 8.95 करोड़ रुपये (जिसमें 1985–86 के लिए 6.00 करोड़ रुपये भी शामिल हैं) की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है।

खाद्यान्नों और दालों के मूल्यों पर बजट का प्रभाव

3972. **श्री भोलानाथ सेन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985–86 का बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद देश में अनाजों और दालों के बाजारों में भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियां देखी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और अनाजों और दालों की बाजारों में मूल्यों की प्रवृत्ति क्या है; और

(घ) बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद बाजारों में अनाज और दालों के मूल्यों में किस हद तक वृद्धि हुई है/गिरावट आई है और मूल्यों में इस प्रकार की वृद्धि/गिरावट के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) यह सच है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985–86 का बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद के दो सप्ताहों में अनाजों और दालों के थोक मूल्य सूचकांकों में भिन्न-भिन्न रुख रहा । 30–3–1985 को समाप्त तीन सप्ताहों में अनाजों और दालों के थोक मूल्य सूचकांक तथा बजट के बाद की अवधि में हुए उतार चढ़ाव का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिखाया गया है । संदर्भाधीन अवधि के दौरान अनाजों और दालों के मूल्यों में आया उतार-चढ़ाव मुख्यत: मौसमी कारणों से हुआ कहा जा सकता है ।

विवरण

अनाजों और दालों का थोक मूल्य सूचकांक

(1970–71=100)

	को समाप्त सप्ताह			उतार-चढ़ाव का प्रतिशत
	16-3-85	23-3-85	30-3-85	30-3-85 / 16-3-85
अनाज	**242.8**	**243.3**	**245.0**	**+0.9**
चावल	266.5	267.3	270.1	+1.4
गेहूं	212.6	212.5	213.4	+0.4
ज्वार	231.3	232.5	234.0	+1.2
बाजरा	221.3	222.6	224.5	+1.4
जौ	290.7	296.7	284.9	—2.0
मक्का	225.8	223.7	223.7	—0.9
रागी	240.0	235.8	242.2	+0.9
दालें	**437.2**	**436.4**	**430.0**	**—1.6**
चना	521.6	521.0	502.1	—3.7
अरहर	280.9	281.6	288.0	+2.5
मूंग	497.5	491.3	495.1	—0.5
मसूर	350.7	358.5	358.5	+2.2
उड़द	400.1	394.6	401.5	+0.3

डी०डी०ए० फ्लैटों के स्वामियों द्वारा अनधिकृत निर्माण

3973. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कालोनियों में डी०डी०ए० फ्लैटों के स्वामियों द्वारा अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है जिससे दूसरे फ्लैटों को सूर्य की रोशनी पहुंचने में बाधा होती है; और

(ख) इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण को गिराने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां। इस प्रकार के मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में आये हैं।

(ख) जब कभी दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में अनधिकृत निर्माण का मामला आता है निर्माण को गिराने के लिए आवंटितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आवंटन रद्द कर दिया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में दिल्ली विकास अधिनियम की धारा (29) (II) के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाने का भी निर्णय लिया है।

झा समिति की रिपोर्ट

3974. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री झा समिति की रिपोर्ट के बारे में दिनांक 8 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2110 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी बोर्ड ने वर्ष 1984-85 के दौरान 28000 मीट्रिक टन "स्किम्ड" दुग्ध चूर्ण का आयात किया था और यह दुग्ध चूर्ण किस देश से तथा कितनी मात्रा में आयात किया गया था तथा किस तारीख को प्राप्त किया गया था और वितरण के लिये उसकी तुलना में स्वदेशी "स्किम्ड" दुग्ध में कुल कितनी मात्रा की खरीद की गई और 1984-85 के दौरान राज्य-वार जारी की गई मात्रा की तुलना में 1 अप्रैल, 1985 को कितनी मात्रा का भंडार शेष था; और

(ख) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान भारत में "स्किम्ड" दुग्ध चूर्ण की वर्षवार कितनी मात्रा प्राप्त होने की आशा है और यह दुग्ध कहां से प्राप्त होगा तथा उसके उपयोग की प्रस्तावित योजना क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान (फरवरी, 1985 तक), विदेशों से कुल 59,539 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण उपहारस्वरूप आयात किया गया था। आयातित स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की मासिक प्राप्ति और आयात किये जाने का स्रोत इसी अवधि के दौरान भारतीय डेरी निगम द्वारा देशी स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की खरीद का ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है। चूंकि भारतीय डेरी निगम के वर्ष 1984-85 के लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अतः यह बता पाना संभव नहीं होगा कि 1 अप्रैल, 1985 को संचित

स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की भंडार स्थिति क्या थी । तथापि, 1-3-1985 को स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की भण्डार स्थिति 19,298 मीटरी टन (अनंतिम) थी । वर्ष 1984-85 के दौरान भारतीय डेरी निगम द्वारा स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की जारी की गई राज्यवार मात्रा संलग्न विवरण-दो में दे दी गई है ।

(ख) खाद्य सहायता कार्यक्रम के तहत उपहार जिन्सों का आबंटन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा वार्षिक आधार पर स्वीकृत किया जाता है । अभी तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने वर्ष 1985 और 1986 के लिए कोई वचन नहीं दिया हैं । विदेशों से उपहार स्वरूप प्राप्त जिन्सों और देशी खरीद आपूर्तियों से बने भारतीय डेरी निगम के संचित भण्डार का इस्तेमाल डेरी संयंत्रों द्वारा किया जायेगा ।

विवरण—एक

(अनंतिम)

(आंकड़े मीटरी टन में पूर्णांकित)

क्रम सं०	माह	उपहार माल की प्राप्ति का स्रोत		देशी खरीद
		ई०ई०सी०	क्लूसा	
1.	अप्रैल, 1984	2000	—	—
2.	मई, 1984	4000	7154	200
3.	जून, 1984	15305	2696	1347
4.	जुलाई, 1984	—	111	751
5.	अगस्त, 1984	3511	—	—
6.	सितम्बर, 1984	2031	2003	30
7.	अक्तूबर, 1984	508	970	—
8.	नवम्बर, 1984	—	4747	30
9.	दिसम्बर, 1984	—	1892	63
10.	जनवरी, 1985	7000	267	—
11.	फरवरी, 1985	5344	—	472
	योग	39699	19840	2893

ई०ई०सी०—यूरोपीय आर्थिक समुदाय ।

क्लूसा—संयुक्त राज्य अमेरिका सहकारी लीग ।

विवरण—दो

(अनंतिम)

(आंकड़े मीटरी टन में पूर्णांकित)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मात्रा
1.	असम	56
2.	आंध्र प्रदेश	1875
3.	बिहार	397
4.	दिल्ली	16070
5.	गुजरात	1860
6.	हरियाणा	162
7.	हिमाचल प्रदेश	58
8.	जम्मू और कश्मीर	88
9.	केरल	165
10.	कर्नाटक	1050
11.	मध्य प्रदेश	858
12.	महाराष्ट्र	1853
13.	उड़ीसा	135
14.	पंजाब	444
15.	पाण्डिचेरी	50
16.	राजस्थान	242
17.	सिक्किम	26
18.	त्रिपुरा	60
19.	तमिलनाडु	5037
20.	उत्तर प्रदेश	211
21.	पश्चिमी बंगाल	10825
22.	लक्षद्वीप	3
23.	गोवा	90
	योग	41615

खेती के आधुनिक तरीके अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता

3975. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं और वे खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहते हैं परन्तु उनके साधन सीमित हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृत बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से उनको वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या बैंकों को इस संबंध में कोई आदेश जारी किए गए हैं, यदि हां, तो जारी किये गए आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार छोटे और सीमांत किसानों को कृषि-उत्पादों को बढ़ाने में समक्ष बनाने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए कुछ व्यापक योजनाओं की घोषणा करने पर विचार कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र की पेशगियों का कम से कम 25 प्रतिशत या कुल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत छोटे किसानों, सीमांत किसानों और अन्य कमजोर वर्गों को देने की सलाह दी गयी है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लगभग 95 प्रतिशत पेशगियां इन्हीं वर्गों को दी जाती हैं । सहकारी समितियों को अपनी पेशगियों का कम से कम 20 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसानों को देने के निर्देश दिये गए हैं । यहां तक कि छोटे और सीमान्त किसान पिछले ऋण का 10 प्रतिशत तक न चुका पाने के बावजूद नए ऋण ले सकेंगे । सहकारी समितियों द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों को दी गई अन्य रियायतें इस प्रकार हैं—ब्याज की निम्न दर, नगद भुगतान में कमी, पुर्नभुगतान की लम्बी अवधि और शेयर लिंकिंग की कम दर ।

(घ) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये छोटे और सीमान्त किसानों को वित्तीय सहायता देने की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना पहले ही विद्यमान है ।

बैलगाड़ियों के आधुनिकीकरण की योजना

3976. **श्री राधाकांत बिगाल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश की वर्षों पुरानी बैलगाड़ियों के आधुनिकीकरण की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण भारत की सड़कों पर आधुनिक बैलगाड़ियां चलाना आवश्यक समझती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की परिवहन प्रणाली का कायाकल्प किया जा सके; और

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को विकसित बैलगाड़ियां खरीदने के लिए ऋण सुविधायें देने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां । भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, निम्नलिखित के माध्यम से उन्नत बैलगाड़ियों के डिजाइन के अनुसंधान कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था कर रही है ।

(1) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर।

(2) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत अनुसंधान संस्थान।

इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी अखिल भारतीय समेकित परियोजना के जरिये तथा केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल के जरिये कुछ अनुसंधान कार्य कर रहा है।

(ख) जी, हां। सार्वजनिक और निजी संगठनों द्वारा निर्मित उन्नत बैलगाड़ियां देश में उपलब्ध हैं।

(ग) जी, हां। बैलगाड़ियों की खरीद के लिये वाणिज्यिक और सहकारी बैंक किसानों को ऋण देते हैं।

केरल में नारियल का उत्पादन

3977. **श्री मल्लूपल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983–84 की तुलना में वर्ष 1984–85 में नारियल के उत्पादन में वृद्धि हुई है और कितने प्रतिशत; और

(ख) केरल राज्य नारियल की कितने प्रतिशत राष्ट्रीय मांग को पूरा करता है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राज्यों से फसल वर्ष 1984–85 के लिये नारियल के उत्पादन के अन्तिम अनुमान प्राप्त होने का समय अभी नहीं हुआ है। 1983–84 के दौरान देश में हुए नारियल के कुल उत्पादन में से लगभग 46 प्रतिशत उत्पादन केरल में हुआ था। इसका ब्यौरा इस प्रकार है :

राज्य	क्षेत्र (हजार है०)	उत्पादन (दस लाख गिरी)	उपज (गिरी है०)
केरल . . .	676.4	2694.7	3984
अखिल भारत .	1154.8	5871.0	5084

राज्यों को तेल का आवंटन

3978. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984–85 और उससे पूर्व के वर्ष के दौरान, राज्य-वार प्रत्येक प्रकार के खाद्य तेल की कितनी मात्रा आवंटित की गई तथा उसकी तुलना में कितनी मात्रा में खाद्य तेल उठाया गया;

(ख) क्या खाद्य तेल के आबंटन के मामले में राज्यों के बीच अत्यधिक क्षेत्रीय मतभेद व्याप्त है;

(ग) राज्य-वार तेल का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(घ) क्या तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता एक समान है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार खाद्य तेल की वर्ष-वार और राज्य-वार मांग का कैसे अनुमान लगाती है और तेल की कमी तथा उनके मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये उसकी सप्लाई उपलब्धता पर निगरानी कैसे रखती है और उस दिशा में सरकार ने छठी योजनावधि के दौरान क्या कदम उठाये तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरण-1 से विवरण 4 में दी गई है ।

(ख) से (ङ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तेल का आबंटन उनकी मांग, खपत के स्वरूप, त्योहार के मौसम, राज्य/क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलभ्यता, भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक तथा अन्य सम्बंधित बातों, जिसमें पहले आबंटित किये गए खाद्य तेलों को उठाने की गति भी शामिल है, को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है । देश की खाद्य तेल की मांग को पूरा करने के लिये, देशी खाद्य तेलों की उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों की अपेक्षित मात्रा आयात की जाती है । तिलहनों तथा तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा किये गए/किये जा रहे विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) तिलहन उत्पादक राज्यों में तिलहनों के विकास के लिये गहन कार्यक्रम चलाना । इस योजना का उद्देश्य कृषकों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित करना, बीजों के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को मजबूत बनाना, पौध संरक्षण उपायों का विस्तार करना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना आदि ।

(2) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के लिये विशेष परियोजनाएं आरम्भ करना ।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना ।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना ।

(5) गैर-पारम्परिक तिलहनों, जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना तथा वृक्ष और वनमूल के तिहलनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना ।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन तथा आधार-ढांचे संबंधी आवश्यक सुविधायें स्थापित करना ।

विवरण-एक

चालू वर्ष 1983-84 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य तेलों का आवंटन

(मात्रा मी० टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पामोलीन	आर०बी० डी० ताड़ का तेल	रेपसीड तेल (प०)	सोयाबीन का तेल (प०)	सूरजमुखी का तेल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	70,650	—	—	21,800	5,750	98,200
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	60	590	—	—	650
3.	असम	—	750	12,000	—	—	12,750
4.	बिहार	600	11,800	4,200	800	—	17,400
5.	चंडीगढ़	—	320	75	100	—	495
6.	दिल्ली	—	15,800	13,800	1,000	—	30,600
7.	दादरा, नगर हवेली	340	—	—	20	—	360
8.	गुजरात	53,700	—	—	12,500	9,100	75,300
9.	गोवा, दमण तथा दीव	4,600	—	—	1,050	100	5,750
10.	हरियाणा	100	7,300	4,700	600	—	12,700
11.	हिमाचल प्रदेश	250	5,050	5,550	500	—	11,350
12.	जम्मू और कश्मीर	—	—	6,910	—	—	6,910
13.	केरल	47,350	—	—	13,000	3,500	63,850
14.	कर्नाटक	34,800	—	—	10,500	4,000	49,300
15.	लक्षद्वीप	185	—	—	—	—	185
16.	मध्य प्रदेश	9,800	8,500	10,700	11,000	—	40,000
17.	महाराष्ट्र	102,500	4,000	—	31,000	15,000	152,500
18.	मणिपुर	—	1,950	4,800	—	—	6,750
19.	मिजोरम	—	—	3,250	—	—	3,250
20.	मेघालय	—	150	7,245	—	—	7,395
21.	नागालैण्ड	—	500	5,500	—	—	6,000
22.	उड़ीसा	8,400	4,600	25,000	500	—	38,500
23.	पांडिचेरी	3,060	—	200	50	100	3,410
24.	पंजाब	—	19,940	750	3,900	—	24,590
25.	राजस्थान	100	8,420	1,800	1,600	—	11,920
26.	सिक्किम	—	350	2,350	—	—	2,700
27.	त्रिपुरा	—	150	1,770	—	—	1,920
28.	तमिलनाडु	62,750	—	—	19,500	8,750	91,000

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	उत्तर प्रदेश	300	24,180	26,500	3,000	—	47,980
30.	पश्चिम बंगाल	—	2,000	126,500	4,000	—	132,500
	योग	399,485	115,820	258,190	136,420	46,300	956,215

संक्षेप

पामोलीन	399485
आर०बी०डी० ताड़ का तेल	115820
रेपसीड तेल (प०)	258190
सोयाबीन का तेल (प०)	136420
सूरजमुखी का तेल (प०)	46300
योग	956215

विवरण—दो

तेल वर्ष 1983-84 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आठ तेलों की बिक्री की गई मात्रा

(मात्रा मी० टन)

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	पामोलीन	आ०बी० डी०ताड़ का तेल	रेपसीड तेल (प०)	सोयाबीन तेल (प०)	सूरजमुखी तेल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	51,067	—	—	15,860	3,862	70,789
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	35	64	—	—	99
3.	असम	—	63	3,201	—	—	3,264
4.	बिहार	248	6,547	83	69	—	6,947
5.	चण्डीगढ़	—	259	10	—	—	269
6.	दिल्ली	—	11,350	11,284	918	—	23,552
7.	दादरा, नगर हवेली	271	—	—	—	—	271
8.	गुजरात	40,756	—	—	9,432	5,819	56,007
9.	गोवा, दमन व	3,965	—	—	468	—	4,433
	दीव						

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	हरियाणा	—	—	3,674	—	—	9,153
11.	हिमाचल प्रदेश	—	—	4,072	234	—	8,096
12.	जम्मू व कश्मीर	—	—	4,239	—	—	4,239
13.	केरल	35,998	—	—	6,037	2,780	43,929
14.	कर्नाटक	20,874	—	—	6,672	480	28,026
15.	लक्षद्वीप	163	—	—	—	—	163
16.	मध्य प्रदेश	8,476	3,048	4,842	4,097	—	20,463
17.	महाराष्ट्र	78,945	—	—	18,362	14,687	11,1994
18.	मणिपुर	—	1,038	3,451	—	—	4,489
19.	मेघालय	—	151	6,292	—	—	6,443
20.	मिजोरम	—	—	1,032	—	—	1,032
21.	नागालैंड	—	200	1,596	—	—	1,796
22.	उड़ीसा	6,241	690	11,108	—	—	18,039
23.	पांडिचेरी	3,089	—	—	—	159	3,248
24.	पंजाब	—	11,814	300	196	—	12,310
25.	राजस्थान	96	5,260	454	276	—	6,086
26.	सिक्किम	—	186	1,007	—	—	1,193
27.	त्रिपुरा	—	10	460	—	—	470
28.	तमिलनाडु	36,378	—	—	8,702	8,522	53,602
29.	उत्तर प्रदेश	—	23,386	13,226	454	—	37,066
30.	पश्चिम बंगाल	—	1,730	87,093	—	—	88,823
	योग	286,018	74,604	156,888	71,466	36,315	626,291

संलेख

पामोलीन	286,018
आर०बी०डी० तेड़ि-का तेल	74,604
रेपसीड तेल (परिष्कृत)	156,888
सोयाबीन का तेल (परिष्कृत)	72,466
सूरजमुखी का तेल (परिष्कृत)	36,315
योग	626,291

विवरण—तीन

नवम्बर, 1984 से अप्रैल, 1985 तक के महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य तेलों का आवंटन

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पामोलीन	आर०बी० डी० ताड़ का तेल	रेपसीड तेल (प०)	सोयाबीन तेल (प०)	सूरजमुखी तेल (प०)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	55,000	—	—	—	2,600	57,600
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	230	—	—	230
3.	असम	—	1,500	3,700	—	—	5,200
4.	बिहार	—	5,300	2,000	—	—	10,300
5.	चण्डीगढ़	—	280	—	—	—	280
6.	दिल्ली	—	9,500	7,000	—	—	16,500
7.	दादरा, नगर हवेली	180	—	—	—	—	180
8.	गुजरात	35,500	—	—	—	—	35,500
9.	गोवा, दमन व दीव	3,350	—	—	—	—	3,350
10.	हरियाणा	—	5,500	5,000	—	—	10,500
11.	हिमाचल प्रदेश	—	3,200	2,750	—	—	5,950
12.	जम्मू व कश्मीर	—	—	5,500	—	—	5,500
13.	केरल	27,500	—	—	—	—	27,500
14.	कर्नाटक	19,500	—	—	—	2,000	21,500
15.	लक्षद्वीप	120	—	—	—	—	120
16.	मध्य प्रदेश	16,500	—	4,800	—	—	21,300
17.	महाराष्ट्र	44,000	16,000	—	—	—	60,000
18.	मणिपुर	—	1,250	1,650	—	—	2,900
19.	मेघालय	—	—	4,100	—	—	4,100
20.	मिजोरम	—	—	1,200	—	—	1,200
21.	नागालैण्ड	—	1,200	2,700	—	—	3,900
22.	उड़ीसा	4,300	1,500	6,400	—	—	12,200
23.	पाण्डिचेरी	2,200	—	—	—	—	2,200
24.	पंजाब	—	13,000	—	—	—	13,000
25.	राजस्थान	—	2,900	2,500	—	—	5,400
26.	सिक्किम	—	500	1,300	—	—	1,800
27.	त्रिपुरा	—	150	1,200	—	—	1,350
28.	तमिल नाडु	37,900	—	—	—	3,100	41,000

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	उत्तर प्रदेश	—	11,500	10,500	—	—	22,000
30.	पश्चिम बंगाल	—	—	67,000	—	—	67,000
31.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	10	15	—	—	25
	योग	246,050	76,290	129,545	—	7,700	459,585

संक्षेप

पामोलीन		246,050
आर०बी०डी० ताड़ का तेल		76,290
रेपसीड तेल (प०)		129,545
सोयाबीन का तेल (प०)		
सूरजमुखी तेल		7,700
	योग	459,585

विवरण—चार

नवम्बर, 1984 से अप्रैल, 1985 के महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य तेलों की उठाई गई मात्रा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पामोलीन	आर०बी० डी० ताड़ का तेल	रेपसीड तेल (प०)	सोयाबीन तेल (प०)	सूरजमुखी तेल (प०)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	49,793	—	—	—	2,600	52,393
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	15	—	—	15
3.	असम	—	310	3,061	—	—	2,371
4.	बिहार	656	2,773	300	—	—	3,729
5.	चण्डीगढ़	—	209	—	—	—	209
6.	दिल्ली	—	5,702	3,649	—	—	9,351
7.	दादरा, नगर हवेली	100	—	—	—	—	100
8.	गुजरात	31,733	—	—	—	257	31,990

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	गोवा, दमन व दीव	2,535	—	—	—	—	2,535
10.	हरियाणा	—	3,428	978	—	—	4,406
11.	हिमाचल प्रदेश	—	1,972	1,560	—	—	3,532
12.	जम्मू व कश्मीर	—	—	1,631	—	—	1,631
13.	केरल	22,088	—	—	—	—	22,088
14.	कर्नाटक	18,685	—	—	—	—	18,685
15.	लक्षद्वीप	60	—	—	—	—	60
16.	मध्य प्रदेश	6,226	4,937	1,711	—	—	12,874
17.	महाराष्ट्र	42,498	6,543	—	—	—	49,041
18.	मणिपुर	—	628	1,440	—	—	2,068
19.	मेघालय	—	—	3,137	—	—	3,137
20.	मिजोरम	—	8	752	—	—	760
21.	नागालैंड	—	565	1,630	—	—	2,195
22.	उड़ीसा	1,263	—	—	—	—	1,263
23.	पांडिचेरी	1,788	—	—	—	—	1,788
24.	पंजाब	—	7,829	329	—	—	8,158
25.	राजस्थान	—	3,345	927	—	—	4,272
26.	सिक्किम	—	100	243	—	—	343
27.	त्रिपुरा	—	17	143	—	—	160
28.	तमिलनाडु	34,891	—	—	—	3,234	38,125
29.	उत्तर प्रदेश	—	7,735	2,680	—	—	10,415
30.	पश्चिम बंगाल	—	—	42,303	—	—	42,303
31.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5	—	5	—	—	10
	योग	212,321	46,100	65,494	—	6,091	330,006

संक्षेप

पामोलीन	212,321
आर० बी० डी० ताड़ का तेल	46,100
रेपसीड तेल (प०)	65,494
सोयाबीन तेल (प०)	—
सूरजमुखी तेल (प०)	6,091
योग	330,006

पश्चिम बंगाल में कृषि-क्षेत्रों की कम बुवाई

*1597. [illegible] : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा की तुलना में पश्चिम बंगाल में चावल, गेहूं, दालें और तिलहन के मामले में उत्पादन, उत्पादकता प्रति हैक्टार बुवाई और क्षेत्र की विकास दर क्या थी; और

(ख) पश्चिम बंगाल में कम बुवाई विकास दर के क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उठाने का विचार किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सारणी से यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में तिलहनों की उत्पादकता की वृद्धि दर सब से ऊंची है, जबकि पश्चिम बंगाल में गेहूं की उत्पादकता की वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम है, कुल दलहनों के मामले में इसे नगण्य माना जा सकता है। तथापि यह कहा जा सकता है कि राज्य में 1983-84 के दौरान प्रति हैक्टार 2596 किलोग्राम गेहूं की पैदावार तथा प्रति हैक्टार 655 किलोग्राम कुल दलहनों की पैदावार देश में सब से ऊंची पैदावार है। चावल के मामले में मुख्यत: उर्वरकों की उपयोग कम किए जाने, बीजों को कम मात्रा में बदलने, उपयुक्त सिंचाई सुविधाओं की कमी तथा उपयुक्त निकासी की व्यवस्था, आदि न होने के कारण राज्य में उत्पादकता तथा पैदावार स्तर दोनों की ही वृद्धि दर कम है।

(ग) पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र का बढ़ाया जाना विशेषकर औस और अमन मौसम के दौरान;

(2) विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के उपयुक्त, समुचित किस्मों का चयन किया जाना;

(3) अच्छे बीजों की पर्याप्त मात्रा में और समय पर आपूर्ति;

(4) उर्वरकों की खपत में वृद्धि;

(5) खेती और जल प्रबन्ध की सक्षम पद्धतियों का अपनाया जाना; और

(6) वनस्पति रक्षण के पर्याप्त उपाय, अन्य नाजुक आदानों जैसे ऋण आदि, की व्यवस्था।

इसके अलावा, सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान राज्य में चलाए जाने वाले विशेष चावल उपादन कार्यक्रम की अनुपूरक योजना के रूप में 1984-85 के दौरान इस फसल के लिए में मार्गदर्शी परियोजना की एक केन्द्र क्षेत्र की योजना क्रियान्वित की गई है।

विवरण

1967-68 से 1983-84 के दौरान चुनींदा फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और उपज की विभिन्न वृद्धि दर

(प्रतिशत वार्षिक)

राज्य	चावल			गेहूं			कुल खाद्यान्न			कुल तिलहन		
	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज
आन्ध्र प्रदेश	1.30	4.13	2.80	—	—	—	0.44	3.50	3.05	—0.32	0.91	1.29
असम	*1.21	1.74	0.53	9.05	10.28	1.13	2.99	3.04	0.06	5.30	6.10	0.75
बिहार	—0.32	—0.32	—0.10	2.90	4.81	1.85	—2.08	—2.84	—0.78	0.29	0.58	0.30
हरियाणा	6.11	10.98	4.59	4.09	6.41	2.23	—2.90	—5.61	—2.80	1.69	3.66	1.93
मध्य प्रदेश	0.90	0.94	0.04	6.92	2.54	2.59	1.47	1.79	0.32	1.11	3.30	2.17
उड़ीसा	—6.47	—0.52	—0.05	11.43	14.83	2.87	6.23	6.81	0.55	7.13	8.62	1.39
पंजाब	10.83	16.90	5.46	2.83	5.46	2.56	—4.24	—5.93	—1.77	—4.40	—5.06	—0.71
उत्तर प्रदेश	1.26	4.12	2.86	3.27	6.38	3.01	—2.32	—2.32	नगण्य	—1.16	—1.12	0.04
पश्चिम-बंगाल	0.32	0.66	0.34	4.07	5.86	1.72	—3.63	—4.19	—0.58	5.84	9.37	3.34

* वृद्धि दर 1970-71 से 1983-84 की अवधि से संबंधित है ।

उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

3980. श्री हरीश रावत : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसका मंत्रालय उत्तर प्रदेश की कुछ छोटी और मध्यम दर्जे की, नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्येक नगर पालिका को कितनी कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत और अधिक नगर-पालिकाओं को सुविधा देने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ और जागेश्वर नगरपालिकाओं को भी भविष्य में, इस योजना का लाभ मिलने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) यह मन्त्रालय उत्तर प्रदेश में किसी भी नगरपालिका को सीधे ही कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है । तथापि, छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित शहरों के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जाती है । राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता के साथ-साथ अनुरूपी राज्य अंश कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों को दे देती हैं जोकि सामान्य रूप से नगरपालिकाएं ही होती हैं ।

(ख) 1984-85 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित शहरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई केन्द्रीय ऋण सहायता इस प्रकार है :—

शहर	केन्द्रीय सहायता (लाख रुपयों में)
1. बाराबंकी	15.00
2. रायबरेली	15.00
3. सीतापुर	12.00
4. हरदोई	12.50
5. देवरिया	14.00
6. सीतापुर तथा उरई के लिए कम लागत स्वच्छता .	8.53
योग .	77.03

(ग) से (ङ). विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त शहरों के लाभान्वयन का प्रश्न योजना आयोग के परामर्श से इस मंत्रालय के विचाराधीन है । उत्तर प्रदेश में पिथौरा गढ़ तथा बागेश्वर कस्बों को शामिल करने के प्रश्न पर निर्णय राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने के बाद लिया जायेगा ।

नारियल के तेल का आयात

[अनुवाद]

3981. श्री टी० बशीर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान कितनी मात्रा में नारियल के तेल का आयात किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1984 के दौरान औद्योगिक तेल के नाम में भी बड़ी मात्रा में नारियल के तेल का आयात किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नारियल के तेल के आयात का नारियल की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और केरल की अर्थ-व्यवस्था पर भी कुप्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नारियल के तेल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तुरन्त आदेश जारी करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1984 में परिष्कृत, विरंजित निर्गन्धीकृत नारियल के तेल की 9044 मीटरी टन मात्रा का आयात किया गया था।

(ख) और (ग): राज्य व्यापार निगम, जोकि खाद्य तेलों के आयात के लिए मार्गीकरण एजेन्सी है, ने 1984 के दौरान औद्योगिक तेल के नाम से नारियल के तेल की कोई मात्रा आयात नहीं की है।

(घ) और (ङ): नारियल के तेल का आयात नियमित रूप से करने का कोई विचार नहीं है। देशी नारियल के तेल के मूल्य पर पड़े दबाव को कम करने के लिए 1984 में कुछ मात्रा का आयात किया गया था।

दिल्ली दूरदर्शन से तामिल कार्यक्रमों का प्रसारण

3982. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दूरदर्शन से तमिल भाषा की कितनी फिल्में और अन्य कार्यक्रम प्रसारित किये गये;

(ख) क्या तमिल कार्यक्रमों के साथ कोई भेदभाव बरता जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 25-12-84 से 24-3-85 तक की अवधि के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा एक तमिल फीचर फिल्म और दो तमिल कार्यक्रम टेलीकास्ट किए गए थे। इस अवधि के दौरान टेलीकास्ट किए गए "चित्रमाला" कार्यक्रमों में तमिल फीचर फिल्मों के चार गीत और नृत्य अनुक्रम भी शामिल किए गए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में सहकारी चीनी मिल की स्थापना का निर्णय

[हिन्दी]

3983. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना करने का निर्णय लिया है, यदि हां, इस सम्बन्ध में पहले जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस चीनी मिल के सम्बन्ध में किसानों की शीर्षवार, कितनी शेयर पूंजी जमा है तथा सरकार का विचार इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग करने का है;

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों की भारी कठिनाइयों तथा उपरोक्त जमा शेयर पूंजी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार एक चीनी मिल की स्थापना के लिए पुनः लाइसेंस जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) : किसान सहकारी चीनी मिल लि० को अप्रैल, 1974 में1250 टी० सी० डी० की नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस मंजूर किया गया था, प्रारम्भ में यह लाइसेंस दो वर्ष अर्थात् 19-4-1976 तक की अवधि के लिए वैध था और उसके बाद सहकारी समिति 20 लाख रुपए की अपेक्षित शेयर पूंजी एकत्र कर सके, इसके लिए लाइसेंस की अवधि की वैधता को एक वर्ष और अर्थात् 19-4-1977 तक बढ़ा दिया गया । चूंकि परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति असंतोषजनक थी, अतः 24-12-77 को सहकारी समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 18-3-78 को अर्थात् करीब चार वर्ष बाद लाइसेंस रद्द कर दिया गया । सहकारी समिति 11 लाख रुपए की शेयर पूंजी एकत्र कर सकी और पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से संयंत्र और मशीन के लिए आदेश नहीं दिया जा सका ।

2. अक्तूबर, 1980 में, उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद के अकबरपुर में 1250 टी० सी० डी० की नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने के संबंध में एक नया आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था । जांच समिति ने 12-12-1980 को हुई अपनी बैठक में इस आवेदन-पत्र पर विचार किया और जांच समिति ने यह महसूस किया कि क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धि सिर्फ 1.5 लाख मीटरी टन है और अधिकांश गन्ना गुड़ और खांडसारी तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है । यह भी नोट किया गया कि इस क्षेत्र में गन्ने के विकास की अधिक क्षमता नहीं है । अतः जांच समिति ने इस आवेदन-पत्र को नामंजूर करने की सिफारिश की । इसके बाद इस मामले पर लाइसेंस देने वाली समिति ने विचार किया उसने भी आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिया और 25-2-1981 को पार्टी को प्रत्यक्षतः नामंजूरी का एक पत्र जारी किया गया, जिसमें उन्हें किसी प्रकार का अभ्यावेदन करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया । अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समय बाद में राज्य सरकार के अनुरोध पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा 30-4-1981 तक बढ़ाया गया, चूंकि निर्धारित समय के अन्दर इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ, अतः इस मामले को समाप्त समझ लिया गया ।

3. यदि सहकारी समिति अब भी चीनी मिल स्थापित करना चाहती है और अब परियोजना को उचयुक्त समझती है तो वे राज्य सरकार के जरिए औद्योगिक विकास विभाग को नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं ।

4. आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उस पर प्रचलित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा ।

[अनुवाद]

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता देने के लिए अपनाये गये मानदण्ड

3984. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**
श्री के० प्रधानी :

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में भूमिहीन श्रमिकों की सहायता के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(ख) उड़ीसा राज्य में कितने भूमिहीन श्रमिक हैं और देश में उनका प्रतिशत कितना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) व (ख): ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर केन्द्रीय सहायता आबंटित की जाती है :—

(1) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों और सीमांत कृषकों की संख्या पर 75 प्रतिशत बल दिया जाता है ।

(2) प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में निर्धनता के प्रभाव को 25 प्रतिशत बल दिया जाता है ।

1981 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में लगभग 531 लाख खेतिहर मजदूरों में से उड़ीसा राज्य में ग्रामीण खेतिहर मजदूरों की संख्या लगभग 23.09 लाख है । देश में ऐसे मजदूरों की कुल संख्या के मुकाबले इस राज्य में ग्रामीण खेतिहर मजदूर लगभग 4.35 प्रतिशत हैं । पूरे देश में 445.32 लाख सीमान्त जोतों के मुकाबले में उड़ीसा राज्य में लगभग 16.66 लाख सीमान्त जोतें हैं । देश में जोतों की संख्या के मुकाबले में उड़ीसा राज्य में जोतों का प्रतिशत लगभग 3.74 प्रतिशत बनता है ।

[हिन्दी]

उपग्रह केन्द्र "मंडी हाउस" में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी

3985. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, मन्डी हाउस, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कितने अस्थायी कर्मचारी हैं जो पिछले 240 अथवा उससे अधिक दिनों से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली में दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे 27 कर्मचारियों ने कैलण्डर वर्ष 1984 के दौरान 240 दिन की नैमित्तिक सेवा पूरी की है ।

(ख) और (ग) : इस प्रकार के तीन कर्मचारियों की सेवाएं बन्द कर दी गई हैं क्योंकि जिस विशिष्ट काम के लिए उन्हें लगाया गया था वह पूरा हो गया था।

[अनुवाद]

मोशन पिक्चर एक्सपोर्टस एसोसिएशन आफ अमेरिका के साथ नेशनल फिल्म्स डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा किया गया करार

3986. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फिल्म्स डिवलपमेंट कारपोरेशन ने भारत में मंगाई जाने वाली अमेरिकी फिल्मों के सरणीकरण के बारे में मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन आफ अमेरिका के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस करार की शर्तें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। करार पर 1 अप्रैल, 1985 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) और (ग) : करार का मोटा ब्यौरा और शर्तें निम्नानुसार हैं :—

(1) करार 1 फरवरी, 1985 से 3 वर्ष की अवधि के लिए है।

(2) इसमें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अग्रिम में तिमाही किस्तों में प्रति वर्ष 26.50 लाख रुपए की नियत कैलेंडाइजेशन फीस का भुगतान करने पर प्रति वर्ष 75—100 फिल्मों का आयात किए जाने की व्यवस्था है।

(3) एम० पी० ई० ए० ए० की फिल्मों के कुल वार्षिक किराए का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाएगा :—

(1) प्रचालन व्यय अर्थात् भारत में एम० पी० ई० ए० ए० के सम्पर्क कार्यालयों के प्रचालन, प्रबन्धकीय तथा प्रशासनिक व्यय, आयात प्रभार, किसी भी तरह के सरकार को देय कर या फिल्म वितरण के लिए प्रचलित या उससे संबंधित कोई भी अन्य व्यय—50 प्रतिशत।

(2) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सहित अर्ध-सरकारी या सरकार द्वारा प्रायोजित संगठनों को ब्याज रहित ऋण—17.5 प्रतिशत

(3) एम० पी० ई० ए० ए० की सदस्य कम्पनियों द्वारा तिमाही किस्तों में राशि वापस करना—15 प्रतिशत
(प्रति वर्ष 40 लाख रुपए की सीमा के अधीन)

(4) भारत में फिल्मों का निर्माण तथा सह-निर्माण, यात्रा तथा ठहरने संबंधी व्यय, कर्मचारियों को यात्रा संबंधी व्यय, भारतीय फिल्मों की खरीद, इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए—17.5 प्रतिशत।

दूध का मूल्य

3987. **श्री नारायण चौबे** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री 8 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2035 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेरी और बम्बई डेरी द्वारा छठी योजना के दौरान वर्षवार प्रत्येक किस्म का कितना दूध बेचा गया और किस मूल्य पर बेचा गया तथा 15 अप्रैल, 1985 तक डेरीवार, प्रत्येक किस्म के दूध के लिए किन किन तारीखों से बढ़ाया हुआ मूल्य वसूल किया गया;

(ख) इसके समक्ष प्रत्येक किस्म के बेचे गए दूध पर आए प्रति लिटर ऊपरी खर्च सहित वर्षवार और डेरीवार दूध का वसूली मूल्य कितना रहा;

(ग) क्या दिल्ली की मदर डेरी को 1983-84 में तो लाभ हुआ था लेकिन 1984-85 में भारी हानि हुई, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली दुग्ध योजना के समकक्ष आंकड़े क्या हैं, और इन दोनों डेरियों के बीच इस विषम प्रवृत्ति के क्या कारण हैं; और

(घ) डेरी निगम द्वारा वर्षवार कितनी मात्रा में चिकनाई रहित स्वदेशी दूध खरीदा गया, किस मूल्य पर खरीदा गया और किस मूल्य पर इन डेरियों को बेचा गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं को मन्जूरी

3988. **श्री बालकवि बैरागी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उनके मंत्रालय को गडरवाड़ा नगर पालिका होसंगाबाद नगर पालिका से संबंधित लघु और मध्यम आकार के नगरों की योजनाओं तथा पंचमढ़ी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत कुछ योजनाएं भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त तीनों योजनाओं की नवीनतम स्थिति क्या है; इन योजनाओं पर सरकार की मंजूरी कब तक मिल जायेगी तथा मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । कोई विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि ये छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान पहले ही लाभान्वित 16 कस्बों के अतिरिक्त हैं और उन्हें केवल चालू वर्ष के दौरान ही लिया जा सकता है जोकि हाल ही में आरम्भ हुआ है ।

[अनुवाद]

तिलहनों के उत्पादन में "क्लूजा" और कनाडा की सहकारिताओं द्वारा सहायता

3989. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री 8 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1997 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए "क्लूजा" और कनाडा की सहकारिताओं द्वारा पृथक-पृथक प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है और छठी पंचवर्षीय योजना में

वर्ष-वार इस प्रकार कितने रुपए मूल्य की सहायता दी गई तथा राज्य-वार तथा वर्ष-वार इसका कितना उपयोग किया गया और आज की तारीख तक उसकी तुलना में क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में 1981-82 के पश्चात् सोयाबीन के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन में कमी आई है जबकि बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 1982-83 से 1984-85 तक कितने एकड़ क्षेत्र में सोयाबीन बोया गया तथा उसका कितना उत्पादन हुआ और इसके अखिल भारतीय प्रतिशत आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या वस्तु रूप में प्राप्त सहायता के अतिरिक्त छठी योजना में (वर्ष-वार) आयात किये गये वनस्पति खाद्य तेल के प्रमुख भाग के रूप में सोयाबीन का ही आयात किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष-वार प्रत्येक प्रकार के तेल की कितनी मात्रा का आयात किया गया और उसके लिए कितना मूल्य अदा किया गया तथा किस देश से आयात किया गया और राज्य-वार उसका किस प्रकार वितरण किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तिलहन विकास के लिए विभिन्न वर्षों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहकारी संघ (क्लूजा) तथा कनाडा के सहकारी संघ (सी०यू०सी०) के माध्यम से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई सहायता परिष्कृत सोयाबीन तेल तथा कच्चा तोरिया तेल उपहार के रूप में है । ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(000मीटरी टन)

वर्ष	प्राप्तियां	
	परिशोधित सोयाबीन तेल	कच्चा तोरिया तेल
1979-80	55.88	—
1980-81	9.97	3.26
1981-82	16.82	12.47
1982-83	21.38	17.18
1983-84	13.03	18.30
1984-85*	9.50	—
योग .	126.58	51.21

*जनवरी, 1985 तक

विभिन्न राज्यों, जहां राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, राज्य स्तर के तिलहन उत्पादक सहकारी संघों को मुख्य रूप से उपहार स्वरूप प्राप्त

वनस्पति तेल की राज्य-वार तथा वर्ष-वार बिक्री नीचे दी गई है :—

('000 मीटरी टन)

राज्य/वर्ष	गुजरात	मध्य प्रदेश	तमिल-नाडु	आन्ध्र प्रदेश	उड़ीसा	महाराष्ट्र
1979-80						
परिष्कृत सोयाबीन का तेल	22.12	3.45	—	—	—	5.69
1980-81						
परिष्कृत सोयाबीन का तेल	12.56	10.89	—	—	—	1.68
1981-82						
परिष्कृत सोयाबीन का तेल	4.95	2.21	0.01	—	—	—
कच्चा तोरिया का तेल	1.50	—	—	—	—	—
1982-83						
परिष्कृत सोयाबीन का तेल	11.48	4.05	2.86	0.19	0.86	—
तोरिया का तेल	4.17	—	—	—	—	—
1983-84						
परिष्कृत सोयाबीन का तेल	11.31	4.75	2.46	2.32	1.96	—
कच्चा तोरिया का तेल	12.93	0.58	0.25	—	—	—
परिष्कृत तोरिया का तेल	0.26	0.77	0.06	0.03	0.03	—
1984-85*						
परिष्कृत सोयाबीन का तेल	2.32	0.52	1.06	1.35	1.41	—
कच्चा तोरिया का तेल	0.01	—	—	—	—	—
परिष्कृत तोरिया का तेल	3.81	1.98	0.73	0.03	0.03	—

*जनवरी, 1985 तक ।

उपहार में प्राप्त तेल की बिक्री से सृजित धनराशि को तिलहन उत्पादक सहकारी संघों द्वारा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने तथा उनके विपणन तथा परिसंस्करण के लिए उपयोग में लाया गया है ।

(ख) 1981-82 से मध्य प्रदेश में सोयाबीन के तहत का क्षेत्र तथा इस फसल के तहत उत्पादकता नीचे दी गई है :—

वर्ष	सोयाबीन के तहत क्षेत्र ('000 हैक्टार)	उत्पादकता (कि०ग्रा० प्रति हैक्टार)
1981-82	307.3	765
1982-83	584.1	614
1983-84	615.8	715

उत्पादकता में उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण मौसमी/जलवायु की परिस्थितियां हैं।

(ग) 1982-83 से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तथा भारत में सोयाबीन का क्षेत्र तथा उत्पादन नीचे दिया गया है :

ए० क्षेत्र ('000 हैक्टार)
पी०—उत्पादन ('000 मीटरी टन में)

राज्य	1982-83 (पी)		1983-84 (पी)		1984-85	
	ए०	पी०	ए०	पी०	ए०	पी०
मध्य प्रदेश	584.1 (75.8)	358.6 (73.0)	615.8 (75.6)	440.3 (75.5)	934.8	744.1
उत्तर प्रदेश	157.2 (20.4)	117.4 (23.9)	157.2 (19.3)	117.4 (20.1)	उ०न०	उ०न०
अखिल भारतीय	770.2	491.0	814.2	583.0	उ०न०	उ०न०

पी—अस्थायी उ०न०—उपलब्ध नहीं

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सोयाबीन के अखिल भारतीय क्षेत्र/उत्पादन की प्रतिशतता।

(च) और (छ) क्लूसा तथा सी०यू०सी० से खाद्य तेल तथा तिलहन उत्पादन तथा विपणन पुनर्गठन परियोजना संबंधी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता उपहार के रूप में है। वर्ष-वार प्राप्त किए गए परिष्कृत सोयाबीन तेल तथा कच्चा तोरिया तेल के ब्यौरे उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिए गए हैं। उपहार स्वरूप प्राप्त सोयाबीन तथा तोरिया तेल के लिए कोई मूल्य नहीं दिया गया है। क्लूसा परिष्कृत सोयाबीन तेल की सप्लाई करता है और सी०यू०सी० कच्चा तोरिया तेल की सप्लाई करता है। उपहार स्वरूप प्राप्त तेल मुख्य रूप से राज्य स्तर के तिलहन उत्पादक सहकारी संघों को वितरित किया जाता है।

"ओनली 50 परसेंट रेन फाल अवेलेबल फार फार्मस" शीर्षक से समाचार

3990. श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 26 जनवरी, 1985 के "इकानामिक टाइम्स" में "ओनली 50 परसेंट रेन फाल अवेलेबल फार फार्मस" से प्रकाशित शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय में इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) किन राज्यों में तत्संबंधी योजना क्रियान्वित की जाने वाली है; और

(घ) क्या उपरोक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान में पाली मारवाड़ जिले में बरसात के पानी का बेहतर उपयोग हेतु इस जिले का सर्वेक्षण किया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) सरकार ने बारानी भूमि विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है । इसे नये 20-सूत्री कार्यक्रम की मद संख्या 1 के रूप में शामिल किया गया है । मोटे तौर पर इन कार्यक्रमों का लक्ष्य भूमि उपचार के उपयुक्त उपाए और कृषि संबंधी पद्धतियों के जरिए भूमि की उत्पादकता में सुधार करना है । जिन क्षेत्रों में इस प्रकार का विकासात्मक कार्य शुरू किया गया है, उन्हें राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है ।

छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

3991. श्री के० राममूर्ति : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक लाख की जनसंख्या से कम आबादी वाले उन छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें छोटे और मध्यम दर्जों के शहरों के समन्वित विकास की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सहायता मिली हैं;

(ख) क्या अनेक राज्य सरकारों ने क्रियान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय सहायता स्थानान्तरित नहीं की हैं; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त योजना को जोर शोर से क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जैसा कि संलग्न विवरण में है ।

(ख) योजना कार्यान्वित करने के प्रारम्भिक वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता के अन्तरण में विलम्ब किया था तथापि, कार्यान्वयन की गति तेज होने से अब किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी प्रकार का विलम्ब ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) इस योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें मंगाई जाती हैं जिनमें वास्तविक और वित्तीय दृष्टि से हुई प्रगति का संकेत मिलता है ।

(ii) इस मंत्रालय और नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से वास्तविक जांच की जाती है ।

(iii) किसी विशेष कस्बे में पेश आने वाली विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें भी की जाती हैं ।

(iv) कार्यान्वयन अभिकरणों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न केन्द्रों में प्राय: कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ।

विवरण

नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन

राज्य-वार शामिल किए गए कस्बों का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

1. आन्ध्र प्रदेश (नियतित कस्बे : 18)

1. रामचन्द्रपुरम	7. तिरुपति	13. यडवल
2. तेनाली	8. खम्मम	14. नन्दयाल
3. अनाकापल्ली	9. श्रीकाकुलम	15. प्रौदातुर
4. विजयनगरम	10. मेडक	16. महबूबनगर
5. भीमावरम	11. गुन्तकल	17. भीमुनीपतनम
6. करीमनगर	12. चितौर	18. जहीराबाद

2. असम (नियतित कस्बे : 5)

1. तिनसुखिया	3. तेजपुर	5. डिबरूगढ़
2. सिलचर	4. जोरहाट	

3. बिहार (नियतित कस्बे : 15)

1. हाजीपुर	6. दुमका	11. हजारीबाग
2. गोपालगंज	7. छिवासा	12. बलिया
3. सरसा	8. बेगुसराय	13. गिरिडिह
4. डैल्टनगंज	9. देवगढ़	14. धनबाद
5. छप्परा	10. आरा	15. कटिहार

4. गुजरात (नियतित कस्बे : 17)

1. आनन्द	7. अंकलेश्वर	13. जम्बुसर
2. अंजर उत्तरी	8. दाहोद	14. जम्बूसरी
3. पोरबन्दर	9. अहमदाबाद	15. कलोल
4. वलसाद	10. बोधारा	16. सानन्द
5. वारावल पटन	11. भुज	17. देहगम
6. पलनपुर	12. महसाना	

5. हरियाणा (नियंत्रित कस्बे : 6)

1. नारनोल
2. सिरसा
3. सोहन
4. करनाल
5. कुरुक्षेत्र
6. हिसार

6. हिमाचल प्रदेश (नियंत्रित कस्बे : 1)

1. शिमला (कासुमपति)

7. जम्मू तथा कश्मीर (नियंत्रित कस्बे : 2)

1. अन्नतनाग

8. कर्नाटक (नियंत्रित कस्बे : 16)

1. हसन
2. चित्रादुर्गा
3. तुम्कुर
4. रायचूर
5. होसपट
6. चन्नापटना
7. कनकनपुरा
8. मगादी
9. हुमनाबाद
10. हेलनसीपुर
11. सागर
12. शाहपुर
13. जमखण्डी
14. कौशल नगर
15. रानीबेनूर
16. केरकला

9. केरल (नियंत्रित कस्बे : 9)

1. गुरुवायूर
2. कोटायम
3. त्रिचूर
4. कायाकुलम
5. तेलीचेरी
6. तिरूर
7. छन्गनछेरी
8. बड़ागड़ा
9. मल्लापुरम

10. मध्य प्रदेश (नियंत्रित कस्बे : 16)

1. बिलासपुर
2. खजाराहो
3. देवास
4. इटारसी
5. रीवा
6. कटनी
7. बरहानपुर
8. महसाना
9. डूंगरगढ़
10. राजनन्द गांव
11. बालाघाट
12. छिन्दवाड़ा
13. हारदा
14. वयधान
15. सिद्धी
16. गूना

11. महाराष्ट्र (नियंत्रित कस्बे : 22)

1. मनमाद
2. बारासी
3. परली वैजनाथ
4. यवतमाल
5. सतारा
6. रत्नागिरी
7. कटोल
8. आमलनेर
9. प्रभानी
10. कामपेट्स
11. किनवात
12. उस्मानाबाद
13. मेहर्षि
14. हिंगनघाट
15. जलना
16. अम्बेजोगई
17. सेलू
18. डिगरेस
19. अच्छारा
20. वाशिम
21. इस्लामपुर
22. वारामति

12. मणिपुर (नियतित कस्बे : 2)
    1. चन्देल 2. काकोहिंग

13. मेघालय (नियतित कस्बे : 2)
    1. शिलांग 2. तूरा

14. नागालैण्ड (नियतित कस्बे : 1)
    1. कोहिमा

15. उड़ीसा (नियतित कस्बे : 6)
    1. पुरी 3. बालासोर 5. जयपुर
    2. सम्भलपुर 4. राऊरकेला 6. धनकालन

16. पंजाब (नियतित कस्बे : 8)
    1. पठानकोट 4. मोगा 7. भटिण्डा
    2. होशियारपुर 5. फगवाड़ा 8. बटाला
    3. संगरूर 6. खन्ना

17. राजस्थान (नियतित कस्बे : 11)
    1. पाली 5. चुरू 9. गंगा नगर
    2. बरन 6. सुमेरपुर 10. जैसलमेर
    3. भीलवाड़ा 7. नाथद्वारा 11. चितौड़गढ़
    4. सीकर 8. बाड़मेर

18. सिक्किम (नियतित कस्बे : 1)
    1. जोरथिंग

19. उत्तर प्रदेश (नियमित कस्बे : 23)
    1. जौनपुर 9. ऐटा 17. बिजनौर
    2. फतेहपुर 10. बलिया 18. ओरई
    3. आजमगढ़ 11. महोबा 19. देवरिया
    4. हाथरस 12. कासगंज 20. बदायूं
    5. बान्दा 13. गाजीपुर 21. अमीठी
    6. बाराबंकी 14. सीतापुर 22. काशीपुर
    7. रायबरेली 15. मैनपुरी 23. पदरौना
    8. अल्मोड़ा 16. हरदोई

20. तमिलनाडु (नियमित कस्बे : 28)
    1. ऊटाकमण्ड 5. तिरुछन्नोड़ा 9. धर्मपुरम
    2. करूर 6. पलानी 10. माटुपलयम
    3. धर्मपुरी 7. गोल्बीछेटीपलायम 11. छंगलपट्टू
    4. पुड्डूकोटाई 8. मनारगुड़ी 12. कुनूर

13. अतूर
14. तिरुवल्लमलाल
15. उदमालपैड
16. नरमाकल
17. कोविलपट्टी
18. होसूर
19. पोलाची
20. वेनीअलीनगरम
21. नागापटनम
22. रानीपेट-वालाजापेटअर कोट
23. पनरुटी
24. करायकुरी
25. कालाकुरिची
26. अरनी
27. अराकुम्म
28. शिवाजोंगा

21. त्रिपुरा (नियमित कस्बे : 2)

1. उदयपुर
2. कैलाशहार

22. पश्चिम बंगाल (नियमित कस्बे : 20)

1. खड़गपुर
2. मिदनापुर
3. बांकुरा
4. कलीमपोग
5. कूचाबेहड़
6. पुरुलिया
7. इंगलिश बाजार
8. कृष्णानगर
9. सूरी
10. तारकेश्वर
11. जलपाईगुड़ी
12. सिलीगुड़ी
13. दार्जिलिंग
14. वहरामपुर
15. बल्लारघाट
16. विष्णुपुर
17. बसीरहाट
18. रायगंज
19. राणाघाट
20. कटवा

संघ राज्य क्षेत्र

अण्डमान, तथा निकोबार द्वीपसमूह (नियतित कस्बा 1)

1. पोर्ट ब्लेयर

2. अरुणाचल प्रदेश (नियतित कस्बा : 1)

3. दादर तथा नागर हवेली (नियतित कस्बा : 1)
   1. सिलवस्सा

4. गोवा दमन तथा दीव (नियतित कस्बा : 1)
   1. पणजी

5. मिजोरम (नियतित कस्बा : 1)
   1. आईजोल

6. पांडिचेरी (नियतित कस्बा : 1)
   1. करायकल

उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1979 में परिवर्तन

3992. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1979 में क्या परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) उन परिवर्तनों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस राज्य को क्या लिखा गया है; और

(ग) विधेयक को मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1979 अभी भी विचाराधीन है। इस स्थिति में उड़ीसा सरकार द्वारा विधेयक में कोई परिवर्तन किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तेलों का आयात

3993. **प्रो० राम कृष्ण मोरे :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तेल उद्योग और व्यापार संगठन (बंबई) ने सरकार को खाद्य तेलों का आयात बंद करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उन्होंने बताया है कि खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि करने से इन तेलों के देशी उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप 1984 के दौरान सोयाबीन उत्पादकों को लाभकर मूल्य नहीं मिल सके। खाद्य तेलों का आयात 7वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मामले में भी सहायक नहीं है।

(ग) देशी खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के मौजूदा अन्तर को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं है कि समस्त आयात को तत्काल बन्द कर दिया जाए।

कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में सूखा

3994. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों को सूखे से प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में सूखे की हालत जानने के लिए वहां कोई सर्वेक्षण करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उर्वरकों के बिक्री मूल्य में कटौती

3995. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उर्वरकों के बिक्री मूल्य में कटौती के लिए कोई अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) (1) सीतापुर से एक सुझाव प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि किसान यह जानते तो हैं कि उर्वरक का प्रयोग उनके लिए लाभप्रद है, लेकिन वे इतने गरीब हैं कि संतुलित ढंग से उर्वरक का प्रयोग करने में असमर्थ हैं । अतः यह आवश्यक है कि उर्वरकों के मूल्य घटाए जाएं ताकि पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग हो सके और उत्पादन बढ़े जिससे देश की आर्थिक हालत में सुधार हो ।

(2) पंजाब के कई किसानों/व्यापारियों ने लिखा है कि अमोनियम क्लोराइड, जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत नहीं है, काफी लाभदायक पाया गया है, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक है और सरकार को इसका मूल्य घटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए ।

(ग) (1) उर्वरक पर पहले ही काफी अधिक राज सहायता दी जाती है और इसकी बढ़ती हुई लागत के बावजूद भी जून, 1983 में इसके मूल्यों को 7½% तक घटा दिया गया था ।

(2) अमोनियम क्लोराइड को 19-4-85 से सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत ले लिया गया है तथा देश के किसी भी भाग में किसानों के लिए इसका मूल्य 1550 रुपए मीटरी टन निर्धारित कर दिया गया है ।

11.50 म० पु०

[अनुवाद]

अनेक सदस्य खड़े हुए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलें । मैं एक बार में सब की बात नहीं सुन सकता । मैं० डा० पटेल को बोलने की अनुमति दे चुका हूं । आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं । यह ठीक नहीं है । उन्हें अपनी बात कहने दीजिए ।

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : मैं अहमदाबाद में पुलिस की ज्यादतियों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कुछ फोटो भी साथ लाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ये फोटो मुझे दे सकते हैं। मैं अतिरिक्त कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा। मैं उनकी जांच करूंगा।

डा० ए० के० पटेल : इसकी जांच की जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट) : मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बात बताना चाहता हूं। कुछ गैर सरकारी एजेंसियां प्रतिबंधित तथा सामाजिक महत्व के क्षेत्रों के नक्शे बना रही हैं और उन्हें विदेशियों को भेज रही हैं। यह मामला देश की सुरक्षा के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सूचना की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैंने तथ्यों की मांग की है।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : यद्यपि यह मामला राज्य का है, महोदय बिहार में एक भूतपूर्व सांसद श्री अंथनी सहित 15 व्यक्ति पुलिस की गोली से मारे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

मुझे कुछ कहना है। मैं जानता हूं कि मुझे पूरे सदन के और इन सभी लोगों के विचारों इस सदन में प्रतिनिधित्व है या नहीं है और पूरे देश की आम जनता के सामने कहीं जाएंगी। हिंसा की यह घटनाएं लोकतंत्री संस्थाओं के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। यह लोकतन्त्र के विरुद्ध है। यदि हिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो लोकतन्त्र नहीं रह सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया इस बात का पता लगाएं कि इसके पीछे कौन है ?

अध्यक्ष महोदय : हमें इसका पता लगाना है जब इस पर विचार किया जाए। अब हमारी प्रणाली ऐसी है कि हम उसके द्वारा संविधान को बदल सकते हैं, हम नियमों को बदल सकते हैं तो हिंसा क्यों होती है ? अभी-अभी चुनाव हुए हैं। हम मिलकर बैठ सकते हैं और कोई रास्ता निकाल सकते हैं। हम संविधान में उल्लिखित उचित तरीकों से कुछ भी कर सकते हैं।

यह गांधी जी की भूमि है। उन्होंने अहिंसात्मक युद्ध किया। सभी जगह हिंसा है, पंजाब में, गुजरात में और अब आदिवासी हिंसा। मैं इससे बहुत चिंतित हूं। मैं इस आदिवासी विषय पर कल एक विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे रहा हूं। मैंने इसे गृहीत कर लिया है। मुझे आप सबसे अपील करनी है। यह एक ऐसी बात है जिसमें देश के सभी लोगों को दिलो-दिमाग से सोचना चाहिए और हमें इस खतरे के विरुद्ध लड़ना है। हमें इस बुराई के विरुद्ध लड़ना है। यह एक ऐसी चीज है जो सारे देश के संपूर्ण वातावरण, जनता की खुशहाली को नष्ट कर देगी। इस के विरुद्ध हमें एक हो जाना चाहिए। प्रत्येक रास्ता खुला है। किसी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया हुआ है, यहां तक कि कोई भी व्यक्ति सरकार को बर्खास्त कर सकता है। यह कार्य चुनाव के जरिए किया जा सकता है। वे सरकार बना सकते हैं। इन्होंने सरकार बनाई है। वे इसे पुनः बना सकते हैं। वे अपने अधिकार का प्रयोग करें। हमें इन चीजों को देश में लोकतन्त्र को नष्ट नहीं करने देना चाहिए तथा इन्हें सफल नहीं होने देना चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मामला प्रस्तुत करना चाहता हूं । निर्धन किसानों की सैंकड़ों एकड़ भूमि.....**

अध्यक्ष महोदय : आप यह मुझे दे दें । मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री के० के० तिवारी : **.....

मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है । 'संडे' में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है । इस मामले की जांच की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा । यह संदर्भ रिकार्ड में दर्ज नहीं होगा । मैं इसका पता लगाऊंगा । मुझे इसका पता लगाना होगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : यदि यह सच है तो इसकी जांच की जानी चाहिए । यदि यह सच नहीं है .....

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी कुछ नहीं कह सकता । मुझे इसका पता लगाना है ।

श्री टी० वसीर (चिरायिकिल) : महोदय, हमने केरल में मिट्टी के तेल से मृत्यु संबंधी मामले के संबंध में रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की है और मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सभी कदम उठाए जाएंगे और स्टाक को रोक लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री टी० वसीर : अभी भी मौतें हो रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप फिर से सूचना दें और हम मन्त्री जी से फिर पूछेंगे ।

श्री टी० वसीर : मन्त्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था 24 मौतें हो चुकी हैं । आप मन्त्री महोदय से कहें.....

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : मैंने आज उड़ीसा में पेयजल के अत्यन्त अभाव के संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे नहीं देखा है । यह मुझे नहीं मिला है ।

श्री अच्युत बक्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, बैंकों से बेरोजगार युवकों को ऋण देकर उनकी सहायता करने की अपेक्षा है और इसके लिए उन्हें कोई प्रति भूति नहीं लेनी चाहिए । वे प्रति भूति के बहाने ऋण देने से इन्कार कर रहे हैं । महोदय, आप जानते हैं कि एक मामला सामने आया है । जिसमें कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राजनैतिक दबाव पर 18 करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिया है.....

**अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दें। मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

श्री अमल दत्त : महोदय, आप जानते हैं कि यह मामला हरियाणा में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। यदि इसमें कुछ वास्तविकता हुई तो हम इस पर विचार करेंगे।

डा० कृपासिन्धु भोई (संबलपुर) : महोदय, तमिलों के नरसंहार के बारे में.....

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में निर्णय कर लिया गया है।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : महोदय, पेयजल का अत्यन्त अभाव है.....

अध्यक्ष महोदय : पेयजल के अभाव के बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है। क्या आप सदन में उपस्थित नहीं थे ?

श्री जगन्नाथ पटनायक : उड़ीसा में स्थिति बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय : देश के प्रत्येक भाग पर विचार किया गया है।

श्री चितामणि जेना (बालासोर): महोदय, पाकिस्तान द्वारा हथियार प्राप्त करने के कारण एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है.....

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार न बोलें। आप सूचना दें।

11.58 म०घु०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कैडेट कोर (बालिका डिवीजन) तीसरा संशोधन नियम, 1985 और रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की व्यौरेवार मांगें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री पी० वी० नरसिम्हा रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर (बालिका डिवीजन) तीसरा संशोधन नियम, 1985 (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो 23 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 57 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए एल०टी० संख्या 747/85]

(2) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए एल०टी० संख्या 748/85]

भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन) संशोधन नियम, 1985, भारतीय कृषि अनुसंधान निगम सोसाइटी के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण, आदि ।

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन) संशोधन नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 4 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 286 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए एल०टी० संख्या 749/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय दुग्धशाला निगम, बड़ौदा, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय दुग्धशाला निगम, बड़ौदा, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, उसपर [illegible] के बारे में नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए एल०टी० संख्या 750/85]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राजस्थान राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकलाप की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि-उद्योग निगम सीमित, जयपुर, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रख गये । देखिए एल०टी० संख्या 751/85]

कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : मैं कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सेब श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1984, जो 15 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1036 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) मिश्रित हींग श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1984, जो 20 मार्च, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 1156 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) जीरा श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1984, जो 20 मार्च, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1157 में प्रकाशित हुए थे ।

(4) कड़े बाल श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1984, जो 24 मार्च, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1158 में प्रकाशित हुए थे ।

(5) प्याज श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1984, जो 29 मई, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1932 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए एल०टी० संख्या 752/85]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा० का० नि० 354 (अ) और 355(अ), जो 11 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो लाइसेंस शुदा शौकिया रेडियो आपरेटर द्वारा भारत में आयातित बेतार के यन्त्रों, उपांगों और संघटकों को, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल, उपसंगी और अतिरिक्त सीमा शुल्कों से 31 दिसम्बर, 1985 तक छूट देने के बारे में है ।

(2) सा० का० नि० 358(अ), जो 12 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 117-सी०शु०में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आयात की जा सकने वाले माल की सूची का विस्तार किया जा सके ।

(3) सा० का० नि० 359(अ), जो 12 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन,जो अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कतिपय कच्चे माल को, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमाशुल्कों से उस स्थिति में छूट देने के बारे में है, जब आयात-नीति 1985-86 के निबंधनों के अनुसार जारी किए गए आयात पुनर्पूर्ति लाइसेंसों के अन्तर्गत उनका आयात भारत में किया जाये ।

(4) सा० का० नि० 360 (अ), जो 12 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 95/85-सी०शु० के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं को, जब उनका पुनर्पूर्ति लाइसेंसों के अधीन आयात किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(5) सा० का० नि० 361 (अ), जो 12 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 19 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 120-सी० शु० को रद्द किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए एल०टी० संख्या 753/85]

12.00 मध्याह्न

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

नारियल के मूल्यों में भारी गिरावट तथा नारियल के पौधों की जड़ के मुरझाने का रोग लगने के कारण किसानों को भारी संकट का समाचार

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"नारियल के मूल्यों में भारी गिरावट तथा नारियल के पौधों में जड़ के मुरझाने का रोग लगने के कारण किसानों को वित्तीय संकट का समाचार और इस मामले में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, हालांकि नारियल एक बारह-माही फसल है और इसकी कटाई सारा साल होती है, केरल के बाजारों में आमतौर पर नारियल की सब से अधिक आमद फरवरी से अप्रैल तक के मौसम में होती है। अन्य सभी फसलों की तरह कटाई के तत्काल बाद के मौसम में असामान्य कमी के वर्ष को छोड़कर, मूल्यों में गिरावट आती है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि केरल में वर्ष 1982 में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था और नारियल की फसल पर इस सूखे का प्रभाव 1983-84 में महसूस किया गया था। इसके नतीजे के तौर पर नारियल के उत्पादन में बहुत अधिक गिरावट आई। 1982-83 में 31,840 लाख नारियल का उत्पादन हुआ था, जो 1983-84 में घटकर 26,950 लाख नारियल रह गया। इसके अनुरूप 1983-84 में नारियल, खोपरा और नारियल के तेल के मूल्य सामान्य से अधिक प्राप्त हुए और ये मूल्य दिसम्बर, 1984 तक ऊंचे स्तर पर बने रहे। जनवरी, 1985 से मूल्य कम होने शुरू हो गए। दिसम्बर, 1984 में कोचीन के बाजार में महीने के अन्त में प्रति हजार नारियल का मूल्य 3,000 रुपए था। ये मूल्य गिरकर जनवरी, 1985 में 2,900 रुपए, फरवरी, 1985 में 2,150 रुपए, मार्च, 1985 में 2,050 रुपए और 5 अप्रैल, 1985 को 1,950 रुपये हो गए। कोझीकोड बाजार में इसके अनुरूप मूल्य दिसम्बर, 1984 में 2,550 रुपए थे, जो जनवरी, 1985 में बढ़कर 2,925 रुपए हो गए और फरवरी, 1985 में घटकर 2,200 रुपए तथा पुनः मार्च, 1985 में और घटकर 2,000 रुपए और 5 अप्रैल, 1985 को 1,900 रुपए हो गए फिर भी, मूल्यों में यह गिरावट केरल के मुख्य बाजारों में पिछले साल विद्यमान मूल्यों के बहुत ऊंचे स्तरों से हुई। इस गिरावट के बावजूद मौजूदा मूल्य 1982 और 1983 में इन्हीं महीनों के दौरान विद्यमान मूल्यों के मुकाबले में कहीं अधिक हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1983-84 में सूखे की वजह से उत्पादन में बहुत अधिक कमी होने के कारण उपलब्धि बहुत ही कम थी और नतीजे के तौर पर मूल्य बढ़ गए। माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि नारियल के वर्तमान मूल्यों की तुलना पिछले साल के असामान्य तौर पर अधिक मूल्यों से करना ठीक नहीं होगा। वास्तव में, जनवरी से मार्च, 1985 की अवधि में महीने के अन्त में नारियल के औसत मूल्य पिछले तीन सालों को मिलाकर इसी अवधि के औसत मूल्य से काफी अधिक हैं। इस संदर्भ में नारियल का मौजूदा मूल्य स्तर एल्लेपी में 52.5%, कोचीन में 33.5% और कोझीकोड में 31% अधिक है।

नारियल पाम के लिए जड़ मुरझान कमजोर कर देने वाला रोग है। यह केरल में कई दशकों से विद्यमान है। फिर भी रोग का फैलाव केरल के आठ जिलों तक सीमित है। इस रोग को दूर करने या इसके उपचार का कोई उपाय नहीं है। नियंत्रण के उपायों में रोग की गहनता को कम करने के लिए अनुसन्धान द्वारा विकसित कुछ उन्नत प्रबन्ध पद्धतियां अपनाना और अधिकता वाले मामलों में रोग-ग्रस्त नारियल को प्रतिस्थापित करना शामिल है। केरल में इस रोग का प्रकोप होने पर पहले कई मौकों पर सर्वेक्षण किए गए थे। केन्द्रीय बागानी फसल अनुसन्धान संस्थान, केरल राज्य सरकार, नारियल विकास बोर्ड, विकास अध्ययन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, केरल कृषि विश्वविद्यालय और कोचीन स्थित भारत सरकार के केन्द्रीय वनस्पति रक्षण केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से 1984 में केरल के आठ जिलों में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि 1976 में किए गए पिछले सर्वेक्षण के बाद से नारियल के फल वाले वृक्षों में इस रोग के प्रकोप में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जड़ मुरझान रोग के अलावा, केरल में नारियल की उत्पादकता में रुकावट पैदा करने वाला एक अन्य पहलू जरामूलक पामों की मौजूदगी है। जड़ मुरझान रोग तथा जरामूलक पामों के फलस्वरूप, प्रति पाम गिरी का उत्पादन कम होता है। रोगग्रस्त और जरामूलक पामों के स्थान पर रोग मुक्त उन्नत किस्में लगाने के लिए अनेक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। केरल में नारियल का उत्पादन तथा

उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार नारियल विकास बोर्ड तथा भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए कार्यक्रमों को अमल में ला रही है । केरल में नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये उठाए गए महत्वपूर्ण कदम ये हैं :—

(क) संकर और अधिक उपज देने वाली अन्य किस्मों की रोगमुक्त पौध का उत्पादन और वितरण;

(ख) खेती की उन्नत पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन;

(ग) रोगग्रस्त तथा अनुत्पादक नारियल की जोतों का सुधार; और

(घ) रोगग्रस्त तथा अनुत्पादक पामों के प्रतिस्थापन के लिए वित्तीय सहायता ।

12.03 म०प०

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

इन प्रयासों के फलस्वरूप, 1983-84 में सूखे की वजह से उत्पादन में आई गिरावट को छोड़ कर, केरल में नारियल का उत्पादन पिछले पांच सालों से सालाना 30,000 लाख गिरी से कभी कम नहीं हुआ है । चालू वर्ष में, उत्पादन इससे भी अधिक होने की सम्भावना है ।

केरल में नारियल बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और राज्य की अर्थ व्यवस्था में इसका बहुत अधिक योगदान रहा है । मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार को स्थिति की पूरी जानकारी है और राज्य में नारियल उत्पादकों की मदद के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाए गए हैं ।

श्री टी० बशीर : महोदय, मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने नारियल के मूल्यों में गिरावट को उचित ठहराने का प्रयास किया है । यह बहुत ही आपत्तिजनक है । महोदय नारियल केरल की मुख्य फसल है और इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव है । देश में नारियल की खेती की 65 प्रतिशत खेती केरल में होती है । नारियल की कृषि योग्य भूमि का 90 प्रतिशत जोत क्षेत्र एक एकड़ से कम है । यदि कोई केरल जाता है तो देखता है कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति नारियल की खेती करता है । महोदय, नारियल जटा और गिरी निकालना दो प्रमुख पारंपरिक उद्योग हैं जो नारियल बागान पर आधारित हैं । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि केरल की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का सम्पूर्ण ढांचा नारियल की खेती पर आधारित है । आदानों और मजदूरी के मूल्य बढ़ने के कारण खेती की लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि 1983 में केरल में भारी सूखा पड़ा और नारियल का उत्पादन कम हो गया था । वर्ष 1983 में पड़े सूखे का प्रभाव अब नारियल की खेती पर कम हो रहा है । परन्तु यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि नारियल के मूल्य अचानक 4 रुपये प्रति नारियल से कम होकर 2 रुपए प्रति नारियल हो गए हैं अर्थात् नारियल के मूल्य में 100 प्रतिशत की गिरावट है । नारियल के तेल का मूल्य भी 44,000 रुपये प्रति कि० से कम होकर 20,000 रुपये प्रति कि० हो गया है । अतः यह बहुत ही दुख की बात है और केरल के लोग इस मामले में घबराए हुए हैं ।

महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में नारियल के मूल्य में गिरावट को उचित ठहराने का प्रयास किया है । यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है । वे नारियल के वर्तमान मूल्यों की पूर्ववर्ती वर्ष के मूल्यों से तुलना कर रहे थे । उन्होंने अपने वक्तव्य में इस प्रकार कहा है

> "माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पिछले वर्ष नारियल के असाधारण अधिक मूल्यों की तुलना वर्तमान मूल्यों से करना उचित नहीं है ।"

महोदय, पिछले अनेक वर्षों से, नारियल के खेती करने वाले लोग नारियल के मूल्यों को स्थिर करने और नारियल का अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए आवाज उठा रहे हैं । इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार या कृषि मूल्य आयोग जैसी किसी सरकारी एजेंसी ने नारियल के मूल्यों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है ? यदि नहीं, तो मंत्री महोदय यह बताएं कि क्या सरकार या कृषि मूल्य आयोग का विचार इस संबंध में अध्ययन करने और इस संबंध में सिफारिशें देने का है । मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि नारियल के मूल्यों को स्थिर करने के लिए उनका विचार क्या उपाय करने का है । हमें पूरा विश्वास है कि हमें 4 रुपए प्रति नारियल का जो मूल्य मिल रहा है वह बिल्कुल उचित है । मंत्री महोदय के इस कथन पर मुझे आपत्ति है कि नारियल का यह मूल्य बहुत अधिक है । यह सच नहीं है । मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे नारियल के मूल्य में अचानक आई गिरावट को ध्यान में रखकर इसका समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।

अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि नारियल विभाग के लिए अनेक योजनाएं हैं । परन्तु जहां तक मुझे सूचना मिली है केरल सरकार ने केन्द्र की स्वीकृति के लिए तीन योजनाएं प्रस्तुत की हैं । उनमें से एक पैकेज कार्यक्रम है जिसे 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है । परन्तु केन्द्र सरकार ने वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्ष 1983-84 के बाद इसे जारी रखने के लिए स्वीकृति प्रदान करेगी क्योंकि केन्द्र सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में राज्य सरकार इसे जारी रखे हुए है ।

राज्य में नारियल की फसल के विकास के लिए राज्य सरकार ने दो अन्य योजनाएं पेश की हैं । पहली योजना उत्पादन और उन्नत नारियल के पौधों के वितरण की है और दूसरी योजना व्यापक नारियल विकास कार्यक्रम के लिए है । केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत सहायता प्राप्त उक्त दो कार्यक्रम पेश किए गये थे । भारत सरकार अन्य राज्यों में उगाये जा रहे तिलहनों के विकास के लिए उदारता से वित्तीय सहायता दे रही है । परन्तु वह नारियल उत्पादन के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी उक्त योजना जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, भारत सरकार स्वीकार करती है ।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह जड़ें मुरझाने (रूट-विल्ट) की बीमारी है, मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि उक्त बीमारी केरल में कई दशकों से विद्यमान है, इस बात को मैं दुहराना चाहता हूं कि यह कई दशकों से है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमारे वैज्ञानिक इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं । उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि वर्ष 1976 में एक और आठ वर्ष बाद 1984 में द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था, तब यह पता लगा कि इस अवधि के दौरान बीमारी 30 प्रतिशत बढ़ गयी है । आप स्थिति को अच्छी तरह समझ सकते हैं; सरकार इस सम्बन्ध में असमर्थता प्रकट कर रही है । माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है ।

वास्तव में जड़े मुरझाने (रूट-विल्ट) की बीमारी से लगभग 65% नारियल के पेड़ संक्रमित हैं । लगभग 2,50,000 हेक्टेयर नारियल बागान को उक्त बीमारी से नुकसान पहुंचा है जिसके कारण अनुमानतः लगभग 30 करोड़ नारियलों का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है । इसलिए आप इस बीमारी की गम्भीरता का अंदाजा लगा सकते हैं ।

इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ? वास्तव में इस काम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कर्याकुलम स्थित अनुसंधान केन्द्र को सौंपा गया था । वे क्या कर रहे हैं ? इन अध्ययनों और परीक्षणों के बाद उन्होंने सुझाव दिया है : "आप नारियल के रोगों और नारियल के पेड़ों को काट दें और नये पौधे लगायें" वे इस प्रकार का उपाय सुझा रहे हैं । क्या इस प्रकार का सुझाव देने के लिए किसी वैज्ञानिक प्रतिष्ठान की जरूरत है ? किसी वैज्ञानिक प्रतिष्ठान की जरूरत नहीं है । अनुसन्धान संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार की सलाह दी गयी है ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कर्याकुलम स्थित अनुसंधान केन्द्र ने नये क्षेत्रों और नये पेड़ों तक उक्त बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ उपायों का विकास किया है । क्या उन्होंने बीमारी के कारण का पता लगा लिया है । उनके निष्कर्ष क्या हैं : इस बीमारी के उन्मूलन के लिए उन्होंने किन उपायों का विकास किया है ?

दूसरी महत्वपूर्ण बात नारियल के मूल्य के बारे में है जो नारियल के तेल के मूल्य पर निर्भर करती है । इस बात की भारी आशंका है कि सरकार इस वर्ष नारियल के तेल का आयात करने वाली है । पिछले साल देश में कमी को पूरा करने के लिए 10,000 मीट्रिक टन नारियल के तेल का आयात किया गया था । लेकिन इस वर्ष 80.5 लाख नारियल के बढ़े हुए उत्पादन से लगभग 1,16,000 मीट्रिक टन तेल का उत्पादन होगा । इस से निश्चित रूप से हमारी मांग पूरी हो जायेगी । इसलिए इस सन्दर्भ में नारियल के तेल का आयात करने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए क्या माननीय मन्त्री इस वर्ष नारियल के तेल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाकर राज्य के नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आगे आयेंगे । मैं माननीय मंत्री से विशिष्ट उत्तरों की अपेक्षा करता हूं ।

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने एक पूरक प्रश्न पर 4 या 5 प्रश्न जोड़ दिये हैं । मैं एक-एक करके उनका उत्तर दूंगा ।

सबसे पहले वे उन अनुसन्धान अथवा उपचारात्मक उपायों से सन्तुष्ट नहीं हैं। जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा हमारे देश के वैज्ञानिक सुझा रहे हैं। उन्होंने यह कहते हुए एक अत्यंत साधारण व्यक्तव्य दिया है कि पौधों को काटने जैसा सुझाया गया हल कोई भी व्यक्ति दे सकता था और इसके लिए वैज्ञानिकों की आवश्यकता नहीं थी। इस का मतलब यह हुआ कि यदि चीरफाड़ (सर्जरी) की जानी है तो सर्जन की जरूरत नहीं है। किसी भी बीमार अंग को कोई भी व्यक्ति काट कर फैंक सकता है। किसी भी स्वस्थ पौधे को लगाने का सर्वाधिक वैज्ञानिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि बीमार पौधे को उखाड़ा जाए। इससे न केवल बीमारी अपने आप नियंत्रित होगी बल्कि उससे एक पौधे से दूसरे पौधे में बीमारी का फैलना भी रुक जायेगा। माननीय सदस्य वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गये विभिन्न उपायों की जानकारी चाहते हैं। इस बीमारी को रोकने के विभिन्न उपाए शुरू करने और सुझाने हेतु अत्यंत गम्भीरता से प्रयास किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है। यह बीमारी दस वर्ष से अधिक समय से विद्यमान है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि वैज्ञानिक अभी तक इसका सही इलाज ढूंढ पाने में असमर्थ रहे हैं, यह बीमारी अब केरल के त्रिवेन्द्रम, क्विलोन, पट्टानामथिट्टा, ऐर्नाकुलम, त्रिचूर, इडुकी, अल्लप्पी और कोट्टायम नामक आठ जिलों में फैल गयी है। तमिलनाडु के लगे हुए जिलों में भी यह बीमारी पायी गयी है। यह एक अनोखी किस्म की बीमारी है जो पत्तों और पौधे के रंग को प्रभावित करती है। इससे पौधे के विकास और उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ता है केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल में किए गए परीक्षण से रुग्ण पौधों में माइकोप्लज्मा जैसे जीव का पता लगा है। केरल सरकार, केरल कृषि विश्व विद्यालय, नारियल विकास बोर्ड, कोचीन, सेन्टर फार डिवलपमेंन्ट स्टडीज, त्रिवेन्द्रम और सेन्ट्रल प्लांट प्रोटेक्शन स्टेशन, कोचीन के साथ सेन्ट्रल प्लान्ट प्लान्टेशन क्राप रिसर्च इन्स्टीच्यूट द्वारा अगस्त, 1984 में किए गये नमूना सर्वेक्षण के अनुसार यह पता लगाया गया है कि आठ जिलों में रूट-विल्ट बीमारी से लगभग 4.1 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित है, अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने अनुसंधान कार्यक्रम का विस्तार कायोंकुलम स्थित केन्द्रीय बागान अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र तक कर दिया है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। उन्होंने जड़ों सम्बन्धी बीमारी का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने के आधार में तेजी लाने का निर्णय किया है। बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए सघन अनुसंधान और कुछ बचाव के उपायों का पता लगाया गया है। मुख्य रूप से निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया है।

'रूट-विल्ट' बीमारी से पीड़ित पौधों को उखाड़ना और उनके स्थान पर निरोग क्षेत्र में डी० एक्स० टी० युक्त रोगमुक्त पौधों को लगाना, प्रभावित पौधों को पुनः लगाना, आर्गेनिक रिसाइक्लिंग, मिश्रित फसलें उगाना, अन्तर्फसलें, पौधों के लिए पोषक तत्वों को बढ़ाना, फफूंदी-नाशक दवाओं का छिड़काव और सिंचाई सहित सुव्यवस्थित प्रबन्ध की व्यवस्था अपनाना। इन उपायों को चलाने के लिए इनका केवल सुझाव ही नहीं दिया गया है, बल्कि सरकार का भी विशेष सहायता देने का प्रस्ताव है। अब छठी पंचवर्षीय योजना में नारियल उत्पादकों को केरल में रुग्ण पौधों को उखाड़ फैंकने के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना क्रियान्वित की गयी थी और जहां इस बीमारी से प्रभावित पौधे हैं उन सभी आठ जिलों को नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से वितरण किए जाने के लिए 84.75 लाख रुपए जारी किए जा

चुके थे । योजना के अनुसार उत्पादकों को रोग से प्रभावित पेड़ को उखाड़ फैंकने के लिए 75 रुपया प्रति पेड़ की दर से नकद और पौधों की कीमत तथा उर्वरकों और पीड़क अनुरक्षक रसायनों जैसे आदानों के रूप में 50 प्रतिशत राज सहायता दी गयी थी। केरल में रुग्ण और अनुत्पादक पौधों के नवीकरण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक दूसरी योजना चलायी गयी है । इस योजना के अंतर्गत 4.54 संकर पौधों की और 50 प्रतिशत कीमत पर उर्वरकों की सप्लाई शामिल है । छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना की लागत 102.93 लाख थी जिसमें केन्द्र और राज्य की बराबर की हिस्सेदारी होनी थी ।

माननीय सदस्य ने आशंका जाहिर की है कि उक्त योजना समाप्त कर दी जायेगी । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उक्त योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगी। माननीय सदस्य मुझसे इस बात को ले कर बहुत खफा हैं कि मैंने मूल्य में गिरावट आने का औचित्य को सही साबित करने का प्रयास किया है । ऐसी बात नहीं है । मैंने तो केवल वर्तमान मूल्य की पिछले दो या तीन वर्षों के मूल्य से तुलना करने का प्रयास किया है।

श्री टी० बशीर : आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह मूल्य भी अधिक है ।

श्री बूटा सिंह : नहीं, नहीं । मैं तो सदन के सामने यह प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था कि वर्तमान मूल्य तीन-चार वर्ष पूर्व के मूल्य से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं । और पिछले वर्ष जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया था कि मूल्य असामान्य रूप से अधिक था, उस वर्ष भयंकर सूखा पड़ा था पौधों की पैदावार घट गयी थी और इसलिए उत्पादन बहुत कम हुआ था इसलिए वहां पर जो भी उपलब्ध हुआ, उससे मूल्यों में वृद्धि हुई और हम मूल्यों को उस स्तर तक नहीं रख सके, भाग्यवश इस बार उत्पादन अच्छा हुआ है और जो सामान आ रहा है वह भी पर्याप्त है और फरवरी से अप्रैल के बीच विशेष रूप से भरी पूरी फसल के दौरान मूल्यों का रुख गिरावट का होता है । ऐसा केवल नारियल के ही मामले में नहीं होता बल्कि प्रायः सभी किस्म की फसलें जब बाजार में पहुंचती हैं तो मूल्यों में कमी होती है ।

मैं सम्माननीय सदन के सामने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस समय बाजार में जो मूल्य हैं वह पिछले वर्ष को छोड़ कर तीन या चार वर्ष पूर्व के मूल्यों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं । मूल्यों, विशेष रूप से कृषि उत्पादों के स्तर को बनाए रखने की हमेशा गुंजाइश रहती है । मूल्यों को हमेशा एक ऐसे स्तर पर रखा जाना चाहिए जहां पर किसानों को बाहर जाकर अपने माल को खिन्न हो कर बेचना न पड़े ।

हाल में हमने राज्य सरकार के साथ जांच की थी और राज्य सरकार से हमें यह उत्तर प्राप्त हुआ है कि बाजार में वर्तमान मूल्य इतने कम नहीं हैं कि जिससे कि किसानों को माल विवश होकर बेचना पड़ लेकिन मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं जब माननीय मुख्य मंत्री यहां आये थे तो उनसे इस सुझाव पर चर्चा हुई थी, नारियल के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करना हमारे लिए कठिन हो रहा है क्योंकि नारियल उत्पाद का श्रेणीकरण करना बहुत कठिन है क्योंकि अन्य फसलों से भिन्न आकार के अनुसार इसके मूल्य भी भिन्न होते हैं । जबकि अन्य फसलों के मामले में इसे उचित और औसतन किस्म का नाम देकर

आप सामान्य निर्णय ले सकते हैं लेकिन यहां पर ऐसा करना काफी कठिन है । इस स्थिति से हम भलीभांति परिचित हैं और राज्य सरकार हमें सहयोग दे रही है । समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है । समर्थन मूल्य नैतिक समर्थन देने के लिए होता है । यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों को उचित मूल्य मिले और उन्हें विवश होकर माल बेचना न पड़े । प्रायः अधिकांश मामलों में जहां पर हमने समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं हमने देखा है कि समर्थन मूल्य के स्तर से बाजार भाव हमेशा अधिक होते हैं । यहां पर भी मेरे विचार से यह सम्भव नहीं होगा । फिर भी हम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसानों को अपना उत्पाद विवश होकर कम दामों में न बेचना पड़े ।

माननीय सदस्य ने स्वयं उल्लेख किया है कि वर्ष 1984 में नारियल के दामों में वृद्धि हुई थी जैसा कि मैंने बतलाया था कि वर्ष 1983 में भयंकर सूखे के कारण उत्पादन में गिरावट आयी थी और मूल्यों में उछाल आया था तथापि सम्भावित अधिक उत्पादन और बाजार में अधिक माल आ जाने के कारण 1985 में मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हुई । मार्च के अन्त तक नारियल के मूल्य में और नारियल के तेल में कमी आ गयी थी । तथापि 5 अप्रैल को, जिस दिन के आंकड़े उपलब्ध हैं, खोपड़ा और नारियल के तेल के दाम मार्च के अन्त के दामों की तुलना में अधिक थे । मैंने कहा था कि पिछले तीन या चार वर्षों के मूल्य की तुलना में वर्तमान मूल्य बेहतर हैं ।

जहां तक नारियल के तेल के आयात का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने यह आशंका फिर से जाहिर की है कि शायद भारत सरकार नारियल के तेल का आयात करने के लिए अत्याधिक इच्छुक है जिस के कारण खोपड़ा और नारियल के दामों में गिरावट आ जायेगी।

कुछ क्षेत्रों में इस बात की चर्चा है कि गिरी और नारियल के तेल का आयात करके नारियल के दामों में गिरावट लाने की योजना बनायी जा रही है । यह सच है कि केरल में सूखे के कारण खोपड़ा और नारियल के उत्पादन में गिरावट आयी है और उक्त मदों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है । इसलिए सरकार ने राज्य व्यापार निगम, जो खाद्यान्न तेल का आयात करने के लिए सारणीबद्ध एजेंसी है, को कुछ नारियल के तेल का आयात करने की सलाह दी थी और स्वदेशी तेल के मूल्य पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए अप्रैल 1984 में राज्य व्यापार निगम द्वारा 9,044 टन नारियल के तेल का आयात किया गया था । इस खेप को दिल्ली, बम्बई, गोआ, बंगलौर, अहमदाबाद, मद्रास कोयम्बटूर, मन्दुरै और हैदराबाद के बाजार में भेजा गया था । सरकार ने 1984 से पूर्व नारियल के तेल का आयात नहीं किया था । स्वदेशी नारियल के तेल के मूल्य पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए अप्रैल 1984 में एक सामयिक व्यवस्था की गयी थी । यह प्रस्ताव नहीं किया गया है कि निकट भविष्य में नियमित रूप से इस तेल का आयात किया जायेगा । मुझे विश्वास है कि मैंने सभी मुद्दों को अपने वक्तव्य में शामिल कर लिया है ।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : मेरे माननीय सहयोगी श्री बशीर ने केरल की अर्थ-व्यवस्था में नारियल के महत्व का पहले ही उल्लेख कर दिया है । कुल खेतिहर क्षेत्र का

सिंहाई क्षेत्र इसके अन्तर्गत आता है । लगभग 20 लाख परिवार या मोटे तौर पर हमारी जनसंख्या का 40 प्रतिशत भाग नारियल उत्पादन में लगा हुआ है ।

हमारे राज्य के लोगों के दैनिक जीवन में इसके पेड़ का जो स्थान है दूसरे किसी भी राज्य में वह स्थान किसी भी पेड़ का नहीं है । आप जानते हैं कि हमारे राज्य में अपना नाम भी इसी पेड़ के नाम पर रखा है। केरल का मतलब केरा अर्थात नारियल की भूमि है । इसके पेड़ का प्रत्येक भाग अर्थात् जड़ से फूल तक हमारे लोगों के लिए उपयोगी है । मैं इस पेड़ के प्रत्येक भाग का वर्णन नहीं करने जा रहा हूं । इसकी असामान्य उपयोगिता के कारण केरल में इसे कल्प वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है । देश भर में इसे कल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है ।

अब हमारा कल्प वृक्ष किस हालत में है ? यदि वर्तमान दुखद स्थिति जारी रहती है तो केरल के सामने देश में नारियल उत्पादन के सर्वोच्च स्थान को खोने का खतरा है । यदि यह रोग और मूल्यों में यह उतार-चढ़ाव जारी रहता है तो केरल से यह स्थान तमिलनाडु ग्रहण कर लेगा ।

सबसे पहले मैं रोग की चर्चा करूंगा। रोग की पहली घटना का वर्ष 1882 में पता लगा । अंग्रेजी शासन के दौरान अर्थात् 100 साल से अधिक समय पूर्व पहले मामलों का समाचार सेन्ट्रल केरल से मिला । सेन्ट्रल केरल से यह दक्षिणी और उत्तरी केरल की ओर फैला । यह कहना सही नहीं है कि केवल 8 जिले इससे प्रभावित हैं । केरल के सभी जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं । सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र के नारियल के पौध इस रोग से प्रभावित हैं । राज्य के कृषि विभाग और अन्य कुछ संस्थानों के साथ सी० पी० सी० आर० आई० द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि इस रोग के कारण केरल को प्रति वर्ष लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान होता है । कासरगौड और कर्याकुलम स्थित सी० पी० सी० आर० आई० एक पिछले 30-35 वर्षों से अनुसंधान कर रहे हैं । यह बड़ी दुखद स्थिति है कि हमारा देश, जिसके पास अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, इस रोग के निदान का पता नहीं लगा सका है इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था बल्कि सारे देश पर भारी कुप्रभाव पड़ रहा है । मैं सी० पी० सी० आर० आई० के वैज्ञानिकों अथवा किसी दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं ये बहुत योग्य व्यक्ति हैं परन्तु सरकार उनके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं कर रही है । मैं केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि इस रोग के बारे में जिसने हमारे राज्य में नारियल के सभी पौधों को अपना शिकार बना लिया है, गम्भीर नहीं है । मेरे विचार से यह रोग विश्व के किसी अन्य नारियल उत्पादक भाग में नहीं है, यह केवल केरल में पाया जाता है । इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से सी० पी० सी० आर० आई० के वैज्ञानिकों को, जो इस पर काम कर रहे हैं और यहां के कृषि विश्व विद्यालयों की प्रतिभाओं का उपयोग करने हेतु अधिक धनराशि की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं । जब गैहूं की फसल के साथ ऐसा हुआ था तो हमारे देश के कृषि विश्वविद्यालयों की प्रतिभाओं का समुचित उपयोग किया गया था ।

महोदय, इसके बाद मैं मूल्यों की चर्चा पर आता हूं । माननीय मंत्री बड़ी चालाकी से इस तथ्य को छिपा गये हैं कि मूल्य में उतार चढ़ाव खोपड़ा और नारियल के तेल का आयात करने

के कारण आया है। मैं इस बात को विशेष रूप से कहता हूं मूल्यों में उतार चढ़ाव केवल नारियल और खोपड़ा के आयात के कारण हुआ है। मेरे पास सेन्टर फार डेवलपमेन्ट स्टडीज का शोध पत्र है जिसके साथ डा० के०एन० राज और डा० आई०एस० गुलाटी जैसे प्रमुख अर्थशास्त्री संबद्ध है। इस शोध पत्र में विशेष रूप से कहा गया है कि नारियल के मामले में मूल्यों में उतार चढ़ाव केवल आयात के कारण होता है। उक्त आयात व्यवसाय वर्ष 1930 अर्थात् अंग्रेजों के शासन काल से शुरू हुआ और मूल्यों में यह उतार-चढ़ाव उसके बाद से शुरू हुआ। तब से आज तक केरल के नारियल उत्पादकों, केरल के लोगों की यह मांग सही है कि इस आयात को बन्द किया जाये। खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत उक्त आयात क्यों मंजूर किया गया है, मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं। क्या ऐसा इसलिये किया जाता है कि हमारा आन्तरिक उत्पादन औद्योगिक और खाद्यान्न के प्रयोजन के लिये अपेक्षित जरूरत से बहुत कम है ? नहीं, हमारे देश में औद्योगिक और खाद्यान्न के प्रयोजन के लिये आवश्यक नारियल, खोपड़ा और नारियल के तेल का अधिक उत्पादन होता है। ऐसा इस देश के उद्यमियों की मदद के लिये किया जाता है। रबड़ के मामले में भी ऐसा ही किया जाता है। जब भी रबड़ का आयात किया जाता है, केन्द्र सरकार यह कहते हुए उसे सुसंगत ठहराती है कि देश में रबड़ का पर्याप्त उत्पादन नहीं हुआ है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। नारियल के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। यह समस्या केवल केरल के लोगों की ही नहीं है बल्कि देश में उन सभी राज्यों के सभी किसानों की है जो नारियल का उत्पादन करते हैं। यह समस्या तमिलनाडु की है, आन्ध्र की है, कर्नाटक की है। उड़ीसा भी राज्य में नारियल उगाने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिये यह समस्या देश भर के सभी किसानों की है। क्या सरकार इस के आयात को बन्द करने के लिए तैयार है ? आप केरल के लोगों पर, केरल के किसानों पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं यदि वह यह आशंका प्रकट करते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ उद्यमी और एकाधिकारवादी सरकार में बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की मुट्ठी गरम करते हैं ताकि वे खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत नारियल का आयात करने की मंजूरी दे दें। मैं इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या नहीं करने जा रहा हूं लेकिन माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, इस क्षेत्र के कार्यरत वैज्ञानिकों के प्रतिनिधियों, कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों और केरल के नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक इस 'रूट विल्ट' बीमारी की समस्या के तुरन्त हल का पता लगाने के लिये तथा अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करने हेतु बुलायेंगे। मेरा कहने का आशय यह है कि सरकार को इस 'रूट विल्ट' बीमारी से युद्ध स्तर पर निबटना होगा अन्यथा यह हमारे राज्य की अर्थ व्यवस्था को नष्ट करने वाली है।

जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी श्री बशीर ने उल्लेख किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था का सारा ताना-बाना इसी उत्पाद के इर्द-गिर्द बुना गया है। इसलिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इससे युद्ध स्तर पर निबटना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार काटर-गौड और कायमकुलम स्थित सी०पी०सी०आर०टी० एककों में किये जा रहे अनुसंधान के लिये विशेष रूप से धनराशि निर्धारित करेगी ? यह बड़ी दुखद स्थिति है कि अनेक वर्षों से अनुसंधान होते रहने के बावजूद कोई हल नहीं निकल पाया है। आप इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं।

दूसरा खास प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार खोपड़ा और नारियल के तेल का आयात करना बन्द करेगी और क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को हाल में अर्थात् जनवरी

1985 से मूल्यों में आयी कमी के बारे में जानकारी दे दी है और खोपड़ा और नारियल के तेल के आयात को बन्द करने का अनुरोध किया है । यदि हाँ, तो उक्त अनुरोध किस तारीख को किया गया था और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । मेरे सहयोगी श्री बशीर ने समर्थन मूल्य का जिक्र किया है । यदि समर्थन मूल्य दिया जाता है तो इसका स्वागत है लेकिन हम सरकार से अनुग्रह की मांग नहीं करते हैं । हम चाहते हैं कि केरल के लोगों की कम से कम सही मांगों को पूरा किया जाये । केरल के लोगों की सही मांग यह है कि क्या सरकार उक्त उत्पादों के आयात पर रोक लगाने के लिये तैयार है । यदि उक्त आयात समाप्त किया जाता है तो इस में कोई सन्देह नहीं है कि केरल के किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल जायेगा ।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय उन कारणों का पता लगाने के बारे में जांच करवायेंगे जिनके कारण भारत में पर्याप्त मात्रा में नारियल का तेल और खोपड़े का उत्पादन होने और विदेशी मुद्रा में दबाव होने के बावजूद नारियल के तेल और खोपड़े का आयात करना पड़ा । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह बड़े उद्यमियों के प्रति किये गए अनुग्रह के आरोपों के संबंध में जांच करवायेंगे ।

मेरे उक्त प्रश्न हैं और मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से इनके उत्तरों की अपेक्षा करता हूं ।

श्री बूटा सिंह : महोदय, श्री बशीर द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि खोपड़ा और नारियल के तेल का आयात ओ०जी०एल० के आधार पर नहीं किया जाता है, और मैंने यह स्पष्ट वक्तव्य भी दिया है कि सरकार का खोपड़ा और नारियल के तेल का आयात निकट भविष्य में या नियमित रूप से करने का कोई विचार नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य हमसे आगे क्या उपाय करने की अपेक्षा रखते हैं ।

जब माननीय सदस्य रोग से प्रभावित क्षेत्र की तुलना करना चाहते थे, उन्होंने टिप्पणी की थी कि मैंने कहा था कि केवल आठ जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं । मेरा कहने का आशय यह था कि आठ जिलों में यह रोग बड़े पैमाने पर फैला है अन्य भागों में मामूली तौर पर था और जहां पर मामूली रूप में यह बीमारी है वहां पर हम पौधों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रोग न फैले । आठ जिलों के बारे में यह धारणा बना ली गई है कि रोग बड़े पैमाने पर फैला है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य सरकार व नारियल विकास बोर्ड द्वारा रोग न फैलने देने के लिये सम्मिलित प्रयास किये जा रहे हैं । विश्व के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के रोग फैले हैं । हम इस संबंध में हाथ पर हाथ धरे बैठे अथवा सोये हुए नहीं हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है । इस बीमारी का फैलना एक विश्वव्यापी सच्चाई है । फिलीपीन्स और जमैका जैसे अन्य देशों में भी इस प्रकार की बीमारी है और वह भयंकर रूप में है । लेकिन हम इससे सन्तुष्ट नहीं हो सकते हैं और हम इस बात के लिये सारे प्रयत्न कर रहे हैं कि यह न फैले । मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि इस संबंध में युद्ध-स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिये । ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम इस रोग के संबंध में गम्भीरता से कार्यवाही कर रहे हैं ।

न तो केन्द्रीय सरकार और न ही केरल सरकार इस मामले में सो रही है । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इस रोग पर ध्यान दिया जाये ।

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि नारियल के विकास पर कितना धन व्यय किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत एक मुश्त (पैकेज) कार्यक्रम आरम्भ किया गया था और इस पर 186.69 लाख रुपये की राशि व्यय की गई; और नारियल विकास बोर्ड की परियोजना के अन्तर्गत तमिलनाडु में संकर बीज उद्यानों की स्थापना और क्षेत्रीय नर्सरियों में 12 पायलट संकर बीज परीक्षण केन्द्रों पर 12.77 लाख रुपये व्यय हुए।

अच्छी किस्म की नारियल पौध के उत्पादन की परियोजना .	159 लाख रुपये
नारियल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार . .	125.97 लाख रुपये
प्राथमिक प्रोसेसिंग और विपणन को बढ़ावा . .	24.20 लाख रुपये
नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना . . .	10.10 लाख रुपये
नारियल उत्पादकों को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराना . .	29.604 लाख रुपये

वह जानना चाहते थे कि जड़-मुरझान रोग पर काबू पाने के लिये क्या किया गया है। जसा कि मैंने अपने पहले उत्तर में बताया कि केरल में जड़-मुरझान से प्रभावित नारियल फार्मों को हटाने के लिये 84.75 लाख रुपए मंजूर और व्यय किये गए। आपकी अनुमति से, मैं केरल में नारियल के विकास और नारियल उत्पादकों को बचाने के लिये सूखे की स्थिति में दी जाने वाली अन्य सहायता का ब्यौरा दे सकता हूं। यह कहना ठीक नहीं होगा कि पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया या काफी मात्रा में साधन उपलब्ध नहीं कराये गये। जो कुछ किया जा चुका है उसमें सुधार की हमेशा ही गुंजाइश रहती है और श्री बशीर के प्रश्न के मुख्य उत्तर में मैंने पहले ही कहा है कि भारत सरकार का सातवीं पंच वर्षीय योजना में भी इन परियोजनाओं को चालू रहने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्य अपनी राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे राज्य सरकार से दिनांक 28 मार्च का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि नारियल के तेल के आयात को बन्द कर दिया जाना चाहिये, जिसका उत्तर मैंने भिजवा दिया है।

1984 की पिछली तिमाही में व्याप्त मूल्य की तुलना में उपर्युक्त मूल्य, बहुत कम है, किन्तु 1982 में सूखे से पहले की अवधि की तुलना में यह बेहतर मूल्य है। जनवरी और फरवरी के महीने का औसत मूल्य 113.36 रुपये और 117.49 रुपए प्रति सैकड़ा था। एक ऐसे फार्म में जहां वैज्ञानिक तरीकों से कृषि की जाती है 100 नारियलों की उत्पादन लागत 52 रुपये आती है और अन्य स्थानों पर यह 125 रुपये आयेगी। इस आधार पर भी यह देखा जा सकता है कि इस समय भी मूल्य प्रवृत्ति आकर्षक है। श्री बशीर के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं यही बात बता रहा था। महोदय, इसलिये हम राज्य सरकार से लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं, और मैं माननीय सदस्यों का यह प्रस्ताव मानने को तैयार हूं कि, इस रोग की गम्भीरता और हमारे देश में नारियल उत्पादन की उत्पादकता की गिरती हुई प्रवृत्ति के महत्व को उजागर करने के लिये संबंधित संस्थाओं, चाहे यह नारियल विकास बोर्ड हो या राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो, की तत्काल बैठक बुलायी जाये। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूं। जहां खोपड़ा तथा नारियल का संबंध है यह केवल

केरल की ही मूल्यवान फसल नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी सहायक है तथा देश भर में लोगों की सहायता करती है। हमें नारियल के उत्पादन और उत्पादकता पर बहुत ध्यान देना चाहिये। भारत सरकार इस बारे में सजग है। हम नारियल उद्योग में उत्पादकों की बेहतरी की ओर पूरा ध्यान देंगे।

(व्यवधान)

श्री चिन्तामणि जैना (बालासोर) : महोदय, मैं, अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने सदन में इस महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दी है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि यह नारियल कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जिससे हम प्रत्येक वस्तु प्राप्त करते हैं। मैं केवल प्रश्न ही करूंगा क्योंकि आप मुझे ब्यौरे में जाने की अनुमति नहीं देंगे।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमने नारियल के विकास पर 100 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये हैं। यह निर्णय लिया गया था कि नारियल उत्पादकों की 20 लाख हैक्टेयर भूमि वैज्ञानिक प्रबंध कार्यक्रम के अन्तर्गत लायी जायेगी। इस मामले की उपलब्धियां क्या हैं ?. यदि हम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो ठीक है। यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और निर्धारित लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जावे। छठी योजना के अन्त तक लगभग 675 करोड़ नारियल के उत्पादन का अनुमान है। उपलब्धि क्या है ? यदि हम ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके तो क्यों नहीं और उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना होगा ?

हालांकि नारियल के उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु उपज में वृद्धि नहीं हुई। आंकड़ों से पता चलता है कि औसत उपज 5,785 नारियल प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष थी। अब यह घटकर 5,344 नारियल प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष हो गई है। मैं उपज में कमी के कारण जानना चाहूंगा। यद्यपि 1974-75 में उत्पादन लगभग 5.461 करोड़ का था, उत्पादकता के रूप में यह अब इस प्रकार से कम हो गया है कि क्षेत्र बढ़ने के साथ उत्पादन में वृद्धि हुई है। किन्तु प्रति हैक्टेयर उपज में वृद्धि नहीं हुई। सूखे की स्थिति के अलावा जड़-मुरझान, तने का रिसाव (स्टेम ब्लीडिंग) आदि जैसे गंभीर रोगों के कारण भी उत्पादन में कमी हुई है। यदि हां, तो इन रोगों और कीट आक्रमणों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

मेरे माननीय सहयोगी ने बहुत से प्रश्न किये हैं। मैं एक या दो सवाल करना चाहता हूं। जो किसान नारियल उगाते हैं, उनकी जोतें बहुत छोटी हैं और बहुत से लोग अपनी घरेलू भूमि पर खेती करते हैं। इसलिये महंगे उर्वरकों, कीटनाशकों और माइक्रो पोषकों का इस्तेमाल करना उनके बस में नहीं है। अनुसंधानकर्ता और वैज्ञानिक नारियल के पेड़ों पर छिड़काव करने के लिये कहते हैं। किन्तु आप जानते हैं कि नारियल के पेड़ 100 फुट या उसके अधिक लम्बे होते हैं। इसलिये नारियल के इतने ऊंचे पेड़ों पर छिड़काव करना उनके बस की बात नहीं है। इसलिये हवाईजहाज द्वारा छिड़काव करवाया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि कीड़ों के हमलों तथा अन्य रोगों को रोकने के लिये कितने मामलों में छिड़काव किया गया ? हालांकि नारियल साल भर उगाया जाता है किन्तु इसका उत्पादन मौसम के अनुसार ही किया जाता है। उत्पादन

का लगभग दो तिहायी भाग जनवरी से जून की अवधि के भीतर एकत्र किया जाता है तथा बाकी एक तिहायी, वर्ष के दूसरे आधे भाग में । सामान्यतः नारियल का विपणन तीन प्रयोजनों से होता है ।

(क) 35 प्रतिशत कच्चे नारियल के रूप में

(ख) 55 प्रतिशत घरेलू और धार्मिक प्रयोजनों के लिये

(ग) 8 प्रतिशत खोपरा और तेल के लिये ।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह विपणन मुख्यतः राज्य के बिचौलियों, ग्रामीण व्यापारियों, ठेकेदारों, खोपरा निर्माताओं, कमीशन एजेंटों, तेल मिल वालों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा होता है । अन्तर्राज्यीय व्यापार के मामले में यह कमीशन एजेंटों के माध्यम से देश के ऊपरी भागों में तेल निकालने वालों के पास पहुंचता है । 82 प्रतिशत माल का व्यापार बिचौलियों के माध्यम से होता है क्योंकि अधिकांश किसान लघु और सीमान्तक की श्रेणी में आते हैं । वे अपने नारियल सरकारी समितियों अथवा अन्य मिल मालिकों आदि के पास नहीं ले जा सकते । सशक्त सहकारी आन्दोलन के अभाव में तथा क्योंकि सरकारी एजेंसियां इस बाजार में नहीं आना चाहती, किसानों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ? अनुसंधान फार्म तथा भलीभान्ति प्रबंधित निजि फार्मों की उपज तथा परम्परागत क्षेत्र की उपज के बीच के अन्तर को, संकर बीजों, रोग निरोधक तथा श्रेष्ठ किस्म के बीजों के प्रयोग से विकास, विस्तार और अनुसंधान अभिकरणों के संगठित प्रयत्नों द्वारा, कम किया जा सकता है । क्या मैं जान सकता हूं कि अधिक किस्मों को इसके अन्तर्गत लाने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

नारियल तेल के क्षेत्र में सौर ऊर्जा, मृदा और जल जैसे आधारभूत प्राकृतिक संसाधनों, वैज्ञानिक सिद्धांतों की जांच और विशेष कर छोटे खेतों में मिश्रित फसल उगाने की तकनीक का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने के उद्देश्य के तीव्र प्रवर्धन तकनीक और उद्भिज्ज प्रवर्धन स्थिर करने के बारे में अनुसंधान करने की आवश्यकता है । मिश्रित खेती परीक्षणों के अच्छे परिणाम निकले हैं । प्रति 1.3 हैक्टेयर में नारियल से 2500 रुपये प्रति वर्ष शुद्ध लाभ होता है । किन्तु, बहु-फसलीय खेती, जिसमें नारियल, कोको, कालीमिर्च, अन्नानास शामिल है, में सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत यह लगभग 16,000 रुपये है । वर्षा द्वारा सिंचाई की परिस्थितियों में अदरक और नारियल से 14,000 रुपये प्राप्त होते हैं और कंद और केले के मामले में प्रति वर्ष, प्रति हेक्टेयर 8,000 रुपये की शुद्ध आय होती है ।

इसलिये, क्या मैं जान सकता हूं कि बहु-फसलीय खेती और मिश्रित खेती प्रणाली अपनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ? और कितने क्षेत्र को इस प्रकार की कृषि प्रणाली के अन्तर्गत लिया गया है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि नारियल का उत्पादन करने वाले, श्री लंका, फिलिपाइन्स, पश्चिम अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसे देशों में इस प्रकार के रोगों को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ? क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि जड़-मुरझान जैसे रोग इन्हीं देशों से आते हैं और यदि हां, तो क्या यह जड़-मुरझान रोग एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलते हैं ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन दोनों ही मोर्चों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

नारियल विकास बोर्ड निदेशालय ने एक बार यह सुझाव दिया था कि नारियल का बिलहन की फसल के रूप में विकास किये जाने से, देश में वनस्पति तेलों की कम सप्लाई से उत्पन्न संकट पर काबू पाया जा सकता है। यह केवल क्षेत्र विस्तार, वर्तमान जोतों के वैज्ञानिक प्रबन्ध, तथा फसल के बाद की संसाधन प्रौद्योगिकी अपनाये जाने से ही संभव हो सकता है जिससे नारियल के तेल के वार्षिक उत्पादन में 5 लाख टन की वृद्धि होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

नारियल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में थोड़ी सी वृद्धि के कारण नारियल विकास बोर्ड ने क्षेत्र के विस्तार के लिये एक योजना तैयार की है। केन्द्र ने छठी योजना में 8 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों, नारियल विकास बोर्ड और कृषि पुनिवत्त विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। इस योजना के अन्तर्गत, बोर्ड द्वारा उड़ीसा में नहरों के किनारों पर नारियल की खेती करने का सुझाव दिया गया है। इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

1988-89 के अन्त तक उड़ीसा में नहरों के किनारों पर नारियल के 3 लाख पौधे लगाने का विचार था। इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

1.00 म०प०

सी०पी०सी०आर० आई० ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसमें, बीज संवर्धन जैसे परम्परागत तरीके पर निर्भर करने के बजाये कच्चे नारियल के कोमल पत्तों के हिस्सों से नई पौध का विकास कर पाना संभव हुआ है। इससे रोग मुक्त और अधिक उपज देने वाला नारियल प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पद्धति का वाणिज्यिक पैमाने पर परीक्षण किया गया है ?

मैं अपने वैज्ञानिकों और कृषि मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने टिशु कल्चर तकनीक द्वारा नारियल की पौध तैयार करने में सफलता प्राप्त की। यह विश्व में पहली बार हुआ है। हालांकि ब्रिटेन ने एक बार ऐसा किया था किन्तु वह रूट कैलस कल्चर द्वारा किया गया था न कि पत्तों से, किन्तु अन्तोगत्वा यह कामयाब नहीं हो सकी थी।

(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने गन्ने की भान्ति नारियल का भी निम्नतम मूल्य निर्धारित किया है। यदि हां, तो नारियल का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा। गन्ने का मूल्य वजन के अनुसार निर्धारित किया जाता है किन्तु नारियल का मूल्य संख्या और उनके आकार के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि नारियल का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है।

श्री बूटा सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने नारियल की फसल के बारे में बहुत अच्छा भाषण दिया। माननीय सदस्य ने कहना आरम्भ किया कि जहां तक नारियल उत्पादन का संबंध है हमने कोई प्रगति नहीं की है।

माननीय सदस्य ने यह जतलाने की कोशिश की कि अखिल भारतीय स्तर पर तथा केरल राज्य में उत्पादन गिरा है ।

मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए कुछ आंकड़े दूंगा ।

1979-80 से, अखिल भारतीय उत्पादन 563.6 करोड़ नारियल था जिसमें केरल का योगदान 303.2 करोड़ नारियल का था और पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह बढ़ा है ।

नारियल का अखिल भारतीय उत्पादन 1979-80 में 560.0 करोड़ नारियल से आरम्भ हुआ ।

1980-81 में नारियल का अखिल भारतीय उत्पादन 570.0 करोड़ नारियल था । 1981-82 में अखिल भारतीय आंकड़े थोड़े नीचे आये ।

केरल में, 1982-83 में सूखा आरम्भ हुआ और इसका उत्पादन गिर गया जिसके परिणाम-स्वरूप मूल्य बढ़ गए । यदि आप पिछले वर्ष के मूल्यों से तुलना करें तो इस समय केरल में काफी कम मूल्य हैं । पिछले तीन या चार वर्षों के दौरान औसत मूल्य भी इतना बुरा नहीं था । उत्पादन-वार भी, यद्यपि 1983-84 में केरल में उत्पादन में कुछ कमी आई किन्तु अखिल भारतीय स्तर पर 1982-83 से पिछले वर्षों की तुलना में 1983-84 में उत्पादन बढ़ा है । केरल में उत्पादन 318.4 करोड़ नारियल से घटकर 269.5 करोड़ नारियल हो गया । यह सब इस लिए हुआ क्योंकि पिछले वर्ष केरल में भारी सूखा पड़ा था और इस वर्ष हम केरल में काफी अच्छी फसल की आशा कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है, कि जहां तक सम्पूर्ण भारत का संबंध है, उत्पादन अच्छा होगा ।

अभी आंकड़े एकत्र करने बाकी हैं । उनसे पता चलेगा कि उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल में नारियल की प्रति हेक्टर उत्पादकता 4,500 नारियल रही है, केवल 1983-84 को छोड़कर जबकि यह कम होकर लगभग 4,000 नारियल हो गई थी वर्ष प्रति वर्ष उत्पादकता बढ़ रही है । केरल का उत्पादन 5,000 नारियल के अखिल भारतीय उत्पादन से कम है । तमिलनाडु और कर्नाटक में भी नारियल उगाया जाता है; वहां पर रोग का प्रकोप कम है और इसका प्रबन्ध बेहतर है; इस लिए इन दोनों राज्यों में उपज का स्तर अधिक है । यदि हम अपने देश के नारियल उत्पादन की तुलना अन्य देशों से करें तो पाएंगे कि स्थिति अधिक खराब नहीं हैं । फिलिपीन्स में नारियल की प्रति हेक्टर उपज 4,804 है : इन्डोनेशिया 4,015; भारत 5,109; श्री लंका 3,651; मलेशिया 3,541; और थाईलैंड 2,727 । इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की स्थिति अच्छी है ।

जहां तक वनस्पति तेल, गन्ना और नारियल के बीच तुलना का संबंध है, मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास इन उत्पादों के मूल्यों की तुलना करने के लिए आंकड़े नहीं हैं किन्तु मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नारियल का उत्पादन तथा इसकी उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में हम पूरी तरह सजग हैं । हम इस बारे में चिन्तित हैं और उड़ीसा,

तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल आदि की राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्य से सहमत हूं कि केरल के लिए यह कि अत्यन्त महत्वपूर्ण फसल है। यह केवल उन्हीं राज्यों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है जो इसका उत्पादन कर रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम इसका उत्पादन बढ़ाने की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

केरल में कम उत्पादकता के कारणों के लिए ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है; मौजूदा बागानों का भीड़भाड़ पूर्ण होना, ताड़ के पेड़ों की लम्बी किशोर अवधि होने के कारण कम रोपे गए और पुनः रोपे गए बागानों की पूर्ण क्षमता हासिल न कर पाना। जराग्रस्त और अनुत्पादक ताड़ का न हटाया जाना, नियंत्रित रूप से पुनःरोपण में अभाव, अधिकांश किसानों द्वारा, सिफारिशों का न अपनाया जाना, ऐसे क्षेत्रों में नारियल का लगाया जाना जो इसकी फसल के लिए अनुपयुक्त है, तथा सीमांतक भूमि में लगाया जाना इसके कारण हैं।

माननीय सदस्य ने कहा कि दवाई छिड़काव किया जाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि यह इस किस्म की फसल है जोकि घरों में भी लगाई जाती है, किसान नारियल के बगीचों अथवा खेतों में रहते हैं, इस लिए इस प्रकार का छिड़काव करना कठिन है। किन्तु जितने भी कीटनाशक या फंफूदनाशकों की आवश्यकता होती है वे विस्तार सेवाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। मैं वैज्ञानिकों से इस संबंध में बातचीत करूंगा कि क्या ऐसा करना सम्भव है अथवा विश्व में अन्यत्र कहीं किया जा रहा है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : महोदय, समय कम होने के कारण, मैं विभिन्न मुद्दों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो माननीय सदस्य मुझ से पहले बोले, उन्होंने केरल तथा अन्य राज्यों के उत्पादकों की समस्याओं के बारे में बताया है।

यह संतोषजनक बात है कि माननीय कृषि मन्त्री ने इस सदन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नीति संबंधी वक्तव्य दिया; उन्होंने वक्तव्य दिया है कि सरकार ने नारियल के आयात पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है। मुझे विश्वास है कि केरल के लोगों को इस समाचार से प्रसन्नता होगी।

जैसा कि मेरे बहुत से मित्रों ने कहा नारियल के वृक्ष का केरल के लोगों के दैनिक जीवन में वह महत्वपूर्ण स्थान है, जो शायद देश के किसी अन्य भाग में दूसरे किसी वृक्ष को प्राप्त नहीं है।

केरल के लिए नारियल का वृक्ष वास्तव में ही वह पौराणिक 'कल्प वृक्ष' है जो मानव की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। केरल में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर नारियल का वृक्ष न हो। नारियल के वृक्ष को परिपक्व होने तथा उपज देने में लगभग 6 से सात वर्ष लगते हैं। केरल को अपनी कृषि आय का लगभग 30 प्रतिशत नारियल से प्राप्त होता है और लगभग 1 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए इसी खेती पर निर्भर हैं। 10 लाख से अधिक लोग, नारियल पर आधारित नारियल जटा, खोपरा प्रोसेसिंग, तेल निकालने जैसे उद्योगों में लगे हुए हैं। नारियल उत्पादन का औसत मूल्य लगभग 450 करोड़ रुपए है और नारियल रेशे और उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से लगभग 19 करोड़ रुपए की आय होती है। नारियल का प्रति वर्ष अन्तर्राजीय व्यापार लगभग 125.0 करोड़ रुपए होता है।

नारियल की फसल बारामासी होती है। इस क्षेत्र को एक बार व्यवस्थित रूप से विकसित कर लिए जाने पर, एक लम्बी अवधि तक इसका निर्बाध प्रभाव बना रहता है।

मैं अपनी बात को लम्बा नहीं खींचना चाहता। महोदय, आप जानते हैं कि नारियल की फसल को दो घातक बीमारियों अर्थात् जड़-मुरझान और पत्ता-सड़न बीमारियों से काफी नुकसान हुआ है। मैं जानता हूं और अनुभव करता हूं कि भारत सरकार इन बीमारियों को गम्भीरता से नहीं ले रही। आज सुबह मैं सदन के वरिष्ठ सदस्यों से मिला और नारियल के मूल्यों में आई भारी कमी के बारे में बातचीत कर रहा था। उन्होंने केवल यही कहा कि जब 10 वर्ष पूर्व सेब की फसल को रोग लगा था तो तत्कालीन कृषि मन्त्री ने इस सदन में एक वक्तव्य दिया था कि रोग पीड़ित सेब की फसल को एक राष्ट्रीय रोग माना जाएगा और सरकार इस रोग से निपटने के लिए सभी उपाय करेगी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य क्यों नहीं दिया कि रोग से प्रभावित इन नारियल बागानों को राष्ट्रीय रोग के रूप में माना जाएगा ?

क्या इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर उपचारात्मक उपाए किए जाएंगे ?

माननीय मन्त्री महोदय ने, मेरे राज्य में नारियल की उत्पादकता के संबंध में एक वक्तव्य दिया है। मैं मन्त्री महोदय से पूर्णतः असहमत हूं। केरल न केवल उत्पादकता में कम है बल्कि केरल में प्रति वृक्ष उत्पादकता भी निम्नतम है। यह तमिल नाडु में 41, कर्नाटक में 57 और लक्षयद्वीप में 44 की तुलना में लगभग 30 नारियल है।

केरल में लगभग 3.42 लाख टन कोपरा, अर्थात् अखिल भारतीय उत्पादन का 90 प्रतिशत का उत्पादन होता है—इसमें से केवल आधी मात्रा की पिराई राज्य में होती है। बेहतर पिराई सुविधाओं के अभाव में बाकी खोपरा अन्य राज्यों को भेजा जाता है। नारियल पर आधारित सभी उद्योग दूसरे राज्यों में स्थित है। मिल मालिक तथा बम्बई बाजार के खरीददार वास्तव में बाजार को नियंत्रित करते हैं। अभी हाल ही तक नारियल के तेल का मूल्य निर्धारण एकाधिकार गृहों और बम्बई और अहमदाबाद के बड़े व्यापारियों द्वारा किया जाता था। नीति निर्माताओं के भारत में नारियल उत्पादकों को स्थिर और लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के अभाव में इस नकद फसल की क्षमता का उचित और पूरा उपयोग नहीं किया जाता। यह फसल अधिकांशतः उर्वरकों, सिंचाई और पौधा रक्षण उपायों के बिना ही उपेक्षापूर्ण ढंग से उगाई जा रही है।

इसके परिणामस्वरुप उत्पादकता बहुत कम हो जाती है।

वर्ष 1982-83 में केरल में प्रति नारियल का मूल्य 4 रुपए था। अब यह घटकर डेढ रुपए से दो रुपए प्रति नारियल हो गया है.....

उपाध्यक्ष महोदय : यही सब बातें दूसरे सदस्यों द्वारा कह दी गई हैं। आप वही बात दोहरा रहे हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : हम गरीब केरल वासियों की चीनी लॉबी अथवा पटसन लॉबी अथवा कपास लॉबी जैसी कोई सुदृढ़ लॉबी नहीं हैं। केरल में नारियल की खेती मुख्यतः गरीब

और सीमांत किसानों द्वारा की जाती है। उनमें से लगभग 80 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि है।

महोदय, काश्तकारों को इसी प्रकार की रियायतें दी जानी चाहिएं जैसाकि इलायची, रबड़ और चाय के मामले में दी जाती हैं। जैसाकि श्री सुरेश कुरूप ने बताया है कि पौधे की जड़ में लगने वाली बीमारी का पहला मामला 1882 में देखने में आया था। यह खेद की बात है कि एक शताब्दी से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी वैज्ञानिक पौधों की जड़ में लगने वाली इस बीमारी के असली कारण का पता लगाने में असफल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले ही कह दी गई बातों को दोहराने की बजाए स्पष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : यह मेरा नम्र निवेदन है कि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल को केरल का दौरा करना चाहिए तथा नारियल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसानों को हुए नुकसान के बारे में मौके पर जाकर मूल्यांकन करना चाहिए। इस दल को, जड़ सम्बन्धी बीमारी और पत्ते गलाने वाली बीमारी के कारण किसानों को हुए नुकसान की गंभीरता का भी जायजा लेना चाहिए तथा अधिक घाटा उठाने वाले किसानों के लिए मुआवजे की सिफारिश करनी चाहिए।

महोदय, मेरा निवेदन है कि नारियल की खेती के सम्पूर्ण हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नारियल बोर्ड अपने अस्तित्व भर को भी पूरी तरह से न्यायसंगत नहीं ठहरा पाया है; तथा यह उचित समय है जबकि सरकार को पहले से ही मृतप्राय नारियल बोर्ड में, नारियल की खेती को बढ़ावा देने तथा देश में नारियल की खेती करने वाले लाखों किसानों के भले के लिए उसे एक प्रभावकारी संस्था बनाने के लिए, नई जान फूंकी जाए।

जैसाकि रबड़, इलायची तथा विदेशी मुद्रा कमाने वाली अन्य फसलों के मामले में किया जाता है, अधिक निष्ठावान क्षेत्रीय अधिकारियों को इन किसानों के पास भेजा जाना चाहिए जो उन्हें आधुनिकतम वैज्ञानिक जानकारी दे सकें।

महोदय, केरल की प्रत्येक क्षेत्र में उपेक्षा की जा रही है—जैसेकि रेलवे उद्योग आदि, आदि। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह केरल में गरीब किसानों को होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बूटा सिंह : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा कही गई अधिकांश बातें पहले ही कही जा चुकी हैं और मैंने उनका जवाब भी दे दिया है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं तथा हम नारियल उत्पादक राज्यों के सभी सम्बन्धित लोगों की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नारियल विकास बोर्ड सहित अन्य अभिकरणों के साथ एक बैठक करेंगे और यह देखेंगे कि शताब्दियों से चली आ रही इन बीमारियों का कितने अच्छे ढंग से उपचार कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों को बुरा-भला कहने से कोई लाभ नहीं है वे तो अच्छा कार्य कर रहे हैं और उत्पादकों की सहायता कर रहे हैं। बेहतर कार्य करने की सदा गुंजाइश रहती है और हम नारियल उत्पादकों की समस्याओं पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे।

महोदय, यह कहना सही नहीं है कि केरल की उपेक्षा की जा रही है। शायद मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है कि मैं केरल द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बता पाऊं। केरल ने इतना अच्छा कार्य कर के दिखाया है कि हमें केरल और केरल वासियों पर गर्व है और हम केरलवासियों की समस्याओं पर ध्यान देते रहेंगे।

1.19 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति
छठा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

1.20 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देवरिया जिले (उत्तर प्रदेश) में घाघरा नदी पर सड़क पुल का तेजी से निर्माण करने के लिए केन्द्र सरकार का अंशदान

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन एवं जहाजरानी मन्त्री जी का ध्यान भागलपुर में जो उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में स्थित है, घाघरानदी पर रोड़ पुल बनाए जाने के संबंध में आकर्षित कर रहा हूं।

इस संदर्भ में यह निवेदन करना है कि यह पुल देवरिया जनपद और बलिया जनपद को जोड़ने तथा यू० पी० और बिहार को यातायात से संबंधित करने वाला एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पुल है। इसको देखते हुए भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन और जहाजरानी मन्त्री जी ने आज से नौ वर्ष पूर्व इस पुल को बनाने की स्वीकृति दी थी। सारी औपचारिकतायें भी पूर्ण हो चुकी हैं। भारत सरकार ने नौ लाख रुपया राज्य सरकार को उसके सर्वे के लिए दिया था। परन्तु फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि इतने लम्बे अर्से से इस पुल को बनाए जाने की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी अब तक यह पुल नहीं बन पाया है। जिसके कारण उक्त क्षेत्र के लोगों में काफी निराशा का वातावरण है और सच तो यह है कि हमारे जनपद की घोर उपेक्षा हो रही है।

उत्तर प्रदेश शासन ने भी अपनी केबिनेट की मंत्री मंडलीय बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर इस पुल को बनवाया जाए । इस पुल में जो लागत लगेगी उस में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का शेयर है । भारत सरकार ने अपना शेयर राज्य सरकार को देने की अभी स्वीकृति नहीं दी है जिसकी वजह से इस पुनीत कार्य में विलम्ब हो रहा है ।

ऐसी दशा में मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र इस पुल को बनवाने हेतु अपना हिस्सा जो उसे पुल बनवाने में देना है, को देने की कृपा करें, जिससे कि यह पुल का कार्य अविलम्ब शुरू हो सके ।

(दो) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बुनकरों को उचित दरों पर सूत देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, देश में बुनकरों की संख्या अधिक है और सभी बुनकर हथकरघा उद्योग पर ही निर्भर हैं । सरकार ने बुनकरों के उत्थान के लिए अच्छी अच्छी योजनायें चालू की हैं । मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के बुनकरों की स्थानीय दशा की ओर दिला रहा हूं, जो इस समय भुखमरी के कगार पर खड़े हैं । जनपद में लगभग 80,000 बुनकर कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं । लेकिन उन्हें मंहगे दामों पर भी सूत उपलब्ध नहीं है । सूत के दाम 30 रुपए प्रति बंडल बढ़ जाने से बुनकरों की हालत और भी खराब हो गई है । आर्थिक सहायता हेतु भी बुनकरों के लिए कोई अलग से बैंक नहीं खोला गया है । स्थानीय स्पिनिंग मिल भी फुटकर सूत बिक्री में देने की कोताही कर रहे हैं । सरकार से मांग है कि जिला बाराबंकी के बुनकरों को उचित मूल्य पर सूत उपलब्ध कराये तथा अलग से बैंक की व्यवस्था करे । जिससे इन गरीब बुनकरों का उत्थान हो सके ।

(तीन) छतरपुर जिले में टीकमगढ़ में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में जिला छतरपुर, टीकमगढ़ में पीने के पानी का अभाव है । वर्षा कम होने के कारण यह समस्या और जटिल हो गई है । अभी से गांव एवं कस्बों में पीने तथा निस्तार हेतु पूर्ण रूपेण जल उपलब्ध नहीं हो पाता । आने वाले महीनों में यह समस्या विकराल रूप ले सकती है ।

अत: केन्द्रीय शासन नलकूपों की अधिक मात्रा में व्यवस्था हेतु तथा कुओं को और ज्यादा गहरा कराने हेतु प्रदेश शासन को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान कर पानी की कमी की समस्या के निराकरण हेतु शीघ्र प्रयास करे ।

(चार) स्व-नियोजन गारंटी योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार प्राप्ति में सहायता देने हेतु सरकार द्वारा स्वरोजगार गारंटी योजना प्रारम्भ की गई । इस योजना ने बेरोजगार नौजवानों में यह अहसास पैदा किया कि वे सरकार की मदद अपने पावों पर खड़े होकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं ।

इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर जिला स्तर पर एक कमेटी द्वारा किया जाता है । चयन के उपरान्त चयनित नौजवानों के नाम अलग-अलग निर्धारित बैंकों को 25 हजार रुपए तक ऋण प्रदान करना होता है । जिसके उपरान्त लाभार्थी अपना रोजगार प्रारम्भ करता है परन्तु इस योजना में चयन अधिकांशतः उन नौजवानों का हो रहा है, जिनके परिवार के पास पहले से ही कोई न कोई उद्योग या बड़ा रोजगार मौजूद है । प्रभावशाली या संबंधितों को प्रसन्न कर सकने की क्षमता रखने वाले लोग वास्तविक आकांक्षियों के मूल्य पर लाभ उठा रहे हैं । चयनित प्रोजैक्ट के आधार पर समुचित ऋण उपलब्ध नहीं करवाते हैं । देखने में यह आ रहा है कि बैंक समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों को किसी न किसी बिना पर ऋण देने से वंचित रख रहे हैं । मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश बैंकों द्वारा लक्ष्यगत संख्या में नौजवानों को बावजूद समिति की संस्तुतियों के प्राप्त होने के उपरान्त भी ऋण उपलब्ध नहीं करवाए हैं । अतः मेरा सुझाव है कि —

1. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में प्रतिवर्ष कम से कम एक हजार नौजवानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाए । समिति द्वारा चयनित नामों को संस्तुति की गई मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाना बैंक का विधिकदायित्व बना दिया जाए ।

2. देय ऋण की अधिकतम मात्रा 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी जाए ।

3. ऋण प्राप्ति हेतु गारंटर न मांगे जाएं । इस आशय के निर्देश बैंकों को दिए जाने चाहिएं ।

[अनुवाद]

(पांच) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और आई० डी० पी० एल० आदि से अपशिष्ट पदार्थों के बहाये जाने के कारण हरिद्वार में गंगा नदी का प्रदूषण तथा उसके निवारणार्थ प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : महोदय, दो हजार किलोमीटर से भी अधिक लम्बी पवित्र गंगा नदी अपशिष्ट पदार्थों के गिरने से अब अत्यधिक प्रदूषित हो गई है, जिससे स्वास्थ्य कृषि और समुद्री जीवन का विनाश हो रहा है । हरिद्वार में 'भेल' और 'आई०डी० पी०एल०' जैसे बड़े सरकारी उद्योग और वाराणसी स्थित लगभग सभी उद्योग तथा कलकत्ता, पटना और गंगा नदी के किनारे पर बसे अन्य शहरों और कस्बों में और उनके आस-पास स्थित 70 प्रतिशत से अधिक उद्योग अपने अपशिष्ट पदार्थ इस नदी में गिरा रहे हैं जिसके कारण फसलें नष्ट होती हैं, मछलियां मर जाती हैं और इसके जल का उपयोग करने वाले लाखों लोगों में महामारी फैलती है। इसके अतिरिक्त इस नदी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में अधजले शव और मृत पशुओं को बहा दिया जाता है । लाखों गाय, भैंस और अन्य पशु इस नदी में नहाते हैं जोकि पवित्र गंगा जल को प्रदूषित करने का अन्य कारण हैं । बड़े और छोटे—दोनों ही प्रकार के उद्योग इस पवित्र नदी का उपयोग मल निकासी के रूप में कर रहे हैं ।

इस नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सामयिक कार्रवाई करने हेतु, प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार के निर्णय का पूरा राष्ट्र बहुत आभार मानता है ।

इसलिए मैं पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस कार्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करे तथा गंगाजल का उपयोग करने वाले लाखों-करोड़ों लोगों को विभिन्न रोगों से बचाए । इससे प्रति-वर्ष नष्ट होने वाली लाखों हेक्टेयर से भी अधिक भूमि की फसलों की भी रक्षा की जा सकेगी ।

(छ) आंध्र प्रदेश में इचापुरम से थाडा तक सड़क निर्माण की परियोजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

श्री पी० वेंकालैया (नल्लोर) : पूर्वी तट के साथ-साथ दक्षिण क्षेत्र से होकर केवल एक ग्रांड ट्रंक रोड ही गुजरता है । वर्षा के दिनों में लगातार आने वाले तूफानों से यह सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है और इस पर दुर्घटनाएं होने का खतरा बढ़ जाता है । चूंकि इस पूरे क्षेत्र में केवल यही एक सड़क है इसलिए इस पर बहुत भीड़-भाड़ होती है । इस पर वर्ष में कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं । चूंकि प्रायः आने वाले तूफानों के कारण बकिंघम नहर में रेत भर जाती है, इसलिए इस नहर से होने वाले सारे यातायात को अब इस सड़क की ओर मोड़ दिया गया है जिससे इस पर और भी अधिक भीड़-भाड़ हो गई है।

इस ट्रंक रोड पर यातायात का दबाव कम करने के लिए आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले में इचापुरम से नैल्लोर जिले में थाडा तक एक नई सम्पर्क सड़क बनाने का सुझाव था । आंध्र प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण सम्पर्क सड़क के निर्माण का कार्य शुरू करने के बारे में 1981-82 में केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे थे ।

संसद में इस विषय को अनेकों बार उठाया गया । परन्तु इस महत्वपूर्ण सम्पर्क सड़क के निर्माण के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

इचापुरम-थाडा सड़क का निर्माण केवल इस दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है कि इससे यात्री और माल-यातयाात की असहनीय भीड़-भाड़ में कमी होगी बल्कि तट रक्षकों द्वारा निगरानी किए जाने के उद्देश्यों के लिए यह सड़क हमारी रक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा करती है ।

इसलिए मैं नौवहन और परिवहन मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में इचापुरम-थाडा सड़क की मंजूरी देने और इसका निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध करता हूं ।

(सात) रेल डाक सेवा तथा एम० एम० एस० कर्मचारी संघ द्वारा 6 जून 1985 को सांकेतिक हड़ताल करने की धमकी

श्री खानचन्द पाठक (दार्जिलिंग) : डाक और तार प्रशासन ने रेल डाक सेवा को समाप्त करने का निर्णय किया है जोकि डाक सामग्री को जल्दी से जल्दी और सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए ख्याति प्राप्त कर रही है । पहले कदम के रूप में छंटाई अनुभागों को समाप्त

कर दिया गया है और लेखादेय वस्तुओं का बल्क रूप में प्रेषण आरम्भ किया है जिससे ऐसी वस्तुओं को सुरक्षित रूप से पहुंचाना कठिन हो गया है और इसके अतिरिक्त, कर्मचारी फालतू हो गए हैं जिससे आर०टी०पीस० को स्थायी प्रतिष्ठानों में खपाने और भविष्य में उनकी भर्ती करने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है । यह विभाग एस आर ओस को समाप्त करके चैकिंग का कार्य भी समाप्त कर रहा है और इस प्रकार कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर और निरीक्षकों (चैकर्स) के पदों में कमी कर रहा है जोकि तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का उलंघन है । यह विभाग बेवेंडर तारापड़ा और मराठे टाइम टेस्ट के निष्कर्षों पर ध्यान न देकर कार्यभार में वृद्धि करने पर भी सोच रहा है ।

इस नीति के विरोध में आल इंडिया रेलवे मेल सर्विस और मोटर मेल सर्विस एम्पलाइज यूनियन ने 6 जून, 1985 को पूरे भारत में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया है ।

मैं सरकार से आहवाह्न करता हूं कि वह इस निर्णय के कार्यान्वयन से पहले सम्बंधित यूनियनों से इस बारे में विचार विमर्श करे ।

(आठ) बीरपुर (बिहार) में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : बीरपुर, भारत-नेपाल सीमा पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । बीरपुर (सहरसा) और उसके आस-पड़ौस के लोग वहां एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की मांग करते आ रहे हैं ।

यह वास्तव में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में इससे छोटे और कम महत्वपूर्ण स्थानों पर तो दूरदर्शन केन्द्र खोल दिए गए हैं लेकिन बीरपुर के मामले की सदा उपेक्षा की गई है ।

यदि बीरपुर में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित कर दिया जाता है तो इससे भारत-नेपाल के सम्बंधों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सीमा के उस पार काफी संख्या में रहने वाले नेपालवासी भारतीय कार्यक्रमों को देखना पसंद करेंगे । इसलिए यह अनुरोध है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय जितनी जल्दी संभव हो बीरपुर में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की कृपा करे ।

1.33 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1985-86 (जारी)

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे ।

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और मैं इस सभा में प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं । थोक मूल्य सूचकांक में अगस्त, 1984 तक 4.1 प्रतिशत की कमी लाने तथा दिसम्बर 1984 तक इसमें और 7.5 प्रतिशत की कमी लाने के लिए मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति के माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । गत वर्ष के सूचकांक की तुलना में भी लगभग 5.1 प्रतिशत की कमी हुई है । दिसम्बर 1984 में गेहूं का मूल्य सूचकांक इससे गत वर्ष की इसी अवधि के इसके सूचकांक की तुलना में 3.8 प्रतिशत कम था । यह गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों की रिकार्ड उपज तथा खुले बाजार में आसानी से इनकी उपलब्धता के कारण संभव हुआ । मैं वर्तमान खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उस समय वे कृषि मंत्री थे और केवल उनके कार्यकाल के दौरान ही खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि संभव हुई । मैं अपने प्रधान मंत्री, श्री राजीव जी का आभारी हूं कि उन्होंने खाद्य और नागरिक पूर्ति का मंत्रालय वर्तमान मंत्री महोदय को शायद इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सौंपा है कि उन्होंने कृषि मंत्री के रूप में देश के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करके दिखाया था और अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया था । ये, अपने वर्तमान पद पर रहते हुए इस प्रकार पैदा किए गए अधिक अनाज की हमारे लोगों में उचित रूप से वितरित कर सकते हैं ।

यह मंत्रालय 1 करोड़ 77 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की रिकार्ड खरीद करने के लिए भी प्रशंसा पाने का हकदार है जबकि 1982-83 के दौरान 1 करोड़ 55 लाख 10 हजार मीट्रिक टन अनाज की ही खरीद की गई थी । 16 मार्च, 1985 के आंकड़ों के अनुसार 85 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की गई जोकि अब तक का रिकार्ड है । इसी प्रकार 1983-84 में गेहूं की खरीद 93 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई जबकि 1982-83 में 82 लाख 90 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का रिकार्ड था ।

भारतीय खाद्य निगम के पास 92 लाख 60 हजार मीट्रिक टन अनाज के भंडारण की क्षमता उपलब्ध है जोकि खाद्यान्नों के भंडारण के लिए पर्याप्त नहीं है । हालांकि कुछ सीमा तक प्रदान की जाने वाली सामान्य भंडारण सुविधाएं प्रदान की गई हैं परन्तु वे सम्पूर्ण खाद्यान्नों के भंडारण के लिए पर्याप्त नहीं है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पहलू पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा ताकि उत्पादकों को और अधिक सामान्य भंडारण सुविधाएं प्रदान की जा सकें ।

यद्यपि 17 अनाज बचाओ दल किसानों को अनाज भंडारण के वैज्ञानिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु और किसानों को इस बारे में शिक्षित करने हेतु कार्यशील रहे हैं, परन्तु हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों पर उनकी बात का बहुत कम प्रभाव पड़ा है । मंत्री महोदय कृपया ऐसे आवश्यक प्रबंध करें जिससे कि किसान राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण लेकर अपने खुद के गोदाम बना सकें । सीमांत और छोटे किसानों को अपने स्वयं के गोदामों का निर्माण करने हेतु, रिआयती दरों पर ऋण दिए जाने की आवश्यकता है । किसानों को दिए जाने वाले इस प्रकार के कम से कम 25 प्रतिशत ऋणों को राजसहायता के रूप में मंजूर किया जाना चाहिए । इससे

किसानों को अपनी उपज—कम से कम ऐसे अनाज जो खराब नहीं होते —को जल्दी बेचने के बजाए कुछ दिनों तक उनका भंडारण करने में सहायता मिलेगी ताकि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर अपना अनाज न बेचना पड़े ।

मैं इस बात के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि भोजन और वनस्पति तैयार करने वाले उद्योग गति पकड़ रहे हैं । परन्तु उनमें बहुत से उद्योग घाटे में चल रहे हैं । इसलिए मंत्री महोदय कृपया इस पहलू पर ध्यान दें । यह सच है कि गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में सूखे की स्थिति होने के कारण गन्ने का उत्पादन कम होकर 59.16 लाख मीट्रिक टन रह गया है जबकि 1982-83 में यह 82.32 लाख मीट्रिक टन का था । परन्तु, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि गत सप्ताह जब मैं भुवनेश्वर में था तो मैंने यह देखा कि ब्राजील से आयातित चीनी में मीठास की मात्रा बहुत कम थी । ब्राजील से खरीदी गई चीनी को उचित दर की दुकानों से वितरित किया गया था । मैं सच्चाई के साथ कहता हूं कि मैंने स्वयं इस बारे महसूस किया । यद्यपि, मंत्री महोदय ने आज प्रातः पूरक प्रश्नों के जवाब में इस बात का खंडन किया है । मेरा उनसे केवल यह अनुरोध है कि वह यह चीनी जांच के लिए किसी प्रयोगशाला में भेजें और देखें कि सच्चाई क्या है क्योंकि मैंने उसी दिन भुवनेश्वर स्थित भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक से सम्पर्क किया था । मैंने उनसे भी यह चीनी जांच के लिए किसी प्रयोगशाला में भेजने की बात कही थी । इस चीनी में हमारी स्वदेशी चीनी की तुलना में केवल एक तिहाई मीठास है।

मैं, वर्ष 1984-85 के लिए धान और चावल की कीमतों में वृद्धि करने के लिए तथा राज्य सरकारों को कम से कम भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्यों पर धान, चावल और गेहूं की खरीद करने के लिए कहने पर मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा । इस सम्बंध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सभी खाद्यान्नों की कीमतें फसलों की बुवाई शुरू करने से पूर्व निर्धारित कर दी जानी चाहिए, खेती का वर्ष शुरू होने से पूर्व कीमतें निर्धारित और घोषित कर दी जानी चाहिएं ताकि किसान यह निर्णय ले सकें कि वह उस फसल विशेष की बुवाई कितनी भूमि पर करेंगे ।

सरकार, भारतीय खाद्य निगम को, खरीद मूल्य और जारी मूल्य में अन्तर को पूरा करने के लिए कई सौ करोड़ रुपए की राज सहायता प्रदान कर रही है । वर्ष 1983-84 में भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न सौदों के लिए 835 करोड़ रुपए राज सहायता के रूप में दिए गए; 1984-85 में 850 करोड़ रुपए दिए गए हैं तथा 1985-86 के चालू वर्ष के लिए 11 करोड़ रुपए की राज सहायता दी गई है । परन्तु हो यह रहा है कि खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल को खुदरा केन्द्रों को उनके एजेन्टों के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है और यह सब खाद्यान्न घटिया किस्म के हैं; और लगभग सभी उत्पादों में वह चाहे चावल हो या गेहूं हो या चीनी हो, को तोल में एक से लेकर तीन-चार किलोग्राम तक की कमी है; और अंततः गरीब खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं, जोकि मुख्यतः दलित वर्गों के हैं, को यह हानि उठानी पड़ती है । इस बारे में मैं योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो कमियां हैं ये इसके संचालन में कुछ त्रुटियों और तत्संबंधी समन्वय की कमी के कारण है । लोगों द्वारा नियमित रूप से राशन न लिए जाने का कारण अनियमित सप्लाई और घटिया किस्म के उत्पाद होना है।

1.44 म०प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

यह बहुत चिंताजनक स्थिति है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे अनरोध करूंगा कि वह इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और यह देखें कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्न तोल में कम न हों और उनका स्तर, प्रमाणीकृत उत्पादों के स्तर का हो ।

समिति ने सावजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए अनेक कदमों का सुझाव दिया है जिनमें दोहरा मूल्य फार्मूला, उत्पादों की नियमित सप्लाई, बिक्री किए जाने वाले उत्पादों की किस्म में सुधार करना, उत्पादों को खुले रूप में बेचने की बजाए उन्हें सील किए हुए थलों में भरकर बेचकर भी उनकी किस्म में सुधार करना तथा माल के भंडारण और ढलाई की अग्रिम योजना बनाना शामिल है ।

समिति ने अपने निष्कर्षों में यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं कि बिक्री स्थलों पर वस्तुओं का तोल सही हो ।

चूंकि आप पहले ही घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व एक बात और कहना चाहूंगा ।

समापति महोदय : आपने 15 मिनट ले लिए हैं, जोकि आपको आबंटित अवधि से पांच मिनट अधिक है !

एक माननीय सदस्य : क्योंकि उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है ।

श्री चिंतामणि जेना : मैं मंत्री महोदय का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी आटा मिलें शरू करने पर लगे प्रतिबंध की ओर दिलाना चाहूंगा । उड़ीसा जैसे राज्य में जहांकि गेहूं जैसे खाद्यान्न की उपज बड़े पैमाने पर होती है, विशेषकर बालासोर जैसे जिलों में, जिन्हें कि 'उद्योग विहीन जिले' घोषित किया गया है, यदि कुछ उद्यमी ये छोटी आटा मिलें लगाने के लिए आगे आते हैं तो 'उद्योग विहीन जिलों' के ऐसे स्थानों से यह प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि उड़ीसा में सीमेंट की सप्लाई उचित रूप से नहीं कर रहे हैं । मैं इस बारे में आंकड़े अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप मुझ अधिक समय नहीं दे रहे हैं । राज्य सरकार ने इस बारे में बार-बार मंत्री महोदय को लिखा है परन्तु केन्द्र द्वारा राज्य को आवश्यक मात्रा में सीमेंट की सप्लाई नहीं की जा रही है और राज्य में सभी विकास कार्यों में काफी हद तक बाधा पड़ी है ।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हू ।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हूसेन (मुर्शिदाबाद) : चेयरमैन साहब, मिनिस्ट्री आफ फूड एण्ड सिविल सप्लाई की डिमाण्ड्स पर चर्चा हो रही है । उस तरफ के मेरे दोस्तों ने कहा कि फूड प्रोडक्शन बढ़ा

है। हां, यह ठीक है कि पहले से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन जितना बढ़ना चाहिये था, उतना नहीं बढ़ा है। इसमें आपका कसूर नहीं है। आप तो यह कह देंगे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। रेलवे और पैट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ आपका कोआर्डिनेशन करने का काम है। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो चीज करनी चाहिये थी, वह आप नहीं कर पा रहे हैं। एक तो रेडिकल लैण्ड रिफार्म होना चाहिये था। हकीकत में जो किसान है उसको अगर जमीन, पानी, खाद और रेम्युनिरेटिव प्राइस मिल जाये तो फूड प्रोडक्शन अवश्य बढ़ेगा। दिल्ली से जब हम कलकत्ता की ओर जाते हैं तो यह देखते हैं कि हजारों हैक्टेयर जमीन रेल लाइन के दोनों ओर पानी के लिये तरस रही है। हमारे देश में जितना फूड प्रोडक्शन बढ़ सकता था, उतना आप नहीं बढ़ा सके, यह तथ्य है। फिर भी कुछ प्रोडक्शन बढ़ा है और उसके साथ-साथ आपका प्रोक्योरमैंट भी कुछ बढ़ा है, यह हम मानते हैं। इसके साथ ही आपको देखना चाहिये, फूड प्रोक्योर करने के बाद आपकी मिनिस्ट्री का क्या हाल है। मैं पिछले साल के फीगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं और इस संबंध में मेरे पास एक पेपर की कटिंग भी है कि लुधियाना में 32 हजार बैग पैडी खत्म हो गया। उसके पीछे कारण यह है आपके यहां फूडग्रेन को स्टोर करने के लिए कैवर एण्ड क्लिन सिस्टम है वह काफी डिफैक्टिव है और आप, आज तक उसको बदल नहीं सके। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस बार 3 मिलियन टन गेहूं आपको कैप सिस्टम में रखना पड़ेगा। यदि आप प्रोक्योरमैंट और स्टोर करने का कार्य पंचायतों को सौंप देते हैं और उनको इसके लिये पैसे दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि वे आपके एफ०सी०आई० से बेहतर तरीके से फूडग्रेन की रक्षा कर सकती हैं, उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं।

आपके एफ०सी०आई० का चक्कर मेरे जिले में भी है और वहां बहरामपुर तथा दयानगर में जितने फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया के गोडाउन बने हैं, उन सबकी रिपोर्ट आपके सामने है जो कि बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं फिर भी आप उनमें स्टोर करते ही जा रहे हैं और उनमें माल मौजूद रखते हैं। इसके कारण आपको हर साल काफी नुकसान उठाना पड़ता है और गल्ला सड़ जाता है। ऐसे देश भर में हजारों गोडाउन हैं जिनमें स्टोरेज की अच्छी कैपेसिटी न होते हुए भी आप वहां प्रोक्योरमैंट करने जा रहे हैं। यह आपकी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। इसमें कैप सिस्टम को दर्शाती हुई जो फोटो दी गई है, यदि आप उसको ध्यान से देखें तो आपको स्वयं पता चल जायेगा कि अनाज ओपन एअर में पड़ा हुआ है, उसकी उचित देखभाल नहीं है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप माल के सही भण्डारण की सबसे पहले व्यवस्था करें।

जहां तक किसानों को रैम्यूनिरेटिव प्राइस देने का संबंध है, आपने पैडी की कौमन वैराइटी के लिये 137 रुपये पर क्विंटल निर्धारित किये हैं अर्थात् आपका सपोर्ट प्राइस 137 रुपये होगा। यदि मैं यहां पर अपने वैस्ट बंगाल के बारे में कुछ कहता हूं तो आप उसका कुछ जवाब देंगे और यही कहेंगे कि वह हर वक्त मांगती रहती है। लेकिन यह बात सही है कि इस साल वैस्ट बंगाल में प्रोक्योरमेंट ज्यादा नहीं है और उसका कारण यह है कि जूट ग्रोअर्स को सिर्फ एक हजार या 1200 रुपये पर-क्विंटल के हिसाब से दाम मिला है। जूट को छोड़कर पैडी की तरफ किसान जाना नहीं चाहता और जब पैडी का प्रोडक्शन फाल करेगा तो उसके साथ-साथ आपका प्रोक्योरमेंट भी फाल करेगा, फिर भी वैस्ट बंगाल आपको मैक्सिमम जूट देता है और इसलिये आपको भी चाहिये कि मैक्सिमम चावल आप उसे दें, उसे मैक्सिमम चावल मिलना चाहिये। वैसे तो वैस्ट बंगाल टी भी देता है, जूट भी देता है, इसलिये उसकी तरफ आपको पूरा ध्यान देना चाहिये।

जहां तक केन ग्रोअर्स का संबंध है, यह बात सही है कि इस साल शुगर का प्रोडक्शन कुछ घटगया है। यदि आप केन ग्रोअर्स को मिलने वाले सपोर्ट प्राइस पर विचार करें तो उसे केवल 14 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से दाम मिलते हैं जब कि दूसरी तरफ जलाने के लिये उपयोग में आने वाली जंगल की लकड़ी के दाम 40 रुपये पर क्विंटल से भी ज्यादा हैं और किसान अपनी मेहनत से जो फसल उगाता है, उसके लिये आपने सिर्फ 14 रुपये क्विंटल के दाम निश्चित किये हैं। इस साल की तो रिपोर्ट यह है कि किसानों का बहुत सा पैसा अभी तक मिल-मालिकों की तरफ बकाया रहता है।

इस साल यू०पी० में कुछ गन्ना जलाना है, तो इस पोजीशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप इस को ठीक से नहीं सोचेंगे, किसान को रेम्युनिरेटिव प्राइस नहीं मिलेगा, तब तक यही हालत चलती रहेगी। कभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, कभी घट जायेगा, और ये तो इस साल अगर कुछ पैसा ज्यादा मिल गया, तो उसके बाद साल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो उसको पैसा भी नहीं मिलेगा।

एडीबल ऑयल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि एडीबल ऑयल की अभी तक लगभग 15 लाख टन की शार्टेज है। एडीबल ऑयल के प्रोडक्शन की तरफ अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है और साथ-साथ बाहर से एनीमल टैलो, जिसका कंजम्पशन फैक्ट्रीज में ज्यादा होता था न जाने कहां-कहां, मैं कौन-कौन सा ला दिया, वे बीफ टैलो, बीफ टैलो चिल्लाते रहे। उसका इंपोर्ट आपने बन्द कर दिया और इसलिये एडीबल ऑयल की शार्टेज ज्यादा बढ़ गयी। मेरे अपने स्टेट का भी आपने कोटा काट दिया। एडीबल ऑयल, पल्सेस की तरफ आपको ध्यान देना होगा।

इसके साथ-साथ आप बारले के प्रोडक्शन को भी ध्यान से देखिए। शायद 5 साल बाद बारले नहीं मिलेगा। हर साल बारले का प्रोडक्शन घट रहा है। इसलिये किसान को उसका रेम्युनिरेटिव प्राइस नहीं मिल रहा है।

आपका 20 पाइंट प्रोग्राम जो है, उसमें एक पाइंट तो यह है कि गांव-गांव में सस्ते गल्ले की दुकान हो। जब आपने 20 पाइंट प्रोग्राम लागू किया, आप ही सोच कर देखिए, उस के बाद से राशन में आपने चीनी, चावल और गेहूं की कीमत कई दफा बढ़ा दी है। आप शुगर की कीमत बढ़ाते हैं, व्हीट की कीमत बढ़ाते हैं, चावल की कीमत बढ़ाते हैं और गांव-गांव में सस्ते गल्ले की दुकान तो अभी तक नहीं हुई है। यह मेरा तो आरोप नहीं है, बल्कि आपकी तरफ से इस बात को परसों ही श्री रामप्यारे पनिका ने खुद कहा कि अभी तक उनके इलाके में दो मील, ढाई मील और तीन मील राशन लेने के लिये जाना पड़ता है। अभी तक गाव-गांव में सस्ते गल्ले की दुकान का प्रोग्राम कामयाब नहीं हुआ है। सस्ता तो नहीं हुआ, बल्कि कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। आप अगर इस पर सबसिडी नहीं देंगे, तो देहात में जो गरीब लोग हैं, उनके लिये यह बहुत मुश्किल होगा।

20 पाइंट प्रोग्राम में एक बात और है कि गांव के लोगों के लिये एम्प्लायमेंट जनरेशन हो। आप कहते हैं कि जनता के टाइम में तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, सही है। लेकिन जनता के टाइम में गांवों में जो फूड फार वर्क प्रोग्राम था उसके अन्तर्गत गांवों में कुछ काम हुआ, मैनडेज बढ़े और यहां से गेहूं जाने की वजह से कीमत बढ़ी। कीमत बढ़ जाने पर आपने क्या किया? जनरेशन की बात आपने कही, लेकिन आप ही की रिपोर्ट देखिए, ई०जी०एस०, एफ०डब्ल्यू०, एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी० सब जोड़ कर आपने 1984 में 19 लाख 30 हजार टन फूड ग्रेन्स दिया।

[2.00 म०प०]

1982 में 71 हजार टन, 1983 में 1 लाख 1 हजार टन, और 1984 में सिर्फ 96 हजार टन दिया ।

गांव के किसान और बेजमीन मजदूर के लिए आपने एम्प्लायमेंट जैनरेशन का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वह 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम कागज पर ही रह गया, अभी तक आप नहीं दे रहे हैं ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : सरदार बूटा सिंह को बता दो ।

श्री सैयद मक्बूल हुसैन : मेरी रिक्वैस्ट है कि इस साल जब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, प्रोक्योरमैंट भी ज्यादा से ज्यादा हुआ है तो आप फूड फार वर्क प्रोग्राम को दोबारा ज्यादा से ज्यादा चलाइये ताकि गांव के किसान और मजदूर को काम मिले और वहां के लोगों को कुछ फायदा हो ।

इस साल ज्यादा फूड प्रोडक्शन होने से ओपन जनरल लाइसेन्स सिस्टम को आप फिर से इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं । प्राइवेट ट्रेडर्स को आपने जितना मर्जी चाहे गेहूं खरीदने की परमीशन दी है और वह उसे इंटर-स्टेट ले जा सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि अगर कोई भी डैफिसिट स्टेट सरप्लस स्टेट से अपनी जरूरत के मुताबिक गेहूं और चावल खरीदना चाहे तो आप उन्हें परमीशन नहीं देते । आप प्राइवेट ट्रेडर्स को, बनिये को तो परमीशन दे रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं ।

लास्ट ईअर का अपना तजुर्बा है कि वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पंजाब से ज्यादा फूडग्रेन्स खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसे परमीशन नहीं मिली । आपने बनिये के लिए तो ओपन रखा है, यह तरीका ठीक नहीं है । स्टेट गवर्नमेंट को भी वही फैसिलिटीज देनी चाहियें ताकि वह अपनी डैफिशियेन्सी को दूसरी जगह से लेकर पूरा कर सके ।

एफ०सी०आई० के बारे में थोड़ा सा कहना है, अपनी स्टेट के बारे में मुझे मालूम है । इसके बारे में यहां बहुत चर्चा हो चुकी है, कन्सल्टेटिव कमेटी में भी बहुत चर्चा हो चुकी है । आप यहां से एलाट करते हैं, कागज कलम में तो एलोकेशन हो जाता है, लेकिन स्टेट में वह माल नहीं पहुंच पाता ।

एफ०सी०आई० के जो एम्प्लाईज हैं, वह बहुत से डिपार्टमेंट्स से डैपुटेशन पर आये हुए हैं ।

इसके बारे में आपने अभी तक कोई कॉमन फैसला नहीं लिया, इसलिये उनके अन्दर बहुत ज्यादा बेचैनी है, जिससे वह हड़ताल करते हैं । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि उसके बारे में आप सही फैसला लीजिये । इम्प्लाइज जो दूसरे डिपार्टमैंट से आये हैं, उनको जल्दी से जल्दी एबजर्ब कर लीजिये ।

मेरी स्टेट में सप्लाई में बहुत ज्यादा डिसपार्शन हो रहा है, उसके बारे में भी आपको सोचना होगा । न जाने आप कौन सा गेहूं और चावल भेजते हैं । इस बारे में कई बार कहा गया,

लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ । पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि वहां फूड की क्वालिटी बहुत खराब है । इस बारे में आपको ज्यादा ध्यान देना होगा ।

रेलवे मूवमेंट में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है । आपसे कहेंगे तो कहेंगे रैक नहीं मिल रहा है । रेलवे मिनिस्टर से कहेंगे रैक दो वह कहेंगे कोयला नहीं मिल रहा है और कोयला मिनिस्टर से कहेंगे कोयला क्यों नहीं दे रहे हैं तो वह कहेंगे वैगन नहीं भेजा है ।

यह सब चक्कर है, इसको ठीक करने की कोशिश कीजिये और सप्लाई ठीक रहे तो किसी स्टेट से आपके पास शिकायत नहीं आयेगी ।

साथ ही साथ एडीबल ऑयल के एलोकेशन को बढ़ाने की कोशिश कीजिये । जो एफ०सी० आई०के मूवमेंट में गड़बड़ी है, यह एक पुराना झंझट अपनी स्टेट का है । आप कहते हैं कि एलाट करते हैं, लेकिन वह ऑबटेक नहीं हो रहा है । इस संबंध में इस सदन में महाराष्ट्र की तरफ से क्वशचन भी आया था । जवाब यही था कि एलोकेशन है, लेकिन ऑबटेक स्टेट नहीं हो रहा है । ऑबटेक कसे हो यह देखें । ऑबटेक स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है । अगर गोदामों में माल न रहे तो ऑबटेक होना मुश्किल है ।

लास्ट इअर ऐसी घटना वैस्ट बंगाल में हुई है । वैस्ट बंगाल में ऑबटेक के बारे में शिकायत थी और हमारी शिकायत थी कि आप वैस्ट बंगाल में माल सही नहीं दे रहे हैं, लेकिन दो जिले मालदा और सिंगूम में माल सही तरीके से गया, इस कारण कि आपके दोनों मिनिस्टर वहां के थ, इसलिये वहां के गोदामों में माल जरूर गया । इन दो जगहों में जा रहा है और बाकी जगह नहीं जा रहा है तो इस बारे में आप ध्यान दें ।

त्रिपुरा एक बहुत पिछड़ा हुआ और छोटा सा स्टेट है । वहां पर फूड ग्रेन्स और एडीबल ऑयल की शार्टेज है । बार-बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट आती है, उसको आप देखिए । आपके पास शायद टेलीग्राम आ चुका है, उस पर आप विचार कीजिये और उनको दीजिये ।

इतना ही कहते हुए, जो डिमाण्ड हैं उसको मैं अपोज कर रहा हूं । (व्यवधान) और हम क्या करें । आप तो हमारे सजेशन्स को मानेंगे नहीं । अगर आप हमारे सजेशन्स को मानते तो हम जरूर सपोर्ट करते ।

[अनुवाद]

*श्री वी०एस० विजयराघवन (पालघाट) : सभापति महोदय, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । यह मंत्रालय राव बीरेन्द्र सिंह जैसे सक्षम व्यक्ति के नेतृत्व में बहुत प्रभावपूर्ण और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है । मैं उन्हें अच्छा कार्य करने के लिये बधाई देता हूं । स्वतन्त्र भारत के गत तीन दशकों के दौरान भारत ने पंच-वर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में भारी सफलता प्राप्त की है । कृषि के बारे में अपनाई गई सही नीति के लिए स्वर्गीय पंडित जी, इन्दिरा जी और अब राजीव जी बधाई के पात्र हैं ।

*मलयालम में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर ।

महोदय, अनाज के मामले में आज हम आत्म निर्भरता के स्तर पर पहुंच गए हैं। यह अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों का प्रयोग करके और उर्वरकों आदि का प्रयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा शुरू किये गये प्रभावपूर्ण कार्यक्रमों के कारण संभव हुआ है। इस संदर्भ में मैं कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन करके उसमें किसानों के अधिक प्रतिनिधि शामिल करने संबंधी निर्णय के लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह आयोग, कृषि-उत्पादों के मूल्यों के प्रति और अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायेगा।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि इस वर्ष हमने 1 करोड़ 71 लाख 70 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्नों की खरीद की है। गत वर्ष यह केवल 1 करोड़ 55 लाख 10 हजार मीट्रिक टन की थी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जोकि 20 सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, को चलाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व इस मंत्रालय का है। इस संदर्भ में सरकार का ध्यान केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित कतिपय समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रत्येक व्यक्ति ने सराहना की है। केरल में अनाज की कमी है और हमें खाद्यान्न की अपनी 60% आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इस बात की शिकायत है कि हमें हमारी आवश्यकतानुसार खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। केरल को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 320 ग्राम चावल की दर से प्रति माह 2.10 लाख मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता है। परन्तु केन्द्र से हमें केवल 1.10 लाख मीट्रिक टन चावल ही मिल रहा है। जून, 1977 से नवम्बर, 1981 तक केन्द्र 1.35 लाख मीट्रिक टन चावल की सप्लाई करता रहा है परन्तु बाद में इसमें कमी कर दी गई। केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि केन्द्र द्वारा प्रतिमाह कम से कम 1.35 लाख मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया जाना चाहिये। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है। जैसाकि मैंने कहा है कि केरल अपनी आवश्यकता का केवल 40 प्रतिशत खाद्यान्न का ही उत्पादन करता है। परन्तु यहां नकदी फसलों का उत्पादन होता है जिनसे कीमती विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसलिये केरल की खाद्यान्न की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करना केन्द्र की जिम्मेदारी है।

केरल को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले चावल की किस्म के बारे में व्यापक रूप से शिकायतें हैं। यह घटिया किस्म का है और केरल की गृहणियां इसे लौह चावल (आयरन राईस) कहती हैं। यह पकाने में सख्त है और केरल के लोग इसे पसंद नहीं करते। इसलिये केरल को उबला हुआ चावल सप्लाई किया जाना चाहिये जोकि वहां के निवासियों की एक मात्र पसंद है।

केरल नागरिक पूर्ति निगम राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी अनेक समस्यायें हैं। यदि नागरिक पूर्ति निगम को मजबूत नहीं किया जायेगा, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकती, सार्वजनिक वितरण को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करना और उसके माध्यम से आवश्यक वस्तुयें मुहैया कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम आदि जैसी अपनी एजेन्सियों को राज सहायता तथा अन्य सुविधायें देती है, परन्तु राज्य नागरिक पूर्ति निगम को केन्द्र से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होती है।

इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि केरल नागरिक पूर्ति निगम ने गोदामों के निर्माण और परिवहन आदि की व्यवस्था के लिये 12 करोड़ रुपये की एक योजना भेजी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस निगम को आवश्यक धन उपलब्ध कराये। केरल नागरिक पूर्ति निगम ने आन्ध्र प्रदेश जैसे फालतू अनाज वाले राज्यों से चावल खरीदने की अनुमति मांगी है। केन्द्र की वर्तमान नीति के अनुसार राज्य पूर्ति निगम को फालतू अनाज वाले राज्यों से चावल की खरीद करने की अनुमति नहीं है। साथ ही निजी व्यापारियों को इन राज्यों से चावल खरीदने की अनुमति दी जा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल नागरिक पूर्ति निगम को भी आन्ध्र प्रदेश से चावल खरीदने की अनुमति दे। इसे प्रति वर्ष कम से कम एक लाख टन चावल खरीदने की अनुमति दी जाये।

अन्त में मैं एक और विषय के संबंध में बोलूंगा और वह मिलों से लेवी चीनी की ढुलाई के लिये दिये जा रहे लाभ के संबंध में है। केरल नागरिक पूर्ति निगम मिलों से लेवी चीनी उठाने की प्राधिकृत एजेन्सी है सामान्य तौर पर केरल को पूर्व के महीने के अन्त में चीनी का आवंटन किया जाता है। अतः इसे बहुत ही जल्दी में उठाना पड़ता है वरना राज्य को कोटे से हाथ धोना पड़ेगा। निगम प्रति क्विंटल की ढुलाई पर 15 से 19 रुपये खर्च करता है। केन्द्र ने केवल 9 रु० 70 पैसे खर्च करने की अनुमति दी है। निगम प्रति मास 11000 टन चीनी उठाता है और इस प्रकार प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये का घाटा उठाता है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सीमा को 19 रुपये तक बढ़ा दिया जाये और इस प्रकार निगम को घाटा उठाने से बचाया जाए।

मैं फिर एक बार मांगों का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबांकी) : माननीय सभापति महोदय, मैं खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए, कुछ बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं मंत्री महोदय का ध्यान वितरण प्रणाली की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार की मंशा है कि दूरदराज के देहातों में, गरीबों की झोंपड़ियों तक सारी आवश्यक चीजें वितरित की जायें, लेकिन वितरण करने वाले बीच में ही धांधली करते हैं। ऐसे-ऐसे लोगों को लाइसेंस दे दिये जाते हैं, जो कि बदनाम किस्म के व्यक्ति होते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। ऐसे लोग जिन पर पहले से किसी बात पर मुकद्दमा चल रहा है या जो धोखाधड़ी करने पर बदनाम व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये। सरकार द्वारा जनता धोती की स्कीम चालू की गई थी, लेकिन वह गरीब किसानों और मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई। यह स्कीम शहर में ही आ कर रुक जाती है। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बोरियों में अनाज भर जिला मुख्यालय में तोलने के लिये लेकर जाते हैं, तो तोल में अनाज का वजन घटा दिया जाता है। इस पर भी आपको कड़ी निगरानी रखनी चाहिये।

इस बार हमारे क्षेत्र में आलू की पैदावार अच्छी हुई है। लेकिन आलू की खरीद अच्छी न होने की वजह से आलू सड़ने लगा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर

प्रदेश में आलू को सुरक्षित रखने के लिये कोल्ड-स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिये । अब की बार बाराबंकी में सवा लाख टन से भी ज्यादा आलू की पैदावार हुई है । इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां पर एक आलू की फैक्ट्री होनी चाहिये ।

मैं सरकार का ध्यान खाद की समस्या की ओर भी दिलाना चाहता हूं । आपने बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं, बड़ी-बड़ी नहरें बनाई हैं । यह ठीक है कि इसमें बिजली का भी योगदान रहा है । मैं चाहता हूं कि वहां पर अधिक से अधिक ट्यूबवैल लगवाने का इन्तजाम किया जाये । यदि वहां पर खाद की समस्या दूर कर दी जाये तो ज्यादा से ज्यादा खाद्य समस्या हल हो सकती है । उनको फसल लगाने के वक्त यूरिया भी नहीं मिल पाता है । यदि इन सारी व्यवस्थाओं को सरकार अपने हाथ में ले ले, तो जितना सरकार चाहती है, उससे ज्यादा परिणाम निकल सकते हैं।

सन् 1982 में मिनि-किट वितरण किया गया, जिससे फसल की पैदावार बढ़ी । कुछ जगहों पर मिनि-किट खराब दिया गया था । जिन किसानों ने बड़ी मेहनत से अपने खेतों की जुताई की थी, उनको उस खेत में से एक भी दाना पैदावार का प्राप्त नहीं हुआ । इसलिये मैं चाहता हूं कि जब मिनि-किट वितरण किया जाये तो अच्छी क्वालिटी का किया जाये तथा इसमें और सुधार की आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया ।

[अनुवाद]

श्री अनन्त प्रसाद सेठी (भद्रक) : सभापति महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

प्रारंभ में, मैं मंत्री महोदय और मंत्रालय को भी हमारे देश मे खाद्य संबंधी व्यवस्था के कुशल प्रबन्ध के लिये बधाई देता हूं ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वर्ष 1984–85 के दौरान देश में खाद्य स्थिति सन्तोषजनक रही और वर्ष 1983–84 में खाद्यान्न का उत्पादन 151.54 मिलियन मीट्रिक टन हुआ जो पिछले सभी वर्षों से अधिक है और इससे हमारी लोक प्रिय सरकार की कामयाबी सिद्ध होती है ।

मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए कुछ कहना चाहता हूं और मंत्री महोदय का ध्यान समर्थन मूल्य जो छोटे और सीमान्त किसानों से औसत और अच्छी किस्म के खाद्यान्न खरीदते समय उचित दर पर दिया जाना चाहिये, और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उचित दर की अधिक दुकानें खोलने की आवश्यकता की ओर भी दिलाता हूं क्योंकि गांवों में दुकानदार इन लोगों का शोषण करते हैं । मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिये और इन लोगों को उचित मूल्य पर चावल उपलब्ध करना चाहिये ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति के संबंध में पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है । अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान सीमेंट, मिट्टी के तेल, चावल और खाना पकाने की गैस के आवंटन में उड़ीसा सरकार के सामने आने वाली कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

सीमेंट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र से प्रति तिमाही में 67,800 मीट्रिक टन तक का केन्द्रीय लेवी सीमेंट मिलता है जो उड़ीसा राज्य सरकार की आवश्यकता की तुलना में बहुत ही कम है। सीमेंट की इस कमी के कारण अन्ततोगत्वा, हमारे राज्य द्वारा आरंभ किये गए विकास कार्य में बाधा पड़ती है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस कमी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि उड़ीसा राज्य सरकार का सीमेंट का कोटा बढ़ा कर प्रति तिमाही कम से कम एक लाख टन किया जाये जो उस राज्य के लिये हितकर होगा। उड़ीसा राज्य सरकार ने भी हाल ही में सीमेंट का कोटा बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया था और मैं आशा करता हूं ऐसा किया जायेगा।

सीमेंट के आवंटन के मामले में सीमेंट के उठाने के संबंध में एक कठिनाई है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार कलकत्ता के क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक उड़ीसा की रेट कांटरैक्ट पार्टियों के रिलीज आर्डर जारी करता है और इससे समय पर आर्डर प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाइयां आती हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक तिमाही में उनका अधिकांश कोटा व्यपगत हो जाता है और उड़ीसा सरकार के लिये उलझन की सी स्थिति पैदा हो जाती है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक कलकत्ता से संपर्क करें और इस कठिनाई को दूर करायें।

यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को रेट कान्ट्रैक्ट पार्टियों को पुनः वैधता रिलीज आर्डर जारी करने की अनुमति दे, तो बेहतर होगा तथा इससे आवंटित सीमेंट उठाने में सुविधा होगी।

क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक द्वारा बारबार सीमेंट कारखानों को इस आशय के अनुदेश जारी किये जाने के बावजूद कि राज्य सरकार को कम से कम 30 प्रतिशत पोर्टलैंड सीमेंट सप्लाई की जाये, कारखानों ने उन अनुदेशों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सीमेंट कारखानों को अनुदेश जारी करें कि वे राज्य सरकार को इतना आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट दें जिससे कि दीर्घावधि योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्य हेतु किये गये वायदे पूरे किये जा सकें।

उड़ीसा में, हाल ही में पड़े सूखे से कुछ क्षेत्र प्रभावित हुए जिसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चावल की सप्लाई के लिये दबाव धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। आगामी महीनों में यह दबाव और बढ़ने की संभावना है। चावल के बढ़ते बाजार भाव पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक मात्रा में चावल सप्लाई किया जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य के मासिक आवंटन का कोटा बढ़ाकर 50,000 मीट्रिक टन करने की व्यवस्था करें।

जहां तक खाना पकाने की गैस की सप्लाई का संबंध है, उड़ीसा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन के विशाखापत्तनम और दुलियाजान स्थित दो डिपुओं पर पूरी तरह निर्भर करता है। दुलियाजान से गैस की सप्लाई नियमित नहीं है, और इसके परिणामस्वरूप प्रायः गड़बड़ी रहती है।

मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए पैट्रोलियम और रसायन मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि विशाखापतनम में समूचा आवंटन इस राज्य को किया जाये । इसके साथ ही मंत्रालय उड़ीसा राज्य में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन के 2,500 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता के प्रस्तावित बाटलिंग प्लांट को निश्चित रूप से लगाने की व्यवस्था करें ।

उड़ीसा में विद्युतीकरण की सुविधायें पर्याप्त न होने के कारण रोशनी और खाना पकाने के लिये मिट्टी के तेल का व्यापक प्रयोग किया जाता है । उड़ीसा को मिट्टी के तेल का वर्तमान आवंटन 8,930 मीट्रिक टन है जो उसकी भारी मांग की तुलना में बहुत ही कम है । राज्य का मिट्टी के तेल का कोटा बहुत ही कम होने के कारण उसे भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आवंटन की मात्रा बढ़ाने हेतु तुरन्त उपाय किये जायें ।

इन शब्दों के साथ मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, आज हम सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा कर रहे हैं । मुझे प्रसन्नता है कि इसकी जिम्मेदारी एक बहुत ही समर्थ, समर्पित और व्यावहारिक आदमी पर है ।

यह सच है कि नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार अब खाद्य स्थिति कुछ-कुछ सन्तोषजनक है । वर्ष 1984-85 के दौरान रिकार्ड उत्पादन हुआ है । बाजार में भारी मात्रा में अनाज आया, रिकार्ड की वसूली हुई और भंडार का स्तर भी बहुत बढ़ा । मेरे माननीय मित्र ने विभिन्न आंकड़े दिये । मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं । मैं केवल एक या दो आंकड़ों का उल्लेख करूंगा । वर्ष 1983-84 के दौरान हुई 83 लाख टन की उपलब्धि की तुलना में वर्ष 1985 में गेहूं की वसूली 93 लाख टन रही । उसी प्रकार चावल की वसूली भी वर्ष 1983-84 में 63 लाख की तुलना में मार्च 1985 में 83 लाख टन रही । यह ठीक है कि भण्डार की स्थिति बहुत ही सन्तोषजनक है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1983 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 16.21 मिलियन टन वितरित किया गया । परन्तु वर्ष 1984 में रिकार्ड उत्पादन और उपलब्धता के कारण यह मात्रा घट कर 13.42 मिलियन टन रह गई । रक्षित भण्डार की स्थिति भी सन्तोषजनक है ।

अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं । सारी बातें सन्तोषजनक हैं फिर भी मैं सरकार और सदन के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा । यद्यपि खाद्य स्थिति अच्छी है, कितने लोगों को दो जून खाना मिलता है ? अब आम जनता और गरीब लोगों की खरीदने की शक्ति बहुत घट गई है । इसके लिए मैं खाद्य मंत्रालय को जिम्मेवार नहीं समझता हूं । परन्तु हमें समग्र रूप से वास्तविकता को देखना है । भारत सरकार को सारी बातों पर गौर करना चाहिए । क्योंकि हममें निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊंचा उठाने का सामर्थ्य नहीं है यद्यपि हमारे पास खाद्य की मात्रा प्रचुर है । लोग उसे खरीद नहीं सकते । उनके पास आवश्यक

घट नहीं है। इस बात को महसूस करते हुए, अनेक राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। दक्षिणी राज्यों के बारे में आप सभी जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार चावल दो रुपए प्रति किलोग्राम बेचती है और हमारी कर्नाटक सरकार ने भी हाल ही में 1 नवम्बर से चावल दो रुपए प्रति किलोग्राम बेचने का निर्णय किया है। तमिल नाडु सरकार भी गरीब स्कूली छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना चलाती है, जो लोक प्रिय है।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि खाद्य स्थिति बहुत सन्तोषजनक है, फिर भी बहुत से लोग खाद्य वस्तुएं खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें यह सोचना है। हमें निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। भारत सरकार पहले ही 1100 करोड़ रुपए तक की सब्ज सहायता दे रही है। राज्य सरकारें भी राज सहायता दे रही है। हम चावल दो रुपए प्रति किलोग्राम भी दें, तब भी बहुत से लोग उसे खरीदने की स्थिति में नहीं हैं।

एक अन्य बात जिसका उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है वह यह है कि गत वर्ष के दौरान थोक मूल्य स्थिर रहे। मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ हद तक यह मूल्य स्थिर रहे हैं, परन्तु बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उदाहरण के तौर पर, चीनी की स्थिति क्या है? हाल ही में हमने चीनी का मूल्य 40 पैसे बढ़ा दिया। गरीब जनता की वह वस्तु क्या है—मिट्टी का तेल हाल के बजट के बाद मिट्टी के तेल का मूल्य 16 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। मूल्य वृद्धि के बारे में यदि कोई सही जानकारी दे सकता है, तो वह है गृहिणी। मैंने केन्द्रीय आम बजट और रेल बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद हाल ही में इस संबंध में हिसाब लगाया है। स्थिर आय वाले मध्यम वर्ग के परिवार का खर्चा 100 रुपए प्रति मास बढ़ गया है। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं। मैंने थोड़े ही दिन पहले ही इसका हिसाब लगाया है।

आप कहते हैं कि मूल्य स्थिर रहे हैं। परन्तु यह सच नहीं है। जब रिकार्ड उत्पादन हुआ है, तो इसमें कमी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है। गेहूं और चावल के मूल्य भी कम नहीं हुए। परन्तु अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे तूर दाल आदि के मूल्य में भी, दिल्ली में भी, तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है कि, हम खाद्य तेल का आयात कर रहे हैं। जहां तक खाद्य तेल का संबंध है, हमारा देश आत्म निर्भर नहीं है। हम मुख्य रूप से आयातित खाद्य तेलों पर निर्भर हैं। इस लिए इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए कि हम पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल का उत्पादन करें जोकि प्रत्येक परिवार के लिए अत्यन्त आवश्यक वस्तु है। इसके लिए सरकार पर्याप्त प्रोत्साहन क्यों नहीं देती? मूंगफली की बहुतायत में पैदावार होती है और सरकार को खाद्य तेल के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए।

इस लिए मूल्य वृद्धि सम्बन्धी रिपोर्ट को मैं स्वीकार नहीं करता। यह सही नहीं है क्योंकि एक या दो वस्तुओं को छोड़कर प्रायः सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

अब मैं उत्पादन लागत और मूल्य वृद्धि के बारे में आपने कुछ आंकड़े दिए हैं। आप कहते हैं कि गेहूं और चावल की आर्थिक लागत—आपने अपने प्रतिवेदन में उत्पादन लागत, वसूली व्यय आदि को शामिल करके बिक्री लागत के आंकड़े दिये हैं—क्रमशः 188.42 रुपए और 240.72

रुपए है । आपने वितरण लागत 41.04 रुपए प्रति क्विंटल बताई है और इस प्रकार कुल आर्थिक लागत क्रमशः 229.46 रुपए और 281.76 रुपए है और आम गेहूं 172 रुपए और चावल 245 रुपए की दर से दे रहे हैं । इस तरह भारत सरकार गेहूं के लिए 57.46 रुपए प्रति क्विंटल और चावल के लिए 56.9 रुपए प्रति क्विंटल की कुल आर्थिक राज सहायता देती है । और इस आर्थिक राज सहायता में से 41.04 रुपए पूल वितरण लागत है और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे । प्रत्येक क्विंटल चावल अथवा गेहूं के लिए आप 41.04 रुपए पूल वितरण लागत के रूप में खर्च करते रहे हैं । यह अधिक है । आप धान के उत्पादकों को केवल 137 रुपए का भुगतान करते रहे हैं । ये ऊपरी खर्च बहुत ज्यादा है और हमें इन्हें अवश्य कम करना चाहिए । प्रति किलो 41 पैसा अतिरिक्त पूल लागत माना जा सकता है । इसे कम किया जाना चाहिए ।

अब मैं, गेहूं, धान और गन्ने के मूल्यों का निर्धारण करने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । हमारे यहां कृषि मूल्य आयोग है लेकिन कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य कभी भी किसानों के अनुकूल नहीं होते । यद्यपि मैं शहरी क्षेत्र का हूं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले हमारे तमाम मित्र धान, गेहूं और गन्ना पैदा करने में आने वाली कठिनाइयां हमें बताते हैं । हमें इनके उत्पादकों को आकर्षक मूल्य देने चाहिएं । हमें इनकी पैदावार में उनके द्वारा लगाए जाने वाले श्रम और उर्वरकों की लागत आदि पर विचार करना चाहिए । इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा निश्चित की गई दरें न्यायसंगत नहीं हैं । अनेक राज्य भारत सरकार से यह अनुरोध करते रहे हैं कि कोई गेहूं और चावल के मूल्य निर्धारित करते समय उनसे परामर्श किया जाना चाहिए लेकिन भारत सरकार ने राज्य सरकारों से इस बारे में कभी परामर्श नहीं किया है ।

अब मिट्टी के तेल के बारे में दो शब्द कहूंगा । मिट्टी का तेल आम आदमी का ईंधन है । यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को यह भी देखना चाहिए कि मिट्टी का तेल केवल घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयोक्ताओं को सप्लाई किया जाए । हो यह रहा है कि बड़ी मात्रा में मिट्टी का तेल उद्योगों के लिए चला जाता है । इसे बन्द किया जाना चाहिए । आटो रिक्शा वाले व्यक्ति जैसे अनेक व्यक्ति मिट्टी के तेल के साथ डीजल मिला देते हैं । 50 प्रतिशत से अधिक मिट्टी का तेल काला बाजार में जा रहा है । इसे रोका जाना चाहिए ।

अन्त में आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में दो शब्द कहूंगा । आप को यह अवश्य देखना चाहिए कि राज्य सरकारें इसका कड़ाई के साथ पालन करें यद्यपि हमारे यहां उचित दर की तीन लाख दुकानें हैं फिर भी काला बाजारी और जमाखोरी बढ़ रही है । जमाखोरी, काला बाजारी और मिलावट के लिए कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें इस आवश्यक वस्तु अधिनियम का पालन कम उल्लंघन अधिक कर रही हैं । उनमें से अनेक इसे लागू नहीं कर रही हैं । केन्द्र सरकार को यह अवश्य देखना चाहिए कि राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करें । इन्हें अत्यन्त कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए ।

अन्ततः मैं कर्नाटक सरकार की ओर से अपील करना चाहूंगा । कर्नाटक सरकार आपसे बार-बार इस बारे में अनुरोध करती रही है । इस समय आपके पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है । कर्नाटक राज्य उन थोड़े से राज्यों में से एक है, जो केन्द्रीय पूल में अपना अंशदान करते रहे हैं ।

कर्नाटक सरकार ने प्रति मास 40,000 टन चावल सप्लाई किये जाने की अपील की है जबकि इस समय उसे केवल 25,000 टन चावल मिल रहा है। क्योंकि आपके पास पर्याप्त भंडार है, अतः आप कृपा करके कर्नाटक सरकार को उसकी मांग के अनुसार 40,000 टन चावल उपलब्ध कराएं। राज्य सरकार कमजोर वर्गों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से चावल सप्लाई करने के लिए वचनबद्ध है। मैं अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक को चावल की अतिरिक्त मात्रा आबंटित की जाए।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि कर्नाटक को तीन बन्दरगाहों अर्थात मंगलौर, बम्बई और मद्रास के जरिए पामोलिन ऑयल मिल रहा है। अब राज्य व्यापार निगम केवल मंगलौर बन्दरगाह के जरिए इस ऑयल की डिलीवरी करना चाहता है। राज्य सरकार के लिए यह अत्यन्त खर्चीला रहेगा। इस लिए, मैं अनुरोध करता हूं कि पहले की तरह इन तीनों बन्दरगाहों से कर्नाटक को पामोलिन ऑयल का वितरण किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी खाद्यान्न की स्थिति अनुकूल रहेगी।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, पहले भी मैं इस सदन में दो चार बातें कहता रहा हूं। बातें बिल्कुल व्यावहारिक हैं। मैं बहुत अधिक भाषण देने में विश्वास नहीं करता हूं। फूड एण्ड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री में लोगों की कितनी दिलचस्पी है, वह इस सदन में लोगों की उपस्थिति से ही पता चल रहा है।..... (**व्यवधान**)

खाद्यान्न का क्या महत्व है, इस सदन में भाषण दे दें और अपने को संतुष्ट कर लें, उससे बात नहीं बनती है। आप मेरे साथ देहातों में चलें। मैं आपको दिखाऊंगा कि हजारों हजार आदमी ऐसे हैं, जिन्हें एक शाम का खाना भी नहीं मिलता है। ऐसे लोग हैं जिन्हें एक शाम की रोटी भी नसीब नहीं होती है। हमारे भाषण का उन पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। इससे उनकी भूख नहीं मिटने वाली है। आप कितना भी कुछ कहें कि हमने बहुत खाद्यान्न जमा कर लिया है, हमारा प्रोग्राम लाजवाब है और हमारे फूड प्रोडक्शन ने अभूतपूर्व काम किया है, लेकिन वह जो गरीब देहात में हैं, जिसे कि एक शाम की भी रोटी नहीं मिलती है, उसको हमारे आंकड़ों से क्या फायदा है? आप कहेंगे कि चीजों के दाम कम हो गए। मैं आपको अभी इसी वक्त बाजार ले चलता हूं। आप किसी भी दुकान में चले जाइये और हमें यह साबित कर दीजिए कि चीजों के दाम कम हो गए हैं। दाम कम नहीं हुए हैं। लोग पिस रहे हैं। अमीर और अमीर तथा मोटे होते चले जा रहे हैं। यह देश का सबसे अधिक प्रभुतासम्पन्न सदन है। इसे इस बात पर विचार करना है कि या तो हम भाषण दें या सचमुच हम गरीबों के लिए काम करें। हम लोगों को बाध्य करें कि सस्ती और उचित दरों पर उन्हें चीजें मिलें। आपने रिपोर्ट में बताया है कि फूड पर 1365 करोड़ का प्रावधान किया है जबकि सिविल सप्लाई पर केवल 19 करोड़ का है। इसमें फूड कारपोरेशन पर 1183 करोड़ का खर्चा होगा। आपके यहां जो सबसे अच्छा कारपोरेशन है, सेन्ट्रल वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन, उस पर केवल 352 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा हूं और वैसे भी मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग पब्लिक सैक्टर की इतनी आलोचना करते हैं लेकिन अभी अपने देश में सेन्ट्रल वेयर हाऊसिंग

कारपोरेशन जैसे कारपोरेशन मौजूद हैं । जिन्होंने बहुत ही मामूली शुरुआत करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया है और जिनकी एफीश्यंसी 95 प्रतिशत से लेकर 97 प्रतिशत तक है । मैं मन्त्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं, मैनेजमैंट को बधाई देता हूं परन्तु इसके विस्तार में मैं बाद में जाऊंगा ।

इस कारपोरेशन का परसेंटेज आफ ग्रोस प्रौफिट--कैपिटल एम्प्लायड की तुलना में 1978-79 में 12 परसेंट था जो अब बढ़ कर 18 परसेंट हो गया है और यह किसी भी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग के लिए बहुत ही क्रैडिटेबल चीज है, कोई छोटी चीज नहीं है । मैं सिर्फ उन बातों पर ही विश्वास करता हूं जोकि दूध का दूध और पानी का पानी करके कही जाए । जहां सरकार को बधाई देने की बात होगी मैं उसे जरूर बधाई दूंगा और जहां उसकी समालोचना करने की बात होगी, मैं उसकी समालोचना करूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही राजहंस है । राजहंस दूध को दूध और पानी को पानी देखता है.....(**व्यवधान**).....जी हां, मैं मानसरोवर से आता हूं और यही कारण है कि मैं दूध को दूध और पानी को पानी की तरह देखता हूं ।

आप रेडियो और टी०वी० के जरिए प्रतिदिन प्रचार करते हैं कि डिब्बे को सामान के साथ मत तोलिए, डिब्बा सामान से अलग है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे दिल्ली में एक भी दुकान दिखला दीजिए जो कि सामान के साथ डिब्बे को न तोलता हो । इस तरह सरकार पब्लिसिटी पर जितना खर्च करती है, वह सब बेकार जाता है और आपका रेडियो और टी०वी० दिन-रात व्यर्थ का प्रचार करता रहता है कि जो दुकानदार सामान के साथ डिब्बे को तोलेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोगों के विरुद्ध आपने आज तक कार्यवाही की जो सामान के साथ डिब्बे को तोलते हैं । किसी भी मिठाई की दुकान पर यदि आप जायें तो वह मिठाई के साथ हमेशा डिब्बे को तोलेगा । यदि आप उसे कहते हैं कि आप मिठाई के साथ डिब्बे को क्यों तोल रहे हो तो उसका एक ही जवाब होगा कि आपको लेना हो तो लो नहीं तो भाग जाओ । इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे कानून बनाने चाहिएं जो व्यावहारिक हों । यदि आप इस तरह का प्रचार करते हैं तो उसको अमल में भी लायें, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए ।

सरकार ने बहुत सी चीजों के सपोर्ट प्राइस निश्चित किए हुए हैं लेकिन राज्य सरकारें उनको इम्पलीमैंट नहीं होने दे रही हैं । राशन की दुकानों के बारे में मेरा कहना है कि कितने लोगों को राशन की दुकानों से फायदा हो रहा है, यदि आप उसकी फीगर्स देखें तो वह बहुत ही कम होगी । हम सब यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी राशन की दुकान में जाते हैं तो वहां यही पता चलता है कि चीनी नहीं है । पता नहीं रातों रात चीनी कहां चली जाती है । किसी को पता नहीं चलता है । जिस आदमी को राशन की दुकान का लाइसेंस मिल जाता है वह अब अपने को समाज का प्रिविलेजड आदमी मानने लगता है और रातों रात पैसे वाला हो जाता है । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार राशन शौप्स पर अधिक से अधिक ध्यान दे क्योंकि जब तक वे ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी, हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते और गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को तब तक फायदा नहीं पहुंच सकता । मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि इस विभाग के कुछ मोबाइल राशन शौप्स बनानी चाहिए क्योंकि हमारे देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां

बारिश की वजह से लोग घर के ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल राशन शॉप्स लोगों को राशन सप्लाई करेंगे और लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। इस विभाग की रिपोर्ट के पृष्ठ 2 और 3 पर एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि हमारी फूट और वैजिटेबल इंडस्ट्री से बहुत लाभ हुआ है। हमारे मन्त्री जी असैम्बली इलैक्शन्स के दौरान हमारी कास्टीट्यूएंसी में गए थे।

हमारे मन्त्री जी असैम्बली इलैक्शन्स के दौरान हमारी कॉस्टीट्यूएंसी में गए थे, इन्होंने खुद एक चीज देखी होगी कि वहां लाखों आम के पेड़ हैं, मैं करोड़ों तो नहीं कहूंगा। फिर भी किसान लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। वहां का आम, मिथिला का आम केवल देश में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है। इस लिए आप फूट प्रोसैसिंग इंडस्ट्री लगाएं। ये इंडस्ट्रीज आप केवल सिलचर और भागलपुर में ही मत लगाईए, वैसे मैं भागलपुर का रहने वाला हूं। बल्कि मिथिला के क्षेत्र में भी लगाईए जहां लाखों टन आम प्रति वर्ष बर्बाद हो जाता है। वहां पर ये बहुत आसानी से लग सकती है क्योंकि आप कांटी के पावर हाउस से वहां बिजली ले सकते हैं और आम तो वहां पानी के भाव मिलता है। इससे वहां लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सिलचर और भागलपुर में जिस तरह लोगों को रोजगार मिल गया है, इसी तरह मिथिला में भी यदि ये आम का उद्योग लग जाए, तो बहुत ज्यादा लाभ होगा।

इधर दो तीन बातें मुझे कहनी हैं। आप माडर्न इंडस्ट्रीज में डबल सेवन दे रहे हैं, जैसे डबल सेवन में सरकार आई थी, 1977 में, उसी तरह डबल सेवन की पैय है। इसकी जगह पर आप रसिका दीजिए। मिथिला से आम लाइए, वहां से आप पल्प लाइए। यह इतना सस्ता आपको पड़ेगा कि आप इसको सारे देश में सस्ते रेट पर देना चाहेंगे। कहने को तो मेरे पास बहुत बातें हैं, मगर आपने घंटी बजा दी है। इस लिए अब मैं सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग के बारे में कहना चाहता हूं। आप का इस बारे में जो ख्याल था और जंगा जी को इस बारे में जो एतराज हुआ, उसके बारे में मैं कहता हूं कि इस कारपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, यहां प्रयनि मैदान में ही सारी सुविधाएं मिल जाती हैं एक्सपोर्ट की जितनी जरूरतें हैं, वे यहीं मिल जाती हैं, कस्टम क्लियरेंस हो जाती है, क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है। मैं तो कहूंगा कि ये ड्राई पोर्ट देश में और जगह भी खोली जाएं। इसी प्रकार वेयरहाउसिंग के और गोडाउन्स खोले जाएं, मैं तो कहूंगा कि ये विदेशों में भी खोले जाएं।

मुझे यह पढ़कर सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि जम्मू और कश्मीर में वेयरहाउसिंग के गोदाम नहीं हैं। या तो एक्ट में कोई गलती है या और कोई बात है। जम्मू-कश्मीर में वेयरहाउसेस अवश्य खुलने चाहिएं। मैं यहां हाउस में यह कहने के लिए तैयार हूं कि इन वेयरहाउसेस का काम बहुत अच्छा है।

अन्त में, मैं यही कहूंगा कि फूड गरीबों को मिले। खाद्यान्न गरीबों को मिले, इसके लिए हमें सीरियस थॉट देना होगा। बहुत गम्भीरता से सोचना होगा। हम भाषण दे दें कि देश में अनाज बहुत हो गया है और बहुत सस्ता मिलता है। उस से बात नहीं बनेगी। यह देश गरीबों का है और गरीबों को अनाज खाने के लिए मिलना चाहिए। तो हम यह भी देखें कि जो फूड या खाने की चीजें लोगों को मिल रही हैं, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? 22, 24 और 25 वर्ष की उम्र में ही लोग बूढ़े हो जाएं, तो उस तरह के अन्न को खाने का क्या फायदा होगा? हम

इस देश के लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सही अर्थ में भारतवर्ष के गरीबों की भलाई कीजिए। लोगों की भलाई के लिए योजनाएं बनाईए, इसे वैलफेयर स्टेट बनाईए। बस श्रीमान, मुझे यही बात कहनी है।

[अनुवाद]

श्री जी० एस० बसवराज (टुमकुर) : सभापति महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। मुझे वस्तुतः इस बात से प्रसन्नता है कि खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय बन गया है। मुझे विश्वास है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाने में, जोकि गरीब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे माननीय मन्त्री जी गतिशीलता प्रतिसित होगी। हमारे माननीय मन्त्री को स्वतंत्र प्रभार मिला है और उन्हें भारतीय खाद्य निगम जिसे केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की वसूली का कार्य सौंपा गया है, के कार्यों की व्यवस्था करनी है। अनेक सदस्य भारतीय खाद्य निगम में कुप्रबन्ध और इसकी स्थिति के बारे में बोले हैं। लेकिन जो भी हो, भारतीय खाद्य निगम को 8.50 करोड़ रुपए की वार्षिक आर्थिक राज-सहायता दी जा रही है। यदि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देना चाहते हैं, तो यह राशि पर्याप्त नहीं है। जब मैं किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों की बात करता हूं तो धान के लिए अधिक मूल्य देने की आवश्यकता पर बल देना मेरा कर्तव्य है। इस समय भारत सरकार गेहूं के लिए 152 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है; और इसके साथ 137 से 145 रुपए तक धान के लिए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। यह सामान्यतः दक्षिण भारत के किसानों के और खास तौर पर कर्नाटक के किसानों के प्रति, जो मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं, अन्याय किया जा रहा है।

मुझे ज्ञात है कि कर्नाटक सरकार ने धान के लिए संभवतः 160 रुपए प्रति क्विंटल की सिफारिश की है। यह राशि भी पर्याप्त नहीं है। धान की खेती के लिए आवश्यक सभी आदानों की लागत को ध्यान में रखते हुए धान का लागत मूल्य 180 रुपए प्रति क्विंटल से कम नहीं होगा। इस लिए, मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सरकार को धान के मूल्य कम से कम 200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने चाहिएं। केवल तभी धान के उत्पादकों को, नकद फसलों का आश्रय लिए बिना, धान की खेती को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। अन्यथा किसान निश्चय ही धान की खेती करना छोड़ देंगे। और इससे देश को एक बार फिर खाद्यान्न की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

अब कृषि मूल्य आयोग द्वारा कृषि उत्पादों के मूल्य निश्चित किए जाने के बारे में बात की जाए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आयोग में कोई कृषिविद है। वे अपनी मनमर्जी से मूल्य निश्चित करते हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। दिन-ब-दिन भयंकर सूखे और आधारभूत सभी सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। इस लिए, मैं यह सुझाव देता हूं कि कृषि मूल्य आयोग में कम से कम दो किसान होने चाहिएं। ऐसा करते समय, कृषि को एक उद्योग मानते हुए कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिएं। तभी, किसानों को लाभकारी मूल्य देने के पश्चात, खाद्यान्नों की वसूली में कारगर समन्वय होगा।

20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 1984-85 में पर्याप्त धनराशि आबंटित की गई है। बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए

उचित दर की और अधिक दुकानें खोलने की व्यापक गुंजाइश है। मुझे बताना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल शहरी क्षेत्रों में प्रभावी है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं।

कर्नाटक के मुख्य मन्त्री श्री रामकृष्ण हेगड़े न जोरदार शब्दों में इस बात की घोषणा की है कि उनकी सरकार अन्य किसी राज्य की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कारगर ढंग से 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां पूर्वाग्रहों के कारण उचित दर की मौजूदा दुकानें रद्द की गई हैं क्योंकि वे कांग्रेसजनों द्वारा चलाई जा रही थीं। इस समय कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खराब स्थिति में है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से राज्य की इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस स्थिति को ठीक किया जाएगा।

मैं अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक 1000 की जनसंख्या के लिए उचित दर की एक दुकान की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि लेवी प्रणाली के अन्तर्गत वसूली करने की नीति से इस समय किसानों को हानि हो रही है। कर्नाटक में व्यापारी मिल के स्थानों और बाजार क्षेत्रों में, जहां कि किसानों की वस्तुएं, क्रमशः प्रेषण और बिक्री के लिए लाई जाती हैं, से लेवी इकट्ठी कर रहे हैं, वस्तुतः वहां व्यापारियों और अधिकारियों द्वारा किसानों को ठगा जा रहा है। इस लिए, मैं अनुरोध करता हूं कि लेवी प्रणाली के अन्तर्गत इस प्रकार की वसूली को छोड़ा जाना चाहिए। इसके स्थान पर सरकार को केवल खुले बाजारों में खरीद करनी चाहिए।

मैं इस बात का भी सुझाव देता हूं कि उचित दर की दुकानों के माध्यम से समुचित वितरण किया जाना चाहिए। मैं इस बात पर भी जोर देता हूं कि यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि देश को भोजन देने वालों को वास्तव में भोजन नहीं मिल रहा है। उनकी आवश्यक मांगें ग्रामीण क्षेत्रों में केवल उचित दर की और अधिक दुकानें खोलकर ही पूरी की जा सकती हैं। जब आप शहरों में रह रहे लोगों को सुविधाएं और इतनी विलासितापूर्ण सुविधाएं दे रहे हैं तो आपको ग्रामवासियों की आकांक्षाओं पर अवश्य विचार करना चाहिए जिनको कि उचित दर की दुकान पर आवश्यक वस्तुएं मिलना आवश्यक है।

मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इन सभी अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे। मेरा अनुरोध है कि समुचित सुविधाएं अवश्य दी जानी चाहिएं। भारतीय खाद्य निगम को अपने गोदामों का निर्माण करना चाहिए। भण्डारण सुविधाओं की कमी के कारण हमें लगभग 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक हानि हो रही है। इस हानि को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिएं।

3.00 म० प०

मेरा निर्वाचन क्षेत्र, तुमकुर, पड़ोसी राज्यों को मुख्य रूप से खाद्यान्न और अन्य सामग्रियों के निर्यात के लिए जाना जाता है। तुमकुर में भंडारण की कोई उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वह भारतीय खाद्य निगम को तुमकुर (कर्नाटक) में गोदामों का निर्माण करने के अनुदेश दें।

अपने राज्य कर्नाटक के विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बुरी तरह सूखे से पीड़ित है। केन्द्र ने स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल भी भेजा है और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि कर्नाटक सरकार को पर्याप्त कोटा दिया जाए। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, वहां फालतू मात्रा में खाद्यान्न था। परन्तु वर्तमान सरकार के काल में, हालांकि 1983-84 में उनके समय में भी फालतू मात्रा में अनाज था, उन्होंने केन्द्र को सूचित किए बिना खाद्यान्न की फालतू मात्रा अन्य राज्यों को भेज दी। इस प्रकार शासक दल ने कई करोड़ रुपए कमा लिए हैं। यह अत्याधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक में शासक दल के लोगों ने पैसा कमाया है। हमारा राज्य मूल रूप से फालतू मात्रा में अन्न वाला राज्य था, परन्तु श्री रामकृष्ण हेगड़े सरकार की अनुचित आयोजना और कुप्रशासन ने इसे घाटे वाला राज्य बना दिया है। अतः, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कर्नाटक के लोगों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से राज्य सरकार को धन का उचित उपयोग करने के अनुदेश देने का निवेदन करता हूं। यह अत्याधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक में खाद्यान्न विभिन्न अन्य मदों में लगाया गया है। उदाहरण के लिए, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत धन और खाद्यान पिछले विधान सभा चुनावों के दौरान अपने चुनाव प्रबन्धकों/प्रचारकों को दे दिया। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे राज्य सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु धन का उचित उपयोग करने के अनुदेश दें और खाद्यान्नों का उचित वितरण किया जाए। मैं सुझाव दूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य कार्यक्रमों की कार्यनिष्पति और उसके अन्तर्गत वितरण के कार्य की देखरेख अथवा उसको विनियमित करने के लिए जिला खंडों में संबद्ध संसद सदस्य की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति होनी चाहिए।

आयातित तेल का वितरण केवल उचित मूल्य की दुकानों और सहकारी भंडारों के माध्यम से होना चाहिए परन्तु इसे सीधे निजी गन्ना उत्पादकों को ही नहीं दे दिया जाना चाहिए। यह उत्पादक भी कठिनाई में हैं और इन्हें कम से कम 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से अदायगी की जानी चाहिए।

हमारे देश में, फलों और सब्जियों के संबंध में, केवल एक छोटे से भाग के संरक्षण की सुविधा है। शेष बर्बाद हो जाता है। संरक्षण की इस प्रणाली को उचित संसाधन के माध्यम से सारे देश में बढ़ाया जाना चाहिए। ठंडी करके रक्षित सब्जियों और निर्जलीकृत फलों जैसी महत्वपूर्ण संसाधित मदों का बड़ी मात्रा में विदेशों को निर्यात होना चाहिए।

उद्यानविदों और उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रत्येक तालुक स्तर पर उद्यान सहकारिता समितियों की स्थापना की आवश्यकता है और इन समितियों को इन सभी कार्यों को सम्पन्न करना होगा।

मेरे क्षेत्र में, बड़ी मात्रा में आम, अमरूद, टमाटर, 'सपोटा' और अन्य सब्जियां पैदा की जा रही हैं और इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा भंडारण की सुविधाएं उत्पन्न करनी चाहिएं। मैं अनुरोध करता हूं कि तुमकुर में फलों का रस निकालकर उसे साधित करके रखने का एक संयंत्र स्थापित किया जाए। इसके साथ मैं इस मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री डी० वसीर (चिकमंगलूर) : मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय को एक आधार भूत जिम्मेवारी सौंपी गई है । खाद्य, लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और खाद्य की पूर्ति किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है ।

मैं मंत्री जी और विभाग को देश में खाद्यान स्थिति का कुशल प्रबंध करने पर बधाई देता हूं परन्तु मैं इस अवसर पर इस देश के कृषकों और कृषि मजदूरों के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं जो इस देश की समस्त जनता के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिए सारा वर्ष मेहनत करते हैं।

वर्ष 1984-85 के दौरान खाद्यान्न का 151.54 मिलियन टन का अब तक का सब से अधिक उत्पादन हुआ है और वास्तव में पिछले चार वर्षों से रिकार्ड उत्पादन हो रहा है । हमारे किसान और खेत मजदूर बधाई के पात्र हैं और हमारे देश के नीति नियामक भी बधाई के पात्र हैं ।

इस देश के अधिकतर लोग गरीब हैं । उनकी क्रय शक्ति बहुत कम है । ऐसे देश में हर एक व्यक्ति मुझसे सहमत होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है । बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बहुत चर्चा की है । समाज के कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की आवश्यकता पूर्ति हेतु नई उचित मूल्य की दुकानें खोल कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है । परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस क्षेत्र में समस्या की गंभीरता को देखते हुए आशानुकूल उपलब्धियां नहीं हुई हैं।

मैंने रिपोर्ट का अध्ययन किया है । मैंने पाया है कि वर्ष 1982-83 के दौरान केवल 14,199 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली गई । मुझे विश्वास है कि कोई भी यह दावा नहीं करेगा कि यह एक उपलब्धि है । अतः, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को अभी बहुत कार्य करना है । सरकार को सारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होनी चाहिए । मैं इस अवसर पर यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमारा अधिकतम एक हजार लोगों के लिए एक उचित मूल्य की दुकान का लक्ष्य होना चाहिए ।

मैं चलती-फिरती उचित मूल्य की दुकानों के महत्व पर भी जोर देना चाहूंगा । यह एक महत्वपूर्ण विषय है । अब, अपेक्षित मूलभूत ढांचे का विकास करने का समस्त भार राज्य सरकार पर है । जब खाद्य निगम जैसी विभिन्न एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है तो राज्य सरकार की एजेंसियों को ऐसी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध क्यों नहीं है। मैं जोर देकर कहूंगा कि केन्द्र सरकार मूलभूत ढांचे के विकास हेतु जो कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण है, पर्याप्त धन अवश्य उपलब्ध कराए ।

केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम जोकि सारे केरल में वितरण का कार्य करता है, सभी जिला और तालुक मुख्यालयों में किराए के गोदामों का उपयोग करता है । इसके

अंतर्गत 1600 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें चलती हैं। राज्य में स्थायी गोदामों के निर्माण हेतु कम से कम 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है । बेहतर परिवहन की सुविधाओं के लिए अन्य 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी । अत: माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम को राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मूलभूत ढांचे के विकास हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं ।

मैं अपने राज्य की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं तक ही सीमित रहना चाहता हूं । केरल एक घाटे वाला राज्य है । माननीय मंत्री जी यह अच्छी तरह जानते हैं । जबकि राज्य की कुल आवश्यकता 32 लाख टन की है वहां केवल 12 लाख टन उत्पादन होता है । इस समय केन्द्रीय पूल से केवल 1.10 लाख टन प्रतिमाह का ही आवंटन है । जुलाई, 1984 से अक्तूबर, 1984 के बीच 10,000 टन प्रतिमाह की सीमित वृद्धि की गई थी । फिर इसे रोक दिया गया । केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल का वर्तमान आवंटन पर्याप्त नहीं है । राज्य के राशन आदेश के अनुसार प्रति वयस्क प्रति दिन 320 ग्राम और अवयस्क के लिए इसकी आधी मात्रा विधीरित है । इस प्रकार 2.10 लाख टन प्रति-मास की आवश्यकता है । परन्तु केरल सरकार केवल 1.35 लाख टन के लिए जोर दे रही है । जो मात्रा उसे नवम्बर, 1981 तक मिलती थी केन्द्र सरकार ने स्वदेशी उत्पादन और खरीद में गिरावट के कारण आवंटन में कमी कर दी । परन्तु अब जबकि देश में उत्पादन और खरीद में वृद्धि हुई है तब राज्य के लिए कोटा न बढ़ाए जाने का कोई औचित्य नहीं है । वास्तव में, मेरे राज्य में पिछले वर्षों में मांग में वृद्धि हुई है । परन्तु फिर भी केरल सरकार ने 1.35 लाख टन की मात्रा को बहाल करने तक ही अपनी मांग को सीमित रखा है । परन्तु यह दु:ख का विषय है कि केन्द्र सरकार ने यह मांग भी नहीं मानी है । केरल, इलायची, नारियल, चाय आदि जैसी नकदी फसलों का उत्पादक है । हम देश के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं । इसके अतिरिक्त, खाड़ी के देशों में काम करने वाले केरल के हजारों लोग देश के लिए विदेशी मुद्रा में भी अपना योगदान देते हैं । अत: मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में चावल का आवंटन किया जाए । केरल में हमारे पास एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और राज्य की राशन व्यवस्था देश में सबसे अच्छी है । केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम राशन कार्डों के आधार पर वास्तविक उपभोक्ताओं को सहायता प्राप्त दरों पर चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता है । केरल सरकार द्वारा उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा स्फिति विरोधी उपाय है । केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम अपनी वितरण प्रणाली द्वारा खुले बाजार में चावल के मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है ।

केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम का विचार अब आंध्र प्रदेश से एक लाख टन चावल की खरीद करने का है । इस समय केन्द्र सरकार राज्य नागरिक पूर्ति निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों को फालतू मात्रा वाले राज्यों से चावल की खरीद करने की अनुमति नहीं दे रही है । विरोधाभास यह है कि सरकार निजी एजेंसियों को फालतू मात्रा वाले राज्यों से चावल की खरीद की अनुमति देती है परन्तु सरकारी एजेंसियों को यह अधिकार नहीं हैं । अत: माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि राज्य नागरिक पूर्ति निगम को आंध्र प्रदेश में खुले बाजार से चावल की खरीद की अनुमति दी जाए ।

माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल राज्य को घटिया किस्म का चावल सप्लाई किए जाने की कई शिकायतें हैं । केरल राज्य विधान सभा में भी इस विषय में काफी शोर मचा भी और इस मामले पर केरल के लोगों में आक्रोश है । मझ आशा है कि मंत्री जी ने इस मामले पर ध्यान दिया होगा क्योंकि जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री विजयराघवन ने कहा कि पंजाब का चावल केरल आ रहा है । मुझे इसमें कोई तुक समझ में नहीं आती है क्योंकि आंध्र प्रदेश केरल का पड़ौसी राज्य है । केन्द्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम को आंध्र प्रदेश से केरल को चावल आवंटित करने में अधिक लाभ होगा । परन्तु मुझ इसमें कोई औचित्य समझ में नहीं आया कि पंजाब से केरल को चावल भज जाने की अनुमति क्यों दी गई और इससे परिवहन पर इतना धन व्यर्थ व्यय किया गया । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री ने इस पर ध्यान दिया है और केरल को आंध्र प्रदेश से चावल आवंटित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं । मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं । मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । मिट्टी के तेल आदि की अन्य कई समस्याएं हैं जिन का उल्लेख मेरे मित्र ने किया है, परन्तु मैं उन सबका जिक्र नहीं करूंगा । मैं माननीय मंत्री जी से गरीब केरल राज्य को चावल, मिट्टी का तेल और सीमेंट की अधिक मात्रा का आवंटन करने का अनुरोध करता हूं ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, आज जब हम इस वादविवाद में भाग ले रहे हैं, आज के इण्डियन एक्सप्रैस में खबर छपी है कि मध्यप्रदेश में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और हजारों गरीब किसान और आदिवासी श्रमिक राज्य छोड़कर जाने लग गए हैं । यह पूंजीवाद का विरोधाभास है । इस देश में निश्चित रूप से पर्याप्त खाद्यान्न हैं किन्तु यह भी सच है कि अधिकांश लोगों की खरीद क्षमता इतनी कम है कि यह उनकी पहुंच से बाहर है । इसलिए ये लोग हड़बड़ी में इधर उधर भाग रहे हैं । इस बात की जांच की जानी चाहिए और इसका उपचार किया जाना चाहिए । यह मेरा पहला मुद्दा है । दूसरा मुद्दा यह है कि हम मांग कर रहे हैं कि चावल, गेहूं, दालों, खाद्य तेलों, साधारण वस्त्र, सस्ता साबुन आदि जैसी 14 आवश्यक वस्तुओं को देश भर में एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध क्यों नहीं कराया जाता । यदि हम डीजल और पैट्रोल देश भर में एक ही मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं यदि हम पोस्टकार्ड तथा अन्य वस्तुएं एक ही मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं, तो भारत सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने में आनाकानी क्यों कर रही है ? केन्द्र सरकार का कहना है कि इसके लिए उसे भारी राज सहायता देनी होगी । लोगों का पेट भरने के लिए यह राजसहायता अनिवार्य है । यदि आन्ध्र सरकार निम्न आय वर्ग के लोगों को 2 रुपए प्रति किलो की दर पर चावल दे सकती है —पिछले ढ़ाई वर्ष से वह दे रही है— तो समझ नहीं आता कि केन्द्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती । इसलिए, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को हाथ में ले; और यदि इसके लिए सरकारी कोष से आर्थिक सहायता दी जाती है, तो वह बेकार नहीं जाएगी और हमारे गरीब लोगों को निश्चित रूप से इसका फायदा होगा ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं—और जो दोनों ओर से हमारे कई मित्रों ने कही है—वह हमारी राशन की दूकानों पर सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की किस्म के बारे में है ? कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि किस खेत, किस जिले और किस राज्य

में अच्छी किस्म का गेहूं और चावल पैदा होता है । शायद मुझे मालूम नहीं है । इसलिए इस बात को देखना होगा। सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की किस्म सामान्यत: खराब ही क्यों होती है ? यह हमेशा ही खराब नहीं होती । कई बार हमें अच्छी किस्म की वस्तुएं भी मिलती हैं । यह कहना सही नहीं होगा कि हमेशा ही खराब किस्म की वस्तुएं मिलती हैं । किन्तु अधिकांशत: ऐसा किस प्रकार होता है कि भारतीय खाद्य निगम इस प्रकार के गेहूं और चावल की खरीद करता है । जब किस्म नियंत्रण के लिए सरकारी एजेंसियां हैं तो इस बात की जांच होनी चाहिए ।

भारतीय खाद्य निगम एक बहुत बड़ा तथा अति आवश्यक संगठन है । इस संगठन को व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि यह उस प्रयोजन को पूरा कर सके जिसके लिए इसका गठन किया गया है । भारतीय खाद्य निगम में कई स्तरों पर भीषण भ्रष्टाचार है । आज ही एक अतारांकित प्रश्न था जिसमें यह पूछा गया था कि क्या भारतीय खाद्य निगम में भण्डारण/अन्तरण में होने वाली 1 प्रतिशत तक हानि क्षेत्रीय स्तर पर ही बट्टे-खाते डाल दी जाती है और क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यालय को इसकी सूचना नहीं दी जाती ? सरकार का जवाब था कि वह सूचित करते हैं । किन्तु काफी बड़ी रकम बट्टे-खाते डाल दी जाती है ? यह परिवहन में होने वाले नुकसान की बात नहीं है । सवाल केवल परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान का बट्टे-खाते डालने का है । और यह है कितना ? 1981-82 में यह 5.21 लाख मीट्रिक टन था, 1982-83 में यह 6.64 लाख मीट्रिक टन था और 1983-84 में यह 6.52 लाख मीट्रिक टन था । हमारा देश एक निर्धन देश है । हमारे लोगों के पास खाद्यान्नों की कमी है । हमारे हरिजन आदिवासी और जनजातियों के लोग अनाज के लिए मारे-मारे फिरते हैं । कुछ लोगों का कहना है 52 प्रतिशत, कुछ का कहना है 42 प्रतिशत और कुछ का कहना है कि हमारे 44 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं । जब इस प्रकार की स्थिति हो तो मैं सरकार से कार्रवाई करने का आग्रह करूंगा । भारतीय खाद्य निगम में इस प्रकार की बातों की अनुमति क्यों दी जाती है । मान लो भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचारी व्यवस्था का समर्थन करने वाले लोग प्रभावशाली हैं, तो सरकार को भी इस प्रकार के लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से ताकतवर बनना चाहिए ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घटिया भण्डारण व्यवस्था के कारण 10 प्रतिशत खाद्यान्न की हानि होती है । सरकार को चाहिए कि वह खाद्यान्न की रक्षा के लिए पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था करे । हमारे देश में चूहे प्रतिवर्ष 1 करोड़ टन अनाज खा जाते हैं, जबकि लोग भूखे रहते हैं । छठी योजना में 7.6 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता तैयार करने के लिए 259 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई । नेशनल ग्रिड को 3.5 मीट्रिक टन पूरे करने थे और सहकारी क्षेत्र में 2 मीट्रिक टन की व्यवस्था करनी थी । किन्तु मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस बारे में वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं ।

यह संतोषजनक बात है कि हमने गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि की है । निश्चय ही यह एक अच्छी बात है । किन्तु दालों और तिलहनों का उत्पादन स्थिर है । मैं जानना चाहता हूं कि इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। क्योंकि हमारे देश में आज भी, केवल कुछ ही लोगों को छोड़कर आम आदमी के लिए.

प्रोटीन का साधन दालें ही हैं । इसलिए दालों का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए और इस संबंध में प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिएं ।

मेरे बहुत से सहयोगियों ने लाभकारी मूल्यों के बारे में कहा है । हमारे मंत्री महोदय को इस बात का पता होना चाहिए कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । पश्चिम बंगाल के किसानों को पहले ही आलू के मामले में घाटा हुआ है । हमारे किसानों को 28 रुपए या 30 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू बेचने पड़े । क्या यहां भी वही बात हो रही है । यदि कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई तो आलू उत्पादकों को प्रतिवर्ष इसी प्रकार हानि उठानी पड़ेगी और हम इस सदन में इस मामले को इसी प्रकार हर वर्ष उठाते रहेंगे । इसलिए सरकार को पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए ताकि सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था की जा सके ।

अन्त में, जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि भारत भर में बहुत सी एजेंसियों और दूकानों के माध्यम से घटिया किस्म की वस्तुओं की सप्लाई की जाती है । आप चाहे साबुन खरीदें, तेल खरीदें या कोई अन्य वस्तु, प्रत्येक वस्तु घटिया किस्म की होती है । मैं नहीं जानता कि भारतीय मानक संस्थान क्या कर रहा है । मेरा यह सुझाव है कि सरकार को प्रत्येक वस्तु के मामले में आई०एस०आई० प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर देना चाहिए और यदि कोई वस्तु घटिया किस्म की पायी जाए तो उसके लिए कड़ी सजा होनी चाहिए । यह सरकार जो औद्योगिक घरानों की मदद करती आ रही है, उसे चाहिए कि वह उन्हें दण्ड दे यदि वह लोगों के साथ धोखा-धड़ी करते पाए जाते हैं ।

मेरी अन्तिम बात सीमेंट के बारे में है । मुझे आशा है शायद मंत्री महोदय इस मामले में मदद कर सकें ? दो किस्म के सीमेन्ट है — पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट और स्टैग सीमेन्ट। स्टैग सीमेन्ट, जिसके संघटक लोहा कारखानों से प्राप्त होते हैं, सस्ता पड़ता है । स्टैग सीमेंट और पोर्टलैण्ड सीमेन्ट की उत्पादन लागत में भारी अन्तर है, किन्तु बाजार में दोनों ही किस्में एक ही मूल्य पर बेची जाती हैं । मेरा सुझाव है कि सरकार को स्टैग सीमेन्ट की खरीद के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए । यदि आवश्यक हो तो अन्य विभागों के साथ समन्वय रखा जाना चाहिए । स्टैग सीमेन्ट का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए और आम लोगों को कम मूल्य पर उपलब्ध कराना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह अपने विभाग में भ्रष्टाचार के साथ सख्ती से निपटें और इसके लिये उन्हें हम सबका समर्थन प्राप्त होगा ।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : सभापति महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

महोदय, मैं श्री चौबे की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यदि आन्ध्र सरकार 2 रुपए प्रति किलो की दर से चावल सप्लाई कर सकती है तो अन्य राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती ? मैं राजनीति के दिखावे में नहीं पड़ना चाहता ।

किन्तु, यदि कोई बात किसी एक राज्य के लिए अन्य राज्यों की विकास और आर्थिक समृद्धि की लागत पर की जाती है तो यह उस राज्य के व्यापक हित में भी नहीं है । बेशक, मैं इस बात से सहमत हूं कि निर्धन लोगों को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं कम मूल्यों पर मिलनी चाहिएं । उनकी किस्म भी बढ़िया होनी चाहिए, किन्तु जब हम उचित दर की दूकानों पर अच्छी किस्म के खाद्यान्नों की मांग करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि वसूली के समय हमें किसानों से कई अवसरों पर खराब या घटिया किस्म का गेहूं भी लेना पड़ता है । भारतीय खाद्य निगम को कई बार जबरदस्ती लेना पड़ता है । मेरा अपना अनुभव यही है । कुछ मास पूर्व मेरे राज्य में ज्वार के पकने के समय वर्षा हुई । परिणाम यह हुआ कि यह काली पड़ गई और खरीद करने वाली एजेंसियों को खरीदना पड़ा । पिछले वर्ष हरियाणा और पंजाब में गेहूं की कटाई के समय भारी वर्षा हुई और जब इस प्रकार का खराब गेहूं खरीदा जाता है और कुछ समय पश्चात् जब शिकायत होती है और इन भण्डारों को मानवीय उपभोग के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है । मंत्री महोदय को मेरा यह सुझाव है यदि इस प्रकार का माल खरीदने की मजबूरी हो—तो इसे आरम्भ में ही मानवीय प्रयोग के अयोग्य घोषित कर दिया जाए । बजाए इसके कि इस माल को पहले बाजार या उचित दर की दूकानों पर भेजा जाए, वहां से शिकायत प्राप्त हो और फिर उसे अयोग्य घोषित किया जाए । क्योंकि इस समय तक भण्डारण परिवहन और अन्य बातों पर काफी धन व्यय हो चुका होता है ।

खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं का भण्डारण करने वाले कई गोदाम कुछ विशेष क्षेत्रों में केन्द्रित हैं । इस संबंध में यदि एक केन्द्र पर एक एजेन्सी गोदाम की नीति अपनाई जाती है तो गोदाम विकेन्द्रित रहेंगे । अन्यथा हम देखते हैं कि किसी स्थान पर केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदाम हैं, भारतीय खाद्य निगम और राज्य भांडागार निगम के गोदाम भी हैं और किसी दूसरे स्थान पर कोई भी गोदाम नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में 200 टन या 500 टन क्षमता वाले छोटे गोदामों की एक योजना है । इन गोदामों के बारे में मेरा यह सुझाव है कि इसके लिये राज सहायता का अंश बढ़ाना चाहिये ताकि एजेन्सी अधिक संख्या में गोदाम बना सके ।

हम अभी भी तिलहनों का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं । इसके साथ-साथ हम देश में तिलहन की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं । मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सोयाबीन तथा गुजरात में मूंगफली की खेती को बढ़ावा दिया जाता है । महाराष्ट्र में भी मूंगफली की खेती की अभी काफी सम्भावनायें हैं जहां अधिक ध्यान दिया जा सकता है और करोड़ों रुपये के आयात से बचा जा सकता है और विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है ।

मेरे माननीय मित्रों ने ऐसे स्थानों पर उचित दर की दुकानें खोलने का सुझाव दिया है जहां की आबादी एक हजार या उससे अधिक है । मैं उनके सुझाव से सहमत हूं । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी छोटे क्षेत्र या दूरस्थ क्षेत्र अथवा जनजातीय क्षेत्र में कोई उचित मूल्य की कोई दुकान खोली जाये तो उस दुकानदार या वह सोसायटी जो उसे चला रही है, के कमीशन का प्रतिशत अधिक होना चाहिये । ऐसा इसलिये होना चाहिये क्योंकि उन्हें आवश्यक वस्तुयें लम्बी दूरी से ले जानी पड़ती हैं और खरीददारों या कार्यकारकों की संख्या कम होती है । यदि दूरस्थ क्षेत्रों में छोटे उचित मूल्य दुकानदारों की कमीशन का प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, तो यह उनके

लिये लाभकारी भी होगा और कालाबाजारी भी रोकी या कम से कम, कम तो की ही जा सकती है ।

मुझे इस बात की खुशी है कि देशभर में 1,90,000 छापे मारे गए और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की कालाबाजारी करने वाले अनेकों व्यक्तियों को सजा दी गई । इसका परिणाम यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दिनों दिन सुधार हो रहा है । यह प्रसन्नता का विषय है कि उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़कर 3.05 लाख हो गई है । यदि हम एक हजार व्यक्तियों के लिये एक दुकान के मापदण्ड को अपनायें तो यह संख्या और भी अधिक हो जायेगी ।

भारतीय खाद्य निगम में परिवहन के दौरान होने वाली तथा अन्य हानियां 100 करोड़ रुपये से अधिक बैठती हैं । इन घाटों को तथा ओवर स्टाकिंग—जो इस निगम में हो रही है—को कम करने के प्रयत्न किये जाने चाहियें । निगम में 10,000 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं । बेशक, देश में बेरोजगारी की समस्या है । किन्तु यह उपभोक्ताओं की लागत पर नहीं होना चाहिये । यह एक अच्छी बात है कि उपभोक्ता रक्षा अभियान आरम्भ हो गया है । उपभोक्ताओं को, मूल्य किस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं, जिन्सों और अन्य वस्तुओं के दाम क्या होने चाहियें, तथा उनके अधिकारों से अवगत कराया जाता है ।

अन्त में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार ने एम०एफ०आई०एल० के माध्यम से दो फल प्रोसेसिंग एकक, एक सिल्चर में और दूसरा भागलपुर में शुरू करने का प्रस्ताव किया है । मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि सन्तरे के लिये एक फल प्रोसेसिंग एकक नागपुर में भी शुरू किया जाना चाहिये जहां पर कभी-कभी किसानों द्वारा उत्पादित करोड़ों रुपये के मूल्य के सन्तरे बर्बाद हो जाते हैं ।

इन सुझावों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और इन मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं । मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री के०जे० अब्बासी (डुमरियागंज) : सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं, फूड एण्ड सिविल सप्लाई की डिमाण्डस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले मुझे यह कहना है कि फूड में हमने जो सैल्फ एफीशिएंसी हासिल की है, उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है । हमें वह जमाना याद है जबकि किसानों को यह भी नहीं मालूम था कि इसमें कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं । उसके लिये सरकार ने ब्लाक खोले । वहां के कर्मचारी जब बीज लेकर किसानों के पास जाते थे तो वे उसे लेने और बोने के लिये तैयार नहीं थे । उत्पादन बढ़ाने के लिए इस तरह की मुश्किलें थी । उनसे कहा गया कि आधा बीघा जमीन हमें दे दो । हम बोकर दिखायेंगे कि इसमें फायदा होता है या नहीं । इस तरह से धीरे-धीरे उनको आदत डाली गई । अब वे अच्छे से अच्छा बीज बोकर उत्पादन बढ़ा रहे हैं । इसमें किसान को कामयाबी मिली है । इसके लिये मैं किसान और सरकार को बधाई देना चाहूंगा । हमने किसान की कठिनाइयों को नहीं समझा है । भूखे रहकर भी उसने काम किया है । सैलाब

में उसकी फसल बरबाद हो जाती है, इसके बावजूद भी वह हिम्मत के साथ खड़ा रहता है। इन सब मुसीबतों के बावजूद भी वह अधिक गल्ला पैदा कर रहा है। इसके लिये जितनी बधाई दे सकें वह देनी चाहिये। जो इन्साफ किसान के साथ होना चाहिये, उसे हमारी सरकार देने में असमर्थ रही है। आप कहेंगे कि वह क्या है। आप कीमत न बढ़ायें और कुछ न करें इसके बावजूद भी वह सब झेल लेता है। प्रोक्यूरमेंट के लिये जब वह अपना गल्ला लेकर जाता है तो उसे मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। कभी कहते हैं बोरा नहीं है, कभी कहा जाता है कि गल्ला खराब है। बनिया वहीं पर बगल में खड़ा रहता है। जब एक दो दिन वह परेशान हो जाता है तो अपना गल्ला उसे देकर चला जाता है। इस चीज को रोकने के लिये कुछ उपाय करना पड़ेगा। मैं, मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह सबसे बड़ा सवाल है। पांच रुपया आपने बढ़ा दिया। यह आप मत बढ़ाइये। गल्ले का दाम जो आप तय करने हैं, उसी कीमत पर लिया जाये। सेन्टर तो आपने खोले हैं, लेकिन वे सब कागज पर खुले हैं। इलैक्शन्स के समय जितना ध्यान इस ओर दिया जाना चाहिये था, वह नहीं दिया गया और न ही सेन्टर खुलवाये जा सके। मैं रात-दिन इलैक्शन्स के समय दौड़-धूप करता रहा, लेकिन सेन्टर खुलवाने के लिये भी काफी कोशिश की परन्तु कामयाबी नहीं मिल पायी। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप कोई मजबूत कदम उठायेंगे तो गेहूं की फसल जो अच्छी कही जा रही है, वह उस बेचारे किसान को औने-पौने दाम पर नहीं बेचनी पड़ेगी। तब आपको जो गल्ला मिलेगा, वह किसान के हाथों नहीं बल्कि बनिये के हाथ से मिलेगा। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, उसे वह माफ करने वाला नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल है। वितरण का हाल क्या है। मैं अपने जिले का हाल जानता हूं। पहले तो यह था कि जिसके पास पैसा हुआ, वह सारी शुगर और मिट्टी का तेल ले जाता था और खूब ब्लैक करता था। इसके लिये कोई रोक-टोक नहीं थी। बाद में जब शोर-गुल मचाया गया तो कोआपरेटिवज को दे दिया गया। को-आपरेटिवज के पास न पैसा रहता है और न ही वे समय पर ला पाते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि करप्शन बढ़ता जा रहा है। उसका ही यह नतीजा हुआ कि सरकार की ओर से अब कुछ प्रबन्ध किया गया है कि कोआपरेटिव के द्वारा चले और कुछ प्राइवेट भी चले। चुनांचे अब लाइसेंस बनने शुरू हो गये और दुकानों के जरिये काम शुरू हुआ। मैं इस सिलसिले में एक सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि यदि सरकार का सच्चे मानों में समाजवाद में विश्वास है और वह है भी, क्योंकि समाजवाद लाने की दिशा में हमारी सरकार ने जितने काम किये हैं उतने किसी और ने नहीं किये, सबसे ज्यादा हमें फिक्र है कि देश में समाजवाद आये, हमारी कांग्रेस पार्टी का किसानों के साथ सबसे ज्यादा सम्पर्क है, उसको किसानों की पूरी चिन्ता है और उसने हमेशा से किसानों के हित में काम किया है, तो सरकार गांवों में भी उसी तरह के उपभोक्ता भण्डार खोल जैसे कि शहरों में खोले हुए हैं। आप कीमत मत घटाइये लेकिन गांवों में उनको खोला जाना बहुत जरूरी है। हमारे बीस प्वाइंट प्रोग्राम में भी हमारे लक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सस्ते गल्ले की दुकानें खोलना शामिल है, उनको तो आप अवश्य खोलिये उसके अलावा उपभोक्ता भण्डार भी खोलिये। वैसे इस प्रोग्राम के तहत जहां हम कमजोर तबके के लोगों को, गरीबों को जो फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसमें हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं, अभी बहुत काम करना बाकी है तभी उनको पूरा फायदा मिल सकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि शहरों की तरह गांव के लोगों को भी उचित दर पर सामान मुहैया किया जाये और गांव में रहने वाले लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें जिसके लिये वे पूरी तरह से हकदार हैं। जो लोग कमजोर वर्ग के नहीं हैं, उनका भी हक है कि उन्हें सस्ते कीमत पर सामान उपलब्ध हो। मैं यह

नहीं कहता कि आप उनके लिये कीमतों में कुछ कमी करें लेकिन कीमतें माकूल होनी चाहिएं। वैसे शहरों में तो आपने सुपर बाजार खोले हुए हैं, कोआपरेटिव स्टोर्स काम करते हैं और उपभोक्ता भण्डार भी हैं मगर ऐसा देहातों में कुछ नहीं है। देहातों के संबंध में भी ऐसी ही एक स्कीम बनाकर हर गांव में आपको उपभोक्ता भण्डार स्थापित करने की योजना बनानी चाहिये। उनकी आप को पैसों के जरिये से भी मदद करनी चाहिये। वे खुद सामान लायें, उनके पास सामान की भण्डारण क्षमता हो और उपभोक्ताओं को ही उसमें मैम्बर बनाया जाना चाहिये।

यहां एक और बात हमारे दोस्त ने कही, इन उपभोक्ता भण्डारों में सभी आवश्यक 14 चीजें उपलब्ध होनी चाहिएं, ऐसी व्यवस्था भी आपको करनी होगी और उनके लिये वही कीमत वसूल की जाये जो कि आप मुकर्रर करें और जो सही कीमत हो। इससे जहां सही कीमत पर दूसरे वर्ग के लोगों को सामान उपलब्ध होगा, वहीं छोटे किसानों और गरीब वर्ग के लोगों को आप सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन की सप्लाई करें, दोनों जरूरी हैं। यदि आप चाहते हैं कि हर चीज के लिये गांवों के लोग बाजार न दौड़ें, यह व्यवस्था होना बहुत जरूरी है.....आपने बहुत जल्दी घण्टी बजा दी है, जनाब, मैं तो अभी कुछ और निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि वैसे तो सारी जगह बड़ा शोर मचा हुआ है और बात भी तारीफ की है कि आपने देश भर में कुल 1 लाख 85 हजार 48 रेड्स किये, जिनमें 6,780 आदमी गिरफ्तार किये गए, 3,952 लोगों को प्रोसीक्यूट किया गया और कुल 726 व्यक्तियों को सजा मिली। ये फीगर्स मैं आपको 1984 वर्ष के बता रहा हूं। मैं आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां हमें यह जानकर खुशी हुई कि हमारे देश में एक लाख 85 हजार केसेज रेड्स के हुए वहां सिर्फ 726 आदमियों को ही सजा मिल पाई, इससे यही साबित होता है कि रेड सिर्फ पैसा लेने के लिये ही की जाती हैं। रेड करने का मतलब यह हुआ कि रेड किया गया, और पैसा मिल गया। मैं चाहता हूं कि जिन मामलों में रेड किया गया और वह बिना सजा के बच गया तो उसके लिये अधिकारियों को दोषी ठहराया जाना चाहिये और उनको सजा मिलनी चाहिये क्योंकि उन्होंने पैसा लेकर उसको छोड़ दिया। रेड की गई और वह व्यक्ति पकड़ में न आये, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। या तो छूटने वाले से पैसा ले लिया गया है या उसको बचाने के लिये मामला दबा दिया गया है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। यदि किसी भी मामले में कोई व्यक्ति रेड में बच निकला तो उसकी सारी जिम्मेदारी अधिकारी पर डालनी चाहिये जिसने रेड किया। .....(व्यवधान).....यह बात भी सही है कि उसके लिये कुछ हम लोग भी गुनहगार है कि इतने सारे रेड किये गये और सिर्फ 726 आदमियों को ही सजा हुई। उसमें भी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों को सिर्फ जुर्माना किया गया, कितनों को केवल एक घण्टे की सजा हुई और कितने लोगों को ज्यादा सजा दी गई। यह आपकी वार्षिक रिपोर्ट से भी स्पष्ट नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आपको इस तरफ तवज्जह देनी चाहिये। वैसे आपने जितने कदम उठाये हैं, नई स्कीमें बनाई हैं, व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की है, वे सब कार्य तारीफ के योग्य हैं।

अब मैं कुछ शब्द शुगर के बारे में कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि वर्ष 1982-83 में हमारे देश में चीनी का कुल उत्पादन 82.32 लाख टन हुआ जबकि वर्ष 1983-84 में यह उत्पादन घट कर 59.16 लाख टन ही रह गया। वैसे तो आपने इस घाटे के सिलसिले में बहुत

से वजूहात दिये हैं लेकिन मेन वजह यही है गन्ने बोने वाले को उसका सही दाम नहीं मिलता। काफी बकाया है जैसा हमारे एक लायक दोस्त ने भी कहा और आपको उस पर तवज्जह देनी चाहिये और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का हाल जानता हूं और किसी जगह का हाल मुझे नहीं मालूम।

हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कम से कम, और जगह की तो मैं नहीं जानता, पैसा नहीं मिलता और बकाया पड़ा हुआ है और वह गन्ना लेकर जाता है, तो, उसको वहां पर गन्ने को देने में बड़ी परेशानी होती है। कीमत आपने जरूर थोड़ी बढ़ाई है। जनता राज में गन्ना जरूर फूंका गया था। जनता राज में पेपर में आया था, आप लोग गन्ना मत बोइये, शक्कर की कोई जरूरत नहीं है, वह पेपर मेरे पास है, मैं उसे पढ़ने की जरूरत नहीं समझता, हमारे पास शक्कर बहुत है, अब गन्ना मत बोइये, गन्ना बोने की अब जरूरत नहीं है। कीमत आपने बढ़ायी और 4, 5 से लेकर 20 तक ले गये थे। आप कीमत न बढ़ाएं, लेकिन सहूलियतें दें। जहां-जहां मशीनें लगी हैं फैक्ट्रीज में, उन मशीनों में गन्ना पेरने से ज्यादा शक्कर नहीं निकलती। वे मशीनें कंडम हैं, वे अच्छी मशीनें नहीं लगाते हैं। इसलिये आप उनको लेकर अच्छी मशीनें लगाकर उनको उपयोगी बनायें।

मुझे बहुत शिकायतें थीं, लेकिन समय ज्यादा नहीं है इसलिये मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपके इस बजट के बाद से महंगाई बढ़ी है, हर माह जो सामान खरीदते हैं, उनसे पूछिए, सौ-पचास रुपये का खर्च बढ़ गया है, शुगर जो 5 रुपये थी वह अब 6.40 रुपये मिल रही है, दूध 1.40 था, वह 1.70 मिल रहा है। ब्रेड बाजार से गायब हो गई है, अब मिलती नहीं है। आटा 10 किलो का 26 रुपये में था वह अब 28 रुपये में मिल रहा है। मोटा चावल 4 रुपये से साढ़े 4 रुपये हो गया है। घी 16.15 था वह अब 17.10 हो गया है। कड़वा तेल की तो कीमत बहुत ही बढ़ गई है। इसी प्रकार मिट्टी का तेल बढ़ गया है। दाल जो 7 रुपये मिलती थी वह अब 8 रुपय हो गई है। तो यह जो महंगाई है, इसको आपको देखना है। कीमतें कुछ तो बढ़ गई हैं, कुछ बढ़ा दी गई हैं। जो बढ़ा दी गई हैं, उस पर नियंत्रण करना है। कण्ट्रोल करना है, यही हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बढ़ाई हुई महंगाई पर आप लोहे के हाथ से पाबंदी लगाकर रोकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं ज्यादा न कह कर आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने हमारे मुल्क को हाथ फैलाने से रोक दिया। आज हम बाहर हाथ नहीं फैलाते हैं। हमारे पास गल्ला इतना है कि अगर सरकार थोड़ा ध्यान से काम करे, तो हम इसको बाहर भी भेज सकते हैं। यह गल्ला जो बढ़ा है, वह किस कारण बढ़ा है, यह किसान के कारण बढ़ा है। किसान के प्रयासों से यह बढ़ा है। उसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ आपको बधाई देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर० अलागम्मी** (पोल्लाची) : माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी आल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से वर्ष 1985-86 के लिये खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मुझे दो शब्द बोलने का मौका देने के लिये मैं आपका आभारी हूं।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रारम्भ में यह कहना चाहूंगा कि भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में केवल खाद्य व्यवस्था के प्रभावी इन्तजाम से ही स्थिरता और आर्थिक विकास होगा। मैं खाद्य व्यवस्था के प्रबन्ध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये जा रहे प्रशंसनीय कार्य की सराहना करता हूं। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि जब श्री सी० सुब्रमण्यम खाद्य और कृषि मंत्री थे, उन्होंने इस निगम की स्थापना की थी और वह भी कोयम्बटूर के थे जहां का मैं हूं। आज भारतीय खाद्य निगम देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यह देश की महत्वपूर्ण सेवा कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम किसानों से खाद्यान्नों की वसूली करता है और भंडारगृहों में भण्डारण करता है, इससे किसानों के लिये मूल्यों में न केवल स्थिरता आती है बल्कि जिस वर्ष खराब फसल होती है उस वर्ष यह बीमे के रूप में भी काम करता है। मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम किसानों से खाद्यान्न खरीदते समय बिचौलियों का उपयोग कर रहा है। ये बिचौलिये भारतीय खाद्य निगम और किसान दोनों को ठगते हैं। मेरी मांग यह है कि भारतीय खाद्य निगम को अधिकारियों के माध्यम से किसानों से सीधे खाद्यान्न खरीदने चाहिये और बिचौलियों को हमेशा के लिये अलग कर देना चाहिये।

क्षत्रों से भण्डारगृहों तक की ढुलाई करते समय खाद्यान्नों का भारी नुकसान होता है। ढुलाई करते समय कुल 10% तक का नुकसान होने की खबर है। इसका मतलब यह हुआ कि लाखों रुपयों के मूल्य का सैकड़ों टन अनाज का ढुलाई करते समय नुकसान हो जाता है। भण्डार गहों में कृन्तकों के कारण प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों के मूल्य के खाद्यान्नों का नुकसान होता है। कहा जाता है कि चूहों द्वारा प्रतिवर्ष 20% खाद्यान्न नष्ट किया जाता है। इस प्रकार का नुकसान राष्ट्रीय नुकसान है और किसी भी कीमत पर इस प्रकार का नुकसान नहीं होने देना चाहिये। भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त भण्डारण स्थान नहीं है। हर वर्ष गैर-सरकारी व्यक्तियों को, जिनक पास एसे भण्डारगृह हैं, भण्डारण शुल्क के रूप में करोड़ों रुपयों का भुगतान किया जाता है। मेरा सुझाव है कि भण्डारगृहों के निर्माण के लिये भारतीय खाद्य निगम को और अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिये।

देश में जन साधारण को आवश्यक वस्तुयें उचित दर दूकानों के माध्यम से मिलती हैं। मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 1-4-1984 को 3,05,000 उचित दर दूकानें थीं। भारत एक गांवों का देश है जहां पर 5.6 लाख गांव हैं, जिनमें हमारी 80% जनता रहती है। मेरे विचार से ग्रामीण इलाकों में इन उचित दर दुकानों की 80% दुकानें नहीं हैं। मेरी मांग है कि ग्रामीण इलाकों में और अधिक उचित दर दुकानें खोली जानी चाहिएं। 20 सूत्री कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दूर-दूर बसे लोगों की भलाई के लिये इसे मजबूत बनाया जाना चाहिये।

महोदय मुझे आशंका है कि अपमिश्रण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि उचित दर दूकानों में भी आवश्यक वस्तुओं में अपमिश्रण किया जाता है। मेरी मांग है कि आवश्यक वस्तुओं में अपमिश्रण करने वाले उचित दर दुकानों के कर्मचारियों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये। अपमिश्रण अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।

तमिलनाडु में दालों का उत्पादन बहुत कम होता है इसलिये वहां की दालों की मांग उत्तरी राज्यों से पूरी होती है। तमिलनाडु में दालों की प्रायः कमी रहती है जिस कारण से दालों के दाम

काफी अधिक रहते हैं। मेरे विचार से ऐसा तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्यों को दालों की ढुलाई के लिये मालगाड़ी के डिब्बों का आवंटन न होना है। कुछ समय पहले माननीय रेल मंत्री यहां पर थे। मैं माननीय खाद्य मंत्री से रेल मंत्री के साथ प्रभावी समन्वय करने और तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के लिये दालों की ढुलाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध करता हूं। तमिलनाडु में दालें मुख्य भोजन हैं इसलिये वहां पर लोगों को उचित मूल्य पर दालें उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

वस्तुओं की उचित किस्म सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधीन भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिन्ह योजना लागू कर रहा है। दुर्भाग्यवश इस संस्थान के पास नमूनों के परीक्षण हेतु पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं नहीं हैं, मेरी मांग है कि भारतीय मानक संस्थान को बेहतर प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए ताकि वस्तुओं की सही किस्म सुनिश्चित करने हेतु प्रमाणीकरण चिन्ह योजना प्रभावी ढंग से लागू की जा सके।

महोदय, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि तमिल नाडु जैसे राज्यों में, जो प्राय: मौसम में उतार-चढ़ाव के शिकार होते हैं, खाद्यान्नों के पर्याप्त भंडार होने चाहिएं, तमिलनाडु में प्राय: सूखा पड़ता रहता है। जब राज्य सरकार केन्द्रीय पूल से अधिक चावल की अपेक्षा करती है, तो मन्त्री तत्काल सलाह देंगे कि राज्य के लोगों को अपने भोजन की आदत बदलनी चाहिए। उन्हें गेहूं का प्रयोग करना चाहिए और चावल की खपत कम करनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि तमिलनाडु के लोग धीरे-धीरे अधिक गेहूं का उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वहां की मौसमी परिस्थितियां उन्हें चावल खाने को बाध्य करती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राज्यों को अधिक चावल आबंटित किया जाना चाहिए चाहे वह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, असम, उड़ीसा अथवा कर्नाटक हो—जो बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित होते हैं। आपातकालीन मांग के लिए जिन राज्यों में प्राय: प्राकृतिक विपदाएं आती रहती हैं वहां पर खाद्यान्नों के भंडार होने चाहिए। हाल ही में तमिलनाडु में भयंकर तूफान आया था जिसके कारण हजारों एकड़ जमीन में खड़ी धान की फसल नष्ट हो गई थी। तमिलनाडु सरकार को तुरन्त 80,000 टन चावल की जरूरत थी, लेकिन केन्द्र ने पहली खेप में केवल 10,000 टन और फिर दुबारा 10,000 टन चावल सप्लाई किया। तब आप यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य सरकार तूफान पीड़ित लोगों, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया हो, की मदद करने को दौड़ पड़ेगी? जैसाकि मैंने पहले कहा है कि मेरी मांग है कि केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय को इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित राज्यों को खाद्यान्न भेजना चाहिए चाहे वह राज्य तमिलनाडु हो अथवा कर्नाटक हो या भारत का कोई भी राज्य हो। इस प्रकार की आपात स्थितियों में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय आगे से इस सुझाव को लागू करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, सबसे पहले मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान रिपोर्ट के पेज नम्बर 28 की तरफ दिलाना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"चूंकि देश में रोलर आटा चक्की उद्योग की क्षमता जरूरत से ज्यादा थी इसलिए नये मिल स्थापित करने अथवा विद्यमान प्रतिष्ठानों की क्षमता बढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया था। जून, 1979 से मई, 1980 की अल्प अवधि को छोड़कर उक्त प्रतिबन्ध जारी हैं। रिपोर्ट के अन्तर्गत शामिल वर्ष के दौरान भी यह प्रतिबन्ध जारी था। देश में 31-12-1984 को कुल 456 आटा मिलें थी जिनकी वार्षिक क्षमता 8.9 मिलियन टन थी।"

[हिन्दी]

जितनी आपकी मिलें हैं, उनकी जो आपने दर फिक्स कर दी है, उस पर उसको गेहूं मिलता है और उनको इतना ही गेहूं मिलता है, जितना उनको चाहिए। मेरे ख्याल से सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि 456 जो फ्लोर मिल्स हैं, उनको सारा अनाज सबसीडाइज रेट पर मिल रहा है और हम को अनाज फूड कारपोरेशन से उस भाव क्यों मिलता है ?

4.00 म० प०

गेहूं मिलने के बाद वे जो आटा बेचते हैं उसकी भी अगर आपने कोई कीमत मुकर्रर की हो तो आप बता दें। फ्लोर मिल्स जो हैं उनको पूरी कैपेसिटी के लिए गेहूं दिया जावेगा—इस बात की आपने व्यवस्था कर दी लेकिन वे जो उसका आटा बनायेंगे वह किस भाव पर बेचा जायेगा, उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। आखिर आप जो गेहूं प्रोक्योर करते हैं वह किसके लिए प्रोक्योर करते हैं ? प्रोक्योरमेन्ट के पीछे पर्पज यह थी कि गरीबों को मुनासिब भाव पर अनाज मिल सके। अगर आप 456 फ्लोर मिलों के लिए गेहूं प्रोक्योर करके उनको दे दें और बाद में वे आटा जिस भाव भी चाहें बेचें तो यह क्या कानून है—मेरी समझ में नहीं आया। आप मेहरबानी करके बताइये कि प्रोक्योरमेन्ट जो आप करते हैं उसके पीछे आपका कितना खर्चा आता है। और आपकी जो यह नीति है फ्लोर मिल्स के सम्बन्ध में, वह मेरी समझ में नहीं आई है इसलिए इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए।

इसके साथ-2 मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आपने स्टेटमेन्ट दिया है और गाइड-लाइन्स रखी हैं कि दूर-दराज के इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों तथा रेगिस्तान के दूर-दराज के गांवों में गरीब लोगों को बीससूत्री कार्यक्रम के अनुसार राशन दिया जायेगा। लेकिन मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जो तीन लाख से भी अधिक दुकानें बता रहे हैं, उनके द्वारा कितना काम हुआ है उसका आपने कभी कोई हिसाब नहीं लगाया। और जो आंकड़े आप पेश करते हैं, उनसे हमें संतोष नहीं मिलता है। उन दूर-दराज के गांवों में आपकी राशन की चीजें ईमानदारी से नहीं पहुंचती हैं। यह मेरे पास दिनांक 11 दिसम्बर, 1984 का "नवभारत टाइम्स" अखबार है जिसमें लिखा है कि राशन का जो गेहूं उचित दर दुकानों के द्वारा लोगों को मिलना चाहिए वह खुले बाजार में बिकता है तथा राशन का खाद्य-तेल राशन की दुकानों से गायब रहता है और खुले बाजार में बिकता है। तो इस प्रकार की स्थिति चल रही है।

एक बार मन्त्री जी ने भी अपने स्टेटमेन्ट में कहा था कि जो कन्ट्रोल्ड कलाथ है, जनता कलाथ है वह लोगों को नहीं मिलता है, वह दूसरी दुकानों से बेचा जाता है जोकि मुनाफा कमाती हैं।

जनता को न तो धोती मिलती है और न साड़ी मिलती है। आपकी जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसने पहले तो मिलों से कहें कि उन्हें इतना इतना कन्ट्रोल क्लाथ बनाना पड़ेगा और बाद में यह कहा कि जो एन० टी० सी० की मिलें हैं वे उस कपड़े को बनायेंगी, लेकिन वह भी उसको बनाने में असफल रहीं क्योंकि वह घाटे में चल रही हैं। इस तरह से जनता को कन्ट्रोल क्लाथ नहीं मिल सकेगा। आप कहते हैं कि 2 लाख 70 हजार दूकानें खुली है, उड़ीसा, राजस्थान के कोने-कोने में खुली हुई हैं लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वहां कोई सामान उपलब्ध नहीं होता है। मिट्टी का तेल नहीं मिलता है।

बीच में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आपका यह जो राशन का गेहूं है वह कितने हाथों से निकलता है। बिचौलिए गेहूं कैसे देते है और कपड़े का डिस्ट्रिब्यूशन कैसे होता है। आप बजाइए घन्टी, उनकी तकदीर की घन्टी बज जाएगी। एक वस्तु कई-कई जगहों पर से होकर जनता तक पहुंचती है। पहले वह सैन्ट्रल वेयर हाउसिंग में जाती है, फिर वह स्टेट वेयर हाउसिंग में जाती है, इसके बाद वह तहसीलदार के पास आती है, फिर तहसीलदार दुकानदारों को बांटता है। इस बारे में कभी आपने विचार किया है।

आपने बहुत सारे कारपोरेशन्स बना लिए हैं, जिन पर कि बड़ा भारी खर्चा होता है। पूछा जाता है, आप कौन हैं—मैं चेयरमैन हूं। आप कौन हैं—मैं स्टेट वेयर हाउसिंग का चेयरमैन हूं। आप उत्तर प्रदेश हैं—हां, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। इस प्रकार आप ने बहुत से हाथी पाल रखे हैं। इतने बड़े-बड़े चेयरमैन बना रखे हैं। कारपोरेशन के ऊपर कारपोरेशन्स बना लिए हैं।

श्री नारायण चौबे : ये सारे चोरपोरेशन्स हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार कपड़ा आपका पांच हाथों से निकलता है और तब जाकर कन्ज्यूमर तक पहुंच पाता है और तब तक उसका कचूमर निकल जाता है और प्राइस काफी बढ़ जाती है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : कपड़े का निकल जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : कपड़े का भी निकल जाता है। क्वालिटी का कपड़ा नहीं मिलता। बेइमानी से लोग मुनाफा कमा लेते हैं। धोती नहीं मिलती है और न साड़ी मिलती है। यह आपका नाफैड क्या है, यह एक बीमारी आपने पाल रखी है। सुपर बाजार में लाखों का घोटाला होता है। जहां-जहां आपको हाथी पालने होते हैं, वहां आप हाथी पाल लेते हैं। मैं आपकी सोसायटियों की लिस्ट पढ़ रहा था—ए०पी० स्टेट फैडरेशन लिमिटेड, हैदराबाद, राजस्थान सहकारी उपभोक्ता समिति, मार्केटिंग सोसायटी—मैं पूछना चाहता हूं कि ये सोसायटियां क्या हैं ?

जहां तक मिट्टी के तेल का सवाल है, मिट्टी का तेल लेकर कोई भी नहीं बेचना चाहता है। उनको मुनाफे में मिलता है, खाली तेल का डिब्बा। आप जब इसके बारे में जवाब देंगे, तो कहेंगे कि यह डिस्ट्रिब्यूशन का काम स्टेट का है। मिट्टी का तेल ही नहीं और भी दूसरी चीजें हैं, जैसे कापियां, स्लेट और दूसरी जरूरत की वस्तुएं, बहुत बड़ी लिस्ट आपने बना रखी है, कुछ भी चीजें जनता को नहीं मिलती हैं। आपने कहा कि तालुका लेवल पर एक एडवाइजरी कमेटी होगी,

एक डिस्ट्रिक्ट लैवल पर होगी, एक स्टेट लैवल पर होगी, लेकिन मैंने आज तक कभी तालुका कमेटी के बारे में नहीं सुना है। सीमेंट भी आपका उपलब्ध नहीं है। आपने बहुत सी गाइड-लाइन्स बना रखी हैं, लेकिन उन पर एक काम भी नहीं होता है। आपने कहा मोबाइल्स यूनिटस चलेंगी, उत्तर प्रदेश में चलती हों, लेकिन हरियाणा में नहीं चलती हैं। आप क्यों ऐसे प्रोग्राम देते हैं? आपके आफिसर्ज प्वाइन्ट-वाई-प्वाइन्ट प्रोग्राम बनाते हैं, प्वाइन्ट नं० 1, 2, 3, 4 लेकिन एक भी प्वाइन्ट का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है और न सस्ते दामों की दुकानें ठीक से काम कर रही हैं। कन्ट्रोल रेट पर न वहां कापियां मिलती हैं, न किताबें मिलती हैं, न कागज मिलता है। आप इस पर थोड़ा पुनर्विचार करें कि क्या कारण है कि आप इस योजना को ठीक से चला नहीं पा रहें हैं।

सभापति जी, आज जो दुकानें काम नहीं कर रही हैं, इसमें सरकार की गलती नहीं है। वास्तविकता यह है कि जो दुकानें सहकारी समितियों के पास हैं उनके पास पैसा नहीं है, पैसा न होने के कारण वे दुकानों के लिए माल नहीं खरीदती हैं। जो आपके तहसीलदार हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज आफिसर हैं, वे लाभ उठाते हैं और बिचोलिये सब कुछ खा जाते हैं, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति जी, मैं फूड एण्ड सिविल सप्लाइज मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। सब से पहले तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तब आपने खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने के लिए इतना अच्छा काम किया, जिससे हमारी पैदावार बहुत बढ़ी, लेकिन उसके प्रोक्योरमेन्ट की जो व्यवस्था हमारे यहां है उसकी हालत बहुत खराब है, इस खराब हालत को सुधारने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं? मैंने पिछली दफा भी कहा था कि आप जो प्रोक्योरमेन्ट करते हैं, आप के पास स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण खाद्यान्न खुले में पड़ा रहता है, स्टेशनों पर भी माल खुले में पड़ा रहता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बारिश में माल बाहर पड़ा रहता है, भीग जाता है और खाने योग्य नहीं रहता है, जिससे करोड़ों रुपयों का नुक्सान होता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अभी तक क्या व्यवस्था की है या जिस तरह से अभी तक धीरे-धीरे चलते आ रहे थे उसी तरह से चल रहे हैं?

आपने अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि आप के पास 22 मिलियन टन फूड-ग्रेन्ज इस समय स्टाक में पड़ा हुआ है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि अब जो आप प्रोक्योर करेंगे, वह बहुत बड़ी ताबाद में आप के पास आयेगा, उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे। आपने इस साल प्राईवेट ट्रेडर्स को अनाज बाहर भेजने की इजाजत दी है। एक तरफ हम कहते हैं कि फूड का मामला नेशनलाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट के सिवाय दूसरी किसी एजेन्सी को उसे हैण्डिल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए लेकिन इस साल कुछ ज्यादा पैदावार हो गई तो आपने प्राइवेट ट्रेडर्स को बाहर भेजने की छूट दे दी, यह कहां तक उचित है? आज चूंकि आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है या पैसा नहीं है या कोई अन्य व्यवस्था नहीं है, इस लिए आपने ढील दी है, लेकिन आगे चल कर यह ढील हमारी प्रोक्योरमेन्ट पालिसी के लिए, फूडग्रेन्ज की व्यवस्था के लिए कितनी घातक सिद्ध होगी, क्या इसके बारे में आपने कभी विचार किया है? आपको इसके बारे में फिर से विचार करना चाहिए और यदि एक्सपोर्ट करना ही है तो इस काम को गवर्नमेंट करे, दूसरों को इस प्रकार

का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए । ये बिचौलिये हर तरह से कमाई करते हैं, खराब माल दूसरी जगह भेज देते हैं जिससे हमारे देश की बदनामी होती है । सौदा किसी क्वालिटी का करते हैं लेकिन माल घटिया क्वालिटी का भेजते हैं। आपको याद होगा विदेशों को चावल भेजा गया था, बासमती चावल का सौदा हुआ था, लेकिन परमल चावल भेज दिया गया, जिससे हमारे देश की बहुत बदनामी हुई । आप इस पर फिर से विचार कीजिए, यह पालिसी हमारे देश के हित में नहीं है ।

आपकी प्रोक्योरमेन्ट प्राइस और डिस्ट्रिब्यूशन प्राइस में बहुत बड़ा अन्तर है, इस अन्तर को आप क्यों नहीं घटाते हैं । आज एक प्राइवेट ट्रेडर 5 रुपए क्विंटल पर व्यापार करता है लेकिन आपके यहां यह अन्तर 40-45 रुपए क्विंटल का है, इस तरह से आपका माल काफी महंगे दामों पर कन्ज्यूमर को मिलता है । ये बीच की खराबियां अगर दूर हो जाएंगी, तो बहुत बड़ा सुधार आ सकता है । इसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिस को आप को करना चाहिए ।

दूसरा मेरा निवेदन फेयर प्राइस शाप्स के बारे में है । आपने सारे देश में 3.5 लाख फेयर प्राइस शाप्स खोल रखी हैं । जैसाकि डागा जी ने कहा है कि इतनी दूकानें आपने खोल तो दी हैं लेकिन वहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम आप कराते हैं, उस में सारा सामान लोगों को आप उपलब्ध नहीं करा पाते । मैं आपको अपनी कांस्टीटुयेन्सी की बात बताता हूं । वहां पर 3 महीने से शूगर लोगों को नहीं मिली है। तीन महीने तक वहां पर शूगर नहीं पहुंची । जो गांवों में फेयर प्राइस शाप्स हैं, उनमें न गेहूं मिलता है, न एडिबिल आयल मिलता है और न कपड़ा मिलता है । केवल शूगर वहां पर बंटती है और अगर फेयर प्राइस शाप्स से तीन तीन महीने और चार चार महीने शूगर लोगों को न मिले, तो फिर वे फेयर प्राइस शाप्स किस काम की हैं । इसलिए इस व्यवस्था को माकूल करने के लिए आप कदम उठाएं । आपके पास इतनी शूगर पड़ी हुई है लेकिन उसके बाद भी लोगों को शूगर उपलब्ध नहीं होती है, तो यह ठीक बात नहीं है ।

इसी तरह की एडिबिल आयल की बात है । डागा जी ने भी इसके बारे में कहा और मैं भी कह रहा हूं कि गांवों की फेयर प्राइस शाप्स पर कहीं पर भी एडिबिल आयल उपलब्ध नहीं होता है । वह एडिबिल आयल बाजार के अन्दर ज्यादा कीमत पर बिकता है और फेयर प्राइस शाप्स से जिस कीमत पर उसको देने का तय करते हैं, कन्ज्यूमर्स को वह उस कीमत पर उपलब्ध नहीं होता है । इसकी भी माकूल व्यवस्था आपको करनी चाहिए ताकि सस्ते भाव पर लोगों को एडिबिल आयल उपलब्ध हो सके ।

इसी तरह से कपड़े की बात है । पहले भी इस बात को कहा जा चुका है कि कन्ट्रोल्ड क्लाथ गांवों में लोगों को उपलब्ध नहीं होता है । आप की जो एन०टी०सी० है, उसमें 500 करोड़ रु० का नुकसान है । यह किस वजह से है । जो कपड़ा वह बनाता है, वह लोगों के पास पहुंचे । 500 करोड़ रुपए का नुकसान होते हुए और सस्ता कपड़ा गांवों के लोगों को पहुंचे और मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल जाए, तो हमारे देश के ऊपर जो यह बहुत बड़ा भार है, उस भार को हम बर्दाश्त कर लेंगे । सारे देश के लोगों को सस्ते भाव पर कपड़ा मिले, तो यह भार बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन वहां पर ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं होती और बिचौलिये नाजायज फायदा उठा रहे हैं और इसकी वजह से 500 करोड़ रुपए का घाटा एन०टी०सी० को हो रहा है । इस व्यवस्था को आप ठीक करने की कोशिश कीजिए ताकि लोगों को सस्ते भाव पर कपड़ा मिल सके ।

इसी तरह से बहुत से भाइयों ने कहा कि 14 आइटम्स ऐसी हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए । आप पांच आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और वे पांच आइटम्स भी ग्रामीण लोगों को नहीं मिलती । इस तरीके से यह जो व्यवस्था है, इसको ठीक करने के लिए आपको उचित कदम उठाने चाहिए । हमारे देश में 5-6 मैट्रोपोलीटन सीटीज हैं । उन मैट्रोपोलीटन सीटीज में तो कम से कम आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सब लोगों को राशन का सामान ठीक प्रकार से उपलब्ध हो जाए । हम लोग जो राशन लेते हैं, उसमें गेहूं और चावल बराबर बराबर मिलता है और वह भी ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं होता है । जो चावल खाने वाले लोग नहीं हैं, उन को भी आधा चावल और आधा गेहूं दिया जाता है । मेरा कहना यह है कि जो लोग चावल नहीं खाते, उनको आप पूरा गेहूं दीजिए और जो लोग चावल खाते हैं, उनको पूरा चावल मिल जाए । इसके संबंध में उचित व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है और मैट्रोपोलीटन सीटीज में आपको यह व्यवस्था ठीक करनी चाहिए ।

कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मुझे खास तौर से निवेदन करना है । कोआपरेटिव सोसाइटीज की हालत बहुत खराब है । उनके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से तमाम एसेंशल कोमोडिटीज वे लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाती हैं । बड़ी बड़ी कम्पनीज से आप 14 आइटम्स उन के थ्रू दिलवाने की कोशिश करते हैं । बिना फाइनेंसिज के ये कोआप्रेटिव सोसाइटीज सारी आइटम्स किस प्रकार से खरीदेंगी । आपने उन्हें फाइनेंसिज देने की अब तक व्यवस्था नहीं की है और इस व्यवस्था के बिना सारे आर्टिकल्स कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं । इसलिए कोआपरेटिव सोसायटीज के लिए फाइनेंसिज की ठीक प्रकार से व्यवस्था करने की नितान्त आवश्यकता है ताकि कोआपरेटिव सोसाइटीज सारे आर्टिकल्स खरीद कर लोगों को उपलब्ध कस सकें ।

दूसरा प्वाइंट मेरा वनस्पति घी के बारे में है । आप विदेशों से एडीबल आयल इम्पोर्ट करते हैं और उसको वनस्पति घी की मिलों को देते हैं । उसको देने के बाद आप जो वनस्पति घी की कीमत तय करते हैं उस कीमत पर वनस्पति घी लोगों को उपलब्ध नहीं होता है । मिल वाले ज्यादा पैसा लेकर घी लोगों को देते हैं । आप उन्हें इम्पोर्ट किया हुआ एडीबल आयल जिसके ऊपर आपने इतना फारन एक्सचेंज खर्च किया है उन्हें सस्ते दाम पर क्यों देते हैं जबकि वे आपकी बात नहीं मानते हैं । इस चीज को आपको रोकना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को सस्ते भाव पर वनस्पति घी उपलब्ध हो सके । आपने जिस तरह से फूड को नेशनेलाइज किया है उसी तरह से वनस्पति घी की मिलों को भी अपने हाथ में लीजिए ताकि वनस्पति घी का डिस्ट्रिब्यूशन भी ठीक प्रकार से हो सके ।

एक प्वाइंट मेरी कांस्टीच्युएंसी का है । मेरी कांस्टीच्युएंसी में एक मण्डलगढ़ जगह है । वहां पर वनस्पति घी की मिल लगाने के लिए राज्य सरकार ने आपके पास सिफारिश भेजी है । वहां पर काफी बड़ी तादाद में ग्राऊंडनट और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं । वहां पर जल्दी से जल्दी वनस्पति घी की मिल लगाने की व्यवस्था करें ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा आदमियों को वनस्पति घी का वितरण हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इन डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। मुझे नहीं मालूम कि राजधानी दिल्ली में बैठे हुए माननीय मन्त्री को यह मालूम है अथवा नहीं कि हम लोग 10 रु० प्रति किलो की दर से सेम और बैंगन और 16 रु० प्रति किलो की दर से सहजन की फलियां (ड्रमाटिक) खरीद रहे हैं। अन्य मदों का उल्लेख करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, सब्जियों के दामों में भारी वृद्धि हुई है इससे गरीब और मध्यम वर्गों के लोग भारी मुसीबत में पड़ गए हैं। मैं आपका ध्यान इन मदों की ओर दिलाना चाहती हूं और चाहती हूं कि इनके बारे में कुछ ठोस उपाय किए जायें।

आप हमें चावल देते हैं, मैं इसकी किस्म को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहती हूं। मैं एक विशेष अनुरोध करूंगी। पहले यह व्यवस्था की गई थी कि आप हमें धान देंगे अपने चावल की मिलों में हम इनसे परमल चावल तैयार करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था न केवल हमारे राज्य बल्कि आपके लिए भी अच्छी थी क्योंकि हमारे यहां के लोग परमल चावल के आदी हैं।

हमारे यहां अनेक लोग बेरोजगार भी हैं जिन्हें चावल मिलों में रोजगार दिया जा सकता है। मैं आपसे वर्तमान स्थिति पर पुनर्विचार करने और हमारे राज्य की सहायता तथा अपने ही विभाग की सहायता और हमारी ओर से बेहतर आपसी समझ पैदा करने का अनुरोध करती हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के अनेक भण्डार और अनेक चावल मिलें भी हैं। मैंने वहां पर देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा 6-8 रु० की दर से नई बोरियां दी गई हैं। अब कुछ चावल मिलों ने अनुरोध किया है कि अब इन बोरियों को हमारे लेवी चावल के भुगतान के लिए ले लिया जाये।

इस समय नए बोरों का बाजार मूल्य 15 रुपए होगा; इससे ही भारतीय खाद्य निगम को 11 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत पड़ रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन पुराने बोरों—जो ज्यादा पुराने नहीं हैं—लगभग नए बोरे, जोकि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और चावल मिलों के गोदामों में पड़े हैं, का उपयोग क्यों नहीं किया जाता और इस प्रकार यह धनराशि बच जाएगी।

चूंकि यह एक बहुत बड़ा संगठन है, इसमें इस प्रकार की विभिन्न बातें होंगी। मुझे विश्वास है कि आपके विभाग में बेकार के खर्चे से बचने तथा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के अनेक रास्ते हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा उठाए विभिन्न मुद्दों पर विचार करेंगे।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एक बड़ी कठिनाई की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका हम सामना कर रहे हैं। हमने देश के लिए काफी मात्रा में खाद्यान्न पैदा किया है परन्तु प्रश्न देश में लोगों को अच्छा अनाज सप्लाई करने का है। कठिनाई यह है कि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत अदा करनी पड़ रही है। जितनी कीमत अदा करने की उनसे उम्मीद की जाती है, उससे कहीं अधिक उन्हें

अदा करनी पड़ती है। बीच में अनेक बिचौलिए हैं। हमारे देश में ये बिचौलिए सब कुछ खा रहे हैं और उन्हीं के कारण देश नुकसान उठा रहा है। इसलिए, सरकार को इन बिचौलियों को हटाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि राष्ट्र का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। खाद्यान्न पूरे राष्ट्र की जान है और खाद्यान्न पूरे देश में सभी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। बच्चे दूध पीते हैं। परन्तु किस प्रकार का दूध पी रहे हैं? हमें शुद्ध दूध नहीं मिलता। हम शुद्ध दूध की मांग करते हैं, परन्तु यहां प्रत्येक चीज में मिलावट है। यहां तक कि खाद्य तेलों में भी है। चावलों में हम काफी संख्या में पत्थर मिले पाते हैं। एक गृहणी को बच्चों के लिए चावल पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है। वितरण केन्द्रों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जानी चाहिए। उनके कारण काफी नुकसान हो रहा है। खाद्यान्नों में मिलावट हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए बेईमान लोगों को यह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। खाद्यान्न वितरण का कार्य सौंपने से पहले उन्हें तीन या चार महीने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह मेरी मांग है।

मैं यहां भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। इन गोदामों से खाद्यान्न ले जाने में काफी मात्रा में अनाज की बरबादी होती है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक ब्लाक में एक गोदाम होना चाहिए। इससे धन की भी काफी बचत होगी और उस बस्ती के लोगों की भी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। शीत भंडारण के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिएं। अनेक स्थानों पर किसान, नष्ट हो जाने वाले उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं परन्तु वे शीत भंडारण की सुविधाओं के अभाव में नुकसान उठा रहे हैं। भूटान और बंगाल में हम काफी मात्रा में सेब और अनानास पैदा करते हैं। उन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए उद्योग स्थापित किए जाने चाहिएं ताकि हमें अच्छे खाद्य पदार्थ और फल प्राप्त हो सकें और हम उनका पूरे भारत और विदेशों में भी वितरण कर सकें।

हमें रिआयती दरों पर चावल और आटा मिल रहा है परन्तु मैं चाहता हूं कि चाय उद्योग को उचित संरक्षण दिया जाए ताकि वे श्रमिक, जिन्हें अब बहुत कम वेतन मिलता है, अच्छा वेतन पा सकें और बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोका जा सके। मैं यह भी चाहता हूं कि सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि खाने के तेलों, दालों, गेहूं और चावल, कपड़े धोने का साबुन, जनता कपड़ा, मिट्टी का तेल, चाय, चीनी, नमक, किताबें, कागज तथा स्कूली बच्चों के काम आने वाली अन्य चीजों जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुचारु बनाया जाए। उत्तरी बंगाल के चाय बागानों को इनकी तुरन्त सप्लाई की जानी चाहिए। यदि वितरण प्रणाली भली-भांति व्यवस्थित नहीं है तथा इसे चलाने वाले लोगों के दिलों में राष्ट्रहित की भावना नहीं है, तो फिर चाहे जितनी अधिक मात्रा में अनाज उगाइए, उससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप असफल हो जाएंगे, आपकी सरकार असफल हो जाएगी और आमतौर पर भारतीय लोग दीर्घ आयु वाले नहीं होंगे और उनकी ताकत कमजोर पड़ जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

*श्री बी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : सभापति महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का स्वागत करता हूं। मांगों का समर्थन करते हुए मैं मन्त्री महोदय के विचारार्थ कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहूंगा।

जैसाकि मैंने सिंचाई और ऊर्जा मंत्रालय के बारे में अपने पहले के भाषण में उल्लेख किया था स्वतंत्रता से पहले हमारा देश विदेशों से खाद्यान्नों का आयात कर रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने आत्म-निर्भरता के एक नए युग में प्रवेश किया है। हमारा देश खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि वह अनेक देशों को इनका निर्यात भी कर रहा है। यह सही है कि यह उल्लेखनीय प्रगति हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की निष्ठावान सेवाओं और सुदृढ़ नियोजन का परिणाम है। हमारे युवा प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी को ऐसे प्रगतिशील कदमों को प्रोत्साहन देने का श्रेय जाता है।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हैं। परन्तु इस सम्मानीय सभा के सम्मुख एक साधारण प्रश्न यह है कि क्या यह खाद्यान्न उचित ढंग से वितरित किया जाता है अथवा नहीं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसका उत्तर नकारात्मक है। ये छोटे किसान हैं जो दिन भर पसीना बहाते हैं और अन्न पैदा करते हैं। भारतीय खाद्य निगम किसानों से अनाज की खरीद करता है, उसका भंडारण करता है और वितरण करता है। परन्तु, दुर्भाग्य से खाद्यान्न, गरीब लोगों तक, विशेषकर जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, नहीं पहुंच रहा है। विडम्बना यह है कि उन्हीं लोगों को उचित ढंग से खाद्यान्न नहीं मिल पा रहे हैं जो देश के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। इसके अनेक कारण हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने उद्देश्य में असफल रही है। यह प्रणाली शहरी क्षेत्रों में ठीक ढंग से कार्य कर रही है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह गड़बड़ा गई है। चीनी, खाद्य तेल, चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल आदि जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुंच रही हैं। गरीब किसानों को उक्त वस्तुओं का लाभ नहीं मिल रहा है। गांवों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने की जिम्मेदारी न तो डिपों ने ली है और न ही सहकारी समितियों ने। यहां तक कि सरकारी स्तर पर भी कोटे की उचित वितरण प्रणाली नहीं है। वह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोटे के आबंटन की विभिन्न प्रणालियां अपनाते हैं। शहर भाग्यशाली हैं जो अपना पूरा हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु गांवों को अपने वास्तविक कोटे का केवल लगभग दसवां हिस्सा ही प्राप्त होता है। उन्हें अपना कोटा तीन या चार महीनों में केवल एक बार मिलता है। खाद्यान्नों के आबंटन के मामले में गांवों और शहरों में बहुत भारी अन्तर है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से इस असंतुलन को ठीक करने और हमारे गरीब लोगों की सहायता करने का अनुरोध करता हूं।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र, चिकबल्लापुर अच्छी किस्म के आलुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र न केवल पूरे कर्नाटक राज्य को बल्कि हमारे देश के विभिन्न अन्य राज्यों को भी आलुओं की सप्लाई करता है। वास्तव में इस स्थान से कई अन्य देशों को भी आलुओं का निर्यात किया जा रहा है। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारे पास भंडारण की सुविधाएं नहीं हैं।

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यहां तक कि निर्यात किए जाने वाले आलुओं के भंडारण के लिए भी कोई गोदाम नहीं है । मेरा अनुरोध है कि गोदामों का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि भारी मात्रा में होने वाले नुक्सान से तुरन्त बचा जा सके ।

जैसाकि मैंने पहले कहा था कि गोरीबिडनूर स्थित सहकारी चीनी कारखाना गत दो वर्षों से बन्द पड़ा है । प्रति वर्ष होने वाला 2 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन बन्द हो गया है। छंटनी करने की घोषणा कर दी गई है और हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं । पानी की कमी है और 800 से 1000 परिवार अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं । मैं मन्त्री महोदय से उक्त कारखाने को पुनः खोलने के तुरन्त प्रबन्ध करने के लिए कर्नाटक सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करता हूं ।

सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं प्रकाश में लाना चाहता हूं वह है भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा की गई कीमतें । औद्योगिक उत्पादों और कृषि उत्पादों की कीमतों के बीच कोई आपसी सम्बन्ध नहीं है । कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करते समय आदानों की लागत पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है । उद्योग जैसे सभी अन्य क्षेत्र फल-फूल रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं । परन्तु कृषि उद्योग पिछड़ रहा है और किसानों की आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है । धान के खरीद मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए । इसी प्रकार गन्ने के लिए दी गई कीमत भी बढ़नी चाहिए । किसान को एक एकड़ भूमि में लगभग 30 टन गन्ने का उत्पादन करने के लिए कम से कम तीन हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं । इस समय किसानों को केवल 200 रुपए प्रति टन मिल रहे हैं । कृपया यह राशि बढ़ाकर 300 रुपए तक की जाए । सरकार को कृषि को भी एक उद्योग मानना चाहिए ।

यदि मैं यह कहूं कि गांवों में सीमेंट बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है तो यह गलत नहीं होगा। एक छोटे किसान को यदि अपने छोटे से घर की मरम्मत के लिए 5 कट्टे सीमेंट की जरूरत है तो उसे उनके लिए लगभग 8 महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । यदि एक ग्रामवासी को मकान के निर्माण के लिए 100 कट्टे सीमेंट की आवश्यकता है तो उसे कम से कम तीन से चार वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । दूसरी ओर शहरों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के लिए सीमेंट की कोई कमी नहीं है ।

4.38 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

गरीब किसानों को ठीक ढंग से मिट्टी का तेल भी उपलब्ध नहीं है । अनेकों बार उसे एक लीटर मिट्टी के तेल के लिए कम से कम 3 रुपए देने पड़ते हैं । अब समय आ गया है जबकि सरकार को मिट्टी के तेल, चीनी, सीमेंट आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित प्रबन्ध करने चाहिए । कोटा आबंटित करते समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच कोई असमानता नहीं होनी चाहिए । पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक समान होनी चाहिए ।

दस प्रतिशत से अधिक अनाज खराब हो जाता है क्योंकि हमारे पास, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण की कोई सुविधाएं नहीं है। गांवों में गोदाम बनाने और बहुमूल्य खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए तुरन्त प्रबन्ध किए जाने चाहिएं। मैं मन्त्री महोदय को वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। मैं बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ ही अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे सुमन (अकबरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, मैं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय यह जो हमारी कृषि नीति और खाद्य नीति है, वह इतनी अच्छी है कि इसकी वजह से हमारा देश आत्मनिर्भर हो सका है और इसके लिए हमारी सरकार और खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है, मान्यवर, ये आंकड़े अपने आप में प्रमाण हैं कि हमारा चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चाहे चावल का उत्पादन हो, वह काफी बढ़ा है और आज अगर आप देखें, तो जो यह फसल वर्ष है, इसमें चावल का उत्पादन 60 लाख मीटरिक टन है और गेहूं के उत्पादन में 23.6 मीटरिक टन की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आप देखें कि 1983-84 में खाद्यान्नों का उत्पादन 1515.4 लाख मीटरिक टन तक पहुंच गया है, जो अब तक का रिकार्ड उत्पादन है और पिछले वर्ष के स्तर की अपेक्षा देखें, तो 17 फीसदी अधिक उत्पादन हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि कृषि का इन्तजाम बहुत ही अच्छा है और हमारे माननीय मन्त्री जी काफी सतर्कता के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं और हमारी जो खाद्य नीति और कृषि नीति है, इसके कार्य में उनका जो फर्ज है, उसको बहुत अच्छी तरह से सरअंजाम दे रहे हैं।

मान्यवर, समर्थन-मूल्य का जहां तक प्रश्न है, इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मन्त्री जी से कि यह तो बहुत अच्छी बात है और व्यवस्थाएं भी आपने बहुत अच्छी कर रखी हैं लेकिन इसके व्यापार में, गांव के अंचल में जो बात आ रही हैं, एक मिनट में, मैं खासतौर से उस तरफ मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो सरकारी एजेंसियां हैं, जिनके माध्यम से किसानों से गेहूं क्रय किया जा रहा है, उसमें मान्यवर इतनी धांधली की जा रही है कि किसान बेचारा जो गेहूं लेकर आता है, उन के माध्यम से वह गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है, बल्कि वही गेहूं कुछ न कुछ अड़ंगेबाजी करके, उसमें कमी निकाल करके उसे वापिस कर दिया जाता है और जब बड़ी गेहूं बाजार का जो बनिया है वह लेकर आता है, तो खरीद लिया जाता है। इस प्रकार से मान्यवर किसानों का शोषण हो रहा है और किसान मूक है, वह तो श्रम करता है, गल्ला पैदा करता है, और जब वह गल्ला लेकर बाजार में जाता है, तो उसका शोषण हो रहा है इस देश में। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कृपा करके वे इस बात को देखें और सुनिश्चित कराएं कि जो एजेंसियां किसानों से खरीद फरोख्त कर रही हैं, उन्हीं से वह खरीद-फरोख्त का काम करवायें। बिचौलियों से नहीं; ताकि किसान शोषण से बच सके।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि गेहूं और धान के समर्थन-मूल्य को बढ़ाने की जो आपने कृपा की है, यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आप पुनर्विचार करें क्योंकि जो लागत है, उस लागत के अनुसार किसान को उपज का मूल्य मिलना चाहिए, जिससे उनका शोषण न हो सके। किसानों का जो शोषण हो रहा है, इस बात को लेकर उनमें व्यापक असंतोष है। इसलिए मान्यवर ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जिससे उनमें असंतोष न हो।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक निवेदन और माननीय मन्त्री जी से करना चाहूंगा, जो रिपोर्ट हमें दी गई है उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख, ये जो जिला, ब्लाक, तहसील स्तर पर निगरानी समितियां हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, उन समितियों की देखरेख में उनका काम हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट केवल कागजी है, इसमें सत्यता नहीं है, ब्लाक तथा तहसील स्तर पर कोई निगरानी समिति नहीं है। जिला स्तर पर जो अधिकारियों की समितियां हैं, उनमें वही लोग बैठकर बातें करते होंगे, उनमें जन-प्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं है। कोई राय नहीं है और न मीटिंग बुलाई। यह केवल कागज में हो जाती है। सैक्शन कर दिया है कि समितियों की देखरेख में काम हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इसकी इन्क्वायरी कराएं और जहां ये निगरानी समितियां नहीं हैं वहां बने और जो बनी हुई हैं, वह सुचारू रूप से काम करें और उनमें चल रही खामियों, त्रुटियों और कमियों का निराकरण कराने की कृपा करें।

वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पहले ग्रामीण अंचल में मात्र शक्कर दी जाती थी। चीनी के कोटेदार रहा करते थे। हम समझते थे कि कोटेदार सही मायने में चीनी का वितरण नहीं करते हैं, लेकिन जब हम नजदीक से उनकी परेशानी देखने की कोशिश करते हैं और हिसाब लगाते हैं कि जहां से भंडारण होता था, वहां से चीनी ले जाने और बेचने में उनको मात्र खाली बोरा और एक रुपया 18 पैसे का लाभ मिलता था। जब आप यह सीमा निर्धारित करेंगे कि चीनी बेचने के बाद खाली बोरा और 1 रुपए 18 पैसे का लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से यह इस बात का द्योतक है कि वह बेईमानी करेंगे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनको यह मौका न मिले कि वह भ्रष्टाचार फैला सकें।

अब आपने नई व्यवस्था की है सहकारी समितियों के माध्यम से। मैं निवेदन करूंगा कि पहले कोटेदार पर तो नियंत्रण था, अंकुश था, लेकिन इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आधे से ज्यादा चीनी गोदाम से निकलने के बाद सेंटर तक पहुंचने के पहले ही गायब हो जाती है और उसका कोई नियंत्रण नहीं है।

मैं फैजाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां इस मामले में कार्यवाही की गई। एक परगना अधिकारी ने सहकारी समिति के एक कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही की और उसे आदेश दिया। उसने उस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया। परगना अधिकारी ने जिला मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दी। जिला मजिस्ट्रेट ने उस बात की जांच की और उसके बाद उसको सस्पैंड कर दिया। आप ताज्जुब करेंगे कि इस बारे में ए०आर० में एक कड़ा विरोध पत्र जिला मजिस्ट्रेट को लिखा कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे स्टाफ को सस्पैंड करें। इस प्रकार की बातों पर कोई नियंत्रण नहीं है और सारी चीनी ब्लैक में जा रही है।

जो चीनी आम जनता को पहुंचनी चाहिए, जोकि शासन की नीति है, वह पूरी नहीं हो पा रही है। इसको मन्त्री महोदय देखें।

मिट्टी का तेल गांव के इंटीरियर के इलाकों में नहीं पहुंच रहा है। बहुत मामूली मात्रा में जो पहुंचता है वह भी 4, 5 रुपए में ब्लैक में उन बेचारे झुग्गी-झोंपड़ी वालों को खरीदना पड़ता है। एक तरफ वह अपना गेहूं, धान सस्ते मूल्य पर बेचते हैं और जब वह मिट्टी का तेल लेने के लिए जाते हैं और ब्लैक में उनको तेल लेना पड़ता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह कराहते रहते हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई उनका पुरसाहाल नहीं है। ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए जिससे मिट्टी के तेल की चोरबाजारी रुके।

रिपोर्ट में चीनी उद्योग को लाइसेंस देने का उल्लेख किया गया है। यह बड़ी खुशी की बात है, इसके लिए माननीय मन्त्री जी और उनका मंत्रालय बधाई का पात्र है। कुछ समय पहले 1977 से 1980 के बीच में जब जनता कार्यकाल था उसमें नये लाइसेंस देने बन्द कर दिये गये थे, लेकिन 1980 के बाद पुनः हमारी सरकार द्वारा समीक्षा की गई और हमारी सरकार ने नये लाइसेंस देने की नीति निर्धारित की है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मेरे सुरक्षित क्षेत्र अकबरपुर में 1974-75 में एक चीनी मिल को भारत सरकार ने लाइसेंस दिया था। उस मिल का नाम है दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, अकबरपुर, फैजाबाद। उस मिल का कार्यालय खुला था, कार्यालय ने दो साल काम किया, और करीब 20 लाख रुपए की अंश पूंजी किसानों की आज तक जमा है। इस बीच में जनता का कार्यकाल आया तो उन्होंने उस लाइसेंस को निरस्त कर दिया। पुनः प्रदेश सरकार ने अपनी रिकमेंडेशन के साथ वह पत्रावली मंत्रालय में कार्यवाही के लिए भेजी है। सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस देने की उदार नीति बनाई है, मेरा निवेदन है कि इसके तहत पुनः इस बात को देखें और गन्ना किसान की भयंकर समस्या को देखते हुए पुनः इस चीनी मिल को लाइसेंस देने की कृपा करें जिससे वहां के किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

आपने मानक निर्धारित किया है कि मौजूदा यूनिट से 30 किलोमीटर दूर, सहकारी क्षेत्र में प्राथमिकता आप दे रहे हैं।

आज के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। तीन मानक केन्द्र ने निर्धारित किया है। इन मानक केन्द्रों में ये चीनी मिलें आ गई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप पुनः लाइसेंस प्रदान करें जिससे यह काम सही रूप से हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा चूंकि आप घंटी बजा रहे हैं। खाद्य मंत्रालय अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन एक बात की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि जो सैकड़ों वर्षों से दलित वर्ग के हैं, जो हरिजन, आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनकी उपेक्षा आज भी बराबर हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार बराबर ध्यान दे रही है, लेकिन आपका मंत्रालय इसमें सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि जो एफ० सी० आई है, उसकी जो रिपोर्ट आपने उपलब्ध कराई है उस रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं कि पहली जनवरी, 1985 तक जो आरक्षण निश्चित किया है, उसमें ग्रुप ए में शेड्यूल्ड

कास्ट 4.82 परसेंट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज 3.61 परसेंट, अस्थायी में शेडयूल्ड कास्ट 12.40 परसेंट, शेडयूल्ड ट्राइब 4.65 परसेंट ग्रुप बी में शेडयूल्ड कास्ट 10.93 परसेंट, शेडयूल्ड ट्राइब 1.09 परसेंट, अस्थायी शेडयूल्ड कास्ट 17.42 परसेंट, शेडयूल्ड ट्राइब 2.79 परसेंट । इसी तरह से ग्रुप सी में शेडयूल्ड कास्ट 18.24 परसेंट, शेडयूल्ड ट्राइब्ज 0.48 परसेंट, अस्थायी शेडयूल्ड कास्ट 17.53 परसेंट, शेडयूल्ड ट्राइब्ज 5.05 परसेंट । इससे पता चलता है कि जो आपकी आरक्षण की नीति है हरिजनों, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उसमें पूरा ध्यान नहीं किया जा रहा है ।

मैं आप का ध्यान इस तरफ इसलिए ज्यादा खींचना चाहता हूं कि आपका जो विभाग है, जो अधिकारी हैं चूंकि यह आरक्षण के मामले में लालफीताशाही के शिकार शुरू से हुए हैं। हरिजनों पर जुल्म आज भी बराबर हो रहे हैं । आपने जो आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े में जो ग्रुप बी है जिसमें स्थायी और अस्थायी रूप से नियुक्तियां हुई हैं जो गल्ला साफ करने के लिए लेबर लगती है जिनमें महिलायें भी शामिल हैं, वह लगा कर आपने यह आंकड़ा दे दिया है, लेकिन ग्रुप ए, बी, सी, में आपने आरक्षण पूरा नहीं किया । इस प्रकार यह उनके ऊपर जुल्म हो रहा है । उस पर आप कब तक विचार करेंगे, कब तक आप उनका भला करेंगे, कब उनको पूरा लाभ मिलेगा, इस बारे में माननीय मन्त्री जी अवश्य बतायें । इस बारे में मुझे एक शेर याद आ रहा है—

"उम्र को चाहिए इक आह असर होने तक,
कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक ।
हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
खाक हो जायेंगे हम तुम को खबर होने तक ।"

अगर यही आपकी नीति है, आप ऐसा करेंगे तो कब तक लाभ होने वाला है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो शोषण हो रहा है और यह इनका आरक्षण पूरा नहीं हो रहा है तो आप इस आरक्षण को पूरा करें ताकि शिकायत करने का मौका न मिले ।

आपने राइस मिल की तमाम बातें अपनी रिपोर्ट में कही हैं । उत्तर प्रदेश का पूर्वी अंचल जोकि बहुत पिछड़ा हुआ अंचल है उसमें फैजाबाद भी है । फैजाबाद में टांडा तहसीलें जो मेरे क्षेत्र में आती हैं, केन्द्रीय सबसिडी आज उस जिले को आधार मानकर दी गई हैं । उस योजना के साथ जो चावल मिलें लगती हैं, उनको सबसिडी भारत सरकार से मिलती है । मुझे दो दिन पहले यह जानकारी हुई है कि मेरे क्षेत्र की टांडा तहसील जो पिछड़ी तहसील है उसको उस योजना से वंचित कर दिया गया है जिससे वहां के लोग उस योजना से वंचित हो रहे हैं । चूंकि जिले को आधार मानकर यह व्यवस्था की गई है, इसलिए पुनः इस पर विचार करें और विचार करने के बाद जो यह योजना टांडा तहसील में लागू की गई थी जिसको आपने वापिस ले लिया है, उसको पुनः लागू करें ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आपके मंत्रालय को बधाई देते हुए आपकी मांग का समर्थन करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप देखें जो आपने नीति निर्धारित की है वही सही मायने में नीतियां कार्यान्वित हो रही हैं या नहीं ताकि उसमें कोई शिकायत का मौका न मिलें । आज हम गांवों में जाते हैं तो लोग आपकी रिपोर्ट को मांगते हैं ।

पढ़ने के बाद वह रिपोर्ट की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब आंकड़े गिनाने लगते हैं तो हम लोगों को बड़ी शर्म महसूस होती है। इसलिए जरूरी है कि जो आप नीतियां बनायें और जो भी सहूलियतें देने की बात करें उनको कार्यान्वित कराने की व्यवस्था भी करें ताकि लोगों को यह कहने का मौका न मिले कि नीतियां तो आपने बड़ी अच्छी बना दीं, लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इन मामलों को खास तौर से देखें। वे नीतियों को कार्यान्वित करायें तथा अफसरशाही जो फैली हुई है जोकि नीतियों को कार्यान्वित होने नहीं दे रही है उस पर भी अंकुश लगायें।

एक निवेदन और करूंगा कि बजट के परिणामस्वरूप जिन आवश्यक चीजों के मूल्यों में दो-चार पैसे की वृद्धि की गई है, उसके विपरीत हम यह देख रहे हैं कि गांवों में दो-चार पैसे नहीं बल्कि दो-चार रुपए दाम बढ़ गए हैं। तो इसको रोकने के लिए आवश्यक है आप सख्ती करें और छापे डलवाकर लोगों को पकड़वायें तथा जो भी काला-बाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें ताकि सरकार की जो नीतियां हैं वह सही मायने में क्रियान्वित हो सकें।

श्री ललितेश्वर शाही (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनके सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। सभी लोग जानते हैं कि आजकल चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है ? अभी जो क्रशिंग सीजन चल रहा है उसमें अन्तिम फैक्टरी जुलाई में बन्द होगी। और जिस समय जुलाई में क्रशिंग बन्द होगी उस समय दस लाख टन फ्री सेल का स्टाक बचेगा। पिछले साल 3 लाख 80 हजार टन चीनी प्रति मास फ्री-सेल में रिलीज की जाती रही और उसका इस्तेमाल किया जाता रहा लेकिन जब फ्री-सेल की रिलीज घट गई तो स्वाभाविक रूप में सभी की निगाह स्टाक पर रहती है कि कितना स्टाक बचा है और अगर स्टाक घट गया तो दाम बढ़ जायेंगे। फ्री-सेल और लेवी-सेल में जो चीनी आप देते हैं, दोनों को मिलाकर मार्किट पूरी होती है और अगर एक में कमी हो गई तो उसका असर दूसरे पर पड़ेगा। यही कारण है जिससे कि दाम बढ़ते जा रहे हैं।

जहां तक फूड कारपोरेशन आफ इंडिया का सम्बन्ध है, पिछले साल में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं भाग ले रहा था और जब मैंने उनके सामने यह बात रखी कि हमारे यहां एक ऐसी संस्था है जो सरप्लस खरीदकर जमा करती है और जब भी जहां जरूरत होती है देती है तो इसको सुनकर वे लोग बड़े आकर्षित हुए और एक व्यक्ति ने तो कहा कि ऐसी ही व्यवस्था सारे विश्व के लिए क्यों नहीं कराई जाती है कि जहां भी सरप्लस फूड हो वह दूसरी जगह जहां पर जरूरत हो, वहां पर चला जाए। तो यह जो विचार है वह बड़ा उत्तम विचार है लेकिन शायद इसको लागू करना आसान नहीं होगा।

आप देखेंगे कि जबसे हमने देश में गेहूं के दाम फिक्स करने शुरू किए उसके बाद से देश में गेहूं की उपज भी बढ़ गई क्योंकि किसानों के मन में यह अहसास आया कि उसकी जो भी उपज होगी उसको खरीद लिया जायेगा। हमारे वर्तमान सप्लाई मिनिस्टर पहले कृषि मन्त्री थे, उस हैसियत से भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जो दाम उन्होंने तय किए या कराए उससे किसानों को फायदा हुआ और देश में उपज भी बढ़ी। आज हम 22 मिलियन टन का स्टाक रखते हैं लेकिन मैं समझता हूं हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जब हमें यह सोचना होगा

कि इसके पीछे जो 1100 करोड़ की सब्सिडी आप दे रहे हैं उसके स्थान पर क्यों न कोई लांग-टर्म अरेंजमेन्ट किया जाए, दूसरे देशों के साथ हम परमानेन्ट अरेंजमेन्ट करें और हमारा जो प्रोक्योरमेन्ट का लेविल है वह उस पर बना रहे। आज दुनिया में फूड के मामले में भी पालिटिक्स आ गई है। अन्न देने वाले देश पालिटिक्स करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें पैट्रोलियम और उर्वरक दूसरे देशों से खरीदना ही पड़ेगा इस लिए क्यों न हम अपने यहां फूड प्रोडक्शन बढ़ायें, दूसरे देशों के साथ कोई लांग-टर्म अरेंजमेन्ट करें तो यह अच्छा रहेगा।

5.00 म० प०

किसानों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं और वह यह है कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया का इस्टैबलिशमेंट कास्ट बहुत हैवी हो गया है। 45 रुपए प्रति क्विंटल स्टोरेज में फूड कारपोरेशन आफ इंडिया दाम बढ़ा देते हैं और फिर 42 रुपए स्टेट फूड कारपोरेशन वाले बढ़ा देते हैं, फिर वह स्माल डीलर्स के पास जाता है। इस प्रकार दो कारपोरेशन के बीच में 87 से 90 रुपए तक दाम बढ़ जाते हैं। किसानों को डेढ़ सौ रुपया प्रति क्विंटल दिया जाता है। इस खर्च को कम करने की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। एक क्विंटल गेहूं पर डेढ़ सौ रुपया किसानों को मिले और 90 रुपया ट्रांसपोर्ट⊕स्टोपेज में लगा, तो यह बहुत ज्यादा नजर आता है और फिर सरकार ऊपर सब्सिडी भी देती है। 1976-77 में फूड कारपोरेशन आफ इंडिया ने स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की थी। प्राइवेट सैक्टर में भी जहां-तहां काफी फूड स्टोरेज गोडाउन्स बन गए थे, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने भी मदद की थी और स्टेट बैंक ने 11 प्रतिशत पर उनको पैसा भी दिया था, जोकि नौ वर्ष के अन्दर सधाना था। यदि ऐसी कोई स्कीम चले, तो बहुत अच्छी बात है। फूड कारपोरेशन को यदि किसी स्कीम पर पैसा लगता है, उससे सस्ता प्राइवेट गोडाउन्स पर पड़ता है। हम इस वक्त 22 मिलियन टन पर पहुंच गए हैं, जो माल हमारा खुले मैदान में रखा गया है, यदि उसको बन्द घरों में रखा जाएगा तो रख-रखाव की हालत अच्छी हो जाएगी। देश को दृष्टि में रखकर स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। जिससे आगे चल कर हर साल कुछ न कुछ स्टोरेज बढ़ता जाए। फूड कारपोरेशन आफ इंडिया में डिसिप्लिन लाने की भी बहुत आवश्यकता है। यह कैसे लाया जा सकता है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। इन से जिन लोगों का वास्ता पड़ता है, वही आपको सही स्थिति की जानकारी दे सकता है।

जहां तक कैरोसिन आयल का संबंध है, कैरोसिन आयल जो दम-दम से आता है उसका एक दाम होता है, बरौनी से जो आता है, उसका दूसरा दाम होता है और जो मथुरा रिफाइनरी से आता है, उसका तीसरा दाम होता है। जब दामों में इतना वैरिएशन होता है, तो खरीदने वाले को क्या पता कि यह तेल कहां से आया है। इस मामले में भी आपको विचार करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ देहात के दुकानदारों को इतना कोटा भी न दिया जाये कि वह बैलगाड़ी में ढोह कर ले न जा सके और बीच में ही सारा बिक जाये।

एक चीज और मैं स्टोरेज के बारे में कहना चाहता हूं। इस देश में बहुत से कोल्ड स्टोरेज हैं। कुछ स्टोरेज पहले के बने हैं और कुछ बाद में बने हैं तथा अभी भी कुछ बन रहे हैं। जो अभी बन रहे हैं, उनमें ज्यादा पैसा लगता है। ज्यादा पैसा लगने की वजह से स्टोरेज चार्ज भी ज्यादा

लिया जाता है, जिसकी वजह से जो पुराने स्टोरेज बने हैं, वे चार्ज ज्यादा लेने लगते हैं । इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए । एक बात यह कि कोल्ड स्टोरेज का इन्शोरेंस हो जाता है । उसके सामान का, मकान का, मशीन का, सब चीजों का इंशोरेंस हो जाता है, लेकिन जो उसमें सामान रखा जाता है, उसका इंशोरेंस नहीं होता है, । क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती है, कि जो आलू उसमें रखा होता है, उसका भी इंशोरेंस कर दिया जाए, चाहे आठ आने अधिक हो हर साल कोल्ड स्टोरेज में रखे गए आलू पर चार्ज कर लिया जाए । इस प्रकार एक ऐसा फण्ड क्रिएट किया जाए जिससे आगे चलकर बिजली न मिलने के कारण जो चीज बर्बाद हो जाती है, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके । किसानों की क्षतिपूर्ति न होने की वजह से किसान परेशान हो जाते हैं । इस लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे स्टोरेज में रखा हुआ माल जो बर्बाद हो सकता है, किसी कारण से, उसका कम्पैन्सेशन किसान को मिल जाए ।

अब मैं एक और विषय की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अभी माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने भी जिक्र किया था कि सब्जी चाहे 5 रुपये किलो बिके या 8 रुपए किलो बिके लेकिन किसान को उसकी कीमत एक या डेढ़ रुपए किलो से ज्यादा नहीं मिलती है । बीच का सब पैसा मिडिल मैन के पास चला जाता है । जो भाव वे तय कर देते हैं, उसी भाव पर सब्जी बिकती है लेकिन किसान को उसका लाभ नहीं मिलता है । इसके लिए क्या किया जा सकता है ? इस दिशा में भी कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

इन सुझावों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जिन बिन्दुओं पर मैंने ध्यान आकर्षित किया है उन बिन्दुओं पर आगे कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे ।

8.06 म० प०

अमृतसर में 19-4-85 को हुई घटना के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह-मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं बड़े दुख और वेदना के साथ इस सदन को 19 अप्रैल, 1985 को प्रातः लगभग 8.45 बजे अमृतसर में भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री आर० एल० भाटिया के निवास स्थान पर उनके जीवन पर हुए हमले की कोशिश जिसके परिणामस्वरूप वे गंभीर रूप से घायल हो गये और एक अन्य व्यक्ति नामतः श्री वीरेन्द्र कुमार जो उनसे मिलने आये थे, की मृत्यु हो गई थी, की सूचना देता हूं । पंजाब सरकार से प्राप्त ब्यौरे के अनुसार दो अज्ञात सिख युवकों ने श्री आर० एल० भाटिया और श्री वीरेन्द्र कुमार पर गोलियां चलाई थीं । श्री भाटिया के बायें जबाड़े, गरदन की दायीं तरफ और दायें कंधे के पीछे गोलियां लगी थीं । उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका आप्रेशन किया गया । बताया जाता है कि वे अब खतरे से बाहर हैं । श्री वीरेन्द्र कुमार की गोलियों से घायल होने के कारण मृत्यु हो गई । अपराधी अपराध करने के बाद बचकर भाग गए । इस घटना के बारे में सूचना मिलने के तुरन्त बाद वरिष्ठ

अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधियों को पकड़ने के लिए गहन खोज की गई। ये प्रयास भरसक रूप से किये जा रहे हैं। लगभग 70 व्यक्ति पूछताछ के लिये पकड़े गये हैं।

श्री खाटिया को 27 अप्रैल, 1984 से उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक गनमैन दिया गया था लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने 4 दिसम्बर, 1984 को यह कहकर गनमैन को वापस कर दिया कि मुझे उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है सरकार ने पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा समस्या का हल खोजने के लिए भी उच्चतम प्राथमिकता दी है। 1984 के पूर्वार्ध में हुई 827 हिंसक घटनाओं जिनके कारण 360 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, की तुलना में 1984 के उत्तरार्ध में ऐसी 427 घटनाएं हुई जिनमें 77 व्यक्तियों की जाने गई। चालू वर्ष में 19-4-1985 तक 135 हिंसक घटनाएं हुई जिनमें 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। राज्य में ऐसी गतिविधियों को और आगे रोकने के लिए प्राधिकारियों के लगातार प्रयास के फलस्वरूप जनवरी, 1984 से मार्च, 1985 तक आपराधिक मामलों में 1700 से अधिक उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया।

यह दुर्भाग्य की बात है कि अकाली नेताओं की रिहाई के बाद उनमें से कुछ नेताओं ने असंयमित वक्तव्य दिये। इन वक्तव्यों से पंजाब में सामान्य स्थिति को बढ़ाने में स्पष्टतः मदद नहीं मिली है। राज्य में धार्मिक स्थानों में आयोजित सभाओं में रागियों और धर्म प्रचारकों द्वारा किये जा रहे प्रचार के बारे में भी क्षुब्ध करने वाली सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सरकार भी माननीय सदस्यों के साथ साथ चिन्तित है। सरकार ने दिवंगत प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुई संगठित हिंसा की वारदातों के आरोपों की न्यायिक जांच कराने, अखिल भारतीय सिख छात्र संघ पर लगा प्रतिबन्ध हटाने तथा और लोगों को छोड़ने के लिए नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के मामलों की पुनरीक्षा करने की घोषणा पहले ही कर दी है। यह खेदजनक अनुभव है कि जब कभी कोई समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है, तभी उग्रवादी पंजाब में हिंसक गतिविधियों पर उतर आते हैं ताकि इन प्रयोगों की प्रगति को विफल किया जा सके।

सरकार स्थिति के बारे में पूर्णतयः सजग है। आतंकवादी कार्यवाहियों को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं। इसमें उग्रवादियों के ज्ञात लक्ष्यों को पुलिस संरक्षण, संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाना, पुलिस की कड़ी गश्त, विशेष छापों तथा छानबीन कार्रवाइयों के द्वारा गैर कानूनी शस्त्रों तथा गोलाबारूद बरामद करना, नाजुक क्षेत्रों की विस्तृत जांच, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना तथा आसूचना तंत्र को सुप्रवाही बनाना शामिल है। राज्य में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि लोकतंत्र में आतंकवादी कार्रवाइयों का कोई स्थान नहीं है और सभी मामले बातचीत द्वारा ही हल किये जाने चाहिऐ। मुझे विश्वास है कि सदन इस बात से सहमत होगा कि विवादों को सुलझाने के लिए आतंकवाद और हिंसा को बढ़ाने

से किसी को लाभ नहीं होगा। और हिंसा की कार्रवाइयों की निन्दा करने में मेरा साथ देगा। मैं राज्य में शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने में सदस्यों और विभिन्न दलों तथा ग्रुपों के नेताओं का सहयोग चाहता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : प्रैस का भी।

1983 में राष्ट्रपति भवन में श्री दीदार सिंह बैंस और योगी हरभजन सिंह के कथित रूप से ठहरने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, 18 अप्रैल, 1985 को सदन में हुई चर्चा के दौरान श्री के० के० तिवारी ने कहा था कि श्री दीदार सिंह बैंस और योगी हरभजन सिंह 1983 में राष्ट्रपति भवन में अतिथि के रूप में ठहरे थे। राष्ट्रपति सचिवालय ने गृह मंत्रालय को सूचित किया है कि ये दोनों व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में कभी नहीं ठहरे।

[अनुवाद]

श्री अंनुल बशर (गाजीपुर): गुजरात में बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस के आदमी की निर्मम हत्या कर दी गई है। उच्च न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में पुलिस के प्रवेश पर पाबन्दी लगा दी है और मेरी सूचना के अनुसार पुलिस के आदमियों ने काम करने से मना कर दिया है। मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री को इस विषय पर वक्तव्य देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सूचना एकत्र करने के बाद वह वक्तव्य देंगे।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं सूचना एकत्र करूंगा और यदि मैं अपेक्षित सारी सूचना एकत्र करने में सफल हो जाता हूं तो संभवतः कल मैं वक्तव्य दे सकूंगा।

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1985—86 —(जारी)

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय—(जारी)

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैंने खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा को बड़ी दिलचस्पी से सुना है। लगभग 20 माननीय

सदस्यों ने उस चर्चा में भाग लिया है । इस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में उनके कार्य के लिए मैं उनका आभारी हूं ।

जबकि अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा की गई अधिकतर आलोचना बहुत ही रचनात्मक थी और उससे मुझे काफी लाभ हुआ है तथापि दुर्भाग्यवश, कुछ सदस्यों ने निराशा, विचार-हीनता और दोष दर्शिता की भावना प्रकट की है । उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दिया । न केवल विपक्षी सदस्यों के बल्कि इस तरफ के कुछ माननीय सदस्यों ने भी नागरिक पूर्ति विभाग, खाद्य विभाग और उसके कार्यकलापों की भरपूर निन्दा की है । मेरे प्रिय मित्र, श्री डोरा हमेशा की तरह, उनमें से एक हैं ।

मुझे श्री डोरा को सुनकर बहुत ही आनन्द मिला जिन्होंने इस वाद-विवाद को शुरू किया । उन्होंने इस संसद द्वारा बनाए गए केन्द्रीय कानूनों के बारे में एक बहुत ही अजीब किस्म का विवाद उठाया है । उन्होंने केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रश्न उठाया है जबकि हम केवल इस मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं जोकि केन्द्र में बहुत से मंत्रालयों में से केवल एक है और मांगों की धन राशि भी इतनी अधिक नहीं है । श्रीमन, प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि एक विशाल देश में, जिसमें हमारी जनसंख्या का अधिकतर प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे है, बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने, कदाचारों और बेईमान व्यापारियों द्वारा चालबाजियों को रोकने के लिए, किसी न किसी तंत्र की आवश्यकता होती है और यह केवल एक तरीके से किया जा सकता है कि लोगों को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए वैकल्पिक व्यापार चैनल के रूप में सार्वजनिक एजेंसी की स्थापना की जाए । मुझे खुशी है कि सरकार और राष्ट्र ने यह स्वीकार किया है कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थायी रूप से चलती रहेगी । यही बात हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में भी थी । हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने स्वयं यह सुनिश्चित करने का वचन दिया है कि 20-सूत्री कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जाएगा । सुदूरपूर्व क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें खोलना और सभी वर्गों और विशेषकर संवेदनशील वर्गों के लोगों के लिए उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने की गारंटी दी गई है ।

महोदय, आप देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 369, जिसका कि श्री डोरा द्वारा उल्लेख किया गया था, वह केवल अंतर्कालीन उपाय था । उस समय केन्द्रीय सरकार को खाद्य पदार्थों, तिलहनों और खाद्य तेलों सहित कुछ वस्तुओं में व्यापार के संबंध में पांच वर्षों की अवधि के लिए अधिकार दिया गया था लेकिन पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले वर्ष 1954 में संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम से संविधान में प्रविष्टि 33 को अन्तर्निहित किया था और संविधान द्वारा संसद को दिए गए इस अधिकार से वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था । ऐसा संसद को अधिकार देने के लिए किया गया था जिसमें वह खाद्य-पदार्थों, खाद्य तेलों और तिलहनों सहित विभिन्न आवश्यक वस्तुओं में व्यापार और वाणिज्य को चलाने के संबंधित कानून बना सके ।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : क्या यह प्रविष्टि 33 अनुच्छेद 369 के खास सीधा विरोध नहीं है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : मेरे मित्र पूरे मामले की गलत व्याख्या कर रहे हैं। मेरे विचार में यदि वह संविधान का और संसद में उस समय की वाद-विवादों का शान्तिपूर्वक अध्ययन करें जबकि यह कानून बनाए गए थे तब वह स्थिति को ठीक तरह से समझ पाएंगे।

इसी प्रकार, संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत तोल, माप और मानक लागू करने के अधिकारों को अनुवर्ती सूची के अन्तर्गत लाया गया था। श्री डोरा ने तो उसमें भी आपत्ति की। संसद द्वारा 1976 में तोल, माप और मानक अधिनियम को पारित किए जाने के बाद अभी भी हमने यह अधिकार राज्यों पर छोड़ दिये कि वे इसे अपने अपने विधानों के माध्यम से लागू करें। लेकिन, दुर्भाग्यवश, बहुत से राज्यों ने कोई कार्यवाही नहीं की। केवल छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों— अधिकतर संघ राज्य क्षेत्रों और बहुत छोटे राज्यों ने कई विधान पारित किए। और इसलिए 1979 में राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में कानून में एक रूपता होनी चाहिए और यह कि संसद को इस प्रकार का एक कानून बनाना चाहिए।

इसीलिए 1976 के माप और तोल अधिनियम के स्तर को लागू करने के लिए हमने राज्य सभा में एक विधान पुरः स्थापित किया है।

मैं यह इस लिए कह रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं मुझे स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिए क्योंकि इस चर्चा के दौरान श्री डोरा के भाषण के बाद लोगों के दिमाग में अनावश्यक मतभेद और आशंका पैदा हो सकती है। (व्यवधान) एक आवश्यक वस्तु अधिनियम है, एक आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम है जिसे 1981 में बनाया गया था। ऐसा केवल इन सभी बातों जैसे दण्ड निश्चित करना, किस्म बनाये रखना, किस्म नियंत्रण, जमाखोरी और काला बाजारी को रोकना और पैकेटों पर मूल्य अंकित करने का प्रावधान करना आदि के लिए किया गया था। इसीलिए यह इन अधिनियमों अर्थात आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, के अन्तर्गत है और इस लिए हम राज्यों से कानूनों को लागू करने और कदाचारों में लगे व्यापारियों को दण्डित करने के लिए बार-बार कह रहे हैं।

श्री काजी जलील अब्बासी इससे सहमत थे कि बड़ी संख्या में छापे मारे गए उसमें संख्या 2,69,386 बताई गई थी और कहा गया था कि केवल 8,860 को गिरफ्तार किया गया था और तब केवल 1094 पर अभियोग लगाया गया था। लेकिन तब मुझे मालूम नहीं कि केन्द्रीय सरकार इसके बारे में क्या कर सकती है। यह राज्य सरकार के अधिकारों के अधीन है। उनके अपने विभिन्न काजी है। वे हमारे ऊपर है, इसलिए लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है और तब उन्हें छोड़ा जाता है। आप इसके लिए केन्द्रीय सरकार को और राज्यों को भी दोष नहीं दे सकते। इसी तरह, 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बन्दी बनाया गया था। इससे पहले के आंकड़े केलेंडर वर्ष 1984 के थे। कुल मिलाकर 790 लोगों को बन्दी बनाया गया था लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों को न्यायधिकरणों और राज्य सरकारों द्वारा छोड़ दिया गया था।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उनमें से अधिकतर छोटे लोग हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : और उनमें से कुछ फरार हैं। लेकिन इनमें से 19 अभी तक बन्दी हैं। लेकिन इससे यह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस बात के लिए उत्सुक हैं कि कालाबाजारी बन्द होनी चाहिए और इससे संबंधित लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : बड़े-बड़ों को छोड़ देते हैं और छोटे-छोटे लोगों को पकड़ लेते हैं ।

राव वीरेन्द्र सिंह : बड़ों को कहां छोड़ देते हैं आप पकड़ लीजिए उनको वैस्ट बंगाल में ।

श्री नारायण चौबे : हम पकड़ेंगे तो आप छोड़ देंगे ।

[अनुवाद]

राव वीरेन्द्र सिंह : पश्चिम बंगाल में आपकी राज्य सरकार ने चोर बाजारी निवारण अधिनियम को अपनाने से मना कर दिया है ।

श्री नारायण चौबे : वे बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहते ।

राव वीरेन्द्र सिंह : इसमें केवल यह पता चलता है .....

श्री नारायण चौबे : उन्होंने बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है ।

प्रो०एन०जी० रंगा (गुन्टूर) : उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है ।

श्री नारायण चौबे : वे मुकदमा चलाए बिना किसी को गिरफ्तार करने के विरुद्ध हैं । इसलिए मेरा आपसे बिना कुछ कहे बहुत सी बातों का पता चलता है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : परन्तु कुछ अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आदि ने प्रभावकारी कदम उठाए हैं । हम चाहते हैं कि अन्य राज्य भी ऐसा करें ।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : यदि पश्चिम बंगाल सरकार कालाबाजारियों की सहायता करना चाहती है तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): यदि आप पश्चिम बंगाल में अधिनियम को लागू नहीं करते, आपको निधि मिलेगी ।

श्री नारायण चौबे : यह सारा धन आपके चुनाव फण्ड के लिए वसूल किया गया है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : पश्चिम बंगाल में आपकी वसूल किया गया धन उसकी तुलना में ..... काफी अधिक है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री अपना भाषण जारी रखें ।

राव वीरेन्द्र सिंह : इसलिए, महोदय आप देखेंगे कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के मामले में सरकार की नीतियां किस प्रकार सफल रही हैं जिससे हमें आवश्यक वस्तुएं खाद्यान्न, चीनी और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं । आज स्थिति इतनी सुखद है कि सम्पूर्ण विश्व ने इस मामले में हमारे प्रयासों की प्रशंसा की है ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आपके अलावा कौन प्रशंसा कर रहा है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : मुझे समझ नहीं आता कि आप वास्तविकता को क्यों नहीं देखते ।

श्री अमल दत्त : आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको इसे सिद्ध भी करना है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : महोदय, खाद्यान्नों का भण्डार लगभग 220 लाख टन बैठता है । यह उतने समय के दौरान गत वर्ष की भण्डारण स्थिति की तुलना में 60 लाख टन अधिक है और यह वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है । इससे सुखद स्थिति का स्पष्ट तौर से पता चलता है । यह इसे मानने को तैयार नहीं और यह नहीं मान रहे हैं कि देश में कृषि का उत्पादन बढ़ा है । लेकिन आपके कुछ मित्र ऐसा नहीं कर रहे हैं ।

श्री नारायण चौबे : प्रत्येक व्यक्ति उसको स्वीकार करता है लेकिन अभी भी काफी संख्या में लोगों को भोजन प्राप्त नहीं है । यह एक सत्य है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : इसकी खरीद ही स्वयं एक प्रमाण है । पूर्व वर्ष में गेहूं की 83 लाख टन की खरीद की तुलना में चालू वर्ष में 93 लाख टन खरीद की गई अर्थात् पूर्व वर्ष से 10 लाख टन अधिक । अतः एक वर्ष में खरीद में 10 लाख टन की वृद्धि हुई है । हम चावल की ओर प्रमुख रूप से ध्यान दे रहे हैं । पूर्व वर्ष के दौरान चावल की खरीद और चावल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई । लेकिन हमने जिस प्रकार इसमें दोनों दृष्टियों से वृद्धि की है उसको चावल की खरीद के आंकड़ों से देखा जा सकता है । पिछले वर्ष 78.30 लाख टन चावल की खरीद की तुलना में वर्तमान वर्ष में 90.37 लाख टन चावल की खरीद की गई है । यह बात चावल के मामले में है । छः महीने पूर्व आप यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 90 लाख टन अथवा उसके लगभग चावल की खरीद की जायेगी । इससे यह पता चलता है कि देश में पूर्वी राज्यों सहित कम उत्पादन वाले राज्यों में भी चावल के उत्पादन में वृद्धि हो रही है । वर्तमान रबी फसल की संभावनायें भी अच्छी हैं । खरीद संबंधी आसार बहुत अच्छे हैं । पिछले वर्ष रबी फसल के मौसम में 9,000 टन खरीद की तुलना में चालू वर्ष में हमने 2.94 लाख टन खरीद की है । पिछले वर्ष 20 अप्रैल, 1984 तक इसकी खरीद केवल 9,000 टन की गई थी । इस वर्ष 20 अप्रैल तक अर्थात् चालू महीने में 2.94 लाख टन की पहले ही खरीद की जा चुकी है और इससे हमें यह आशायें होती हैं कि हमारे भण्डार में और वृद्धि होगी । भण्डारणमें हमें कुछ कठिनाई

हो सकती है जिसके कारण हम अपनी नीतियों को उदार बना सकते हैं और हम नियंत्रण में भी कुछ ढील दे सकते हैं जिसका संभवतः व्यापारियों सहित जनता के कुछ वर्गों द्वारा स्वागत नहीं किया गया है और ये नियंत्रण कुछ सीमा तक किसानों के हितों के विरुद्ध भी हैं। इसी कारण हमने इन नियंत्रणों में ढील दी है। श्री व्यास जी ने इस पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा है कि इससे भविष्य में कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन, हम यह जानते हैं कि जुलाई में अथवा एक महीने के अन्तर्गत अथवा इसके लगभग अवधि के दौरान हमारा खाद्यान्न भण्डार 270 लाख टन तक हो जायेगा और हम जानते हैं कि हमारे पास पर्याप्त भण्डारण स्थान उपलब्ध नहीं हैं। यदि हम खाद्यान्न की भारी मात्रा को खुले स्थान पर रखते हैं तो इसके खराब होने की अत्यधिक संभावना है। इसी कारण हमने भण्डारों के लाने ले जाने पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटा दिया है। व्यापारी जितनी मात्रा चाहें खरीद सकते हैं। वे इसका भण्डारण कर सकते हैं। मिल मालिक इसको खुले बाजार से खरीद सकते हैं। महोदय, इस देश के इतिहास में पहली बार आज भारत एक गेहूं-निर्यातक देश है। हमने पहले ही सोवियत संघ को पांच लाख टन गेहूं की सप्लाई करने का अनुबन्ध कर रखा है।

श्री नारायण चौबे : किस कीमत पर ?

राव वीरेन्द्र सिंह : कीमत अच्छी है। परन्तु आप यह पसन्द नहीं करेंगे कि हम सोवियत संघ को बहुत ऊंची कीमत पर बेचें। क्या आप ऐसा चाहेंगे ?

श्री नारायण चौबे : यह इस बात पर निर्भर है कि हम उनसे क्या खरीदते हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : हमने निजी व्यापार के माध्यम से भी, यदि वे ऐसा कर सकते हैं, गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है। सरकारी स्तर पर बिक्री भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जायेगी। लेकिन यदि निजी व्यापार के द्वारा भी बिक्री की जा सकती है तो व्यापारियों द्वारा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 10 लाख टन तक गेहूं का निर्यात किया जा सकता है।

श्री नारायण चौबे : क्या यह ओ० जी० एल० के माध्यम से है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : एक प्रकार से ओ० जी० एल० के माध्यम से ही। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी अनुमति नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बनाये गये विनियमों के अन्तर्गत जो लोग निर्यात कर सकते हैं वे अनुबन्ध कर सकते हैं, बाजार का पता लगा सकते हैं आवेदन करते हैं और फिर निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार गेहूं उत्पादों अर्थात् आटा, मैदा, सूजी के मामले में, हम अब .....

[हिन्दी]

श्री के०जे०अब्बासी (डुमरियागंज): आप किसानों से डायरेक्ट प्रोक्योरमेन्ट करेंगे या उसको दूसरों पर छोड़ देंगे, यह भी जरा स्पष्ट कर दीजिए .....

[अनुवाद]

राव वीरेन्द्र सिंह : हम न्यूनतम घोषित समर्थन मूल्य पर सभी फालतू गेहूं को खरीदने के लिए वचनबद्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री के०जे० अब्बासी : आपके पास जगह नहीं है, अगर आप छोड़ देंगे तब किसान उनको अपना गल्ला बेच सकते हैं .....

राव वीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, यदि आप चाहेंगे तो उनके घरों से भी खरीद लेंगे और उत्तर प्रदेश में तो कोई हमारा इंटरमीडियेटरी नहीं है, कोई कमीशन एजेन्ट नहीं है कोई आढ़तिया नहीं है बल्कि सीधे किसानों से खरीद की जाती है, मण्डियां बनाकर जहां कहीं हम खरीद कर सकते हैं हम मण्डी डिक्लेयर कर देते हैं और इस तरह हजारों सेंटर खोल दिये हुए हैं।

[अनुवाद]

यह केवल विदेशी मुद्राअर्जित करने के उद्देश्य से ही नहीं है बल्कि इससे किसानों को अधिक मूल्य दिलाने में भी सहायता मिलेगी। किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों को खरीदने के लिए बाजार में एक से अधिक एजेंसियां होंगी और इससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकेगी। खरीददारों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी और इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। इस छूट के दिये जाने के फलस्वरूप उनको खुले बाजार में मिलों द्वारा उत्पादित काफी मात्रा में आटा, मैदा और सूजी उपलब्ध होगी। उनको भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहले से ही दी गई सप्लाई की यह सुविधा भी दी जाती रहेगी। जिसका तात्पर्य होगा सूजी, मैदा तथा आटे की अधिक उपलब्धता। इससे मूल्यों में कमी होगी और किस्म में सुधार होगा। अतः हमारे भण्डार की अच्छी स्थिति होने के फलस्वरूप ये उपाय संभव हो सके हैं।

यही स्थिति अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में है (व्यवधान) दालों तथा खाद्य तेलों के अपर्याप्त उत्पादन के बारे में आलोचना की गई है। इसके लिए आज के उत्पादन की तुलना पांच वर्ष पूर्व के उत्पादन से करनी होगी। इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए तिलहनों को लेते हैं। वर्ष 1980-81 में उनका उत्पादन लगभग 93 लाख टन था। पिछले वर्ष यह 128 लाख टन था और चालू वर्ष का लक्ष्य लगभग 130 लाख टन है, अतः 93 लाख टन से 130 लाख टन की वृद्धि कम नहीं है।

यही बात दालों के सम्बन्ध में है। पिछले वर्ष दालों का उत्पादन लगभग 126 लाख टन हुआ और इसमें भी पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। लेकिन कुछ रूकावटें भी हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि इन फसलों की खेती घटिया भूमि में की जाती है, जिसकी सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं होती है। रोग और नाशक कीट की घटनायें भी अत्याधिक होती रहती हैं। उनके लिए बेहतर पौध संरक्षण उपाय तथा अन्य कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है। लेकिन खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों के दौरान मूल्यों में वृद्धि होने के बावजूद खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। उनको नियंत्रित रखा गया है।

मैं आंकड़े देकर सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं लेकिन यदि आप चाहते हैं तो मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। अनाजों के मूल्यों में विशेषतः पिछले वर्ष के दौरान गिरावट आई है। वास्तव में पिछले दो वर्षों के दौरान मार्च, 1985 तक गिरावट आई है। वर्ष 1985 में बजट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भाड़े तथा शुल्क में वृद्धि के फलस्वरूप, मामूली सी

वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें भी अनाजों के मामले में अन्य वस्तुओं की भांति मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। बजट प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त के कुछ सप्ताहों में समग्र वस्तु थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में लगभग 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन अनाज के मामले में इतनी वृद्धि भी नहीं हुई है।

प्रो० एन० जी० रंगा : धान उत्पादकों को कोई कठिनाई हो रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उनको अच्छा मूल्य मिल रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रो० रंगा जी, 137 रु० कम मूल्य नहीं है।

जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय राज्यों के बेहतर समन्वय, बेहतर सहयोग तथा संसद में जनता के प्रतिनिधियों के बेहतर सहयोग से ही कार्य कर सकता है। भ्रष्टाचार, कदाचार, जमाखोरी तथा अधिक मूल्य वसूलने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, लेकिन इसके लिए प्रतिसंभरण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस लिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे हमारी सहायता करें और यदि कोई अनुचित बात उनकी जानकारी में आती है तो उसकी विशेष शिकायत हमारे पास भेज दें। हमने नागरिक पूर्ति मंत्रालय में पहले से ही एक "शिकायत कक्ष" बना रखा है, यदि आपके ध्यान में पैकट पर मूल्य न छापे जाने की कोई जानकारी आती है—जो आवश्यक तथा कानूनी है—और यदि आप यह पाते हैं कि वजन नहीं लिखा हुआ है और यदि आप यह पाते हैं कि किसी वस्तु पर—उत्पादन की तिथि नहीं दी हुई है तो इस बात को आपको सरकार के ध्यान में लानी चाहिए, आप सीधे हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं अथवा लिख सकते हैं। हम यह चाहते हैं कि इसी प्रकार के कक्ष स्थापित किये जायें। वास्तव में नागरिक पूर्ति मंत्रालय उपभोक्ताओं के संरक्षण का मंत्रालय है। यह खाद्य तेल का वितरण करता है लेकिन कानून राज्य सरकार के माध्यम से लागू किया जाता है। यह एक कठिनाई है लेकिन यह हमारा कार्य है कि हम इसके लिए प्रयत्न करें और इस कठिनाई को दूर करें।

एक माननीय सदस्य : हम इस प्रकार की बात को आपके ध्यान में लायेंगे और आप इस को राज्य सरकार से पास भेज सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसा नहीं है। हमने क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की है यदि कोई गंभीर किस्म की शिकायत हो तो उसके लिए हमने निश्चय किया है कि मंत्रालय से एक वरिष्ठ अधिकारी मौका पर जायेगा। वह जिला अधिकारी भी उसके साथ होंगे और स्वयं स्थिति की जांच करेंगे और वहीं पर कार्यवाही करेंगे। निःसंदेह रूप से मुकदमा राज्य सरकार द्वारा चलाया जायेगा। लेकिन हम भी निगरानी रखेंगे। इसके अतिरिक्त हम अलग-अलग स्थानों से नमूने लेने का प्रयास कर रहे हैं और उनका भारतीय मानक संस्थान की प्रयोगशाला अथवा खाद्य मंत्रालय की प्रयोगशाला में परीक्षण कराते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि कहां पर घटिया प्रकार की वस्तुएं हैं। खाद्य तेल, खाद्यान्न तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में भी ऐसा ही किया जाता है।

श्री चौबे ने आज ही बहुत सकारात्मक आलोचना की है । मुझे इसके कारण की जानकारी नहीं है । उन्होंने प्रातः अच्छी किस्म का चावल खाया होगा ।

श्री नारायण चौबे : जो आपके मंत्रालय द्वारा सप्लाई किया गया था ।

राव वीरेन्द्र सिंह : जी हां ।

श्री अमल दत्त : हम कलकत्ता और दिल्ली में जो कुछ खाते हैं उसमें अत्यधिक अन्तर है हम चाहते हैं कि इसी प्रकार का चावल वहां भेजा जाये ।

राव वीरेन्द्र सिंह : हम इसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे ।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : बंगाल का चावल पंजाब के चावल की अपेक्षा बेहतर है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : श्री चौबे तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय स्तर पर भी कानून लागू करने के लिए कोई काम चलाऊ प्रणाली, कोई तंत्र, इनकी रोक-थाम के लिए कोई सरकारी तंत्र, की व्यवस्था के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए । हमें यह जानकारी है कि अधिकतर उपभोक्ता वस्तुओं पर भारतीय मानक संस्थान की भी कोई मुहर नहीं होती है । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में थर्मामीटर भी सही मानदण्ड का नहीं है । यह गलत तापमान प्रदर्शित कर सकता है और रोगी मृत्यु के समय तक उपचार कराता रहता है । यही बातें रक्त चाप मापने के यंत्र और अन्य वस्तुएं के सम्बन्ध में है । ये बहुत सी छोटी-छोटी वस्तुएं हैं । लेकिन हम अभी तक इन वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं दे सके हैं अब हम यह चाहते हैं कि भारतीय मानक संस्थान के अनिवार्य चिन्ह के अन्तर्गत चुनींदा उपभोक्ता वस्तुओं को लाने के लिए प्रभावी कदम उठायें । ऐसा करने पर वस्तु की किस्म को सुनिश्चित किया जा सकेगा । और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत निर्माताओं और व्यापारियों को दण्डित किया जा सकता है, और उन पर अभियोग चलाया जा सकता है, जैसाकि अन्य बहुत सी वस्तुओं के सम्बन्ध में किया गया है । कुछ समय पूर्व हमने किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली अनाज निकालने की मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित किया है और इसके लिए मानदण्ड लागू किया गया है । अतः हम इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं । हम सांविधिक उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में भी विचार कर रहे हैं । इस समय एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद है जो एक सलाहकार परिषद के रूप में है । जिसकी अध्यक्षता मन्त्री महोदय करते हैं और राज्य मन्त्री भी इसके सदस्य हैं । लेकिन इसका उद्देश्य केवल राज्य विधान सभाओं के विधान में एकरूपता लाने, कानून लागू करने तथा अन्य विभिन्न मामलों में एकरूपता लाना है । ये छोटे-छोटे मामले हैं जिनकी ओर हम हमेशा ध्यान रखते हैं ।

माननीय सदस्यों ने और भी कई मूल्यवान सुझाव दिए हैं । मेरे पास प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव पर व्यक्तिगत रूप से तो विस्तार से कहने का समय नहीं है परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में व्यापक रूप से टिप्पणियां की गई हैं । उदाहरण के लिए सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों की किस्में । केरल से तीन-चार माननीय सदस्य श्री विजयराघवन, श्री टी० बशीर, श्री बसवराज इस बारे में बोले हैं और केरल को सप्लाई किए गए पंजाब के

सेला चावल के बारे में पुनः शिकायत की गई है। यदि केरल को आन्ध्र प्रदेश के चावल अधिक पसन्द हों तो अब हम केरल को बाखुशी आंध्र प्रदेश के चावल देने को तैयार हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि आंन्ध्र प्रदेश हमारे लिए वितरण हेतु अधिक मात्रा में चावल की वसूली नहीं करता, इतनी भी नहीं कि जो केरल की ही आवश्यकताएं पूरी कर सके। आन्ध्र प्रदेश में चावल की कुल वसूली लगभग 15 लाख मीट्रिक टन है। उसमें से वह चाहते हैं कि दस लाख मीट्रिक टन चावल हम उन्हें वापस दे दें, और इस प्रकार केरल में वितरण के लिए केवल 5 लाख मीट्रिक टन चावल शेष बचता है।

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : मैंने कल जो कहा था वह यह है। हमारी मांग थी कि 32 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की जाए।

राव वीरेन्द्र सिंह : परन्तु आपके द्वारा खरीदा गया सारा चावल केन्द्रीय पूल को दिया जाता है। आपकी यह शर्त है कि आप केन्द्रीय पूल के लिए केवल पांच लाख मीट्रिक टन चावल छोड़ेंगे और दस लाख मीट्रिक टन चावल वापस ले लेंगे क्योंकि इस पर राज-सहायता मिलती है। आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं।

अब केरल की मासिक आवश्यकता 110 हजार मीट्रिक टन चावल की है जो वर्ष में 13 लाख मीट्रिक टन चावल से भी अधिक बैठती है। अब यदि हम यह सारा पांच लाख मीट्रिक टन चावल केरल को दे दें तो फिर भी हम शेष 8 लाख मीट्रिक टन चावल कहां से देंगे? दूसरे राज्यों से? इसी लिए यदि केरल की आवश्यक्ताओं को पूरा किया जाना है तो हम पंजाब के चावल, हरियाणा के चावल के बिना काम नहीं चला सकते। यही कठिनाई है। परन्तु हमने पहले ही यह निर्णय कर लिया है कि पंजाब का चावल यदि पकाने में सख्त है, अधिक समय लेता है तो उसकी खरीद नहीं की जाएगी और उसे केरल को सप्लाई नहीं किया जाएगा। वे कोई दूसरा चावल प्राप्त कर सकते हैं और हम कोई अन्य प्रबन्ध करेंगे।

एक माननीय सदस्य : केरल को धान की सप्लाई की क्या स्थिति है?

राव वीरेन्द्र सिंह : केरल को धान की सप्लाई? किस लिए? मिलिंग (पेषण) के लिए? पंजाब से इतनी दूर केरल को भेजना? रेलवे पर भारी दबाव होने के कारण हमें केरल जैसे राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र को उनका मासिक कोटा भेजने में भी कठिनाई हो रही है। अब, धान तो और भी अधिक जगह घेरता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : एक समय हमारे राज्य में धान की सप्लाई की जाती थी।

प्रो० एन० जी० रंगा : परिवहन की कठिनाई है।

राव वीरेन्द्र सिंह : यदि पहले ऐसा किया जाता था तो वह कोई बुद्धिमतापूर्ण निर्णय नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं। खुले रेल-डिब्बों में धान भेजना कोई आसान काम नहीं है, और फिर आपको पश्चिम बंगाल में चावल-मिलें स्थापित करनी हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हमने स्थापित की हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : आपके यहां चावल मिलें हैं ? फिर तो आप अपने स्वयं के चावल का मिलिंग (पेषण) कर रहे हैं। मिलों को चलाने के लिए वह काफी होना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों की, विशेषकर आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों की यह मांग रही है और कुछ अन्य सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया है, कि केरल और आंध्र प्रदेश को अन्य राज्यों में व्यापारियों से चावल खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री नारायण चौबे : बंगाल को भी।

राव वीरेन्द्र सिंह : मुझे खेद है, मैं अपनी कठिनाइयों के कारण इस प्रकार की बात से सहमत नहीं हो सकता।

श्री एच० ए० डोरा : आप राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : राज्य व्यापार निगम अथवा किसी अन्य राज्य अभिकरण के द्वारा भी ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि वे कुछ अन्य राज्यों में चावल की थोक मात्रा में खरीद करेंगे तो इससे सारा बाजार गड़बड़ा जाएगा।

श्री एच० ए० डोरा : कैसे ?

राव वीरेन्द्र सिंह : यह ऐसे होगा कि वे भारी मात्रा में चावल की खरीद करेंगे और इस प्रकार बाजार में उपलब्ध चावल शेष नहीं बचेगा। कीमतें बढ़ जाएंगी। केरल या पश्चिम बंगाल द्वारा चावल की खरीद की जाएगी और फिर आन्ध्रवासियों को एन० टी० आर० योजना के अन्तर्गत एक रुपया प्रति किलोग्राम चावल किस प्रकार मिलेगा ?

श्री एच० ए० डोरा : रंगा जी इस बारे में बिल्कुल चुप हैं। वे अपना मत व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : वे मुझसे सहमत हैं।

श्री नारायण चौबे : वे आपसे सहमत नहीं हैं। वे इस लिए चुप हैं क्योंकि वे आपकी पार्टी के हैं। (**व्यवधान**)

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं नहीं जानता कि आंन्ध्र प्रदेश को बाहर से चावल मंगाने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। उनके यहां चावल का उत्पादन 85 लाख मीट्रिक टन से अधिक का है। आंध्र प्रदेश में चावल आवश्यकता से अधिक होता है। परन्तु आप अपने यहां के व्यापारियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। महोदय, यही स्थिति आपके राज्य की है। बल्कि वहां की स्थिति और भी खराब है। वे केन्द्रीय पूल में कोई योगदान नहीं करते। यदि राज्य सहयोग न करें तो हम अपनी खाद्य नीति पर किस प्रकार चल सकते हैं ? फिर भी तमलिनाडु का प्रत्येक माननीय

सदस्य यह चाहता है कि तमिलनाडु को अधिक चावल आबंटित किया जाए। तमिलनाडु यदि केन्द्रीय पूल में कुछ नहीं देना चाहता तो फिर उसे अपना काम स्वयं चलाना चाहिए। परन्तु केन्द्रीय पूल में बिना एक दाना भी दिए वे प्रतिमाह 25,000 मीट्रिक टन चावल ले रहे हैं। मेरी गत पांच वर्षों से उनके साथ यही लड़ाई है। परन्तु उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या करना चाहिए, सिवाए इसके कि प्रयास करते रहें और उन्हें उतना चावल देते रहें जितना हम दे सकते हैं। आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय पूल से प्रति माह 80,000 मीट्रिक टन चावल प्राप्त कर रहा है। अतिरिक्त चावल पैदा करने वाले राज्यों में आन्ध्र प्रदेश को प्रति माह सर्वाधिक चावल आबंटित किया जाता है। और फिर भी उनकी शिकायत है। आप उसे कैसे न्यायोचित ठहरा सकते हैं ?

श्री एच० ए० डोरा : यह सही नहीं है। आप आंध्र प्रदेश से 15 लाख मीट्रिक टन चावल की वसूली कर रहे हैं जबकि आप उसकी जरूरतों के लिए केवल 10 लाख मीट्रिक टन चावल दे रहे हैं। परन्तु कारागारों, समाज कल्याण होस्टलों आदि के लिए हमारी आवश्यकता 22 लाख मीट्रिक टन की है। उक्त मांग भारत सरकार के सम्मुख पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उन्होंने लेवी को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर देने के लिए कहा है। यह बात भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि यदि 75 प्रतिशत लेवी की अनुमति दे दी जाए तो फिर स्वयं आन्ध्र प्रदेश में बाजार के लिए बहुत कम शेष रह जाएगा। और फिर वे चाहते हैं कि उनके नागरिक पूर्ति निगम को भारतीय खाद्य निगम की तरह खाद्यान्न वसूली का एक अभिकरण बना दिया जाए। यह एक बहुत अनुपयुक्त मांग है। खाद्यान्न वसूली के लिए केन्द्रीय कानूनों के अन्तर्गत दो अभिकरणों की अनुमति किस प्रकार दी जा सकती है ? ऐसा करने से सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या आप उन्हें अपना एजेंट नहीं बना सकते ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यही तो वे चाहते हैं। परन्तु वे हमें देते कुछ नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि गुजील की चीनी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है उन्हें पता है कि हमने बहुत बढ़िया किस्म की चीनी का आयात किया है जिसमें मीठास की मात्रा 99.8 प्रतिशत है। इस लिए इसका मीठी न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि वे ऐसा अनुभव नहीं करते तो विपक्ष से बोलने वाले इन माननीय सदस्य के जायके में कुछ गड़बड़ है। मीठास शर्करा की मात्रा पर निर्भर करता है।

कुछ मिलों में एक अन्य गलत धारणा बनी हुई है कि गन्ने की कीमत 14 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। गन्ने के लिए यह वैधानिक न्यूनतम मूल्य लेवी चीनी मूल्य निर्धारित करने के लिए है, 65 प्रतिशत चीनी के लिए जोकि हम मिलों से लेते हैं परन्तु मिलों द्वारा दिया जाने वाला मूल्य विभिन्न राज्यों में राज्यों द्वारा सुझाई गई कीमतों के अनुसार 20 रुपए से 24 रुपए और 25 रुपए प्रति क्विंटल तक भी है। इस लिए चीनी का मूल्य कम नहीं है, जैसाकि कुछ माननीय सदस्य सोचते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : यह समय पर नहीं दिया जा रहा है। मेरा मतलब है कि भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने बकाया धनराशि में पहले ही कमी की है। यदि आप चाहें तो मैं इसके आंकड़े भी दे सकता हूं। 28-2-1984 को बकाया धनराशि 25.8 प्रतिशत थी। इस वर्ष इस समय जबकि मिलें अभी भी चल रही हैं और भुगतान करने का अभी समय बाकी है, परन्तु इस वर्ष उपरोक्त तिथि को यह केवल 16.3 प्रतिशत है। गत वर्ष जहां बकाया धनराशि 190 करोड़ रुपए थी वहां इस वर्ष यह बकाया राशि केवल 133 करोड़ रुपए है। और पिछले वर्षों में यह राशि बहुत कम रही है।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : ये फिगर्स ठीक नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने तो फिगर्स ठीक दी हैं।

[अनुवाद]

पूरे देश में 1982 के पहले वर्षों की बकाया धनराशि केवल 12 करोड़ रुपए है। इस लिए बकाया राशि में हमने उल्लेखनीय कमी की है और हम इस पर निरंतर नजर रखते हैं। परन्तु यह बात शायद अच्छी नहीं लगेगी यदि मैं यह कहूं कि अपनी देखभाल करना राज्यों का काम है। इसकी निगरानी रखना उनका काम है।

कुछ चीनी मिलों के बारे में प्रश्न उठाया गया था। श्री त्रिपाठी ने कहा था कि जयपुरिया मिल कार्य नहीं कर रही है और उसे बन्द किया जा रहा है और उन पर भारी बकाया धनराशि है। मैंने इसकी जांच की है और यह पाया है कि उन मिलों पर कोई बकाया धनराशि नहीं है और वहां कुछ भी असामान्य नहीं है।

माननीय सदस्यों ने कीमतों के बारे में कुछ चिन्ता प्रकट की है। मैंने बताया है कि कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि इतनी अधिक नहीं हुई है, विशेषकर खाद्यान्नों की कीमतों में कमी होती रही है। विगत में उनकी कीमतों में वृद्धि का रुख था परन्तु हम इस पर सदा नजर रखते आये हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने बैंगन और भिंडी आदि का तो उल्लेख किया परन्तु वे आलू और प्याज का जिक्र करना भूल गई..... (**व्यवधान**) सर्वाधिक महत्वपूर्ण सब्जियां बहुत सस्ती बिक रही हैं। आपको ये सब्जियां खानी चाहिएं, ये बहुतायत में हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अब के बाद हम केवल आलू ही खाया करेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं, नहीं बारी-बारी से एक दिन प्याज खाइए और अगले दिन आलू।

श्रीमती गीता मुखर्जी : बहुत अच्छा । कितना अच्छा है दिल्ली आना और.....बेचना .....(**व्यवधान**)

राव बीरेन्द्र सिंह : हमें पता है कि सब्जियों के भाव ऊंचे हैं और हम यह देखेंगे कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं । हम दिल्ली नागरिक पूर्ति निगम सुपर बाजार और अन्य स्थानों से सम्पर्क करेंगे । परन्तु यदि माननीया सदस्या मुझ से सहमत हों तो मैं कहूंगा कि यह उपभोक्ता संरक्षण के कार्य का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाना चाहिए.....(**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां, हमारा हर प्रकार का सहयोग मिलेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : और आपको संसद सदस्यों के आवासीय क्षेत्रों में सहकारी स्टोर खोलने चाहिए ।

अब मैं कुछ बातों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा । हम अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं । हमने इस बात के पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि उपभोक्ता अपना महीने भर का राशन एक बार में ही प्राप्त कर सकें और उन्हें बार-बार दुकान पर न जाना पड़े । वितरण के लिए एक ही दुकान पर जहां तक संभव हो अधिक से अधिक उत्पाद उपलब्ध हों जिससे कि उपभोक्ताओं को एक दुकान से दूसरी दुकान के चक्कर न लगाने पड़ें । उन्हें व्यवहार्य बनाया जाना चाहिए । फिर से हम अन्य मंत्रालयों जैसे पैट्रोलियम मंत्रालय से भी यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क कर रहे हैं कि दुकानों पर मिट्टी का तेल पहुंचे और इसका उचित ढंग से वितरण हो ताकि इसे उद्योगों को वितरित न कर दिया जाए ।

6-00 म० प०

यह कमजोर वर्ग के लोगों को मिले । उन्हें अपना पूरा कोटा प्राप्त हो सके । इसी प्रकार चीनी देश के बहुत भीतरी स्थानों तक पहुंचनी चाहिए । जैसाकि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कम से कम दो हजार की जनसंख्या पर एक दुकान के हिसाब से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में उचित दर की और अधिक दुकानें खोली जानी चाहिए । राज्य व्यापार निगम को भी यह देखने के निर्देश दिए गए हैं कि राज्यों को खाद्य तेलों की सप्लाई कम मात्रा में न हो । इसके लिए यह संभव होना चाहिए कि यह राज्य को पूरे महीने की आवश्यकतानुसार थोक सप्लाई की व्यवस्था करें ताकि इसका कोई अभाव या कृत्रिम अभाव पैदा न किया जा सके और अधिक मूल्य न लिया जा सके ।

मुझे एक अन्य बात की भी चिन्ता है । माननीय सदस्य शायद यह देखना चाहेंगे कि वे इस बारे में क्या कर सकते हैं । हम सभी राज्यों और देश के सभी भागों को निर्धारित और समान दर पर खाद्यान्नों की सप्लाई करते हैं । उदाहरण के लिए हम गेहूं 172 रु० प्रति क्विंटल और एक किस्म का चावल 220 रुपए प्रति क्विंटल और दूसरी किस्म का चावल 230 रुपए प्रति क्विंटल और इसी प्रकार अन्य उत्पादों की सप्लाई करते हैं । परन्तु उनके खुदरा मूल्य कभी-कभी बहुत अधिक हो जाते हैं । उससे उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होता है । हमें खाद्यान्नों के

वितरण के लिए राज सहायता के रूप में 1100 करोड़ रुपए से 1200 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। इस लिए, हमने बार-बार यह सुझाव दिया है कि भारतीय खाद्य निगम के जारी मूल्य तथा उचित दर की दुकानों के खुदरा मूल्यों में 15 रुपए प्रति क्विंटल अर्थात् 15 पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि राज्य इस बात का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। खाद्य तेलों का मामला भी ऐसा ही है। हम आयातित खाद्य तेल की थोक भाव में 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सप्लाई करते हैं और कुछ राज्य इसे 12.50 रुपए और यहां तक कि 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं। अब, उपभोक्ता को कहां लाभ पहुंचेगा ? इसी प्रकार डिब्बा बन्द खाद्य तेल हैं। हम इसकी सप्लाई 9.50 रुपए की दर से करते हैं और कुछ राज्य इसे चार रुपए तक के अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं। तमिलनाडु का ही मामला लीजिए। वहां हमारे जारी मूल्य की तुलना में 2.60 रुपए अधिक मूल्य वसूल किया जा रहा है। यह बहुत अधिक है। वे उपभोक्ताओं की जेब से अपने राज्य की आय बढ़ाना चाहते हैं और इस प्रकार कमजोर वर्गों के लोगों को सहायता देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा उद्देश्य ही निष्क्रिय और विफल हो जाता है। हमने पहले ही यह सुझाव दिया है कि थोड़ी अधिक कीमतें निर्धारित की जाएं। हम पर्वतीय और दुर्गम्य स्थानों के लिए कीमतों का स्तर मामूली सा अधिक रखने का सुझाव दे रहे हैं। मैदानी भागों के लिए अलग कीमतें होंगी। डिब्बा बन्द तेल के लिए भिन्न कीमतें होंगी; खुदरा दुकानों द्वारा खुले में बेचे जाने वाले थोक तेल के लिए ये मूल्य भिन्न होंगे। ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता था।

परन्तु, जैसाकि आप प्रायः कहते हैं कि मेरे मंत्रालय के लिए आवश्यक धनराशि बहुत अधिक नहीं है। मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह सुझाव देने की कृपा की है कि गोदामों और अन्य चीजों के निर्माण करने के लिए, केन्द्रीय भंडारण निगम के लिए और नागरिक पूर्ति निगमों की सहायता के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध की जानी चाहिए थी। सातवीं योजना तैयार की जा रही है और हम देखेंगे कि इसमें कितना प्रावधान किया जाता है। हम निश्चित रूप से आपके सुझावों पर विचार करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि गोदामों के निर्माण में धन की कोई कठिनाई नहीं होगी। हम धन के स्रोत ढूंढेंगे। संस्थागत ऋण तथा अन्य संस्थाओं की व्यवस्था है और हम यह देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में हमारे पास पर्याप्त गोदाम नहीं हैं वहां हम भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के माध्यम से अधिक गोदामों का निर्माण करेंगे।

श्री राम प्यारे पनिका : भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटे में पीछे से चले आ रहे रिक्त स्थानों के बारे में क्या स्थिति है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कुछ समय पहले एक प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे भेंट की थी और मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि उन्हें रोजगार में उनका आरक्षित कोटा प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने इस बात के निर्देश पहले ही दे दिए हैं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कोटे में कमी को पूरा किया जाना चाहिए।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है कि इन मांगों को मंजूर कर लिया जाये।

..... (व्यवधान)

श्री पीयूष तिरकी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी-अभी आपने कहा कि आपके पास खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डार है। क्या आप काम के बदले अनाज कार्यक्रम पुनः शुरू करने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय मैं इन्हें बाहर जवाब दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर सभी कटौती प्रस्तावों पर एक साथ मतदान का प्रस्ताव करूंगा, बशर्ते कि कोई सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत न करवाना चाहता हो।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मैं चाहता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 5 और 8 पर अलग से मतदान करवाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामचन्द्र रेड्डी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 5 और 8 को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 5 और 8 मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब अन्य सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 2, 3 और 11 से 19 मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 41 और 42 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत खाद्य तथा पूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित 1985-86 की अनुदानों की मांगें

मांग सं०	मांग का नाम	25 मार्च 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय :					
41.	खाद्य विभाग	2,08,46,30,000	19,11,49,000	10,42,31,52,000	95,57,49,000
42.	नागरिक पूर्ति	91,73,000	1,3,384,000	5,58,66,000	7,24,22,000

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है ।

6.08 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 अप्रैल, 1985/3 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

प्रमासमुनो—694/लोक सभा/85—12-4-86— 210 पुस्तकें ।